वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण
2013-14

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट
(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)

गोन्दवाना प्लेस, काँके रोड
राँची - 834 031

CIN: U14292JH1975GOI 001223

कंपनी का विजन

विस्तृत होती हुई भू सम्पदा क्षेत्र तथा सम्बद्ध व्यावसायिक क्रिया-कलाप में वैश्विक मार्केट लीडर बनना।

सीएमपीडीआई का मिशन

भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिदृष्य में भी अग्रणी परामर्शदाता के रूप में कोयला एवं खनिज गवेषण, खनन, अभियंत्रण तथा सम्बद्ध क्षेत्र में संपूर्ण परामर्शी सेवा देना।

विस्तृत होती हुई भू सम्पदा क्षेत्र तथा सम्बद्ध व्यावसायिक क्रिया-कलाप में वैश्विक मार्केट लीडर बनना।

विषय - सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	2013–2014 के दौरान प्रबन्धन	1
2.	1.5.2014 के अनुसार बोर्ड के सदस्य	2
3.	बैंकर्स, अंकेक्षक तथा पंजीकृत कार्यालय	3
4.	39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	4
5.	अध्यक्ष का कथन	5
6.	उपलब्धि : एक नजर में	12
7.	वित्तीय पर्यवेक्षण एवं सांख्यिकी	13
8.	निदेशक–मंडल की रिपोर्ट	17
9.	निदेशक–मंडल की रिपोर्ट का परिशिष्ट	100
10.	सीईओ एवं सीएफओ प्रमाण पत्र	106
11.	निगमित शासकीय प्रमाण–पत्र	107
12.	सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा प्रबंधन का उत्तर	108
13.	धारा 619 (4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ तथा प्रबंधन के उत्तर	113
14.	समझौता संलेख पर अंकेक्षकों की टिप्पणी	114
15.	लेखे का अंकेक्षित विवरण	131
16.	कैश फ्लो विवरण सहित लेखे की अनुसूची	135
17.	खण्डवार विवरण सहित महत्वपूर्ण लेखा नीति तथा लेखे पर टिप्पणी	160

निदेशक मंडल

श्री ए. के. देबनाथ
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

श्री डी.के. घोष

श्री आर.के. चोपड़ा

श्री शेखर सरन

श्री वी.के. सिन्हा

श्री एन. कुमार

श्री डी.एन. प्रसाद

श्री राकेश कुमार मित्तल

वर्ष 2013-2014 के दौरान प्रबंधन

श्री अमल कुमार	:	अध्यक्ष–सह–प्रबंध–निदेशक (19.02.2010 से)

कार्यकारी निदेशक

श्री बैद्यनाथ बसु	:	निदेशक (तकनीकी) (31.05.2013 तक)
श्री दिलीप कुमार घोष	:	निदेशक (तकनीकी) (13.10.2011 से)
श्री राजेश कुमार चोपड़ा	:	निदेशक (तकनीकी) (13.01.2012 से)
श्री शेखर सरन	:	निदेशक (तकनीकी) (1.06.2013 से)
श्री वी.के. सिन्हा	:	निदेशक (तकनीकी) (08.01.2014 से)

अंशकालिक सरकारी निदेशक :

श्री देवुलापल्ली नरसिंम्हा प्रसाद	:	सलाहकार (परियोजना), कोयला मंत्रालय (27.1.2010 से)
श्री नगेन्द्र कुमार	:	निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया लिमिटेड (29.02.2012 से)

स्वतंत्र निदेशक :

श्री वेदाला रमा शास्त्री	:	निदेशक (23.12.2013 तक)
श्री प्रमोद कुमार मिश्रा	:	निदेशक (23.12.2013 तक)
डा0 मुकेश खरे	:	निदेशक (23.12.2013 तक)
श्री (प्रो0) पी.के.जे. महापात्र	:	निदेशक (23.12.2013 तक)
श्री राजेश कुमार मित्तल	:	निदेशक (01.11.2013 से)

स्थायी आमंत्रित सदस्य :

श्री शरद घोड़के	:	निदेशक, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली

कम्पनी सचिव

श्री पी लाजर,	:	उप महाप्रबंधक (वित्त)/कम्पनी सचिव (01.04.2011 से)

01.05.2014 के अनुसार बोर्ड के सदस्य

कार्यकारी निदेशक :

श्री अमल कुमार देवनाथ	:	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक)
श्री दिलीप कुमार घोष	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री राजेश कुमार चोपड़ा	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री शेखर सरन	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री वी.के. सिन्हा	:	निदेशक (तकनीकी)

अंशकालिक सरकारी निदेशक :

श्री देवुलापल्ली नरसिंम्हा प्रसाद	:	सलाहकार (परियोजना), कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
श्री नागेन्द्र कुमार	:	निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया लिमिटेड

स्वतंत्र निदेशक :

श्री राजेश कुमार मित्तल	:	निदेशक

स्थायी आमंत्रित सदस्य :

श्री शरद घोड़के	:	निदेशक, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली

कम्पनी सचिव :

श्री पी. लाजर	:	उप महाप्रबंधक (वित्त)/कम्पनी सचिव

बैंकर्स, अंकेक्षक तथा पंजीकृत कार्यालय :

बैंकर्स

स्टेट बैंक आफ इंडिया
यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया
केनरा बैंक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
यू.को. बैंक
सिंडिकेट बैंक

अंकेक्षक

मेसर्स तोदी तुलस्यान एण्ड कम्पनी
(ईआर 0043)
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
602, लव कुश टावर
एक्ज़िविशन रोड,
पटना–800001(बिहार)

निबंधित कार्यालय

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि.
गोंदवाना प्लेस, काँके रोड,
राँची– 834 031 झारखण्ड, भारत
CIN: U14292JH1975GOI 001223

फोन नं. : 0651.2230169
फैक्स नं. : 0651.2231447
ई–मेल : company_secretary@cmpdi.co.in
वेबसाइट : www.cmpdi.co.in

39वीं वार्षिक आम बैठक के लिए सूचना

संदर्भ सं. : सीएस/एजीएम–39/2014/सूचना दिनांक : 16.05.2014

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के सभी शेयर धारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कारोबार के संचालन के लिए कम्पनी की 39 वीं वार्षिक आम बैठक कम्पनी के निबंधित कार्यालय, गोन्दवाना प्लेस, काँके रोड, राँची में 10 जून, 2014 दिन मंगलवार को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित की जाएगी :

सामान्य कार्य :

1. 31 मार्च, 2014 के अनुसार अंकेक्षित तुलन–पत्र तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखे के साथ–साथ उसके साथ संलग्न अनुसूची तथा उस पर सांविधिक अंकेक्षक और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ–साथ प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तर प्राप्त करना, उस पर विचार करना तथा अंगीकार करना।
2. वर्ष 2013–14 के लिए निदेशक–मंडल की रिपोर्ट प्राप्त करना एवं स्वीकार करना
   1. श्री एन.कुमार, सरकारी अंशकालिक निदेशक के बदले में एक ऐसे निदेशक की नियुक्ति करना जो कम्पनी की विधि नियमावली के अनुच्छेदों के खण्ड (भाग) 34 (1) ई (III) की शर्तों से सेवानिवृत्त हुए हैं और पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं।
   2. डा0 डी.एन. प्रसाद सरकारी अंशकालिक निदेशक के बदले में एक ऐसे निदेशक की नियुक्ति करना जो कम्पनी की विधि नियमावली के अनुच्छेदों के (खण्ड) भाग 34 (1) ई (III) की शर्तों से सेवानिवृत्त हुए हैं और पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
वास्ते सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

(पी.लाजर)
मुख्य प्रबंधक (वित्त)/कम्पनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय : सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि.,
गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची, 834 031, झारखंड, भारत

नोट :

1. वैसा सदस्य जो बैठक में शामिल होने तथा मत डालने का हकदार है, अपने बदले किसी दूसरे व्यक्ति को बैठक में शामिल होने तथा मत डालने के लिए एवजी नियुक्त कर सकता है तथा उक्त एवजी को कम्पनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है।
2. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224(8) के अनुसार कंपनी के सदस्यों ने 26 सितम्बर, 2002 को आयोजित 27वीं वार्षिक आम बैठक में निदेशक–मंडल को कंपनी अधिनियम की धारा 619 (2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया है।

प्रति : कम्पनी के सभी शेयरधारक
कंपनी के अंकेक्षक
अंकेक्षण समिति के अध्यक्ष
तथा कम्पनी के सभी निदेशक

अध्यक्ष का कथन

श्री अमलनाथ कुमार देव
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

प्रिय शेयरधारक,

सीएमपीडीआई की 39वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि की निदेशक मंडल की रिपोर्ट, अंकेक्षित (ऑडिट) लेखे की रिपोर्ट के साथ–साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा समीक्षा पहले ही कंपनी के शेयरधारकों को दी जा चुकी है।

1. विकास की रूप-रेखा :

भारतीय खनन उद्योग को एक ही छत के नीचे विस्तृत प्लानिंग सेटअप के रूप में सीएमपीडीआई की स्थापना का विचार एवं प्रस्ताव मूलतः 1972 में पोलैंड के विशेषज्ञों वाली संयुक्त अध्ययन दल द्वारा आया।

आपकी कंपनी कोयले की गवेषणा, खान आयोजन एवं अभिकल्पन, पर्यावरण अभियांत्रिकी, कोयले का परिष्करण एवं उपयोग, संबंधित अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) सेवाएँ, क्षेत्र सेवाएँ इत्यादि के क्षेत्रों में सीआईएल तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों को घरेलू परामर्शी सेवा प्रदान करती रही है। सीआईएल से बाहर के ग्राहकों के अलावे धात्विक खनन (मेटल माइनिंग) क्षेत्रों के ग्राहकों को भी इस तरह की सेवाएँ प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, सीएमपीडीआई पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय को गैर सीआईएल ब्लॉक, सीबीएम एवं शेल गैस इत्यादि से संबंधित सेवाएँ भी दे रही है।

सीएमपीडीआई के गठन के बाद के वर्षों के दौरान बड़ी खुली खान तथा भूमिगत खान परियोजना के लिए संयुक्त प्लानिंग कार्य करने हेतु पूर्ववर्ती यूएसएसआर के जिप्रोशाख्त, पोलैंड के कोपेक्स तथा ब्रिटेन के ब्रिटिश माइनिंग कन्सल्टेंट जैसे अग्रणी कोयला खान वाले देश के संस्थानों के साथ द्विपक्षीय समझौते के जरिए इसके योजनाकारों एवं अभियंताओं की विशेषता के स्तर को बढ़ाया गया। इसके कार्मिकों की विशेषज्ञता के स्तर को बढ़ाने के अतिरिक्त कम्प्यूटर एवं प्रयोगशाला सुविधा स्थापित कर आधारभूत सुविधा में वृद्धि की गई है। इन सब उपायों ने सीएमपीडीआई को खनिज एवं खनन के क्षेत्र में संपूर्ण समाधान कराने वाला अद्वितीय कंपनी बना दिया है। फिर भी, विश्वव्यापी व्यावसायिक वातावरण में आए बदलाव के कारण 1990 के दशक में इस तरह के द्विपक्षीय समझौते महत्वहीन हो गए हैं एवं अपनी गति खो चुके हैं। कर्मियों की सेवा–निवृत्ति, कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों में स्थानान्तरण तथा युवा अभियंताओं की बहाली नहीं होने के कारण 90 के दशक में कार्यकुशल (दक्ष) श्रमशक्ति के मामले में कंपनी की शक्ति में कमी आने लगी। कुल मिलाकर, बदलते व्यावसायिक परिदृष्य तथा इसके परिणामस्वरूप देश के अंदर तथा विदेशी खनन क्षेत्र में हुए बदलाव के कारण मुख्यतः 2000 के बाद विशेषज्ञों के निर्गमन में और वृद्धि हो गई। तथापि, आईएसओ के समावेश तथा कुछ हद तक कम्प्यूटराइजेशन के साथ–साथ खनन उद्योग से संबंधित साफ्टवेयर के प्रयोग तथा खास कर, कोयला गुण निर्धारण तथा पर्यावरण सुविधा से संबंधित उपकरणों में की गई वृद्धि के बावजूद कंपनी कुछ स्तर तक अपनी सेवाओं तथा सुविधाओं के संपूर्ण उन्नयन तथा दक्षता के स्तर को बढ़ाने में कुछ पीछे रह गई।

सीएमपीडीआई के प्रमुख क्रिया–कलापों में से एक ड्रिलिंग की क्षमता, जो भावी कोयला उत्पादन की आवश्यकता के लिए कोल ब्लॉक के अनुमान करने में सक्षम है, ने लगभग 2 लाख मीटर प्रतिवर्ष (04–05 में 2.02 लाख मीटर से 07–08 में 2.09 लाख मीटर) था तथा टर्न ओवर लगभग 150 से 200 करोड़ रूपये (2004–05 में 151 करोड़ रूपए तथा 2007–08 में 196 करोड़ रूपए) था। विशेषज्ञता, तकनीकी सुविधाओं तथा सहायता सुविधाओं का विकास तथा कोयला उद्योग को कंपनी द्वारा दी जा रही सेवाओं के संबंध में ऊँचाई तक पहुँचने में प्रगति न होने के कारण निकट भविष्य में कोयला उद्योग के हित के लिए कंपनी की विशिष्टता को संपूर्णरूप से सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि कोयला क्षेत्र में अंगीकृत प्रौद्योगिकी नव परिवर्तन तथा रणनीति में सीएमपीडीआई अग्रदूत रहा है।

यह परिकल्पना की गई कि सीएमपीडीआई को न केवल अपने श्रमशक्ति की कुशलता तथा आधारभूत सुविधाओं में बेहतरी करने की आवश्यकता है, बल्कि गवेषण एजेंसी, सलाहकार तथा तकनीकी सेवा प्रदाता और अनुसंधान एवं विकास संस्थान के रूप में अपनी भूमिका में विस्तार करने की जरूरत है। इसके लिए उपयुक्त उपाए थे। गवेषण क्षमता में वृद्धि करना, वर्तमान सुविधाओं तथा आधारभूत संरचनाओं के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण, श्रमशक्ति के उपयोग को युक्तिसंगत बनाना, अधिकारी श्रमशक्ति का समावेशन, कोयला से इतर खनिज, खनन तथा सम्बद्ध अभियंत्रण के नवीन क्षेत्रों में विविधिकरण, मूल्य के हिसाब से बाहरी कार्य (गैर–सीआईएल) की मात्रा में वृद्धि, कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग के जरिए इन्वेन्टरी कन्ट्रोल और ड्रिलिंग सहित कोर क्षेत्र में प्रभावकारी मानिटरिंग प्रणाली की स्थापना, कोयला आधारित ऊर्जा के वैकल्पित स्रोत का विकास आदि।

2. वित्तीय उपलब्धि :

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान आपकी कंपनी ने गत वर्ष के 601.5 करोड़ रू0 के टर्न ओवर रूपये की तुलना में 46.38 करोड़ रू. की वृद्धि दर्ज करते हुए 34.60 करोड़ रू. कर के पहले लाभ के साथ–साथ 647.43 करोड़ रू. का अधिकतम टर्न ओवर हासिल किया है। आपकी कंपनी का निबल मूल्य (नेटवर्थ) 31.3.13 के 134.89 करोड़ रू. से बढ़कर 31.3.14 के अनुसार 155.88 करोड़ रू. हो गया। इस वित्तीय वर्ष के दौरान प्रति शेयर अर्निंग 1316 रू. से 1028 रू. हो गया।

3. ड्रिलिंग उपलब्धि :

आपकी कंपनी वर्ष 12–13 के दौरान किए गए 5.63 लाख मी. ड्रिलिंग की तुलना में वर्ष 13–14 के दौरान विभागीय संसाधन तथा आउटसोर्सिंग के जरिए गत वर्ष की ड्रिलिंग में 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर 6.97 लाख मी. ड्रिलिंग किया है। वर्ष 14–15 के लिए लक्ष्य में पर्याप्त वृद्धि कर इसे 12 लाख मीटर कर दिया गया है, जिसे सीआईएल, गैर–सीआईएल तथा एससीसीएल के क्षेत्रों xii योजना अवधि के लिए 54.46 लाख मीटर के लक्ष्य को ध्यान में रखकर वर्ष 2015–16 तक इसे और बढ़ाकर 15 लाख मीटर प्रति वर्ष (विभागीय गवेषण क्षमता 4 लाख मीटर तक बढ़ाई जानी है) करने की जरूरत है। इसके कारण ड्रिलिंग के लिए पर्याप्त संख्या में कोयला ब्लॉक के आउटसोर्सिंग पर बल देना आवश्यक हो गया है। सीएमपीडीआई ने विभिन्न कोयला ब्लॉकों में प्रतिवर्ष एक लाख मीटर गवेषणात्मक ड्रिलिंग की पेशकश के लिए 6 जनवरी, 2009 को एमईसीएल के साथ दीर्घकालीन समझौता किया है। वर्ष 2012–13 से वार्षिक सीमा 1.5 लाख मीटर पुनः बढ़ा दिया गया है। सीएमपीडीआई तथा एसईसीएल के बीच एमओयू के तहत एमईसीएल द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान 14 ब्लॉकों में ड्रिलिंग कार्य शुरू किया गया। सीएमपीडीआई ने वर्ष 2008 से विभिन्न राष्ट्रीय एवं वैश्विक निविदा के जरिए प्राइवेट एजेंसियों से 26 कोल ब्लाक आउटसोर्स किया है। वर्ष 2012–13 के दौरान विस्तृत गवेषण के लिए कोल ब्लाकों की आउटसोर्सिंग के लिए '' ई– टेंडरिंग लागू किया गया है तथा ई– टेंडरिंग के जरिए 16 ब्लाकों का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है तथा 13 ब्लाकों में ड्रिलिंग कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

4. आईसीआरआईएस :

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ''समेकित कोयला संसाधन सूचना प्रणाली (आसीआरआईएस)'' नामक परियोजना के भाग के रूप में सभी कोलफील्डों में डाटा बेस बनाने के लिए देश के कोयला संसाधन डाटा को डिजिटल रूप में स्टोर किया गया है। भू–वैज्ञानिक मॉडेल तथा डाटा के अद्यतन करने का कार्य जारी रहा। वर्ष 2013–14 तक क्षेत्रों (जोनों) के 89 मॉडेल पूरे किए गए जिसमें से विभिन्न कोलफील्डों के 28 जोनों के डाटा को आईसीआरआईएस के वेब साइट icris.cmpdi.co.in में अपलोड कर दिया गया है। कोलफील्डों की सूचना इकट्ठा करने के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डर इस साइट का इस्तेमाल कर सकते है।

5. परियोजना रिपोर्ट :

12वीं योजना के लिए 126 परियोजनाओं की पहचान की गई, परिणामस्वरूप लगभग 446 एमटी क्षमता में वृद्धि हुई जिसके मुकाबले 337 एम टी अतिरिक्त क्षमता वाली 93 परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। विवेच्य वर्ष के दौरान लगभग 81 मी.ट. क्षमता वृद्धि वाली 26 परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। 12वीं योजना के आने वाले

वर्षों में 109 मी.ट. क्षमता वृद्धि वाली शेष 33 परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 1.4.2013 के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकार वाले क्षेत्रों में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासीफिकेशन (यूएनएफसी) के आधार पर खानों/ब्लॉकों के लिए कोयला भंडार/संसाधन का वर्गीकरण किया गया है।

6. प्रयोगशालाओं का उन्नयन :

आपकी कंपनी में इस वर्ष की प्रयोगशाला के उन्नयन का कार्य जारी रहा है। सीएमपीडीआई, क्षेत्रीय संस्थान–1, आसनसोल की पर्यावरण प्रयोगशाला का नवीकरण किया गया है। इस प्रयोगशाला में वायु एवं जल के नमूने के विश्लेषण के लिए सीपीसीबी/एमओईएफ की अपेक्षा के अनुकूल विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया गया है। इस प्रयोगशाला में अटॉमिक एवजर्पशन स्पेक्ट्रोमीटर दृश्य स्पेक्टोमीटर, माइक्रोप्रोसेसर आधारित स्पेक्ट्रोमीटर, मेटेरोलॉजिकल डाटा संचार रोस्टिरिगुल डस्ट सेम्पलर आदि जैसे अत्याधुनिक उकरण है। यह ईसीएल की सभी कोयला खानों की पर्यावरणिक मॉनिटरिंग की आवश्यकता को पूरा करेगी। सीएमपीडीआई पहले सी स्थापित आधुनिकतम सीबीएम प्रयोगशाला की क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया कर रहा है जिसे शेल गैस संभाव्यता (क्षमता) मूल्यांकन के लिए टीओसी उपकरण की सुविधा से जोड़ दिया गया है। शेल गैस की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित रॉक इवाल पाइरो लाइसिस उपकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। इसे जल्द ही प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है। इस उपकरण के प्राप्त हो जाने पर यह प्रयोगशाला शेल गैस अध्ययन की विश्लेषणात्मक (एन्सलिटिक्स) आवश्यकता को पूरा करने वाले टेक्नोलॉजिकली ड्रिभेन इक्वीपमेंट से सुसज्जित हो जाएगा।

7. श्रमशक्ति की भर्ती :

गवेषण, आयोजना एवं अभिकल्पन (प्लानिंग एंड डिजाइन) के साथ–साथ सम्बद्ध अभियंत्रण सेवाओं के बढ़े हुए लक्ष्य को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर श्रमशक्ति की आवश्यकता पर विचार किया गया है। वर्ष 2013–14 के दौरान विभिन्न विधाओं (डिसिप्लिन) के 46 प्रबंधन प्रशिक्षुओं को सीएमपीडीआई में बहाली एवं स्थानांतरण के जरिए पदस्थापित किया गया है। इसी प्रकार, कर्मचारियों को कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों से मँगाने के साथ–साथ बाहरी भर्ती की गयी है। तथापि, संख्या की दृष्टि से विशेषज्ञों के स्तर कायम रखने के लिए यह सतत प्रक्रिया है।

8. भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग तथा भू-उपयोग/ वनस्पति आच्छादन :

वर्ष 2008 से प्रति वर्ष 5 मिलियन घन मीटर (कोयला़ओबी) से अधिक उत्पादन करने वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सभी खुली खानों में भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग के लिए प्रति वर्ष उपग्रह निगरानी प्रणाली की शुरूआत की गई है। इसके बाद 2011 से तीन वर्ष के अंतराल पर प्रतिवर्ष 5 मिलियन घन मीटर से कम उत्पादन क्षमता वाली कोल इंडिया लिमिटेड की खुली खानों की भी भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग का कार्य शुरू किया गया है। वर्ष 2013–14 के दौरान हाई रिज्योल्यूशन सेटेलाइट डाटा पर आधारित कोल इंडिया लिमिटेड की 82 खुली खान परियोजनाओं (5 मिलियन घन मीटर प्रति वर्ष से अधिक उत्पादन करने वाली 50 खुली खान सहित) की भूमि पुनरूद्धार मानिटनिंग की गई। ऐसी सभी खानों की भूमि पुनरूद्धार स्थिति का परिणाम पब्लिक डोमेन में कोल इंडिया लिमिटेड, सीएमपीडीआई तथा संबंधित कोयला कंपनियों की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता हो तो सुधारात्मक उपाय करने के लिए 3 वर्षों की अवधि में भूमि उपयोग/वृक्षाच्छादन पर कोयला खनन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए उपग्रह आँकड़े पर आधारित 6 कोयला क्षेत्रों यानि झरिया, तालचर, विश्रामपुर, वर्धाघाटी, काम्पटी तथा माकुम का वृक्षाच्छादन मानचित्र किया जा चुका है।

9. कोयला वाशरी स्थापित करने के लिए सहायता :

आपकी कंपनी कोयला वाशरियों की स्थापना, खासकर रन ऑफ माइन (रोम) कोयला, प्लानिंग, वाशरियों के निर्माण एवं इसकी स्थापना, बोली प्रक्रिया का प्रबंधन जैसे कार्यों के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों को सहायता देती आ रही है। यह उम्मीद की जाती है कि देश में कोयले की धुलाई की बड़े पैमाने पर आवश्यकता को ध्यान में रखकर हमारे द्वारा दी जा रही सेवाओं में और तेजी लानी होगी। इसको ध्यान में रखकर क्षमता को और बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित (ख्याति प्राप्त) संस्थानों से अभियंताओं की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त, धोवन क्षमता परीक्षण आदि करने की भावी आवश्यकता को पूरा करने के लिए नए उपकरण लगाकर कोयला परिष्करण प्रयोगशाला को उन्नत किया गया है।

10. पर्यावरणिक सेवा :

वर्ष 2013–14 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड को दी जा रही पर्यावरणिक सेवा में 26 फार्म–1 की तैयारी तथा 14 ड्राफ्ट ईएमपी का निर्माण शामिल है। आसनसोल, नागपुर, बिलासपुर, कुसमुण्डा, हसदेव, जयन्त, तालचर, ईब घाटी तथा राँची स्थित 9 पर्यावरणिक प्रयोगशालाओं के जरिए कोल इंडिया लिमिटेड की 30 परियोजनाओं/संस्थानों की पर्यावरणिक मानिटरिंग (वायु, हवा एवं ध्वनि) की गई। कोयला मंत्रालय द्वारा 2013 में जारी संशोधित दिशा–निर्देश के अनुसार सीएमपीडीआई द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान 257 माइन क्लोजर प्लान तैयार किए गए। तथापि, भावी पर्यावरणिक सेवाओं की आवश्यकता तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से और अधिक कड़े शर्तों की संभावना पर विचार करते हुए हमारे द्वारा दी जा रही पर्यावरणिक सेवाओं के लिए सतत आधार पर क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

11. कोयला आधारित ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत :

ऊर्जा की आवश्यकता को कुछ हद तक पूरा करने के लिए कोल बेड मिथेन/कोल माइन मिथेन, भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी), कोयला तरलीकरण (द्रवीकरण) आदि जैसी कोयला आधारित नन रिनिवेबुल ऊर्जा उत्पादन के वैकल्पिक स्रोत पर बल दिया गया है। सीबीएम संसाधन के आधार को बढ़ाने के लिए सीएमपीडीआई कोयला मंत्रालय के उन्नायक (क्षेत्रीय) गवेषण (पीआरई) के तहत सीबीएम से संबंधित डाटा तैयार कर रहा है। आपकी कंपनी के लिए शेल गैस का विकास भी एक उदीयमान क्षेत्र बन कर उभरा है। डीजीएच ने मई, 2011 में आगामी सीबीएम राउण्ड के लिए कम्बो बेसिन, सिंगरौली तथा जोहिला कोलफील्डस में संभावित सीबीएम ब्लाक पर डाटा डोजियर्स की तैयारी तथा रूपरेखा निर्धारण के लिए परामर्षी कार्य सौंपा है। चिहिन्त 8 ब्लॉकों पर अंतिम डाटा डोजियर्स तैयार कर डीजीएच को सौंप दिया गया है। डीजीएच ने मई 2011 में गोंदवाना बेसिन में 6 संभावित सेल गैस ब्लाक की रूपरेखा निर्धारण तथा डाटा डोजियर्स की तैयारी के लिए परामर्षी कार्य प्रदान किया है। रानीगंज, झरिया,बोकारो, साउथ कर्णपूरा, नार्थ कर्णपूरा तथा सोहागपुर बेसिन के लिए अंतिम डाटा डोजियर्स डीजीएच को सौंप दिया गया है।

आपकी कंपनी के लिए कोयला आधारित वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का विकास भी कार्य के प्राथमिकता वाला क्षेत्र बन गया है। कोल माइन मिथेन के विकास को सरल बनाने के लिए कोयला मंत्रालय तथा यूएसईपीए के तत्वावधान में कोयला मंत्रालय के अनुरोध पर नवम्बर 2008 में सीएमपीडीआई, राँची में सीबीएम/सीएमएम क्लियरिंग हाउस की स्थापना की गई। यह क्लियरिंग हाउस देश के सीबीएम/सीएमएम से संबंधित जानकारी को एकत्र करने तथा आदान–प्रदान करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है तथा पब्लिक/प्राइवेट भागेदारी द्वारा भारत में सीएमएम के व्यावसायिक विकास में सहायता देता है और वित्तीय निवेश का अवसर लाता है। भारतीय सीबीएम/सीएमएम क्लियरिंग हाउस के सत्र को और 3 वर्ष के लिए विस्तारित कर दिया गया है, जिससे ग्रीन हाउस गैस के प्रशमन तथा सीएमएम के विकास के क्षेत्र में किए गए प्रयास की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता का पता चलता है। इंडिया सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंग हाउस के तत्वावधान में 12–13 नवम्बर, 2013 तक सीएमपीडीआई, राँची में ''भारत में कोयला आधारित गैर पारंपरिक उर्जा संसाधन का विकास'' पर एक अन्तराष्ट्रीय कार्यषाला का आयोजन किया गया। इस कार्यषाला में, कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उच्चाधिकारी, भारतीय कोयला उद्योग के प्रतिनिधि, सीबीएम/सीएमएम/शेल के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय विशेषज्ञ, उद्योग, तकनीक, अनुसंधान तथा शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

भारत में सीएमएम के विकास के लिए सीएमपीडीआई को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नोडल एजेंसी चिह्नित किया गया है तथा कोल इंडिया लिमिटेड के क्षेत्रों में सीएमएम के व्यावसायिक विकास के लिए कदम उठाए जा चुके हैं।

कोयला मंत्रालय तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ सीएमपीडीआई सीएमएम के परिचालन से संबंधित मुद्दे पर ध्यान रख रहा है और सीएमपीडीआई के नियमित अनुसरण में अगस्त, 2012 में दोनों मंत्रालयों के बीच इस मामले का समाधान निकाल लिया गया तथा सीएमएम के व्यावसायिक विकास शुरू करने मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसके बाद सीसीईए ने अपने कोयला खनन क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड को अपने क्षेत्रों में सीएमएम का पता लगाने तथा दोहन करने के लिए अनुमति दी है। इस संबंध में आधिकारिक सूचना की प्रतीक्षा है। इसके बाद सीएमएम के विकास एवं दोहन के लिए सीएमपीडीआई/सीआईएल द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।

''कोयला खानों तथा गैर–खनन योग्य कोल बेड मिथेन से ग्रीन हाउस गैस की प्राप्ति तथा ऊर्जा में परिवर्तन (जीएचजी 2 ई)'' नामक बहु राष्ट्रीय बहु सांगठनिक (5 देश 12 सदस्य) के एक सहयोगात्मक सदस्य के रूप में भारत से एक मात्र चिह्नित कंपनी सीएमपीडीआई के साथ–साथ आईआईटी खड़गपुर है। आपकी टीम के साथ परियोजना समन्वयक ने 13 नवम्बर, 2013 को सीएमपीडीआई में प्रगति की समीक्षा की तथा नमूना तैयार करने के लिए आँकड़ा प्राप्ति स्थल को अंतिम रूप देने तथा कार्य योजना तैयार करने हेतु 14 नवम्बर, 2013 को मुनिडीह का दौरा किया। 24 नवम्बर, 2014 को आईआईटी, खड़गपुर के साथ सीएमपीडीआई में समीक्षा बैठक की गई। सीएमपीडीआई सहयोगी सदस्य के रूप में कार्यों का अनुसरण कर रहा है तथा इसके द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रषंसा की गई है।

कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से सीएमपीडीआई कोल इंडिया के अधिकार वाले क्षेत्र में कैथा, सीसीएल तथा थेसेगोरा (सी ब्लॉक) डब्ल्यूसीएल में भूमिगत कोयला गैसीफिकेषन (यूसीजी) के व्यावसायिक विकास हेतु डेवलपर के चयन की कार्रवाई कर रहा है। इसके लिए जनवरी, 14 में ई–निविदा जारी कर दी गई है तथा प्रस्ताव 17 अप्रैल, 14 तक प्राप्त किया जाएगा। यह भारत में व्यवसायिक आधार पर यूसीजी के विकास के लिए इस तरह की पहली निविदा होगी। इससे भारत में नई तथा उच्चस्तरीय प्रौद्योगिकी लाने में सहूलियत होगी।

12. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ :

आपकी कंपनी कोयला मंत्रालय द्वारा प्रायोजित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना तथा कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए नॉडेल एजेंसी है। विगत 38 वर्षों से सीएमपीडीआई ने प्रौद्योगिकी तथा नए बदलाव (एनोवेशन) के जरिए कोयला उद्योग की बेहतरी के लिए कार्य किया है तथा कम्पनियों के साथ अनुसंधान उपलब्धियों को व्यावसायिक सफलता में बदलने के लिए नियमित रूप से काम किया है। वर्ष 13–14 के दौरान 12 अनुसंधान एवं विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ पूरी की गई। पूरी की गई परियोजनाएँ दबे हुए अन्डर ग्राउण्ड माइनर का पता लगाने तथा संसूचित करने के लिए समेकित संचार प्रणाली, सीएफडी माडलिंग तथा सिमुलेशन पर आधारित शुष्क कोयले के परिष्करण के लिए कोल विनिंग सिस्टम का डिजाइन एवं विकास, खनि आग वाले क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के आकलन तथा टेरिस्ट्रीयल सिक्वेन्सट्रेशन के जरिए उनके प्रशमन हेतु पद्धति का विकास, अधिक राख वाले भारतीय कोकिंग कोयले के परिष्करण के लिए टिब्रोइलेक्ट्रोस्टेटिक सेपरेटर का विकास, झरिया कोयला क्षेत्र में सीबीएम के गवेषण के लिए इनसिटू स्ट्रेस का विश्लेषण, धमन भट्टी लायक कोक बनाने के लिए लो रैंक तथा लो वोलाटाइल हाई रैंक भारतीय कोकिंग कोल का कारगर उपयोग, कम्प्यूटर मॉडलिंग तथा सिमुलेशन के द्वारा खुली कोयला खदानों में हाई एंगल कन्वेईंग सिस्टम (एचएसी) का संभाव्यता अध्ययन, टायर रिट्रिडिंग कंपाउन्ड में सुधार के जरिए डम्प ट्रक टायर के टिकाउपन में वृद्धि का अन्वेषण तथा अनुकूलतम रोड मेंटेनेंश मैनेजमेंट सिस्टम चरण 2 आदि का विकास शामिल है, कुछ जरूरी परियोजनाओं में रेडियो मेट्रिक टेकनिक का प्रयोग कर कोयला परिष्करण प्रणाली/पद्धति का प्रदर्शन, खुली खानों के लिए इन्टीग्रेटेड डम्पर कोलिजन एव्याडेंस सिस्टम का स्वदेशी विकास, गोंदवाना बेसिन में सेल गैस की संभावना का मूल्यांकन भूमिगत खानों में डिपीलरिंग कार्य के लिए सेल्फ एडवांसिंग (मोबाइल) गोफ एज सपोर्ट आदि का विकास, कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास आधार को और बढ़ाने के लिए सीएमपीडीआई पर्याप्त आधारभूत सुविधासम्पन्न तथा विशेषज्ञता वाले निजी संगठनों के साथ–साथ अधिक से अधिक अनुसंधानकर्ता एकेडमिक संस्थानों को शामिल करने हेतु हर संभव प्रयास कर रहा है। सीएमपीडीआई ने 13 चयनित विषयों पर अनुसंधान एवं विकास कार्य करने के लिए रूचि का प्रदर्शन (ईओआई) आमंत्रित किया है जिसमें चार विषयों, भारतीय कोयला क्षेत्र के लिए सीबीएम भंडार का आकलन, सीटी सिस्टम का प्रयोग कर आन लाइन धोवन क्षमता विश्लेषण, भूमिगत खानों में चाल धँसने तथा खुली खानों में हाई वाल फेल्यूअर के पूर्वानूमान की शीघ्र चेतावनी प्रणाली को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें से ''भारतीय कोयला क्षेत्र के लिए सीबीएम भंडार का आकलन'' तथा ''सीटी सिस्टम का प्रयोग कर ऑनलाइन धोवन क्षमता का विश्लेषण '' पर अनुसंधान एवं विकास परियोजना को अनुमोदित कर दिया गया है। मार्च, 2014 से यह कार्य जारी है।

विद्युत आपूर्ति के मल्टीपूल सोर्स के अनुकूलन तथा नियंत्रण के लिए माइक्रोग्रीड 200 किलोवाट क्षमता का 16 सिस्टम के

डिजाइन, विकास, एवं प्रदर्शन पर सीएमपीडीआई ने जर्मी (गुजरात विद्युत अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान) के साथ मिलकर अनुसंधान एवं विकास परियोजना शुरू की है। सीएमपीडीआई परिसर में विद्युत आपूर्ति के बहुस्रोतों के अनुकूलन तथा नियंत्रण के लिए 200 केडब्ल्यू के माइक्रोग्रीड सोलर सिस्टम के विस्तृत डिजाइन का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा मेसर्स टाइटेन इनर्जी सिस्टम को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। स्थल का विस्तृत सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है।

13. ई-प्राप्ति एवं संविदा प्रबंधन :

सीएमपीडीआई, मुख्यालय तथा 6 राज्यों में फैले इसके क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा किए जाने वाली सभी संविदाओं में ई–प्राप्ति पद्धति (ईपीएस) के कार्यान्वयन के उद्देश्य से सीएमपीडीआई में ई–प्राप्ति तथा संविदा प्रबंधन विभाग बनाया गया है। सीएमपीडीआई ने ड्रिलिंग आउटसोर्सिंग, सामानों की खरीद तथा सिविल से संबंधित संविदाओं में ईपीएस को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है।

सीएमपीडीआई के लिए यह गर्व का विषय है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के इतिहास में इलेक्ट्रोनिक मोड के जरिए एनसीएल की जयंत परियोजना में कोल हैण्डलिंग संयंत्र के निर्माण के लिए पहली बार की निविदा शुरू की गई है। अन्य कार्यों एवं सेवाओं से सबंधित निविदा के अतिरिक्त कोल हैंडलिंग प्लांट तथा कोयला वाशरी से संबंध्ति सभी निविदाएँ ईपीएस के जरिए की जाएँगी।

14. सामाजिक निगमित दायित्व तथा सस्टेनेब्लिटी :

आपकी कंपनी ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सीएसआर कार्य के जरिए आसपास के समुदायों तथा व्यापक, समुदायों के साथ भी मजबूत सहभागिता बनाई है। सीएमपीडीआई द्वारा सीएसआर के तहत टिकाउ विकास तथा समावेशी विकास पर बल देते हुए इसे कार्यान्वित किया गया। वर्ष 13–14 के दौरान किए गए कार्यों में सीएमपीडीआई में वेस्ट पेपर रिसाइकिलिंग संयंत्रों की स्थापना, सीएमपीडीआई, क्षेत्रीय संस्थान–4 नागपुर में पारंपरिक लाइट को बदल कर उर्जा संरक्षण संयंत्र की स्थापना सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान–7, भुवनेश्वर में वर्षा जल संचयन की सुविधा, सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणिक स्थायित्व में कंपनी के कार्य निष्पादन के संबंध में मुख्य स्टेक होल्डरों/ ग्रामीण, कर्मचारी आदि) से वेब आधारित फीड बैंक प्रणाली की स्थापना शामिल है।

15. गुणता आश्वासन के क्षेत्र में परामर्शी सेवा :

गुणता आश्वासन के क्षेत्र में परामर्शी सेवा सीएमपीडीआई के मार्गदर्शन में विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानकों के लिए 65 ईकायों (38 नई प्रमाणित ईकाई सहित) का प्रमाणन/ पुर्नप्रमाणन प्राप्त किया गया। सीएमपीडीआई की पर्यावरणिक प्रयोगशाला के लिए पहली बार ओएचएसएएस 18001 तथा आईएसओ 17025 प्रमाण प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त, कम्पनीवाइड समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस इंटिग्रेटिंग आईएसओ 9001, ओईएसओ 14001 तथा ओएचएसएएस 18001) के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की दो सहायक कम्पनियों एमसीएल तथा एनसीएल को प्रमाणित/पुनर्प्रमाणित किया गया।

16. कोल इंडिया के अलावे अन्य को परामर्शी सेवाएँ :

वर्षों से अब तक आपकी कंपनी न सिर्फ कोयला एवं लिग्नाइट बल्कि अन्य खनिजों में कोल इंडिया लिमिटेड से इतर (अलग) कंपनियों को परामर्शी सेवाएँ देती रही है। वर्ष 2013–14 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर की कंपनियों को 22.00 करोड़ रू. के परामर्शी कार्य प्राप्त करने के लिए एमओयू लक्ष्य के मुकाबले सीएमपीडीआई ने 23.35 करोड़ रूपए का 36 कार्यादेश प्राप्त किया है। इसमें कोयला मंत्रालय द्वारा अग्रसारित कोयला एवं लिग्नाइट ब्लॉकों के लिए माइनिंग प्लान एवं माइन क्लोजर प्लान'' तथा ''माइन क्लोजर प्लान'' पर टिप्पणी के साथ–साथ केप्टिव बिडिंग के लिए 6 गवेषित कोयला ब्लॉकों की'' विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए कोयला मंत्रालय से प्राप्त 12.10 करोड़ रूपए का परामर्शी कार्य शामिल है।

वर्ष 2013–14 के दौरान 29 कार्यों के लिए 20 संगठनों को परामर्शी सेवाएँ दी गईं। इनमें कुछ प्रमुख ग्राहक/संगठन नियवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, एमओआईएल लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप बिजली निगम, भारतीय इस्पात प्राधिकरण

लिमिटेड, नेशनल अल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, दामोदर घाटी निगम आदि हैं।

17. मान्यता एवं पुरस्कार :

भारत सरकार ने सीएमपीडीआई के योगदान एवं महत्व को पहचाना है तथा मई, 2009 में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के प्रावधान के अनुरूप इसे मिनी रत्न कंपनी (कैटगरी–2) से नवाजा है। लोक उद्यम विभाग के निर्देश में लोक उपक्रमों को अधिक प्रभावी तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए नीतिगत उद्देश्य के रूप में लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (लोक उपक्रमों) को अधिक स्वायतता तथा शक्ति (अधिकार) स्वीकृत करने हेतु प्रावधान किया गया है। 2007–08 से 2009–10 तक ''एक्सेलेंट एमओयू कंसीस्टेन्शली रेटिंग'' प्राप्त करने में सीएमपीडीआई की उपलब्धि (कार्यनिष्पादन) प्रतिबिम्बित हुई तथा एमओयू रेटिंग के अनुसार वर्ष 2008–09 के लिए इसे ''कोल इंडिया लिमिटेड की सर्वोत्कृष्ट कार्य निष्पादक कंपनी माना (निर्णय दिया) गया। सीएमपीडीआई ने 2011–12 तथा 12–13 के लिए उत्कृष्ट एमओयू रेटिंग प्राप्त किया है। सीएमपीडीआई ने माननीय कोयला मंत्री द्वारा 1 नवम्बर, 2013 में कोलकाता में कोल इंडिया की स्थापना दिवस के अवसर पर कोल इंडिया लि. की सभी कंपनियों में 2012–13 में सर्वाधिक एमओयू के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है।

आपकी कंपनी ने 24 अप्रैल, 2012 को अम्स्टेर्डम, नीदरलैंड में कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से कोयला खानों की भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग में जिओस्पाशियल टेक्नोलॉजी के उत्कृष्ट उपयोग के लिए '' जिओस्पाशियल वर्ल्ड एक्सेलेंस अवार्ड 2012'' प्राप्त किया है। उपर्युक्त पुरस्कार के लिए 149 नामांकन प्राप्त हुए थे जिसमें से इस ख्याति प्राप्त पुरस्कार के लिए अग्रणी (प्रबुद्ध) अन्तराष्ट्रीय पंचाट के पैनेल द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड का चयन किया गया।

18. निगमित शासन :

पब्लिक इन्टर प्राइजेज विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी सेंट्रल पब्लिक इन्टर प्राइजेज के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशा–निर्देशों में यथा अनुबद्ध कॉर्पोरेट की शर्तों का अनुपालन सीएमपीडीआई द्वारा किया जा रहा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक पृथक सेक्शन निदेशक मंडल की रिपोर्ट के लिए जोड़ा गया है तथा कंपनी के सांविधिक अंकेक्षकों से प्राप्त कॉर्पोरेट गवर्नेस की शर्तों के अनुपालन का प्रमाण–पत्र निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

आभारोक्ति :

ये सभी उपलब्धियाँ आपकी कंपनी के कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास, श्रमिक संगठनों तथा आफिसर्स असोसिएशन के सदस्यों के हार्दिक सहयोग के साथ–साथ कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिए गए सहयोग से प्राप्त हो सकीं। मुझे विश्वास है कि कर्मचारियों की संलिप्ता, समर्पण तथा कंपनी में उपलब्ध विशेषज्ञता भविष्य में कार्य के प्रति समर्पण के लिए दिलासा का बड़ा स्रोत होगा। मुझे विश्वास है कि हम भविष्य में और ऊँचाई प्राप्त करने के प्रयास जारी रखेंगे तथा शेयर होल्डरों के विगत में सभी स्तरों पर इनके समर्पित प्रतिबद्धता एवं कार्य निष्पादन से चुनौतियों एवं आकांक्षओं को पूरा करेंगे।

मैं सभी शेयर होल्डर, कोयला मंत्रालय, अन्य मंत्रालय तथा विभागों, राज्य सरकारों, सभी कर्मचारियों, श्रमिक संगठनों, ग्राहकों तथा विक्रेताओं (बेन्डर) को उनके हार्दिक सहायता तथा अनवरत सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

ह/०

(ए.के. देबनाथ)

(अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक)

स्थान : राँची

दिनांक : 10.06.2014

उपलब्धि 'एक नजर में'

	विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	सेवाओं की बिक्री (निबल बिक्री)	करोड़ रू. में	453.53	429.09	524.03	601.05	647.43
2	कर के पहले लाभ	करोड़ रू. में	19.61	23.69	30.79	29.77	34.60
3	कर के बाद लाभ	करोड़ रू. में	11.46	15.32	19.61	25.05	19.57
4	प्रतिधारित लाभ	करोड़ रू. में	11.46	15.32	19.61	25.05	19.57
5	सकल ब्लॉक	करोड़ रू. में	67.56	71.95	78.06	75.18	71.45
6	निबल मूल्य	करोड़ रू. में	73.78	87.92	110.92	134.89	155.88
7	चालू परिसंपत्तियाँ	करोड़ रू. में	417.88	409.67	466.93	580.21	629.85
8	चालू देयताएँ	करोड़ रू. में	317.26	319.66	347.72	446.06	491.13
9	कार्यशील पूँजी { (7)–(8)}	करोड़ रू. में	100.62	90.01	119.21	134.15	138.72
10	नियोजित पूँजी	करोड़ रू. में	168.18	161.96	197.27	209.33	210.17
11	सकल मार्जिन	करोड़ रू. में	27.30	26.51	36.68	42.61	44.09
12	संबंधित मूल्य	करोड़ रू. में	10.48	10.31	16.95	21.68	23.07
13	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	3156	3102	3129	3142	3135
14	प्रति कर्मचारी संवर्धित मूल्य	हजार रू. में	33.21	33.24	54.17	69.00	73.59
15	नियोजित पूँजी प्रतिफल	करोड़ रू. में	11.66	14.63	15.61	14.22	16.46
16	प्रतिशेयर फेस वैल्यू	रूपये	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
17	प्रति शेयर उपार्जन	रूपये	602.00	805.00	1030.00	1316.00	1028.00

नोट :

1. निबल मूल्य = प्रदत्त पूंजी+आरक्षित एवं अधिशेष–संचित लाभ एवं आस्थगित राजस्व व्यय
2. नियोजित पूंजी = सकल ब्लॉक+कार्यशील पूंजी
3. सकल मार्जिन = निबल लाभ+मूल्य ह्रास+ब्याज+पीपी समायोजन+कर व्यय
4. संवर्धित मूल्य = सकल मार्जिन–नियोजित पूंजी का 10 प्रतिशत

सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवलोकन

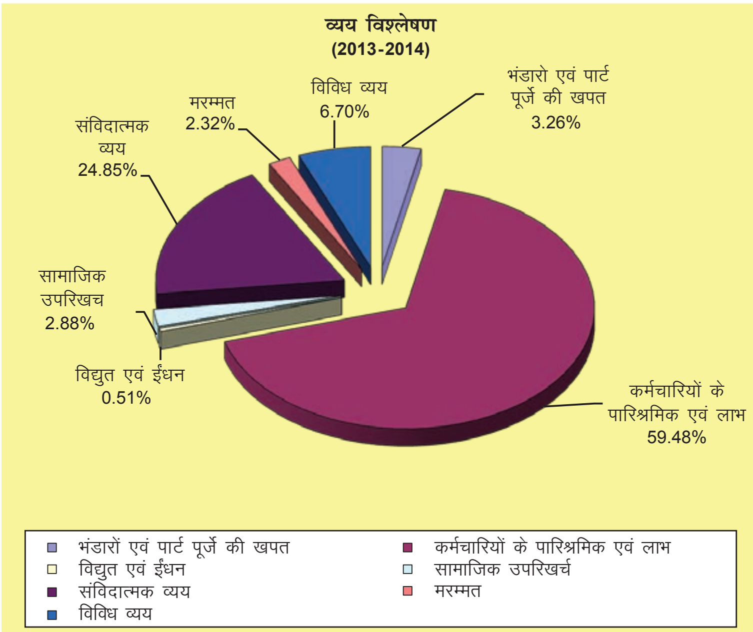

व्यय	**31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष (करोड़ रू.में)**
भंडार एवं पूर्जों की खपत	19.99
कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं लाभ	364.53
विद्युत एवं ईंधन	3.11
सामाजिक उपरिखर्च	17.64
संविदात्मक व्यय	152.27
मरम्मत	14.25
विविध खर्च	41.04
कुल खर्च	**612.83**

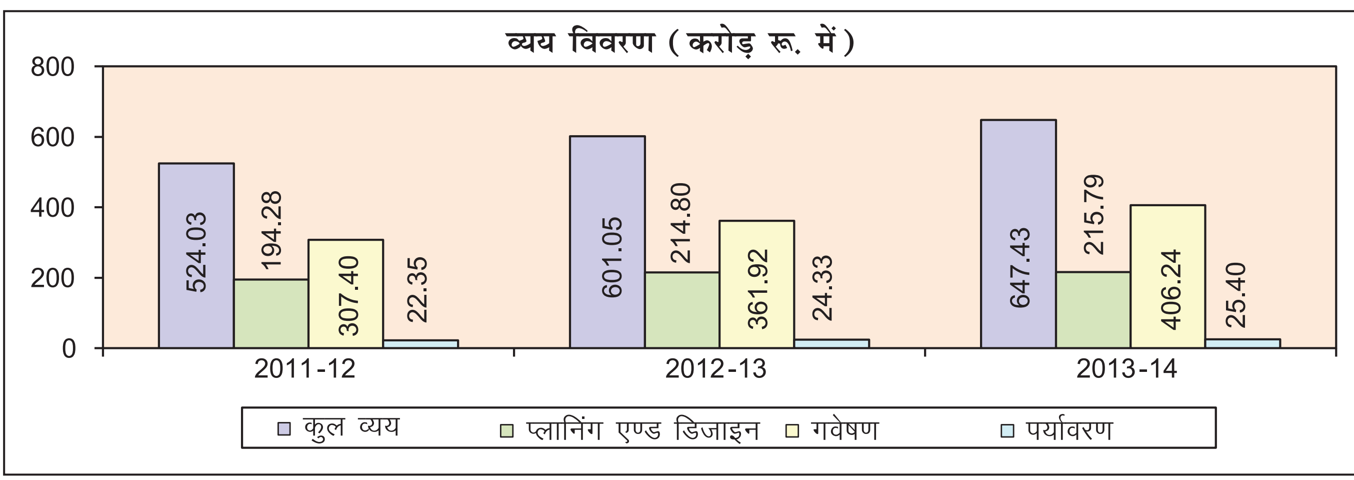

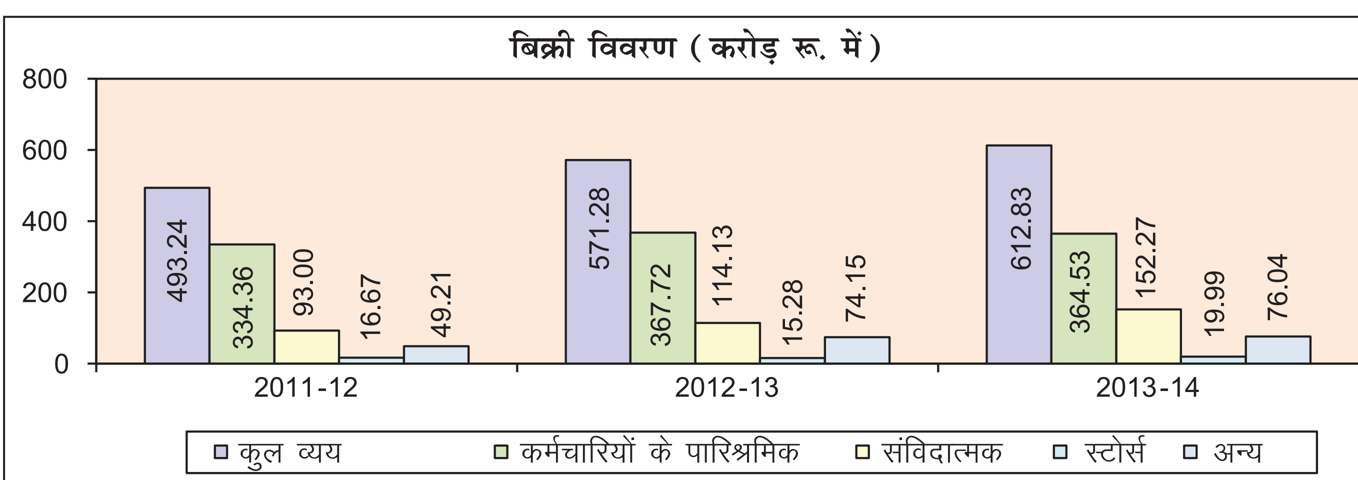

सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवलोकन

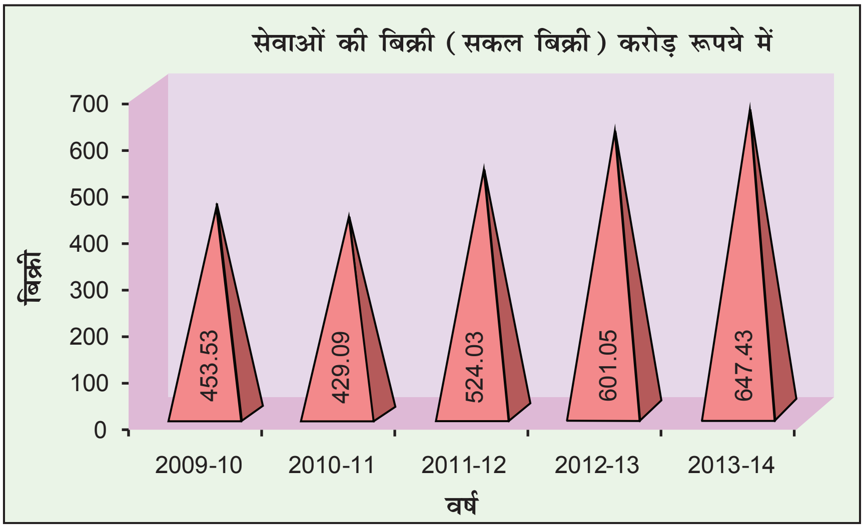

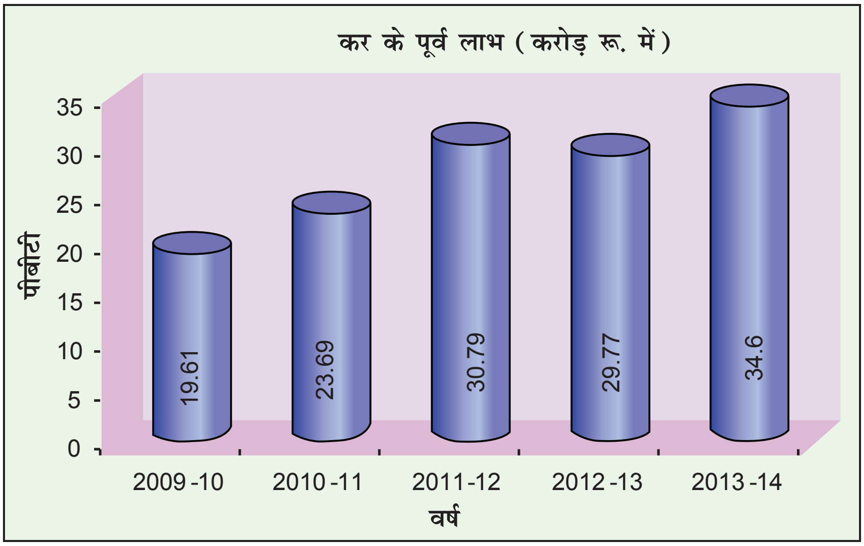

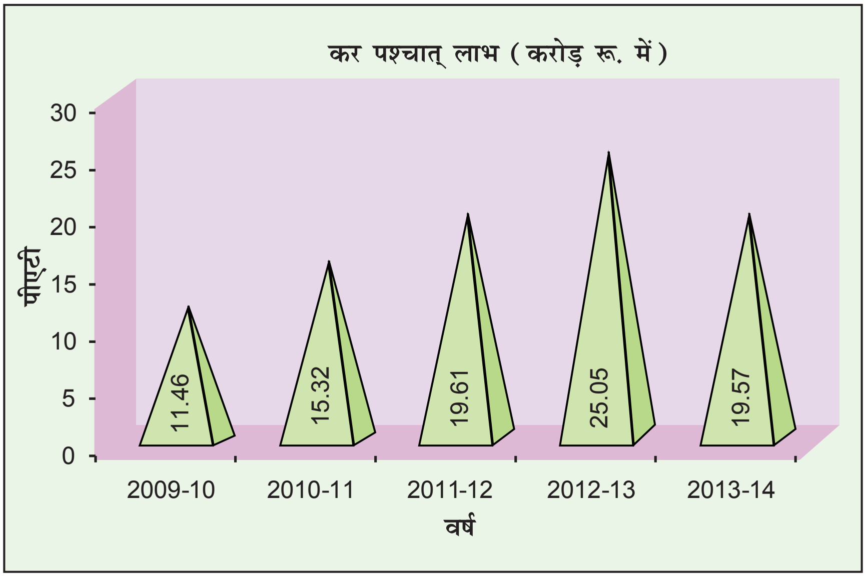

सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवलोकन

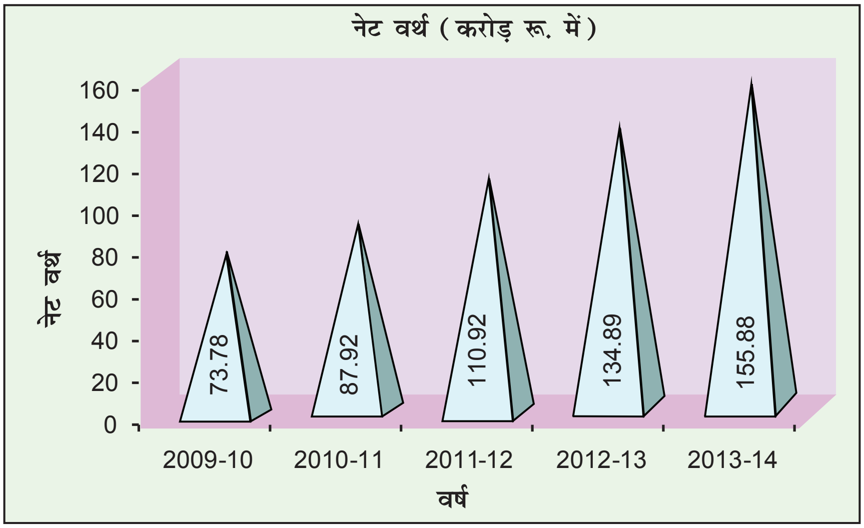

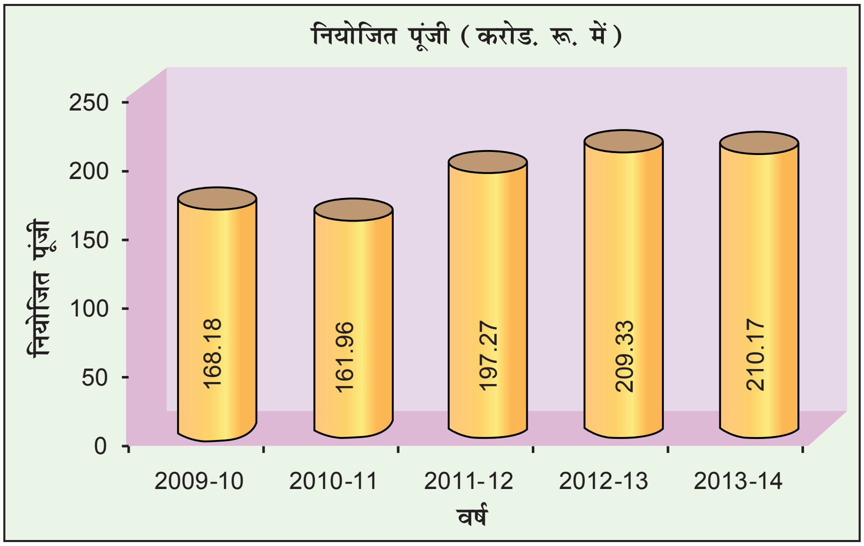

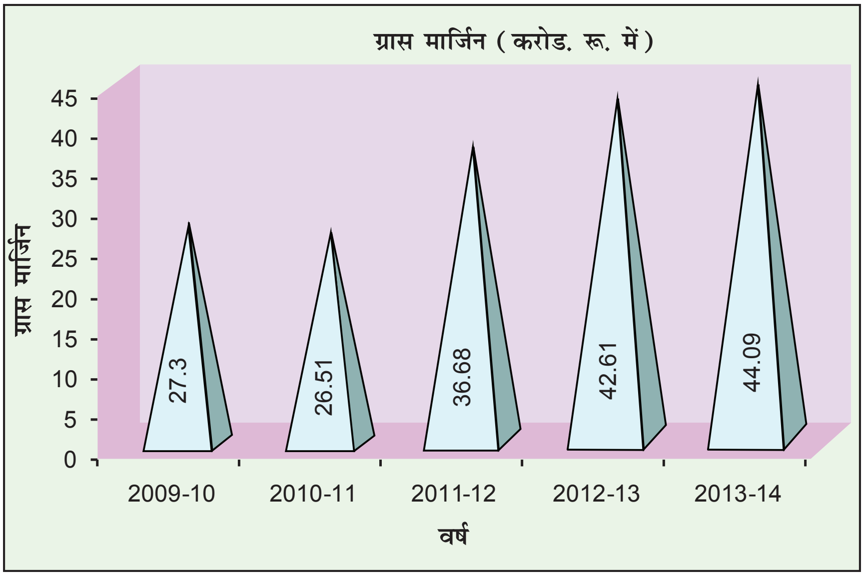

सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवलोकन

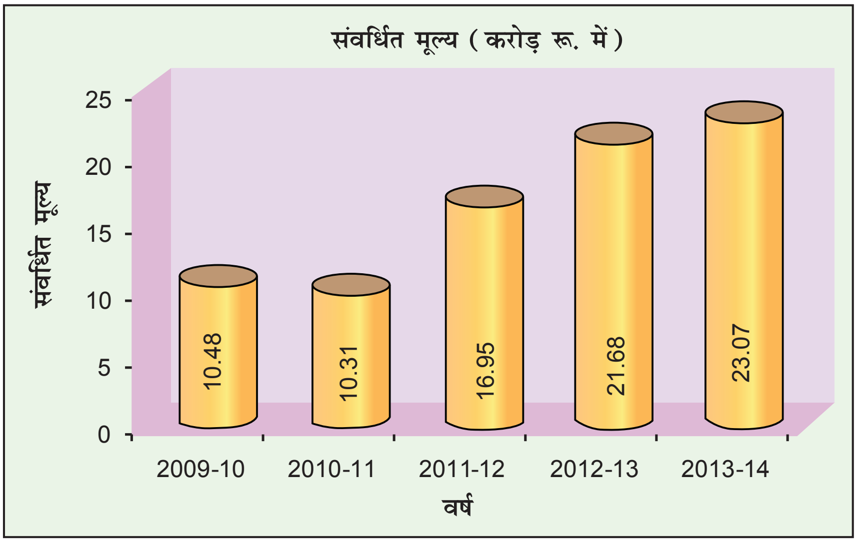

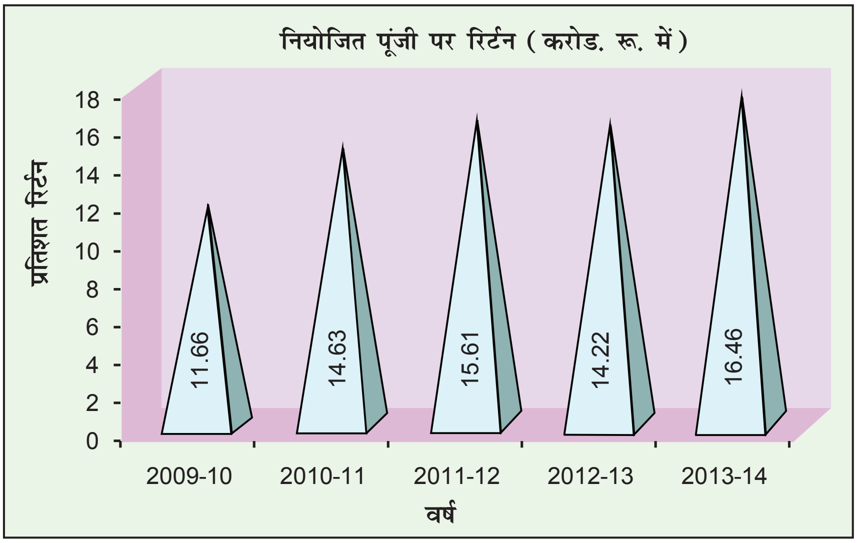

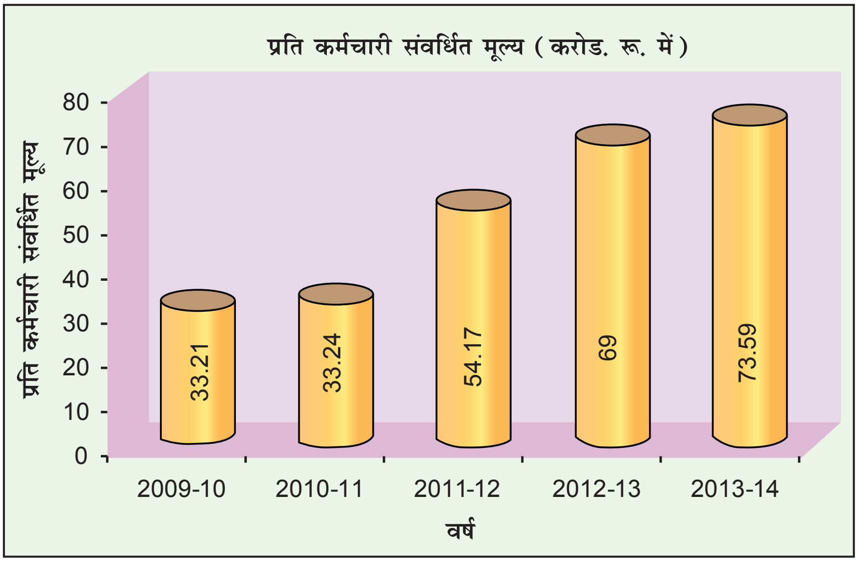

निदेशक - मंडल का प्रतिवेदन

सेवा में,

अंशधारक,

सज्जनों,

मुझे निदेशक–मंडल की ओर से 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिसाब–किताब तथा उस पर सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सहित आपकी कम्पनी के क्रिया–कलापों पर आधारित 39 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

भाग-क

1.0 निगमित पर्यवलोकन :

आपकी मिनी रत्न कंपनी गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची स्थित अपने मुख्यालय तथा आसनसोल, धनबाद, राँची, नागपुर, बिलासपुर, सिंगरौली तथा भुवनेश्वर स्थित सातो क्षेत्रीय संस्थानों के साथ कार्य जारी रखी। सातो क्षेत्रीय संस्थानों को क्षेत्रीय संस्थान–1 से क्षेत्रीय संस्थान–7 तक का नाम दिया गया जो कोल इंडिया लिमिटेड की 7 संगत अनुषंगी कोयला कंपनियों जैसे ईसीएल (क्षे.सं.–1) बीसीसीएल (क्षे.सं.2), सीसीएल (क्षे.सं.3), डब्ल्यूसीएल (क्षे.सं.–4) एसईसीएल (क्षे.सं.5), एनसीएल (क्षे.सं.–6) तथा एमसीएल, भुवनेश्वर, (क्षेत्रीय संस्थान–7) को अपनी समर्पित सेवाएँ देते रहे। सीएमपीडीआई मुख्यालय से मुख्यतः कोल इंडिया लिमिटेड, मुख्यालय एनईसी एवं कोल इंडिया लिमिटेड के बाहरी ग्राहकों जैसे हाइड्रो कार्बन मूल महानिदेषालय, मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि., नेशनल अल्यूमिनियम कं. लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकारण लि., हिन्दुस्तान कॉपर लि. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड, एससीसीएल, डीवीसी, उड़िसा माइनिंग कार्पोरेशन उड़ीसा पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, उड़ीसा इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डबलपमेंट कारपोरेशन, वैतरनी वेस्ट कोल कंपनी लिमिटेड आदि को परामर्षी सेवाएँ दी जाती हैं। इन परामर्शी सेवाओं के अतिरिक्त कोयला मंत्रालय द्वारा दिए गए विशिष्ट कार्यो को भी करता है। वर्ष 2013–14 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा 20 संगठनों से प्राप्त 23.35 करोड़ रूपए का कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर के 36 कार्य प्राप्त किए गए।

1.1 प्रदत्त प्रमुख सेवाएँ :

- **भू-वैज्ञानिक गवेषण एवं ड्रिलिंग :**
  विश्वसनीय भू–वैज्ञानिक एवं भू–अभियांत्रिकी डाटा तैयार करने तथा खनन परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्वस्थाने (इन–सिटु) कोयला भंडार का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय तौर पर (रिजनली) गवेषित ब्लॉकों का विस्तृत भू–वैज्ञानिक गवेषण, मल्टी प्रोब जिओफिजिकल लॉगिंग के जरिए भू–भौतिक सर्वेक्षण, हाई रिज्योल्यूशन सिसमिक सर्वेक्षण, जल–भू–वैज्ञानिक अन्वेषण तथा कोल बेड मिथेन संसाधन की पहचान।

- **परियोजना आयोजन एवं डिजाइन :**
  भूमिगत एवं खुली खदानों के लिए संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा विस्तृत इंजीनियरिंग ड्राईंग, कोयला क्षेत्रों का मास्टर प्लान, कोयला एवं खनिज परिष्करण तथा उपयोग संयंत्र, कोल हैंडलिंग प्लांट, कर्मशाला तथा अन्य आनुषंगिक इकाइयों तथा निवेश निर्णय के लिए विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन सहित आधारभूत संरचनाओं की तैयारी।

- **अभियंत्रण सेवाएँ :**
  खानों, परिष्करण तथा उपयोग संयंत्रों, कोल हैंडलिंग संयंत्रों, विद्युत आपूर्ति प्रणाली, कर्मशालाओं एवं अन्य इकाइयों, वास्तुशिल्पीय (आर्किटेक्चरल) प्लानिंग एवं डिजाइन के लिए प्रणाली एवं उप–प्रणाली का विस्तृत डिजाइन।

- **अनुसंधान एवं विकास :**

  कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त प्रदत सभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजनाओं तथा कोल इंडिया लिमिटेड के अनुसंधान एवं विकास बोर्ड द्वारा वित्त प्रदत सभी अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के लिए नॉडल एजेंसी के रूप में सेवा प्रदान करना। खनन, परिष्करण, उपयोग पर्यावरण, गवेषण आदि के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास का कार्य भी सीएमपीडीआई खुद करता है।

व प्रयोगशाला सेवाएँ :

पूर्णतः सुसज्जित आधुनिकतम प्रयोगशाला द्वारा खान की गैसे, कोयला कोर नमूने, एनडीटी, वायु, जल, कोयले की धोवन क्षमता गुण, संस्तर की भौतिक एवं यांत्रिक क्षमता, पेट्रोग्राफी आदि का गुणवत्तापूर्ण विश्लेषण किया जा रहा है।

- **पर्यावरणिक सेवाएँ :**

  पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थानों के माध्यम से इसका कार्यान्वयन एवं मानिटरिंग और सीपीसीबी द्वारा मान्यता प्राप्त घरेलू प्रयोगशाला में वायु, जल एवं ध्वनि का विश्लेषण, पूरे कोल इंडिया लिमिटेड की खानों के लिए भू–उपयोग मानिटरिंग हेतु सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़े का उपयोग भी प्रारंभ किया जा चुका है।

- **सूचना प्रौद्योगिकी**
- **मानव संसाधन विकास**
- **विशेषज्ञता प्राप्त सेवाएँ**

✓ रिमोट सेंसिंग सहित जियोमेटिक्स
✓ खानों में संवातन एवं गैस सर्वेक्षण
✓ नियंत्रित विस्फोटन
✓ नए विस्फोटकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
✓ खनन इलेक्ट्रानिक्स
✓ खान की क्षमता का मूल्यांकन
✓ खान थम्हाल का डिजाइन, रॉक मास रेटिंग(आरएमआर)
✓ अनाशक परीक्षण(एनडीटी)
✓ प्रबंधन प्रणाली परामर्श
✓ कोयला एवं ओबीआर की माप

1.2 वित्तीय कार्यकारी परिणाम :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने 19.57 करोड़ रूपए (आस्थगित कर के बाद) निबल लाभ अर्जित किया है। कंपनी का कार्यकारी परिणाम नीचे दिया जा रहा है :

(करोड़ रू. में)

विवरण	31.3.14 को समाप्त वर्ष (अंकेक्षित) (करोड रू. में)	31.3.13 को समाप्त वर्ष (अंकेक्षित) (करोड रू. में)
बिक्री	652.44	605.21
घटाकरः कुल निबल व्यय	618.35	570.25
पीपी समायोजन एवं कर के पहले लाभ	34.09	34.96
घटाकरः पूर्व अवधि (पीपी) समायोजन	(–) 0.51	5.19
[डेबिट (+)/क्रेडिट(–)]		
कराधान के पहले लाभ	34.60	29.77
आयकर के लिए प्रावधान		
घटाकरः चालू अवधि के लिए जोड़करः आस्थगित कर के लिए पूर्व के वर्ष के लिए	19.15 (–) 6.05 1.93	28.58 (–) 23.86 0.00
कर के बाद निबल लाभ	19.57	25.05

1.3 प्रबंधन विवेचन एवं विश्लेषण रिपोर्ट :

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट का प्रबंधन कंपनी के कार्यनिष्पादन एवं दृष्टिकोण के साथ–साथ महत्वपूर्ण भिन्न–भिन्न विषयों को शामिल कर अपने विवेचन तथा विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

1.3.1 कंपनी का विजन :

विस्तृत होती हुई भू सम्पदा क्षेत्र तथा सम्बद्ध व्यावसायिक क्रिया–कलाप में वैश्विक मार्केट लीडर बनना।

1.3.2 सीएमपीडीआई का मिशन :

भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिदृष्य में भी अग्रणी परामर्शदाता के रूप में कोयला एवं खनिज गवेषण, खनन, अभियंत्रण तथा सम्बद्ध क्षेत्र में संपूर्ण परामर्शी सेवा देना।

1.3.3 उपर्युक्त को प्राप्त करने के लिए निगमित उद्देश्य की ओर अग्रसर होना (स्थापित करना)।

सीएमपीडीआई के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैः

1. कोयला एवं खनिज गवेषण के साथ–साथ भू–वैज्ञानिक भू–भौतिक, जल–भू–वैज्ञानिक तथा पर्यावरणिक डाटा तैयार करने में परामर्शी सहायता देना।
2. अनुकूलतम खनन योजना (माइन प्लानिंग) के लिए उच्चतरीय गवेषण मूल्यांकन में विश्वसनीयता स्तर प्रदान कर गवेषण तथा संभाव्यता रिपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार लाना।
3. निवेश आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधन की उत्पादकता में सुधार लाकर, अपव्यय/बर्बादी को रोककर तथा पर्याप्त बाहरी संसाधन लगाकर अनुकूल अतिरिक्त संसाधन तैयार करना।
4. कोयला खानों, कोयला परिष्करण तथा उपयोग संयंत्रों आदि के लिए परियोजना आयोजना (प्लानिंग) एवं डिजाइन।
5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत कोयला क्षेत्र में अनुसंधान क्रिया–कलाप को प्रोत्साहित करना, समन्वय करना तथा प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।
6. सूचना नेटवर्क के जरिए प्रौद्योगिकी संबंधित जानकारी (सूचना) आत्मसात करना तथा प्रसारित करना।
7. कोयला खनन तथा संबद्ध परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तथा माइन क्लोजर प्लान बनाना।
8. भूमि पुनरूद्धार मॉनिटरिंग, पर्यावरणिक आँकड़ों का सृजन, वनस्पति–आच्छादन मानचित्रण, कोल माइन फायर मैपिंग, कोयला क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर स्थलाकृतिक मानचित्रण आधारभूत संरचनात्मक योजना सहित टीपीएस तथा वाशरी की जगह का चयन आदि।
9. भूमि पुनुरूद्धार मानिटरिंग, पर्यावर्णिक आंकड़ा सृजन, वनाच्छादन मापन, कोयला खान अग्नि मापन, कोयला क्षेत्रों का वृहद पैमाने पर टोपोग्राफिकल मानचित्रण, टीपीएस के चयन सहित आधारभूत संरचना का आयोजन तथा वाशरी स्थल आदि के लिए सुदूर संवेदन सेवाओं में बढ़ोत्तरी करना।
10. कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों को क्षेत्र एवं प्रयोगशाला सेवा मुहैया कराना।
11. कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों के इतर के संगठनों को परामर्शी सेवा मुहैया कराना।

1.3.4 सीएमपीडीआई के क्रिया-कलापों का संक्षिप्त विवरण

सीएमपीडीआई के सभी कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

(क) भू–वैज्ञानिक गवेषण एवं सहायता सेवाः स्थापना काल से ही सीएमपीडीआई का यह कोर फंक्शन रहा है, जो खनिज भंडारों के लिए निम्नलिखित सेवा देता है :

- प्लानिंग तथा गवेषण का क्रियान्वयन
- निवेश तथा दोहन निर्णय के लिए संसाधन मूल्यांकन तथा प्रलेखन
- सम्बद्ध क्षेत्र परीक्षण तथा प्रयोगशाला सहायता

(ख) प्लानिंग, डिजाइन तथा सहायता सेवा, सीएमपीडीआई के स्थापना काल से ही सीएमपीडीआई का दूसरा प्रमुख कार्य होने

के नाते यह खनन, परिष्करण, उपयोग तथा अन्य आधारभूत सुविधा तथा अभियंत्रण परियोजनओं के निर्माण एवं संचालन के लिए निम्नलिखित सेवाएँ देता है :

- अवधारणात्मक (कंसेप्चुअल)/पूर्व संभाव्यता/संभाव्यता अध्ययन, परियोजना रिपोर्ट तथा मूलभूत और विस्तृत अभियंत्रण डिजाइन निर्माण और/या मूल्यांकन।
- अभियंत्रण एवं अन्य संबंधित परामर्श तथा सहायता और
- संबंधित क्षेत्र परीक्षण एवं प्रयोगशाला सहायता।

(ग) पर्यावरणिक प्रबंधन सेवाएँ–1992 से अब तक प्रस्ताव के तहत, इसमें आयोजना (प्लानिंग) एवं परिचालन के दौरान माइन क्लोजर प्लानिंग, प्रयोगशाला एवं परीक्षण सहायता सहित पर्यावरण प्रबंधन के लिए खनन एवं खनिज उद्योग को संपूर्ण सहायता देना शामिल है। कोल इंडिया लिमिटेड की सभी बड़ी खुली खदानों की उपग्रह निगरानी के जरिए वार्षिक आधार पर भू–उपयोग मानिटरिंग की जा रही है।

(घ) प्रबंधन प्रणाली सेवाएँ : 1997 से प्रस्ताव के तहत इसमें अनेक मानक प्रबंधन प्रणाली के सृजन, कार्यान्वयन तथा प्रमाणन के लिए संपूर्ण परामर्शी सेवा तथा सहायता सेवा शामिल है। इस प्रबंधन प्रणाली में आईएसओ 9001 गुणता प्रबंधन प्रणाली तथा उद्योग के अनुसार इसका रूपांतरण, आईएसओ 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, ओएचएसएएस 18001 व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन तथा एसए 8000 सामाजिक दायित्व प्रबंधन आदि शामिल है।

(ङ.) मानव संसाधन विकास : 1976 से इस प्रस्ताव के तहत बाजार के ग्राहकों, खासकर खनिज एवं खनन क्षेत्र के ग्राहकों को प्रशिक्षण से संबंधित तकनीकी, प्रबंधकीय तथा प्रबंधन प्रणाली शामिल है।

(च) विशेषज्ञता प्राप्त सेवाएँ : सुदूर संवेदन, खानों में गैस एवं संवातन एवं गैस सर्वेक्षण नियंत्रित विस्फोटन, नए विस्फोटकों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, खनन इलेक्ट्रानिक्स, खान क्षमता मूल्यांकन, खान थम्हाल डिजाइन, रॉक मास रेटिंग (आरएमआर), अनाशक परीक्षण, प्रबंधन प्रणाली परामर्श, कोयला एवं ओबीआर आदि की माप सहित जियोमेटिक्स के क्षेत्र में विशेषज्ञ सेवाएँ भी दी जा रही है।

1.3.5 उद्योग की संरचना तथा विकास :

अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा वर्ल्ड इकॉनामिक आउटलुक द्वारा किए गए आकलन के अनुसार जीडीपी (2013) के हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 10वीं सबसे बड़ी तथा हाल के विश्व बैंक रैकिंग के अनुसार क्रय शक्ति के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 1991 में बाजार आधारित आर्थिक सुधार के बाद भारत एक सबसे बड़ा उभरता हुआ अर्थव्यवस्था बन गया है।

भारत में खनन एक सबसे बड़ा आर्थिक कार्य है जो भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए आकलन के अनुसार खनन एवं खदान (क्वारी) क्षेत्र का भारत के कुल डीजीपी में 2.5 प्रतिशत का योगदान है। प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ती चुनौती के रूप में भारत को उर्जा सुरक्षा से जुझना पड. रहा है। और 12वीं योजना के दौरान कोयले का उत्पादन सीएजीआर पर लगभग 5.8 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। विश्व की लगभग 40 प्रतिशत बिजली की आवश्यकता कोयले द्वारा पूरी की जा रही है। वास्तव में तेल के बाद कोयला ही दूसरा प्रमुख स्रोत है। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही कोयला उत्पादन सबसे तेजी से बढ़ने वाली ऊर्जा स्रोत रहा है। यह विश्व में तेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा उर्जा तथा विद्युत उत्पादन का स्रोत है। वैश्विक कोयला खपत में वृद्धि मुख्यतः चीन एवं भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में है।

उभरती बाजारू अर्थव्यवस्था में वृद्धि जो धीमी पड़ गई थी अब गति पकड़ रही है। भारतीय रिजर्व

बैंक ने 2012–13 में 4.5 प्रतिशत तथा 2013–14 में 4.9 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि की तुलना में 2014–15 में 5 से 6 प्रतिशत तक होने का अनुमान किया है। उर्जा का कोयला एक मुख्य ईंधन है और चूंकि आर्थिक विकास तथा उर्जा उपयोग एक दूसरे से अत्यधिक संबंधित है, इसलिए निकट भविष्य में कोयले की मांग में और वृद्धि होने की संभावना है। कोयला मंत्रालय की 12वीं योजना (2012–17) दस्तावेज (मार्च 2012) से 12वीं योजना के अंतिम वर्ष यानि 2016–17 में 7.09 सीएजीआर की दर से 980.50 मी. कोयले की मांग का पता चलता है। पूरे भारत में अनुकूल स्थिति में वर्ष 2016–17 में घरेलू कोयला उत्पादन 795 एमटी (कोल इंडिया के लिए 615 एमटी) होने का अनुमान है। इसलिए मांग एवं घरेलू आपूर्ति के बीच का अंतर 185.5 एमटी होने की संभावना है। दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में 12वीं योजना अवधि के बाद भी डिमांड रिस्ट्रीक्शन्स के कारण निकट भविष्य में देश में कोयला उत्पादन की भरपाई की जाने की संभावना नहीं है।

यद्धपि, एक तरफ कोयले की भारी मांग से देश में कोयला उत्पादकों का विकास होगा, दूसरी ओर देश 80 के दशक में 70 एमटी से 2013–14 में 462 एमटी तक कोयला में वृद्धि करने में देश में 81 प्रतिशत कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की भूमिका तथा रेलवे का खराब इवैक्यूरशन लौजिस्टीक जिसके कारण पर्याप्त पीट हेड स्टाक रहने के बावजूद देश भर में फैले अनेक विद्युत संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने में बाधा उत्पन्न होती है, के साथ–साथ समय पर वन क्लियरेंस न मिलना, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन तथा कानून एवं व्यवस्था की समस्या की विपरीत स्थिति सहित आधारभूत सुविधा जैसे– बाधाओं को दूर न होने के कारण उत्पादन पर पड़ने वाले विपरित प्रभाव को ध्यान में रखे बिना विद्युत क्षेत्रों में होने वाली कोयले की कमी के लिए प्रायः कोल इंडिया लिमिटेड को समीक्षा के दायरे में रखा जाता है। यहाँ तक की कार्य निष्पादित न करने तथा कैप्टिव कोयला उत्पादकों को पर्याप्त कोयला भंडार आवंटित किए गए हैं, के अपर्याप्त एवं गैर–निष्पादन के लिए भी प्रायः कोल इंडिया लिमिटेड की आलोचना की जाती है।

12वीं योजना अवधि के लिए निर्धारित ड्रिलिंग लक्ष्य 54.46 लाख मीटर को ध्यान में रखकर वर्ष 2014–15 के विस्तृत ड्रिलिंग में पर्याप्त वृद्धि की गई है तथा वर्ष 13–14 के दौरान प्राप्त 9.97 लाख मीटर की उपलब्धि से 12 लाख मीटर के स्तर और अंततः वर्ष 14–15 में 15 लाख मीटर (वर्ष 14–15 तथा 15–16 में क्रमशः 3.50 तथा 4.0 लाख मीटर विभागीय ड्रिलिंग क्षमता सहित) निर्धारित किया गया है। ड्रिलिंग क्षमता के निर्माण के लिए सीएमपीडीआई को अतिरिक्त श्रमशक्ति (अधिकारी एवं कर्मचारी दोनों) तथा संयंत्र एवं मशीनरी से सुसज्जित कर शक्तिशाली बनाया जा रहा है।

विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया की परामर्शी कंपनी होने के कारण सीएमपीडीआई को इसके त्वरित विकास के लिए गवेषण, प्लानिंग एवं डिजाइन तथा संबंधित सेवाएँ देने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, सीएमपीडीआई की विशेषज्ञ सेवाओं की माँग सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों जगह है। घरेलू आपूर्ति से कोयले की मांग पूरा करने में कोयला कंपनियाँ खासकर कोल इंडिया लिमिटेड की प्रगति सीएमपीडीआई की सेवाओं की तेजी में निहित है।

योजना आयोग द्वारा वर्ष 13–14 के लिए 769.69 एमटी कोयले की मांग का अनुमान लगाया गया है। कोयला मंत्रालय की वार्षिक योजना 2013–14 में देश में लगभग 604.55 एमटी कोयले का उत्पादन तथा 614.55 एमटी आफटेक/आपूर्ति पर विचार किया गया है। कोल इंडिया का उत्पादन लक्ष्य 482 मि.ट. था जिसके मुकाबले यह 462.53 मि.ट. ही उत्पादन लक्ष्य हासिल कर सका। कोकिंग तथा गैर–कोकिंग कोयले दोनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 148 एमटी कोयले का आयात किया गया।

इसके अलावा उर्जा आवश्यकता को संभव सीमा तक पूरा करने के लिए कोल बेड मिथेन/कोल माइन मिथेन, भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) तथा कोयला तरलीकरण आदि जैसे कोयला आधारित गैर–नवीकरणीय उर्जा के वैकल्पिक स्रोतों

को अपनाने पर बल दिया जा रहा है। सीबीएम संसाधन बढ़ाने के लिए कोयला मंत्रालय के प्रमोशनल रीजनल एक्सप्लोरेशन (पीआरई) के तहत सीएमपीडीआई सीबीएम का डाटा तैयार कर रहा है।

सीएमपीडीआई डीलिनिएशन ब्लॉकों में सीबीएम से संबंधित डाटा तैयार करने, डाटा डोजियर्स बनाने आदि में अपनी सेवाएँ दे रहा है। सीएमपीडीआई ने डीजीएच द्वारा प्रदत्त कार्य के लिए शेल गैस ब्लॉकों पर डाटा डोजियर्स तैयार कर सौंप दिया है। गैर नवीकरणीय उर्जा सृजन परामर्शी कार्य के क्षेत्र में सीएमपीडीआई की सेवाओं की मांग का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, कोयला क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उभरता क्षेत्र सीएमपीडीआई को अतिरिक्त मौका दे रहा है तथा आगामी वर्षों में इसमें और वृद्धि होने की उम्मीद है।

कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से सीएमपीडीआई सीआईएल के अधिकार वाले क्षेत्र के दो ब्लॉकों कैथा ब्लॉक, सीसीएल तथा थेसेगोरा 'सी' ब्लॉक, डब्ल्यूसीएल में भूमिगत कोयला गैसीकरण के व्यवसायिक विकास के लिए डेबलॉपर के चयन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इस उद्देश्य के लिए जनवरी, 2014 में ई–निविदा जारी कर दी गई है। भारत में व्यावसायिक आधार पर यूसीजी के विकास के लिए इस तरह की पहली निविदा है और इससे भारत में उच्च गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी लाने में सुविधा होगी। हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा माँगी गई। सीएमपीडीआई की विशेषज्ञ सेवाओं से इसकी मांग में तेजी आई है। केप्टिव कोल ब्लॉक के आवंटन में सीएमपीडीआई कोयला मंत्रालय को सहायता देता आ रहा है। सीएमपीडीआई ने प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के जरिए ऑक्शन हेतु कोयला मंत्रालय द्वारा चिह्नित गवेषित कोयला ब्लॉकों के मूल्यांकन के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। इसने कोल इंडिया लिमिटेड के सार्वजनिक–निजी–भागेदारी (पीपीपी) माडेल पर कोयला खानों/परियोजनाओं के विकास तथा उन्हें परिचालित करने के उद्देश्य से मॉडल कन्सेसन एग्रीमेंट (एमसीए) तैयार करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को परामर्शी सेवाएँ भी दी है।

1.3.6 उपर्युक्त उद्देश्य एवं विजन प्राप्त करने के लिए अपनाई गई रणनीति :

खनिज, खनन तथा सम्बद्ध सेवाओं में ज्ञान की गहराई तथा बाजार में स्थान के कारण सीएमपीडीआई उपर्युक्त निगमित उद्देश्यों तथा विजन को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित रणनीति एवं व्यावसायिक योजना अपना रहा है :

1. अतिरिक्त श्रमशक्ति, संयंत्र एवं मशीनरी आदि को शामिल कर गवेषण क्षमता में वृद्धि करना।
2. कोयले के अतिरिक्त, खनिज, खनन तथा सम्बद्ध अभियंत्रण सेवाओं के नए क्षेत्रों में विविधिकरण
3. बाहरी ग्राहकों के लिए मार्केट शेयर बढ़ाना
4. देश के भीतर एवं विदेशों दोनों के रणनीतिक साझेदारों के साथ टाई–अप
5. वर्तमान सुविधाओं एवं आधारभूत संरचनाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण
6. परिचालनात्मक दक्षता तथा कार्य की गुणवत्ता बढ़ाना
7. निगमित कार्य संस्कृति तथा आंतरिक पद्धति में सुधार
8. कोयला उद्योग को सतत् प्लानिंग एवं विशेषज्ञ सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए श्रमशक्ति का युक्तिसंगत उपयोग तथा अधिकारी वर्ग के कर्मियों की भर्ती।
9. बेहतर लागत नियंत्रण उपाय एवं मानिटरिंग तथा
10. कोयला आधारित उर्जा के वैकल्पिक स्रोत तथा शेल गैस का विकास

1.3.7 सामर्थ्य एवं कमजोरी :

वास्तव में सीएमपीडीआई शायद अपनी तरह का एक मात्र बहु आयामी (मल्टी डिसिप्लिनरी) संगठन है, जो खनन से पूर्व, खनन कार्य के दौरान तथा खनन के बाद एक ही छत के नीचे प्रायः सभी तरह की सेवाएँ देता है।

- रणनीतिक रूप से स्थित क्षेत्रीय संस्थान के से यह कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों को उनके दहलीज पर ही सेवा देता है।
- इसके पास कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के कोलफील्डस के अनुसार/खान के अनुसार मजबूत डाटा बेस है।
- इसके पास 1300 से अधिक बहुआयामी (मल्टीडिसिप्लिनरी) कौशलयुक्त श्रमशक्ति का मजबूत आधार है।
- इसके पास 1300 से अधिक समेकित कोयला परियोजना रिपोर्ट, 50 एमटीवाई तक की अलग–अलग परियोजना क्षमता वाली 1000 से अधिक खनन परियोजना रिपोर्ट, बड़ी संख्या में आधारभूत सुविधा कार्यान्वित करने का समृद्ध अनुभव है।
- इसके पास 8 राज्यों में फैले भू–भौतिकी के लिए कोयला गवेषण (विस्तृत गवेषण के लिए देश में सबसे बड़ी ड्रिल फ्लिट) प्रयोगशाला सुविधा, बेस लाइन डाटा सृजन क्षमता आदि के लिए सबसे बड़ा आधारभूत सुविधा उपलब्ध है।

कमजोरियाँ (कमियाँ)

- अधिकारी तथा कर्मचारी संवर्ग में कुशल एवं योग्य कार्मियों की कमी।
- कंपनी छोड़ने का दर अधिक होना (नव–नियुक्त कर्मी प्रशिक्षित होने के बाद कंपनी छोड़ रहे हैं)

1.3.8 अवसर एवं आशंकाएँ

अवसर :

- कोयले की माँग तथा आपूर्ति के बीच का अंतर और बढ़ने की संभावना है, जिसमें सीएमपीडीआई को सेवा देने का और अधिक अवसर मिलेगा।
- कोयला क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता।
- गैर कोयला क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का विविधिकरण।
- सीबीएम/सीएमएम/यूसीजी/शेल गैस, जियोमेटिक्स, एनडीटी आदि से संबंधित विशेषज्ञ सेवा देने में दक्षता।

आशंकाएँ :

- क्षेत्रीय (रिजनल) गवेषण में आनुपातिक वृद्धि के अभाव में 12वीं योजना के बाद 15 लाख मीटर (प्रस्तावित) विस्तृत वेधन क्षमता प्राप्त करना कठिन लगता है।
- अपेक्षित संख्या में बोर होल डेंसिटी के साथ ड्रिलिग कार्य करने हेतु वन क्लियरेंस प्राप्त करने में अपेक्षित देरी ।
- वन क्षेत्र में गवेषण के प्रतिबंध के कारण विस्तारण कार्यक्रम में कठिनाई हो सकती है।
- विभिन्न राज्यों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब रहने के कारण गवेषण कार्य में व्यवधान आ सकता है।
- कोयला क्षेत्र को और अधिक खुले बाजार में लाने से अन्य स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं के साथ बाजार अधिक प्रतिस्पर्धात्मक हो सकता है।
- कंपनी का वर्तमान हाईएज प्रोफाइल भविष्य में नुकसानदेह हो सकता है

1.3.9 मूल्य निर्धारण :

गवेषण, खान योजना/परियोजना रिपोर्ट, पर्यावरणिक योजना तथा अन्य अभियंत्रण सेवाओं का मूल्य निर्धारण ग्राहकों की श्रेणी के आधार पर किया जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों को पीएंडडी के लिए दी जाने वाली सेवाओं का मूल्यनिर्धारण लागत + 10 प्रतिशत सेवा कर तथा विभागीय ड्रिलिंग सेवाओं के लिए 7.5 प्रतिशत के दर पर मूल्य निर्धारित किया जाता है। पर्यावरण मानिटरिंग कार्य का मूल्य निर्धारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीपी) की दर पर किया जाता है। आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा किए गए ड्रिलिंग कार्य का सेवा शुल्क 7.5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक के बीच किया जाता है। अन्य प्रतिभागियों के साथ गलाकाट

प्रतिस्पर्धा के कारण परामर्शी सेवाओं में और वृद्धि कठिन हो गया है। इस स्थिति में उपर्युक्त मूल्य निर्धारण प्रणाली 2013–14 में भी जारी रहेगी

1.3.10 बाजार नीति :

सीएमपीडीआई कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर जब और जहाँ जरूरत हो, सभी संभव क्षेत्रों में परामर्शी सेवा देता है। तथापि, सीएमपीडीआई बाहर से भी कार्य प्राप्त करता है तथा महत्व एवं रणनीति मूल्यों पर विचार करते हुए जहाँ कहीं भी इस तरह का कार्य किया जा सकता है, करने के लिए प्रतिबद्ध है।

1.3.11 सीएमपीडीआई की दृष्टि एवं तैयारी :

सीएमपीडीआई का गवेषण कार्य 11वीं योजना अवधि तथा 12वीं योजना के पहले वर्ष में काफी तेजी से बढ़ा है। आउटसोर्सिंग तथा विभागीय ड्रिलों के जरिए सीएमपीडीआई 10वीं योजनाअवधि (2002–07) के दौरान किए गए लगभग 10 लाख मीटर की तुलना में 11वीं योजना अवधि (2007–12) में 19.41 लाख मीटर ड्रिलिंग किया।

11वीं योजना यानि 2007–08 के प्रारंभ में किए गए 2.09 लाख की तुलना में विभागीय तथा आऊटसोर्सिंग के जरिए 2012–13 में 5.63 लाख मीटर तथा 2013–14 में 6.97 लाख मीटर ड्रिलिंग किया गया। सीएमपीडीआई की ड्रिलिंग क्षमता में वृद्धि का मुख्य कारण विभागीय ड्रिलों का आधुनिकीकरण, नए यांत्रिक एवं हाइड्रोलिक ड्रिलों की प्राप्ति तथा इसकी तैनाती, उच्च क्षमता वाली बिट के परिणामस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि मड पम्प तथा ट्रक सहित ड्रिलिंग सामग्रियों की कारगर व्यवस्था रही।

वर्ष 2014–15 के लिए लक्ष्य को बढ़ाकर 12 लाख मीटर कर दिया गया जिसे 2015–16 तक पुनः बढ़ाकर प्रति वर्ष 15 लाख मीटर तक ले जाने की आवश्यकता है (विभागीय गवेषण क्षमता बढ़ाकर 4 लाख तक किया जाना होगा)। इसके लिए ड्रिलिंग हेतु पर्याप्त संख्या में कोयला ब्लॉक के आउटसोर्सिंग पर बल देने की आवश्यकता है। विभिन्न कोयला ब्लॉकों में एमईसीएल को प्रति वर्ष 1 लाख मीटर तक गवेषणात्मक ड्रिलिंग करने के लिए सीएमपीडीआई ने 6 जनवरी, 2009 को एमईसीएल के साथ दीर्घकालीन समझौता किया है।

वर्ष 2012–13 से वार्षिक सीमा को बढ़ाकर 1.5 लाख मीटर कर दिया गया है। सीएमपीडीआई ने वर्ष 2008 से अब तक राष्ट्रीय एवं वैश्विक निविदा के कई चरणों के बाद 26 कोल ब्लॉक निजी एजेंसियों को आउससोर्स किया है। वर्ष 2012–13 के दौरान विस्तृत गवेषण के लिए कोयला ब्लॉकों की आउटसोर्सिंग हेतु पुनः ई–टेण्डरिंग प्रारंभ की गई है तथा ई–टेण्डरिंग के जरिए 16 ब्लॉक सफलतापूर्वक आवंटित कर दिया गया है। इनमें से 13 ब्लॉकों में ड्रिलिंग का कार्य शुरू किया जा चुका है।

12वीं योजना के लिए कुल 126 परियोजनाओं की पहचान की गई जिसके परिणामस्वरूप लगभग 446 मि.ट. क्षमता वृद्धि हुई। जिसके मुकाबले लगभग 337 मि.ट. क्षमता वृद्धि

वाली 93 परियोजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है। विवेच्य अवधि के दौरान लगभग 81 मि.ट. क्षमता वृद्धि वाली 26 परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। लगभग 109 मि. ट. अतिरिक्त क्षमता वाली शेष 33 परियोजना रिपोर्ट 12वीं योजना के बाद वाले वर्षों में तैयार की जाएगी।

सीएमपीडीआई की अधिकांश प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ा दी गई है। आयातित उपकरणों को शामिल कर रासायनिक तथा पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला को उन्नत कर इसकी क्षमता बढ़ा दी गई है। मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थान–1 एवं क्षेत्रीय संस्थान–4 के पर्यावरणिक प्रयोगशाला को उन्नत किया गया है तथा क्षेत्रीय संस्थान–5 में प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जबकि क्षेत्रीय संस्थान–6 की पर्यावरण प्रयोगशाला को उन्नत किया जा रहा है। क्षेत्रीय संस्थान–7, भुवनेश्वर तथा क्षेत्रीय संस्थान–2, धनबाद में नई पर्यावरण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। सीएमपीडीआई में पहले से ही स्थापित स्टेट

आफ द आर्ट सीबीएम प्रयोगशाला की क्षमता बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है। इसे सेल गैस की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए टीओसी की सुविधा से युक्त कर दिया गया है। सेल गैस की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित रॉक इवाल पाईरोलाइसिस उपकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है तथा जल्द ही इसे प्राप्त हो जाने की संभावना है। इस उपकरण के प्राप्त हो जाने पर सीबीएम प्रयोगशाला सेल गैस अध्ययन की विश्लेषणात्मक आवश्यकता को पूरा करने वाली टेक्नोलाजीकली ड्रिवेन इन्स्ट्रूमेंट से सुसज्जित हो जाएगी। सीएमपीडीआई ने अडजार्पशन आइसोथर्म परीक्षण के लिए सुविधा स्थापित की है, जो 20 एमपीए दबाव (लगभग 2000 मीटर की गहराई का दबाव) तक की कोयला सीमों की एडजार्पशन क्षमता के परीक्षण में सक्षम है। संभवतः भारत में ऐसी क्षमता वाला इस तरह का पहला उपकरण है। रेसिन तथा सीमेंट कैपसूल परीक्षण करने के लिए खनन प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला को सक्षम बना दिया गया है। भौतिक–यांत्रिक गुण निर्धारित करने के लिए 2000 के एन क्षमता की एक हेवी ड्यूटी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन (यूटीएम) प्राप्त कर स्थापित कर दी गई है।

वर्ष 2013–14 में बहाली एवं स्थानांतरण पर 46 प्रबंधन प्रशिक्षुओं को सीएमपीडीआई में पदस्थापित कर दिया गया है। इसी प्रकार, अन्य अनुषंगी कंपनियों से कर्मचारियों को मँगाया गया है तथा अतिरिक्त श्रमशक्ति के लिए प्रक्रिया जारी है।

सीएमपीडीआई के लिए कोयला आधारित वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का विकास इसके कार्यों का प्राथमिकता वाला क्षेत्र बन गया है। बीसीसीएल की मुनिडीह परियोजना में सीएमपीडीआई द्वारा कोल माइन मिथेन परियोजना का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा है। सीएमपीडीआई ने कोयला मंत्रालय तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ मिलकर सीएमएम के परिचालन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया है तथा सीएमपीडीआई के निमित अनुसरण से अगस्त, 2012 में दोनों मंत्रालयों के बीच मामले को निपटा लिया गया तथा सीएमएम के व्यावसायिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस संबंध में औपचारिक आदेश प्राप्त करने के बाद सीएमपीडीआई आगे की कार्रवाई करेगा जिसके लिए अपेक्षित द्विपक्षीय क्रिया–कलाप शुरू कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कोल इंडिया लिमिटेड के क्षेत्र के 2 ब्लॉकों कैथा (सीसीएल) तथा थेसेगोरा–सी (डब्ल्यूसीएल) में यूसीजी के व्यावसायिक विकास के लिए कदम उठाए गए हैं तथा कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जनवरी, 2014 में निविदा जारी कर दी गई है। निविदा तथा प्रस्ताव पेश करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल, 2014 निर्धारित की गई है। भारत में व्यवसायिक आधार पर यूसीजी के विकास के लिए अपने तरह की यह पहली निविदा होगी तथा इससे भारत में नयी एवं उच्च कोटि की प्रौद्योगिकी लाने में मदद मिलेगी। निविदा को कोल इंडिया के स्तर पर अंतिम रूप दिया जा रहा है।शेल गैस के विकास के क्षेत्र में प्रयास का प्रभाव पड़ा है तथा दामोदर घाटी एवं सोहागपुर बेसीन में संभावित शेल गैस ब्लॉक पर डाटा डोजियर्स डीजीएच को सौंप दी गई है।

वर्ष 2008 से सीएमपीडीआई द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड की खुली खदानों में भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग के लिए उपग्रह निगरानी का कार्य किया जा रहा है। 5 मिलियन घन मीटर (कोयला+ओबी) तथा इससे अधिक उत्पादन करने वाली 50 खुली खान परियोजनाओं/खानों तथा 5 मिलियन टन या इससे कम उत्पादन करने वाली (कोयला+ओबी) 113 खुली खानों/परियोजनाओं की क्रमशः वार्षिक तथा तीन वर्षों के अंतराल पर मानिटरिंग की जा रही है। वर्ष 2013–14 के दौरान, हाई रिज्योल्यूशन सैटेलाइट आँकड़े पर आधारित कोल इंडिया लिमिटेड की 82 खुली खनन परियोजनओं की भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग की गई। इसके अतिरिक्त, उपग्रह आँकड़े पर आधारित 6 कोलफील्डों जैसे झरिया, तालचर, विश्रामपुर, वर्धाघाटी, काम्पटी तथा माकुम का भू–उपयोग/वनस्पति आच्छादन का कार्य पूरा किया जा चुका है।

कोल इंडिया लिमिटेड तथा बाहरी एजेंसियों की विभिन्न कोयला खानों के लिए कोल हैंडलिंग संयंत्र के प्लानिंग एवं डिजाइन के बारे में सीएमपीडीआई के पास परियोजना रिपोर्ट में शामिल करने के लिए रोम कोल रिसिविंग, क्रसिंग, स्टोरिंग, रेलवे वैगन में तेजी से लदाई सुविधा से युक्त सीएचपी के मौलिक ले–आउट की तैयारी सहित सीएचपी में प्रयुक्त विभिन्न पीएंडएम के विस्तृत विनिर्देशन तथा व्यावसायिक नियम एवं शर्त की तैयारी, निविदा प्रक्रिया, टर्न की आधार पर सीएचपी के लिए निविदा मूल्यांकन तथा एल–1 बिडरों का निर्धारण, डिजाइन/ड्राईंग संवीक्षा तथा लेखकों के पर्यवेक्षण आदि के लिए विशेषज्ञता प्राप्त है। सीएमपीडीआई द्वारा ब्लॉक बी सीएचपी 3.5 एमटी वाई के लिए जारी ई निविदा के आधार पर अगस्त, 13 में एनसीएल द्वारा कार्य आवंटित कर दिया गया है। फरवरी, 2013 में निगाही चरण–2 तथा खादिया चरण–3 सीएचपी के लिए पुनः निविदा जारी की गई है। इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

वर्ष 2013–14 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड को पर्यावरणिक सेवाएँ दी गई। इनमें 40 पर्यावरण प्रबंधन (26 फार्म–1 सहित) तैयार करने का कार्य शामिल है। आसनसोल, नागपुर, बिलासपुर, कुसमुण्डा, हसदेव, जयंत, तालचर, इब घाटी तथा राँची स्थित नौ पर्यावरणिक प्रयोगशालाओं के जरिए कोल इंडिया लिमिटेड की 301 परियोजनाएँ/संस्थापनों की पर्यावरणिक मॉनीटरिंग (वायु, जल एवं ध्वनि) की गई। कोयला मंत्रालय द्वारा 2013 में जारी संशोधित दिशानिर्देश के अनुसार विवेच्य वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की खानों के लिए सीएमपीडीआई ने 257 माइन क्लोजर योजना बनाई है।

कोल इंडिया लिमिटेड में माइन डेवलपर–कम–ऑपरेटर (एमडीओ) के जरिए खुली खदानों/भूमिगत खानों/परियोजनाओं के विकास तथा परिचालन के लिए आरएफक्यू तथा आरएफपी दस्तावेज तैयार किए गए। सार्वजनिक तथा निजी भागेदारी (पीपीपी) मॉडेल के आधार पर कोयला खानों/परियोजनाओं के विकास तथा परिचालन के लिए मॉडेल कंशेसन एग्रीमेंट (एमसीए) हेतु कोल इंडिया लि. को परामर्शी सेवाएँ भी दी गईं। यूनाईटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन (यूएनएफसी) के आधार पर 1.4.2013 के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकार वाले क्षेत्र में खानों/ब्लॉकों के लिए कोयला भंडार तथा संसाधन का वर्गीकरण किया गया।

सीएमपीडीआई के दिशा–निर्देश में विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानकों के लिए 65 ईकाइयों (38 नई प्रमाणित ईकाई सहित) का प्रमाणन/पुनः प्रमाणन प्राप्त किया गया। सीएमपीडीआई की पर्यावर्णिक प्रयोगशाला के लिए पहली बार ओएचएसएएस 18001 तथा आईएसओ 17025 प्रमाणन हेतु प्रमाण भी प्राप्त किए गए। इनके अतिरिक्त कोल इंडिया लिमिटेड की दो कंपनियाँ एनसीएल तथा एमसीएल को कंपनीवाइज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम (आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 एवं ओएचएसएएस 18001 सम्मिलत कर आईएमएस) के लिए प्रमाणित/पुनःप्रमाणित किया गया। गांधी नगर केंद्रीय अस्पताल, सीसीएल के लिए एनएबीएच प्रमाणन तथा कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के लिए आईएसओ 9001 का कार्य जारी है।

खनन से संबंधित क्षेत्र में पारस्परिक हित में संयुक्त प्रयास के लिए सीएसआईआरओ, आस्ट्रेलिया के साथ जून, 2013 में एमओयू किया गया।

1.3.12 सीएमपीडीआई तथा कोल इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू :

भौतिक तथा वित्तीय कार्य–निष्पादन के पारामीटर के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष सीएमपीडीआई कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू करता है। इस उपलब्धि को 1–5 पैमाने पर वर्गीकृत किया जाता है, ग्रेड 1.0 से 1.5 तक उत्कृष्ट तथा 4.51 से 5.0 तक खराब वर्ष 2012–13 के लिए सीएमपीडीआई को उत्कृष्ट (1.11) श्रेणी में रखा गया है।

3.1.13 जोखिम एवं चिन्ताएँ :

- बोरहोल संख्याओं की सघनता में वृद्धि सहित वन क्षेत्रों में ड्रिलिंग के लिए अनुमोदन प्राप्त

करना लेकिन कानून एवं व्यवस्था की समस्या ड्रिलिंग के रास्ते में सबसे बड़ी रूकावट है।

- क्षेत्रीय (रिजनल) गवेषण में आनुपातिक (अनुकूल) उन्नयन की कमी के कारण 12वीं योजना के बाद 15 लाख मीटर (प्रस्तावित) विस्तृत ड्रिलिंग क्षमता कायम रखना कठिन प्रतीत होता है। इसके बाद वन क्षेत्र में गवेषण में प्रतिबंध से विस्तारण कार्यक्रम में समस्या उत्पन्न हो सकती है।
- कोयला क्षेत्र को खुले बाजार में लाने से अन्य स्वदेशी तथा अन्तरराष्ट्रीय परामर्शी सेवा प्रदाताओं के साथ बाजारू–प्रतिस्पर्धा हो सकता है।
- कंपनी में वर्तमान अधिक उम्र प्रोफाइल भविष्य में हानिकारक हो सकता है।

1.3.14 आंतरिक नियंत्र्ण प्रणाली :

- सीएमपीडीआई के पास व्यवसाय को सहज एवं प्रभावकारी ढंग से तथा प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुसार चलाने के लिए आंतरिक नियंत्रण पद्धति तथा प्रक्रिया काफी सशक्त है।
- सहज रूप से निर्णय लेने के लिए व्यापक अधिकार है।
- समरूप अनुपालन के लिए लेखा तैयार करने हेतु दिशा–निर्देशों का लगातार अनुसरण किया जाता है।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन पर निगरानी करने के लिए एक अंकेक्षण समिति गठित की गई है।
- अनुभवी कर्मियों द्वारा आंतरिक अंकेक्षण किया जाता है।
- आंतरिक अंकेक्षण द्वारा डिजाइन की–कन्ट्रेाल की परिचालन दक्षता के पर्यवेक्षण तथा मुख्य नियंत्रण को पहचानकर आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क विकसित किया गया है।
- भिसिल ब्लोअर नीति अपनाई गई है तथा इसका अनुसरण किया जा रहा है।

1.3.15 मानव संसाधान में भौतिक विकास :

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने के कारण इसके कर्मचारियों का वेतन, मजदूरी एवं अन्य लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह निर्धारण कोयला कर्मचारियों के 5 वर्ष में एक बार तथा अधिकारियों के लिए 10 वर्ष में एक बार होता है। सीएमपीडीआई अपने कर्मचारियों मध्य एवं वरीय स्तर के प्रबंधन अधिकारियों, तथा अन्य स्तर के अधिकारियों तथा प्रबंधन प्रशिक्षुओं को निरंतर प्रशिक्षण तथा विकास का मौका देता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सत्र की भी व्यवस्था करता है। इस विषय पर विस्तृत रिपोर्ट इसके संबंधित भाग में दी गई है।

1.3.16 परिचालन कार्यनिष्पादन से संबंधित वित्तीय उपलब्धि पर विचार विमर्श :

कंपनी की कुल आय में प्रथमतः कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों तथा अन्य कंपनियों को दी गई परामर्शी सेवा से प्राप्त आय, दूसरी आय, प्राप्त व्याज से होती है। गत वर्ष 605.21 करोड़ रूपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल आय 652.44 करोड़ रूपए हुआ जो गत वर्ष की तुलना में 7.80 प्रतिशत अधिक है। कुल व्यय 618.35 करोड़ रूपए हुआ, जिसमें मुख्यतः कर्मचारियों के लाभ, बिजली एवं ईंधन, कल्याणकारी खर्च, संविदात्मक व्यय, मरम्मति, वित्तीय लागत, मूल्यहास एवं प्रावधान आदि शामिल है।

आयकर खर्च में वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय और यथा संशोधित आयकर अधिनियम के संबंधित प्रावधान के अनुसार परिकलित जमा शामिल है। वर्तमान कर के प्रावधान की पहचान आयकर अधिनियम के अनुसार भत्ता एवं छूट हेतु आकलित कर के आधार पर की जाती है। आस्थगित कर देयताओं की पहचान समय के अंतर के कारण भावी कर के लिए की जाती है। तुलन पत्र की तिथि तक लागू कर दर तथा कर प्रावधान का उपयोग कर इनकी मात्रा निर्धारित की जाती है। कर में बदलाव के कारण पड़ने वाले प्रभाव की पहचान दर के बदलाव के संबंधित वित्तीय

वर्ष के वित्तीय विवरण में की जाती है। चली आ रही (आगे लाई गई) हानि के संबंध में आस्थगित कर परिसम्पतितयों की पहचान इस सीमा तक की जाती है कि यह वास्तविक सत्य है कि पर्याप्त भारी कर योग्य आय उपलब्ध रहेगा जिसके लिए इस तरह के आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को वसूल किया जाएगा

गत वर्ष कर के पूर्व लाभ 29.77 करोड़ रू. की तुलना में 4.83 करोड़ बढ़कर वर्तमान वर्ष में 34.60 करोड़ रूपए है। कर के बाद लाभ गत वर्ष 25.05 की तुलना में 5.48 करोड़ रूपए घट कर 19.57 करोड़ रूपया हो गया है।

का वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से ग्राहकों, कर्मचारियों तथा विस्तृत समाज जैसे अन्य स्टेकहोल्डरों की हितों की रक्षा करना है।

1.5.1 कंपनी का दर्शन :

निगमित शासन के संबंध में कंपनी का दर्शन, कानून, विनियमन तथा दिशा–निर्देशों के अनुरूप पारदर्शिता, एकता, उतरदायित्व, गोपनीयता, नियंत्रण, सामाजिक दायित्व, स्पष्टीकण (डिसक्लोजर) तथा रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है।

निगमित शासन प्रक्रिया के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित को शामिल कर कंपनी ने

1.4 सीएमपीडीआई की वित्तीय समीक्षा :

विवेच्य वर्ष के दौरान कंपनी ने 19.57 करोड़ (आस्थगित कर के बाद) रू. का निबल लाभ कमाया। विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी के कार्य परिणाम का सारांश इस प्रकार है :

योग्यता मानदण्ड		सीएमपीडीआई की स्थिति		
		2011–12	2012–13	2013–14
1.	कर के पूर्व लाभ(करोड़ रू. में)	30.79	29.77	34.60
2.	कर के बाद लाभ (करोड़ रू. में)	19.61	25.05	19.57
3.	निबल मूल्य (करोड़ रू. में)	110.92	134.89	155.88
4.	निबल मूल्य पर निबल लाभ (प्रतिशत)	17.68	18.57	12.55
5.	टर्न ओवर (करोड़ रू. में)	524.03	605.21	652.44
6.	टर्न ओवर पर कर के पूर्व लाभ (प्रतिशत में)	5.88	4.92	5.30

1.5 निगमित शासन :

निगमित शासन कंपनी के प्रबंधन, इसके बोर्ड, इसके शेयर होल्डर तथा अन्य स्टेक होल्डरों के बीच संबंधों का एक सेट है। यह सिद्धांत (सत्य) अश्रित प्रक्रिया तथा संरचना उपलब्ध कराता है, जिसके जरिए कंपनी का उद्देश्य, उद्देश्य प्राप्त करने का साधन तथा कार्य निष्पादन की मानिटरिंग की पद्धति भी निर्धारित है।

मूल निगमित शासन का उद्देश्य शेयर होल्डरों को (महत्व) को बढ़ाना तथा अधिकतम करना, सभी संघटकों के बीच भरोसा एवं आत्म विश्वास

सुस्पष्ट नीति फ्रेमवर्क तैयार किया है :

- निदेशकों का वरीय प्रबंधन कर्मिकों के लिए आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट)
- कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आंतरिक ट्रेडिंग को रोकने के लिए आचार संहिता
- विसिल ब्लोअर पालिसी
- जोखिम प्रबंधन योजना

1.5.2 निदेशक-मंडल :

कंपनी के व्यवसाय का संचालन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। कंपनी के निदेशकों की

संख्या समय–समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। निदेशकों के लिए क्वालिफिकेशन शेयर का होना जरूरी नहीं है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, अंशकालिक पदेन निदेशक और गैर–कार्यकारी अंशकालिक पदेन निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उनको कंपनी अधिनियम की धारा 314 के प्रावधान के तहत निर्धारित वेतन और भत्ते दिए जाते हैं।

क) निदेशक-मंडल का आकार :

कंपनी के आर्टिकल आफ एसोसियेशन के संदर्भ में हमारे निदेशक मंडल में कम से कम तीन (3) निदेशक और पन्द्रह (15) निदेशक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये निदेशक पूर्णकालिक निदेशक हो सकते हैं। कार्यकारी निदेशक या कार्यकारी अंशकालिक निदेशक या गैर कार्यकारी अंशकालिक निदेशक हो सकते हैं।

ख) निदेशक-मंडल का कोटिवार गठन (कम्पोजिशन) :

31 मार्च, 2014 के अनुसार सीएमपीडीआई के निदेशक मंडल में आठ (8) निदेशक हैं, जिसमें अध्यक्ष–सह–प्रबंधन निदेशक सहित पाँच (5) पूर्णकालिक निदेशक, दो (2) अंशकालिक कार्यकारी निदेशक तथा एक (1) अंशकालिक गैर–कार्यकारी निदेशक हैं। श्री अमल कुमार देबनाथ तथा सिर्फ एक स्वतन्त्र निदेशक इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तीन वर्ष पूर्व नियुक्त निदेशकों के पद से मुक्त होने के बाद कोयला मंत्रलाय, भारत सरकार द्वारा शेष तीन निदेशक नियुक्त किए जाने हैं। वास्तव में, बोर्ड के गठन के संबंध में निगमित शासन पर दिशा–निर्देश कोयला मंत्रालय/सीआईएल द्वारा स्वतन्त्र निदेषकों की नियुक्ति के साथ ही अनुसरण किया जा सकता है।

31 मार्च, 2014 के अनुसार निदेशक–मंडल का गठन निम्नानुसार है :

I. पूर्णकालिक निदेशक

क) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

1. अमल कुमार देबनाथ

ख) कार्यकारी निदेशक

2. श्री डी.के.घोष
3. श्री आर.के.चोपड़ा
4. श्री शेखर सरन
5. श्री वी.के.सिन्हा

II. सरकारी अंशकालिक निदेशक

1. श्री नागेन्द्र कुमार
2. श्री देवुलापल्ली नरसिम्हा प्रसाद

III. गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक

1. श्री राकेश कुमार मित्तल

ग) निदेशक मंडल की संख्या और तिथि जिस दिन बैठक हुई

कंपनी का सर्वोच्च निकाय (बाडी) निदेशक मंडल होता है, जो कंपनी के सम्पूर्ण कार्यो की देख–रेख करता है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान छः (6) बैठकें आयोजित की गई थी।

क्र. सं.	दिनांक	दिन	स्थान
1.	10.5.2013	शुक्रवार	सीएमपीडीआईएल,राँची
2.	27.7.2013	शनिवार	सीएमपीडीआईएल,राँची
3.	4.9.2013	बुधवार	सीएमपीडीआईएल,राँची
4.	26.10.2013	शनिवार	सीएमपीडीआईएल,राँची
5.	19.12.2013	वृहस्पतिवार	नई दिल्ली
6.	06.2.2014	वृहस्पतिवार	सीएमपीडीआईएल,राँची

घ) निदेशक-मंडल की बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति :

क्र. सं.	निदेशक	कार्यावधि में हुई बोर्ड मिटिंग की संख्या	बोर्ड की बैठक में भाग लेने वालों की संख्या	अंतिम एजीएम में उपस्थिति	31.3.2014 के अन्य बोर्ड में डायरेक्टरशीप/ चेयरमैनशीप की संख्या	31.3.2014 की बोर्ड समिति के चेयरमैनशीप/ डायरेक्टरशीप (सीएमपीडीआई) की संख्या
कार्यकारी निदेशक						
1.	श्री अमल कुमार देबनाथ	6	6	हाँ	2	0
2.	श्री बी.एन.बासु	6	1	नहीं	0	0
3.	श्री डी.के.घोष	6	6	हाँ	0	1
4.	श्री आर.के.चोपड़ा	6	6	हाँ	0	1
5.	श्री शेखर सरन	6	3	हाँ	0	0
6.	श्री वी.के.सिन्हा	6	1	नहीं	0	0
अशंकालिक सरकारी निदेशक						
7.	श्री डी.एन.प्रसाद	6	6	नहीं	1	1
8.	श्री नागेन्द्र कुमार	6	2	नहीं	4	1
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक						
9.	प्रो0 वेदाला रमा शास्त्री	6	3	नहीं	–	–
10.	श्री प्रमोद कुमार मिश्रा	6	5	हाँ	–	–
11.	श्री मुकेश खरे	6	3	नहीं	–	–
12.	प्रो0 पी.के.जे. महापात्रा	6	3	नहीं	0	–
13.	श्री राकेश कुमार मित्तल	6	1	नहीं	0	1

श्री बी.एन.बासु 31.5.2013 से निदेशक पद से सेवा से निवृत हो गए, श्री शेखर सरन ने 1.6.2013 से बोर्ड में योगदान दिया, श्री वी.के.सिन्हा ने 8.1.2014 से बोर्ड में योगदान दिया, श्री वेदाला रमा शास्त्री 23.12.2013 से सेवा से निवृत्त हो गए, श्री प्रमोद कुमार मिश्रा 23.12.13 से सेवा से निवृत हो गए, डा. मुकेश खरे 23.12.2013 से सेवा से निवृत्त हो गए, प्रो. पी.के.जे. महापात्रा 23.12.2013 से सेवा से निवृत हो गए, श्री राकेश कुमार मित्तल ने 1.11.2013 को बोर्ड में योगदान दिया। श्री डी.एन.प्रसाद श्री आर.के. चोपड़ा तथा श्री एन.कुमार सीएमपीडीआई के अंकेक्षण समिति के सदस्य हैं श्री आर.के. मित्तल सीएमपीडीआई के अंकेक्षण समिति के अध्यक्ष हैं।

ड.) बोर्ड की मीटिंग के समक्ष रखी गई सूचना

कंपनी बोर्ड के भीतर की किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। बोर्ड के समक्ष दी जाने वाली सूचनाओं में निम्नलिखित शामिल है :

- पूँजीगत एवं राजस्व बजटें।
- कंपनी का त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम।
- कंपनी के कार्य निष्पादन की आवर्ती संवीक्षा।
- भारी मशीनों की उपलब्धता एवं उपयोग की आवर्ती/आवधिक समीक्षा।
- प्रयोज्य नियमों के अनुपालन पर आवर्ती रिपोर्ट।
- वार्षिक रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट इत्यादि।
- अंकेक्षण समिति, सस्टेनेबुल कमेटि तथा सीएसआर कमेटि का कार्यवृत।
- बड़ी संवीदा/अनुबंध (कॉंट्रेक्ट/एग्रीमेंट) देना।
- निदेशकों को अन्य कंपनियों में उनके द्व ारा लिए गए डारेक्टरशिप और स्थान का प्रकटीकरण।
- कोई अन्य भौतिक रूप से (मैटेरियली) महत्वपूर्ण सूचना।

च) निदेशकों का संक्षिप्त विवरण :

होल्डिंग कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) जो विश्व भर में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी है, के पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत अनुषंगी कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट (सीएमपीडीआई) के वर्तमान समय में अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक श्री ए.के. देबनाथ हैं।

श्री अमल कुमार देबनाथ (58) : भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद, भारत से माइनिंग इंजीनियरिंग (1976) में स्नातक किया है। उन्होंने डीजीएमएस से फर्स्ट क्लास माइन्स मैनेजर सर्टिफिकेट आफ कंपीटेंसी का प्रमाण पत्र हासिल किया है। कोयला खनन क्षेत्रों में उनका साढ़े तीन दशकों से भी ज्यादा का कार्यानुभव है। जिसमें सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) और सीएमपीडीआई में उत्पादन और आयोजन तथा प्रबंधन में अपनी विभिन्न क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। उन्होंने क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर, सीएमपीडीआई में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लि. (एसईसीएल) को पूर्णरूपेण गवेषण और प्लानिंग सपोर्ट देते हुए अपनी सेवाएँ दी हैं।

श्री देबनाथ सीएमपीडीआई में निदेशक (तकनीकी/आयोजन एवं अभिकल्पन) के रूप में भी कार्यरत रहे हैं तथा पर्यावरण की विभिन्न गतिविधियों, भूमिगत खान प्लानिंग एवं डिजाइन, परियोजना मूल्यांकन विभाग, गुणवत्ता प्रबंधन पद्धति एवं ओपेनकास्ट डीविजनों की देख–रेख करते रहे हैं। वे कोल इंडिया से बाहर के ग्राहकों के साथ–साथ कोल इंडिया के खानों के लिए परियोजना रिपोर्टों, पर्यावरणिक प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पर्यावरणिक प्रबंधन योजना (ईएमपी), संचालन योजना और अन्य विशेषीकृत रिपोर्टों की तैयारी के लिए उत्तरदायी रहे हैं। उनकी देख–रेख में 50 मी.ट.प्र. कुल क्षमता के लिए कुसमुण्डा हेतु परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई जो अब तक की सबसे बड़ी खान योजना है। श्री देबनाथ कंटीन्यूअस माइनर, शार्टवाल लो कैपेसिटी कंटीन्यूअस माइनर आदि जैसे हाईवाल माइनिंग, मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग के लिए वैश्विक बिड (बोली) की तैयारी एवं स्थलों के चयन में सहायक रहे हैं। उन्होंने कोयला निपटान संयंत्रों एवं अन्य परियोजनाओं के आद्योपांत कार्य निष्पादन के लिए कार्य देने के साथ–साथ तकनीकी और व्यवसायिक मूल्यांकन के लिए विभिन्न निविदा समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। उनके नेतृत्व में मैंगनीज ओर इंडिया लि., हिन्दुस्तान कॉपर लि. हुटटी गोल्ड माइन्स इत्यादि के लिए मेटल माइनिंग सेक्टर में वृहद परामर्शी कार्य भी शुरू किया गया। वे माइनिंग, जायोलॉजिकल एंड मेटॉलर्जिकल इंस्टीच्यूट

आफ इंडिया (एमजीएमआई) के सदस्य भी हैं।

श्री ए.के. देबनाथ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस / सिम्पोजिया / सेमिनारों में बड़ी संख्या में तकनीकी पेपर प्रस्तुत किये हैं। उन्होंन यूएसए, यूके, चीन, जर्मनी, स्वीडेन, साउथ अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, पोलैंड, तुर्की आदि अनेक देशों की व्यापक यात्राएँ की हैं। वे भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद के बोर्ड मेम्बर हैं तथा कोल इंडिया लिमिटेड बोर्ड के स्थाई आमंत्रित सदस्य हैं।

श्री दिलीप कुमार घोष (59), माइनिंग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं और वर्त्तमान में निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यरत हैं। सीएमपीडीआई में कार्यग्रहण (ज्वाइनिंग) से पूर्व के कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड तथा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। श्री घोष ने अपने बल पर अनेक विशिष्ट उपलब्धियाँ पाई। उन्हें पाथरखेरा क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल के पीके–II ''माइन में वर्ष 1993–94 में बेस्ट मैनेजन'' के रूप में पुरस्कृत किया गया। इनके कार्यावधि के दौरान वर्ष 2005–06 में नौ (2) भूमिगत खानों के साथ पाथरखेरा क्षेत्र को ''डब्ल्यूसीएल का सर्वोत्तम भूमिगत क्षेत्र घोषित किया गया जहाँ वर्ष 2006–07 के दौरान 33.11 लाख टन कोयला का उत्पादन अधिक हुआ, और क्षेत्र की एलएचडी उत्पादकता डब्ल्यूसीएल में सबसे ज्यादा अर्थात 189 टीपीडी थी। इसके बाद इन्होंने बैकुण्ठपुर क्षेत्र, एसईसीएल का पदभार सम्हाला जहाँ सिर्फ उसी तरह के यंत्रीकरण (मैकेनाइजेशन) वाली भूमिगत खदान है। उनके कार्यकाल के दौरान यह क्षेत्र प्रत्येक वर्ष सभी क्षेत्र में उन्नति कराता रहा। वर्ष 2009 में चुरचा इस्ट तथा वेस्ट को मिला दिया गया एवं दो एमटीवाई की मेगा भूमिगत परियोजना में परिवर्तित हो गया, जिसका उद्‌घाटन 2009 में माननीय कोयला मंत्री ने किया। इस परियोजना में दो सेट कंटीन्यूअस माइनर लगाया गया है। वर्ष 2008–09 के लिए इस क्षेत्र को अपने ग्रूप में सर्वोत्तम क्षेत्र माना गया। वर्ष 2009–10 में छमाही आधार पर इस क्षेत्र को अपने ग्रूप में एक बार पुनः सर्वोत्तम क्षेत्र माना गया। वर्ष 2009–10 के अंत तक 25 मि.ट. प्रतिवर्ष क्षमता वाली एक मेगा खुली खान परियोजना दिपका क्षेत्र में 2 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज करते हुए 24 मिलियन टन उत्पादन किया। 45000 टन प्रतिदिन क्षमता वाला उपकरण भाड़े पर लेकर सर्फेस माइन टेक्नोलाजी लगाया गया। जून, 2010 में 42 घन मीटर शॉवेल तथा 240 टी डम्पर का बड़ा एचईएमएम पैकेज शामिल किया गया। दिपका क्षेत्र को वर्ष 2009–10 के लिए अधिकतम उत्पाद– कता हेतु पुरस्कृत किया गया। चिरिमिरी क्षेत्र में पदभार सम्हालने के बाद श्री घोष द्वारा फोमिंग एजेंट सहित नाइट्रोजन प्रक्षालन के लिए आग के कारण पूर्व में बंद किए गए दो खदानों को खोलने की कार्रवाई की गई।

श्री राजेश कुमार चोपड़ा : श्री राजेश कुमार चोपड़ा (59) निदेशक(तकनीकी/पीएंडडी) माइनिंग इंजीनियरिंग (1977) के बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। इन्होंने अपना कैरियर की शुरूआत 1977 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड से की। उन्होंने 1982 में कोल इंडिया लिमिटेड/ सीएमपीडीआई से जुड़े इन्हें एडवांस कोल माइनिंग मेथड में एक वर्ष के प्रशिक्षण (जर्मनी) के लिए चुना गया। सीएमपीडीआई में 20 वर्षों से अधिक की सेवाअवधि में उन्होंने सीसीएल, एसईसीएल तथा एमसीएल की विभिन्न वृहद और बड़ी खनन परियोजनाओं की प्लानिंग की। ये कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली में महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक (खनन) भी रहे हैं। वहाँ उन्होंने कोयला अनुसंधान एवं संरक्षण,

स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी, कोल बेड मिथेन, कोल गैसीकरण, सीटीएल, कोयला गवेषण, कोल प्रोजेक्ट मानिटरिंग एंड एपरेजल, नीति, दिशा–निर्देश आदि जैसे विषयों में अपना सहयोग लिया। इन्होंने अनेक देशों का दौरा किया तथा भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा भी रहे और राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय फोरम पर कई आलेख प्रस्तुत किया। वर्तमान में ये निदेशक (तकनीकी) सीएमपीडीआईएल हैं और खुली खदान तथा भूमिगत परियोजनाओं की प्लानिंग एवं डिजाइन का कार्य सम्हाल रहे हैं।

श्री शेखर सरन (52) : डिपार्टमेंट आफ माइनिंग इंजीनियरिंग, इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नोलाजी, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से 1981 बैच के इंजीनियरिंग स्नातक हैं, तथा 1 जून, 2013 को निदेशक (तकनीकी) में सीएमपीडीआई, राँची में पदभार ग्रहण किया है। अपने बैच के टॉपर होने के कारण इन्हें एमजीएमआई से राबर्टन मेडल के साथ–साथ बीएचयू से गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है।

सीएमपीडीआई में पदभार ग्रहण करने से पूर्व इन्होंने जेट के रूप में सोहागपुर, हसदेव तथा विश्रामपुर क्षेत्र, एसईसीएल में कार्य किया। उसके बाद सब एरिया मैनेजर के रूप में कुनुस्तोरिया, सतग्राम तथा सोदेपुर एरिया, ईसीएल तथा सीजीएम के रूप में कार्य किया और अंत में ईसीएल, मुख्यालय में मुख्य महाप्रबंधक पीएंडपी के रूप में कार्य किया। इनके पास विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में बड़ी खुली खदानों एवं भूमिगत खानों के प्रबंधन करने का गहरा अनुभव है। जब वे एसईसीएल में कार्यरत थे तब उन्होंने रूफ बोल्टिंग/स्टील सपोर्ट को लागू कर बहुत सारे मैनुअल भूमिगत खानों को यंत्रीकृत खानों में बदला। इन्होंने विभिन्न सेमिनारों/कार्यशालाओं में अनेक तकनीकी आलेख प्रस्तुत किया है। ये 26 वर्षों से अधिक से रेस्क्यू प्रशिक्षित सदस्य भी रहे हैं और विभिन्न बचाव दल में भाग लिया है एवं भूमिगत खानों में रिकवरी आपरेशनों में शामिल भी रहे हैं।

अपनी सेवा अवधि में उन्होंने यूके, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड तथा यूएसए आदि देशों का कई बार दौरा किया है। ये एनसीसी प्रमाण धारक तथा अच्छे स्पोर्टसमैन भी हैं।

वर्तमान में 1.6.2013 से ये निदेशक (तकनीकी) सीएमपीडीआई के रूप में कार्यरत हैं और कोयला संसाधन विभाग सम्हाल रहे हैं।

श्री विनोद कुमार सिन्हा : तकनीकी/अनुसंधान, विकास एवं प्रौद्योगिकी, सीएमपीडीआई उम्र 56 वर्ष (2.7.1957) भारतीय खनि विद्यापीठ धनबाद से माइनिंग इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। इन्होंने डीजीएमएस, धनबाद से फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट आफ कंपीटेंसी भी प्राप्त किया है।

इन्होंने वर्ष 1978 में जेट के रूप में सीसीएल में पदभार सम्हाला तथा 2001 तक विभिन्न पदों पर कार्य किया इसके बाद इन्होंने परियोजना पदाधिकारी/एजेंट के रूप में बीसीसीएल में पदभार ग्रहण किया तथा कुसुण्डा क्षेत्र में अपर महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया। उसके बाद वर्ष 2006 से 2008 के दौरान वेर्स्टन झरिया एरिया, महुदा के महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया तथा 2008–09 से इर्स्टन झरिया एरिया, सुदामडीह, बीसीसीएल के महाप्रबंधक के रूप में रहे। मुनिडीह में एमएल 4 पावर सपोर्ट स्थापित करने में विशेष योगदान दिया और खानों के विस्तार के लिए भू–अर्जन जैसे चुनौती भरे कार्य मे सहयोग किया। इन्हें मुरलीडीह 20/21 पीट में साइड डिस्चार्ज लोडर एसडीएल शामिल करने का भी श्रेय प्राप्त है। बीसीसीएल में मुख्य महाप्रबंधक (बिक्री एवं विपणन) के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान नई कोयला वितरण के तहत कोल

आफर तथा आवंटन में सुधार नियमितीकरण के कार्य में काफी योगदान दिया है। ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए), कोयले के एंड यूज में सुधारात्मक कार्य तथा नन–कोल सेक्टर उपभोक्ताओं के मामले में रिफंड मैकेनिज्म तथा उसके बाद उपभोक्ताओं सहित स्टेट होल्डरों के लिए वैल्यू को बढ़ाने में इनका काफी योगदान रहा है।

सीएमपीडीआई में पदभार ग्रहण करने से पूर्व ये बीसीसीएल में सीजीएम (कंट्रक्ट एंड मैनेजमेंट सेल) के पद पर थे। और विभिन्न करारों का समय पर निष्पादन करने में अपनी मूल्यवान सेवाएँ प्रदान कीं। इन्होंने जर्मनी तथा फ्रांस जैसे देशों का भी दौरा किया है।

श्री नागेन्द्र कुमार (56) **:** ने वर्ष 1980 में भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद में माइनिंग इंजीनियरिंग (बीटेक–माइनिंग) में ग्रेजुएशन किया। श्री नागेन्द्र कुमार ने कनीय कार्यकारी प्रशिक्षु (जुनियर एक्जीक्यूटिव ट्रेनी) के रूप में वर्ष 1980 में सीसीएल में ज्वाइन किया। सीसीएल में कार्यरत रहते हुए प्रथम 20 वर्षों में उन्होंने 6 वर्ष मैनेजर तथा 7 वर्ष परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य किया इसके बाद 2001 में इनका स्थानांतरण इसी पद पर ईसीएल में कर दिया गया और वर्ष 2004 में महाप्रबंधक तथा 2007 में मुख्य महाप्रबंधक का पद सम्हाला। श्री कुमार ने अपने कैरियर का अधिकांश समय कठिन भूमिगत और खुली खदानों के पुनर्गठन (रिभाइविंग) में बिताया। उन्होंने लांगवाल उपकरण के स्वदेशीकरण में सक्रिय भागीदारी निभाई और इसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पर कई पेपर प्रस्तुत किए। उनकी हाल ही की सबसे बड़ी उपलब्धि उत्पादन और सुरक्षा विश्व स्तर के अनुरूप झरिया क्षेत्र में कंटीन्यूवस माइनर का सफलतापूर्वक संचालन है। श्री कुमार एमजीएमआई, आईएमएमए और इंस्टीच्यूट आफ इंजीनियरस के सदस्य हैं। उन्होंने साऊथ अफ्रीका और चीन, फ्रांस, इटली तथा जर्मनी जैसे देशों का दौरा किया है। श्री कुमार को क्रिकेट, पुस्तक, पुराने गाने और रवीन्द्र संगीत का शौक है। उन्होंने दिनांक 01.02.2012 से कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) का प्रभार ग्रहण किया है। इसके अलावा दिनांक : 01.11.2012 से एसईसीएल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का (अतिरिक्त प्रभार) प्रभार भी सम्हाले हुए हैं।

श्री डी.एन. प्रसाद (59) **:** उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कॉलेज आफ इंजीनियरिंग से पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम क्षेणी से पास किये हुए हैं, तथा वे फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर्स आफ कंपीटेंसी धारक भी हैं। साथ ही उन्होंने यूके से एमबीए किया है तथा भारत के कोयला एवं ऊर्जा सेक्टर में लगभग 32 वर्षों का अनुभव उनके पास है। उनको पब्लिक सेक्टर कोल कंपनियों, कोल इंडिया लिमिटेड एवं सिंगरैनी कोलियरिज कंपनी लिमिटेड का 11 वर्षों का अनुभव प्राप्त है, और लगभग 21 वर्षों का अनुभव प्लानिंग कमीशन एंड मिनिस्ट्री आफ कोल भारत सरकार के ऊर्जा डिवीजन में एनर्जी, फ्यूअल कोल एंड लिग्नाइट के लिए डेवलपमेंट पॉलिसी प्लानिंग में है। वर्त्तमान में वे कोयला मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्हें निवेश निणर्य, पूंजीगत बजट बनाने, कोयला और लिग्नाइट, सीबीएम, सीएमएम के गवेषण के लिए कोल माइनिंग प्रोजेक्ट का तकनीकी आर्थिकी मूल्यांकन, कोयला खान परियोजनाओं के विकास का व्यापक अनुभव है, साथ ही उनके पास जलवायु परिवर्त्तन क्षेत्र से संबंधित मुद्दे, पर्यावरणिक प्रभाव मूल्यांकन करना, कोयला और लिग्नाइट के लिए संभावित योजनाओं का विकास, कोल वाशिंग सहित क्लीन कोल टेक्नोलॉजी का विकास, कोयला गैसीकरण, यूसीजी, सीटीएल, कोयला निस्क्रमण के लिए

आधारभूत संरचना का विकास आदि का भी अनुभव है। उन्होंने कोयले के विकास से संबंधित विभिन्न कमिटियों में योजना आयोग एवं कोयला मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया है तथा आस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, यूके, आदि देशों का दौरा व्यावसायिक कार्य के सिलसिले में किए हैं। श्री प्रसाद विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फोरम में कोयला से संबंधित क्षेत्र में पॉलिसी और मुद्दे पर पेपर प्रस्तुत किए हैं। वे इंस्टीच्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), माइन्स मेटल एवं जियोलाजिकल इंस्टीच्यूट आफ इंडिया (एमएमजीआई) आदि जैसे व्यावसायिक निकायों के सदस्य भी हैं। वे एसईसीएल में निदेशक भी रहे हैं।

श्री राकेश कुमार मित्तल : श्री राकेश कुमार मित्तल का जन्म उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर पुरकाती, जिला– मुजफ्फरनगर में रक्षा बंधन के दिन अगस्त, 1949 में हुआ था। वर्ष 1970 में रूड़की विश्वविद्यालय (वर्तमान में आईआईटी) से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री के पूर्व उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके अपने गृहनगर तथा जिला मुख्यालय में हुई। अंतिम परीक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा में उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय में टॉप किया। उन्हें विभिन्न खेल–कूदों तथा अन्य गति विधियों में भी रूचि थी। परिणामस्वरूप सत्र 1969–70 के दौरान सभी क्षेत्रों में सर्वोत्तम छात्र के लिए अनेकों अन्य पुरस्कारों के साथ–साथ इन्हें चांसलर्स गोल्ड मेडल से नवाजा गया।

कुछ वर्षों तक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नाम करने के बाद श्री मित्तल ने 1975 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) ज्वाइन कर यूपी कैडर प्राप्त किया। उन्होंने अपने सेवा के लंबे कैरियर के अनेक पदों पर कार्य किया तथा सेवा के उच्च स्तर के पद तक पहुँचे। उनकी कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ इस प्रकार हैं :

जिला मजिस्ट्रेट बस्ती, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज यूपी, प्रबंध निदेशक यूपी हैंडलूम कॉरपोरेशन, प्रबंधक निदेशक यूपी एक्सपोर्ट कारपोरेशन, हैंडलूम एंड टक्सटाइल्स यूपी के निदेशक, सचिव पंचायती राज, सचिव चिकित्सा शिक्षा, हाउसिंग कमीशनर यूपी, सचिव, हार्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, प्रिसिपल सेक्रेटरी सेक्रेटरिएट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंन्सिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ, पिजन्स, लखनऊ डिवीजन के आयुक्त, पिसिपल सेक्रेटरी एडूकेशन, सामाजिक कल्याण आयुक्त तथा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कमीशनर। श्री मित्तल ने स्टील मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार में पाँच वर्षों तक कार्य भी किया। इन सभी पदों पर श्री मित्तल ने काफी समर्पित भाव से कार्य किया तथा ईमानदारी के साथ–साथ अपनी योग्यता के लिए नाम कमाया है। श्री मित्तल 31 जुलाई, 2009 को आईएएस से सेवा–निवृत हुए।

श्री मित्तल अपने सेवा के प्रारंभिक वर्षों में अध्यात्म के जिज्ञासु रहे। यह अध्यात्म का गुण उन्हें विभिन्न प्रकार की अच्छी पुस्तकों को पढ़ने तथा व्यक्तियों एवं संगठनों के संपर्क में आने के कारण मिला। वर्ष 1991 में वे केरल के स्वामी भूमानन्दा तीर्था के सम्पर्क में आये और उनके अनुयायी बन गये। इसके परिणामस्वरूप उनमें दूरदर्शिता का व्यापक विस्तार हुआ और उनकी सोच बहुत ही स्पस्टवादी रही। यथासमय उन्होंने अपने आप को भारतीय विद्या भवन, सर्वेन्ट आफ द पिपुल सोसायटी, बह्मा कुमारी विश्व आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, शांतिकुज, द आर्ट आफ लिविंग फाउण्डेशन, भारत विकास परिषद्, चिन्मय मिशन आदि जैसे बहुत सारे बेहतर संस्थानों से जोड़ा। सेक्यूलर सोच होने के कारण वे अन्य धर्मों के विभिन्न संगठनों से काफी निकट से जुड़े रहे। वे घुमक्कड़ प्रकृति के हैं तथा विश्व के लगभग सभी महत्वपूर्ण देशों के दौरे के साथ–साथ भारत

के भीतर भी व्यापक रूप से यात्राएँ की हैं। वे अगस्त, 2000 में यूएनओ द्वारा न्यूर्याक में आयोजित ''वर्ल्ड पीस समीट'' में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य के रूप में भी भाग लिया।

वे संत कबीर, स्वामी विवेकानन्द तथा महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से काफी प्रभावित रहे। श्री मित्तल ने अपने जैसे सोच रखने वाले दोस्तों की सहायता से वर्ष 1990 में ''कबीर पीस मीशन'' की स्थापना की। यह संस्था वर्तमान में भारत तथा विदेश में फैले 35 से अधिक केंद्रों में 2200 से अधिक आजीवन सदस्यों सहित व्यापक रूप से फैला है। इस मीशन का मुख्य लक्ष्य समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है, जिससें शांति और सदभाव कायम रहे। अपने अनुभवों को अन्य के साथ बांटने के लिए श्री मित्तल ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अंग्रेजी एवं हिन्दी में लगभग 16 पुस्तकें लिखी हैं। उनमें से कुछ हैं – पोजिटिव थौट्स, पोजिटिव माइण्ड पावर, पाजिटिव माइंड थेरापी, 21 लॉ आफ पोजिटिव लिविंग, थिंक पोजिटिव एंड थिक्स विल गो राईट, द पावर आफ पोजिटिव मैनेजमेंट, द पावर आफ पोजिटिव वर्डस, द पावर आफ पोजिटिव एनेक्डाटस एंड नूगेटस आफ विजिडम। इनमें से अधिकांश पुस्तकें हिन्दी में भी लिखी गई हैं। इनमें से कुछ पुस्तकों का अन्य भारतीय भाषाओं तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है।

श्री मित्तल को द आर्ट आफ लिविंग फाउण डेशन, भारत विकास परिषद्, भारतीय ज्योति जैसे अनेक अन्य संस्थानों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें यूपी के तत्कालीन राज्यपाल श्री विष्णुकांत शास्त्री द्वारा अक्टूबर, 2002 में आल इंडिया कांफ्रेंस आफ इन्टीलेक्चूयल्स द्वारा ''उत्तर प्रदेश रत्न'' से नवाजा जा चुका है। आईएएस से सेवानिवृत्ति के पश्चात् श्री मित्तल बहुत सारे कल्याणकारी गतिविधियों में विशेषकर, ''कबीर पीस मीशन'' के जरिए लगे हुए हैं। वे बहुत सारे शैक्षणिक और सामाजिक संस्थानों के बोर्ड में भी हैं। अपने व्याखानों, पुस्तकों और विचार–विमर्शों के द्वारा दूसरे के प्रेरित करना उनका शौक है। सौभाग्य से उन्हें ऐसा करने का सुअवसर प्राप्त होता रहा है। तथा वे उन्हें नम्रता के साथ–साथ बड़ी सादगी से स्वीकार भी करते हैं। वे अच्छे लोगों, खुशहाल और शांतिपूर्व समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक संजाल (नेटवर्क) बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। श्री मित्तल वर्ष 2012 तथा 2013 में लखनऊ मैनेजमेंट असोसियेशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। एलएमए टॉप मैनेजमेंट असोसियेशनों में से एक है, जो आल इंडिया मैनेजमेंट असोसियेशन से सम्बद्ध है।

1.5.3 अंकेक्षण समिति :

अंकेक्षण समिति का मुख्य कार्य वित्तीय रिपोर्ट, वित्त से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की कंपनी की प्रणाली, लेखा तथा कंपनी का अंकेक्षक लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रोसेस का पुनरीक्षण करते हुए इसकी ओवर साइट उत्तरदायित्व पूरा करने में निदेशक मंडल को सहायता प्रदान करना है।

अंकेक्षण समिति आंतरिक अंकेक्षकों के रिपोर्ट की समीक्षा करती है। संविधिक अंकेक्षकों से मिलती है तथा उनकी उपलब्यिों, सुझावों और अन्य संबंधित विषयों पर विचार–विमर्श करती है एवं कंपनी द्वारा अपानाई गई मुख्य लेखा नीतियों की समीक्षा करती है।

विचारार्थ विषय :

अंकेक्षण समिति की विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292 ए के अनुसार है तथा भारी उद्योग मंत्रालय तथा पब्लिक इंटरप्राइजेज विभाग द्वारा जारी किये गए सीपीएसईएस के कारपोरेट–गवर्नेंस पर आधारित दिशा निर्देश के अनुसार है।

अंकेक्षण समिति का विचारार्थ विषय अन्य बातों के साथ–साथ संगठन के सभी व्यावसायिक पहलुओं को कवर करेगा।

1. बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के पहले वितीय विवरणों की समीक्षा करना।
2. आंतरिक प्रणाली का नियतकालिक पुनरीक्षा।
3. शासकीय अंकेक्षण तथा संविधिक अंकेक्षण की रिपोर्ट का पुनरीक्षण।
4. मानक पारामीटरों के साथ–साथ संचालनीय कार्य निष्पादन का पुनरीक्षण।
5. परियोजनाओं तथा अन्य पूँजीगत योजनाओं का पुनरीक्षण।
6. आंतरिक अंकेक्षण उपलब्धि/अवलोकन का पुनरीक्षण।
7. आनुपातिक तथा प्रभावी आंतरिक अंकेक्षण कार्य का विकास।
8. बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए गए मुद्दों सहित किसी भी विषय का विशेष अध्ययन/जाँच।

अंकेक्षक समिति का कार्य क्षेत्र :

अंकेक्षण समिति का कार्य क्षेत्र इस प्रकार है :

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखना तथा वित्तीय संरचनाओं का प्रकटीकरण, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय है।
2. ऑडिट फीस को निर्धारित करने के लिए बोर्ड को अनुशंसा करना।
3. सांविधिक अँकेक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये गए अन्य सेवाओं के लिए अंकेक्षक सांविधिक अंकेक्षकों के भुगतान का अनुमोदन है।
4. विशेष संदर्भ के साथ अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना।
   (क) कंपनी अधिनियम 2013 (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 के खंड 2 एए) की धारा 134(3) तथा 134(5) के संदर्भ में शामिल किए जाने वाला डायरेक्टर्स रिस्पांसबिलिटी स्टेटमेंट में शामिल होने वाले अपेक्षित मामले।
   (ख) लेखा नीतियों तथा प्रैक्टिसेस में यदि कोई परिवर्त्तन हो तो उसका कारण।
   (ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय पर आधारित आकलन से जुड़े मुख्य लेखा प्रविष्टी (इन्ट्री)।
   (घ) अंकेक्षण निष्कर्ष से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
   (ड़) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यश्कताओं का अनुपालन।
   (च.) किसी भी संबंधित पार्टी मामलों का प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) तथा
   (छ) मसौदा अंकेक्षण रिपोर्ट में योग्यता।
5. अनुमोदन हेतु बोर्ड में प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
6. आंतरिक अंकेक्षकों का कार्य निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
7. आंतरिक अंकेक्षण विभाग, ऑफिशियल हेडिंग डिपार्टमेंट का स्टाफिंग तथा वरीयता रिपोर्टिंग संरचना कवरेज एवं आंतरिक अंकेक्षण की आवृति सहित, यदि कोई हो तो आंतरिक अंकेक्षण कार्य की उपयुक्तता की समीक्षा करना।
8. कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा उससे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई हो तो आंतरिक अंकेक्षण तथा/अथवा अंकेक्षक के साथ विचार विमर्श करना।

9. ऐसे मामले जहाँ संदिग्ध धोखाघड़ी अथवा अनियमितता अथवा आर्थिक प्रकृति के (मेटिरियल नेचर) के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता है तथा बोर्ड को रिपोर्टिंग करने के मामले में आंतरिक अंकेक्षकों/अंकेक्षकों एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच की उपलब्धियों की समीक्षा करना।

10. अंकेक्षण की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र के बारे में तथा इससे संबंधित किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए पोस्ट ऑडिट विचार–विमर्श, ऑडिट कामन सेंसस के पहले सांविधिक अंकेक्षण के साथ विचार–विमर्श करना।

11. व्हिसिल ब्लोअर मैकेनिज्म की क्रियाशीलता की समीक्षा करना।

12. सीएंडएजी ऑडिट के अंकेक्षण अवलोकन पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

13. स्वतंत्र अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षक तथा बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के बीच सम्पर्क हेतु खुला मंच उपलब्ध कराना।

14. कंपनी के सभी संबंधित पार्टी मामलों की समीक्षा करना तथा अनुमोदित करना। इस उद्देश्य के लिए अंकेक्षण समित एक सदस्य को नामित कर सकता है, जो इन्स्टीच्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंड आफ इंडिया द्वारा जारी एकाउटिंग स्टैंडर्ड 18 में वर्णित पार्टी ट्रांजेक्शन से संबंधित पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

15. कवरेज, अनावश्यक प्रयास में कमी तथा सभी आडिट संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल की संपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु ऑडिट प्रयासों के स्वतंत्र ऑडिटर समन्वयन के साथ पुनरीक्षण करना।

16. कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण तथा सुरक्षा एवं संबंधित उपलब्धियों तथा स्वतंत्र अंकेक्षकों की अनुशंसाए तथा प्रबंधन प्रत्युत्तर के साथ अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए अथवा गतिविधियों के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रतिबंध सहित अंकेक्षण के दौरान सामना की गई कठिनाइयों, महत्वपूर्ण उपलब्धियां एवं आंतरिक अंकेक्षक सहित इसका दायित्व प्रबंधन पर भी है।

17. अपेक्षित सूचना की अधिकता या क्रिया–कलापों की संभावना पर किसी प्रतिबंध सहित अंकेक्षण कार्य के दौरान पायी गई कठिनाइयों तथा पूर्व के अंकेक्षण के अनुशंसाओं की स्थिति सहित विवेच्य वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्षों के लिए प्रबंधन, आंतरिक अंकेक्षण तथा स्वतंत्र अंकेक्षक के साथ विचार–विमर्श करना तथा समीक्षा करना।

18. डिपोजिटर्स, डिवेचर धारकों, शेयर होल्डरों (घोषित लाभांश के नन पेमेंट के मामले में) को भुगतान में पर्याप्त त्रुटि के कारणों का पता लगाना।

19. पब्लिक अडरटेकिंग्स (कोपू) आफ द पार्लियामेंट पर गठित कमेटी की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई का अनुसरण कर समीक्षा करना।

20. अंकेक्षण कमेटी के विचाराधीन विषयों में उल्लिखित किसी अन्य कार्य को सम्पादित करना।

अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ :

अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ निम्नलिखित के अनुरूप होगी :

1. विचारार्थ विषय के अंतर्गत किसी भी गतिविधियों की जाँच करना।
2. किसी भी कर्मी से सूचना माँगना
3. बाह्य कानूनी तथा व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना।
4. यदि विचार करना आवश्यक हो तो संबंधित विशेषज्ञता

के साथ बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करना

5. व्हिसिल ब्लोअर्स की रक्षा करना।
6. अंकेक्षकों की स्वतन्त्रता पर बल देते हुए हितों के टकराव को रोकना।
7. आंतरिक नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन की प्रभाकारिता सुनिश्चित करना।

अंकेक्षण समिति द्वारा सूचना की समीक्षा :

अंकेक्षण समिति निम्नलिखित सूचनाओं की समीक्षा करेगी।

1. वित्तीय स्थिति तथा कार्य के परिणामों पर प्रबंधन के साथ मिलकर विचार–विमर्श तथा विश्लेषण।
2. प्रबंधन द्वारा सुपुर्द पार्टी लेनदेन से संबंधित विवरण।
3. सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा जारी कमियों पर आंतरिक नियंत्रण का पत्र/प्रबंधन का पत्र।
4. इंटरनल कंट्रोल विकनेसेंज से संबंधित आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट।
5. मुख्य आंतरिक अंकेक्षकों की नियुक्ति तथा पदच्युति को अंकेक्षण समिति के समक्ष रखना होगा तथा,
6. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरण का प्रमाणन्/घोषणा।

गठन:

अंकेक्षण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है।

1.	अध्यक्ष	श्री प्रमोद कुमार मिश्रा	गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक	23.12.2013 को निदेशक के पद से मुक्त
2.	सदस्य	डा0 वी0आर0शास्त्री	गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक	23.12.2013 को निदेशक के पद से मुक्त
3.	सदस्य	प्रो0 पी0के0जे0महापात्रा	गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक	23.12.2013 को निदेशक के पद से मुक्त
4.	सदस्य	श्री मुकेश खरे	गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक	23.12.2013 को निदेशक के पद से मुक्त
5.	अध्यक्ष	श्री आर.के.मित्तल	गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक	6.2.14 को अध्यक्ष का पदभार ग्रहण
6.	सदस्य	श्री डी.एन.प्रसाद	सरकार द्वारा नामित निदेशक	–
7.	सदस्य	श्री एन.कुमार	निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया	–
8.	सदस्य	श्री आर.के.चोपड़ा	निदेशक (तकनीकी), सीएमपीडीआई	–

स्वतन्त्र निदेशक श्री आर.के.मित्तल, अंकेक्षण समिति के अध्यक्ष हैं तथा तीन सदस्य कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड तथा सीएमपीडीआई से होते हैं, जबकि पिछले तीन वर्षों में नियुक्त स्वतन्त्र निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् कोयला मंत्रालय तथा कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा शेष तीन स्वतन्त्र निदेशकों की नियुक्ति की जानी है। अंकेक्षण समिति से संबंधित कारपोरेट गवर्नेंस के दिशा–निर्देश के अनुसार एमओसी/सीआईएल द्वारा सूचित किए जाते ही स्वतन्त्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है।

बैठक एवं उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान चार बैठकें आयोजित की गई। ये बैठके क्रमशः दिनांक : 10.05.2013, 27.07.2013, 26.10.2013, 6.2.2014 को आयोजित की गई थी। सदस्यों द्वारा भाग लिए गए अंकेक्षण समिति की बैठक का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :

अंकेक्षण समिति के सदस्यगण	स्थिति	आयोजित बैठक	भाग ली गई बैठक
श्री प्रमोद कुमार मिश्रा	**अध्यक्ष**	4	3
डा. बी.आर.सेट्टी	सदस्य	4	2
प्रो0 पी.के.जे.महापात्रा	सदस्य	4	2
प्रो0 मुकेश खरे	सदस्य	4	2
श्री डी.एन.प्रसाद	सदस्य	4	3
श्री एन. कुमार	सदस्य	4	–
श्री आर.के.चोपड़ा	सदस्य	4	4
श्री आर.के. मित्तल(1.11.2013 से)	**अध्यक्ष**	4	1

1.5.4 पारिश्रमिक समिति :

सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होने के कारण सीएमपीडीआई में नियुक्ति की सेवा अवधि तथा निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

वार्षिक बोनस (लाभांश)/परिवर्तनशील पे–पूल तथा नीति के संदर्भ में पारिश्रमिक से संबंधित निर्णय विहित सीमा के अंतर्गत अधिकारियों से ऊपर तथा नन–यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर्स के वितरण के लिए कोल इंडिया होल्डिंग कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने पारिश्रमिक समिति गठित की है।

कोल इंडिया लि. की अनुषंगी कंपनी होने के कारण अधिकारियों तथा नन–यूनियनाइज्ड पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक होल्डिंग कंपनी तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार विनियमित किया जाता है।

इसलिए बोर्ड पारिश्रमिक का निर्णय नहीं लेता है तथा इसके लिए पारिश्रमिक समिति गठित नहीं है। तथापि यदि कोई ऐसी आवश्यकता होती है तो बोर्ड पारिश्रमिक ऐसे फंक्शन को अदा करेगा या पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा।

1.5.5 सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी कमेटि :

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सस्टेनेबिलिटि कंपनी की अपने स्टेक होल्डरों के लिए वचनबद्ध ता है, जिसमें कंपनी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणिक रूप से सस्टेनेबल तरीके से व्यापार सम्पन्न करने से संबंधित है जो पारदर्शी तथा नीतिपरक हो। स्टेक होल्डरों में कर्मचारी, निदेशक, शेयर होल्डर ग्राहक, बिजनेस पार्टनर, ग्राहक, सिविल सोसायटी ग्रुप, सरकार तथा गैर–सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, पर्यावरण एवं बड़े पैमाने पर समाज शामिल है।

प्रत्येक सीपीएसईएस के बोर्ड स्तर की एक समिति होना चहिए जिसकी अध्यक्षता या तो अध्यक्ष तथा/अथवा प्रबंध निदेशक अथवा एक स्वतंत्र निदेशक करते हैं और ये 1.4.2013 के तत्काल प्रभाव से डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार इच्छित दिशा में कंपनी–बोर्ड के इस एजेंडा को लागू करने तथा नीति तथा रणनीति बनाने के लिए निदेशक मंडल को सहयोग एवं कंपनी के सीएसआर तथा सस्टेनेबल नीति को कार्यान्वित करते हैं। दिशा–निर्देशों में, नियमित सामाजिक उत्तरदायित्य तथा सस्टेबिलिटि एमओयू में गैर–वित्तीय पारामीटरों के तहत एक आवश्यक घटक के रूप में शामिल किया जा चुका है।

इसी दिशा–निर्देशों के अनुरूप बोर्ड ने दिनांक 10.5.2013 को आयोजित अपनी 172वीं बैठक में सीएसआरएंड सस्टेनेबिलिटी कमिटि का गठन किया है।

गठन :

सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटि कमिटि में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसकी अध्यक्षता एक गैर–सरकारी अंशकालीक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) करते हैं।

1.	अध्यक्ष	डा0 मुकेश खरे (23.12.2013 तक)	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक
2.	अध्यक्ष	श्री आर.के.मित्तल (6.2.14 को अध्यक्ष का पदभार)	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक
3.	सदस्य	श्री डी.के.घोष	निदेशक (तकनीकी/ईएस)
4.	सदस्य	श्री आर.के.चोपड़ा	निदेशक (तकनीकी/आरडीएंडटी)

बैठक एवं उपस्थिति :

वर्ष 2013–14 में दिनांक 10.5.13, 6.12.2013, 6.2.14 तथा 26.3.14 को तीन बैठकें आयोजित की गईं। स्टेटेनेबुल डेवलापमेंट कमिटि की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही।

क्र.सं.	सीएसआर तथा सस्टेनेबुल कमिटि के सदस्य	पद	आयोजित बैठक	बैठक में उपस्थिति
1.	डा. मुकेश खरे (23.12.2013 तक)	अध्यक्ष	4	2
2.	श्री आर.के.मित्तल (6.2.2014 को अध्यक्षता ग्रहण)	अध्यक्ष	4	2
3.	श्री डी.के.घोष	सदस्य	4	4
4.	श्री आर.के.चोपड़ा	सदस्य	4	4

1.5.6 निदेशकों का पारिश्रमिक :

सभी निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पूर्णकालिक निदेशकों का अनुबंध एवं शर्त तथा पारिश्रमिक कंपनी/कोल इंडिया लिमिटेड के संस्था संलेख (आर्टिकल आफ असोशिएशन) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

क) कार्यकारी निदेशक :

कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :

नाम	पदनाम	छुट्टी नगदीकरण सहित कुल वेतन एवं भत्ता	पर्क्स	मकान किराया भत्ता (एचआरए)	सीएमपीएफ नियोजक का अंशदान कंट्रीब्यूसन	पीआर की अग्रिम	कुल	एलटीसी चिकित्सा परामर्श
श्रीए.के.देबनाथ	अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक	2000621.20	430228.00	0.00	239520.00	0.00	2670369.20	39078.00
श्री शेखर सरन	निदेशक (तकनीकी)	1661450.00	326250.00	0.00	198954.00	0.00	2186654.00	34993.00
श्री बी.एन.बासु	निदेशक (तकनीकी)	261910.00	67936.00	0.00	31336.00	0.00	361182.00	227698.00
श्री डी.के.घोष	निदेशक (तकनीकी)	1777845.00	391500.00	0.00	212787.00	0.00	2382132.00	78189.00
श्री आर.के.चोपड़ा	निदेशक (तकनीकी)	1691901.00	403191.00	0.00	202474.00	0.00	2297566.00	19835.00

ख) अंशकालिक सरकारी निदेशकगण :

सीएमपीडीआईएल द्वारा अंशकालिक सरकारी निदेशकों को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है। श्री डी.एन.प्रसाद, सलाहकार (परियोजना) कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से मनोनित सदस्य तथा श्री एन.कुमार, निदेशक (तकनीकी) कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता से मनोनित सदस्य हैं एवं उनका पारिश्रमिक का भुगतान क्रमशः भारत सरकार तथा कोल इंडिया लिमिटेड से किया जाता रहा है।

ग) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक :

कंपनी के गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों को बोर्ड में उपस्थित होने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निर्धारित सीलिंग के भीतर कोल इंडिया बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर दिया जाने वाला सीटिंग फीस को छोड़कर कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों के लिए भुगतान किए जा रहे सिटिंग फीस का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :

क्रमांक	नाम	उपस्थिति के लिए भुगतान किया गया सीटिंग फीस		कुल रूपये
		बोर्ड की बैठक(रूपए)	समिति की बैठक (रूपये)	
1.	श्री प्रमोद कुमार मिश्रा	75000.00	45000.00	120000.00
2.	डा0 वी.आर.शास्त्री	45000.00	30000.00	75000.00
3.	प्रो0 पी.के.जे.महापात्रा	45000.00	30000.00	75000.00
4.	प्रो0 मुकेश खरे	45000.00	60000.00	105000.00
5.	श्री आर.के.मित्तल	15000.00	45000.00	60000.00

1.5.7 (1) वार्षिक आम बैठक :

विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठक का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण	वर्ष 20010-11 36वीं एजीएम	वर्ष 2011-2012 37वीं एजीएम	वर्ष 2012-2013 38वीं एजीएम
तिथि	26.5.2011	21.5.2012	22.5.2013
समय	10.30 पूर्वाह्न	10.30 पूर्वाह्न	10.30 पूर्वाह्न
स्थान	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031, झारखंड	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031, झारखंड	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031, झारखंड
विशेष प्रस्ताव	शून्य	शून्य	शून्य

1.5.7 (2) स्वतंत्र निदेशकों की बैठक :

कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार 9.5.2013 को राँची में स्वतन्त्र निदेशकों की बैठक आयोजित की गई।

1.5.8 प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) :

- कंपनी ने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों अथवा वरीय प्रबंधन कार्मिकों या उनके संबंधियों के साथ किसी भी पार्टी मामलों (ट्रांजेक्शन) से संबंधित किसी भी विषय की दृष्टि से सार्थक (मेटेरियली सिग्नीफिकेंट) में प्रवेश नहीं किया है, जिससे कि बड़े पैमाने पर कंपनी की संभावित रूचि हो।

- **कंपनी द्वारा नियमों/कानून के अनुपालन का विस्तृत विवरण :**

  कंपनी के लिए लागू विभिन्न प्रकार के नियमों के अनुपालन की यह मानिटरिंग कर रही है

तथा वित्तीय 2013–14 के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों से संबंधित किसी भी विषय पर किसी भी आथरिटी द्वारा कंपनी पर आरोपित संरचना तथा वर्त्तमान में कंपनी द्वारा गैर–अनुपालन के लिए कोई भी विपरीत मामला नहीं है।

- **व्हिसिल ब्लोअर नीति के अनुसार अंकेक्षण समिति तक पहुँच**

  यह नीति प्रबंधक तथा अंकेक्षक समिति को गैर–नीतिपरक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध, धोखाघड़ी, अथवा कंपनी के कोड आफ कंडक्ट का उल्लंघन के उदाहरण की रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को अवसर उपलब्ध कराती है।

  व्हिसिल ब्लोअर नीति के अनुसार किसी भी कर्मी द्वारा अंकेक्षण समिति तक पहुंच को नकारा नहीं गया है। विवेच्य वर्ष के दौरान व्हिसिल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

- **कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशा-निर्देशों का अनुपालन :**

  निदेशक मंडल, अंकेक्षण समिति, प्रकटीकरण, कोड आफ कंडक्ट इत्यादि के संबंध में इन दिशा–निर्देशों का पालन किया जाता है, तथापि पारिश्रमिक समिति, अनुषंगी कंपनियों, प्रशिक्षण नीति इत्यादि जैसे दिशा–निर्देशों का अनुपालन के लिए इस पर विचार नहीं किया जाता है क्योंकि कोल इंडिया लि. की अनुषंगी कंपनी होने के कारण यह सीएमपीडीआइएल के लिए लागू नहीं है। कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में पूर्णकालिक कंपनी के अंकेक्षक से एक प्रमाण–पत्र इसके साथ संलग्न है।

- **इन्टीग्रिटी पैक्ट :**

  कंपनी के पास अपने व्यापार ट्रान्जेक्शन, संविदा प्राप्ति प्रक्रिया में प्रबंधन में पारदर्शिता संवृद्धि पर जोर देते हुए इंटिग्रिटि पैक्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ समझौता संलेख (एमओयू) किया हुआ है। इस समझौता संलेख (एमओयू) के अंतर्गत कंपनी अपने सभी प्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) तथा वर्क कांट्रेक्ट कार्यों में इंटिग्रीटि पैक्ट कार्यान्वित करने हेतु वचनबद्ध हैं। दो स्वतंत्र बाह्य मोनिटर्स केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से ही आईआई द्वारा नामजद व्यक्ति इसकी गतिविधियों का मॉनीटर करते हैं। इन्टीग्रेटी पैक्ट ने ट्रस्ट स्थापित कर स्थापना प्रणाली एवं प्रक्रिया को सशक्त किया है तथा जिसे सीवीसी का पूरा सर्पोट है।

- **सीईओ/सीएओ प्रमाणीकरण :**

  कंपनी के अध्यक्ष तथा वित्त प्रमुख द्वारा कंपनी के बोर्ड आफ डाइरेक्टर को सीईओ/ सीएफओ प्रमाणीकरण प्रदान कर दिया है जिसमें डाईरेक्टरों की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में लगाया गया है।

- **निदेशकों तथा वरीय अधिकारियों के लिए आचार संहिता (कोड आफ कंडक्ट) :**

  कंपनी के निदेशकों तथा वरीय अधिकारियेां के लिए आचरण संहिता बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है, जिसे सभी संबंधित व्यक्तियों के मध्य परिचालित कर दिया गया है, तथा कंपनी के वेबसाइट www.cmpdi.co.in में भी डाल दिया गया है। 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक तथा वरीय प्रबंधन कार्मिक ने कंपनी के आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन का समर्थन किया है।

- **किए गए खर्च का व्यौरा :**

  बुक आफ एकाउन्ट में व्यय के किसी वैसे मद को डेबिट नहीं किया गया है जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं है तथा किसी भी वैसे

व्यय को डेबिट नहीं किया गया है जो निजी प्रकृति के हैं तथा निदेशक–मंडल (बोर्ड आफ डायरेक्टर) तथा शीर्ष प्रबंधन पर खर्च किया गया है।

- **राष्ट्रपति का निर्देश :**

  वित्तीय वर्ष 13–14 के दौरान सीएमपीडीआईएल के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई प्रेसिडेंसियल निर्देश जारी नहीं किया गया है।

- **वार्षिक रिटर्न :**

  वार्षिक रिटर्न नियमित रूप से आरओसी के साथ फाईल जाती है।

1.5.9 संचार के साधान :

कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट आम बैठक तथा डिसक्लोजर अपने वेबसाइट कार्यालयी पत्रिका ''संपदा'' माइनटेक, प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों तथा स्थानीय दैनिक के माध्यम से अपने शेयर होल्डरों के साथ संप्रेषण करती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त वार्षिक रिपोर्ट एवं कंपनी का तिमाही परिणाम तथा महत्वपूर्ण घटनाओं को कंपनी की वेबसाइट यानि www.cmpdi.co.in पर उपलब्ध कर दिया गया। कंपनी से संबंधित अद्यतन जानकारी तथा घोषणाएँ कंपनी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। कंपनी की उपलब्धियों से आम लोगों को अवगत कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जा रही है।

1.5.10 अंकेक्षण योग्यता :

कंपनी का प्रयास हमेशा से अनक्वालिफायड वित्तीय विवरण पेश करने का रहा है।

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लेखे पर सांविधिक अंकेक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब निदेशक मंडल की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में दी गई है।

1.5.11 बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण :

कंपनी के व्यवसाय से संबंधित सभी मामले इसके संबंधित जोखिम तथा कंपनी की भावी रणनीति आदि के सार (संक्षिप्त विवरण) से निदेशक मंडल को पूर्णतः अवगत करा दिया जाता है। सभी कार्यकारी निदेशक संबंधित क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता तथा अनुभव के आधार पर संबंधित कार्य क्षेत्र के प्रमुख होते हैं। वे कंपनी के बिजनेस माडल तथा जोखिमों से अवगत होते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को निगमित शासन के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया जाता है। कंपनी में नव–नियुक्त निदेशकों को कंपनी के कंस्टीच्यूशन, विजन एवं मिशन स्टेटमेंट, मुख्य क्रिया–कलाप, बोर्ड की प्रक्रिया/पद्धति, रणनीतिक दिशा–निर्देश आदि से विस्तृत प्रेजेन्टेशन, वचार–विमर्श हुई आदि के माध्यम से पूर्णतः अवगत कराया जाता है।

1.5.12 व्हिसिल ब्लोअर नीति :

कंपनी के कर्मचारियों के नैतिक आचरण को सशक्त करने तथा विभिन्न स्टेक होल्डरों के हितो को प्रोत्साहित करने के लिए सीएमपीडीआई 2011–12 में व्हिसिल ब्लोअर नीति लागू की गई तथा दिनांक 8. 11.2011 को आयोजित 163वीं बैठक में बोर्ड को इससे अवगत करा दिया गया।

यह नीति वास्तविक या संदिग्ध अनैतिक आचरण, कंपनी की आचार संहिता के साथ धोखाघड़ी या इसका उल्लंघन के मामले को प्रबंधन के पास रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को अवसर प्रदान करता है। सूचीबद्ध कंपनी तथा स्टाक एक्सचेंज के बीच लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 49 में संशोधन किया गया है तथा यह 4 नवम्बर, 2011 से लागू हो गया है। खंड 49 में अन्य बातों के साथ–साथ ''व्हिसिल ब्लोअर नीति'' नामक मेकानिज्म स्थापित करने के लिए सभी सूचीबद्ध कंपनियों को नन मेंडेटरी अपेक्षा (रिक्वायरमेंट) प्रदान करता है। यह प्रतिशोध या उत्पीड़न से कर्मचारियों को बचाने में

अवश्य सुरक्षा प्रदान करता है। तथापि, इस नीति के इसके अंतर्गत व्हिसिल ब्लोअर द्वारा किए गए खराब कार्य निष्पादन या कदाचार जो व्हिसिल ब्लोअर द्वारा किए गए स्पष्टीकण से अलग हो, के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई को इसके तहत संरक्षण नहीं दिया जाएगा।

1.5.13 जोखिम प्रबंधन योजना :

रणनीतिक व्यापार नीति के भाग के रूप में जोखिम पहचान की प्रक्रिया, संगठन के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में प्रशामक नियंत्रण एवं मूल्यांकन पर पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है। बाहरी एवं आंतरिक कारको के कारण अंतर्निहित जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है तथा जोखिम को कारगर तरीके से निपटने के लिए नीतियों एवं पद्धति/प्रणाली के जरिए आवश्यक प्रशामक उपाए किए गए हैं। दिनांकः 13.1.2012 को आयोजित 164वीं बैठक में बोर्ड द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया गया। जोखिम प्रबंधन योजना को सीएमपीडीआई के वेबसाइट के इन्ट्रानेट पर डाल दिया गया है।

1.5.14 आंतरिक प्रक्रिया संहिता तथा इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचरण :

नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने अप्रकाशित मूल्य संवेदी जानकारी के आधार पर किसी इनसाइडर द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के शेयरों की खरीद और/या बिक्री को रोकने के उद्देश्य से इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने तथा कोल इंडिया लिमिटेड की प्रतिभूति से डील करने के लिए आंतरिक प्रक्रिया संहिता तथा आचरण अपनाया है। यह संहिता (केस) सीएमपीडीआई द्वारा भी अपनाई गई है। इस संहिता के तहत वेसे इनसाइडरों को डिजिग्नेटेड कर्मचारी का नाम दिया जाएगा, जो ट्रेडिंग बिन्डों के बंद होने के दौरान सीआईएल के शेयरों से डील करेगा। विहित सीमा से अधिक प्रतिभूति में डील करने के लिए अनुपालन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। जैसा कि संहिता में परिभाषित है, सभी डिजिग्नेट कर्मचारी को नियमित रूप से संबंधित जानकारी प्रकट करना आवश्यक है। इस कोड के लिए कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी नामित किया गया है। आंतरिक प्रक्रिया संहिता तथा इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए आचरण को भी सीएमपीडीआई के वेब साइट के इन्ट्रानेट पर डाल दिया गया है।

1.5.15 निदेशकों का दायित्व :

डीपीई गाइड लाइन्स में विहित आगामी वित्तीय वर्ष आरंभ होने के पहले सीएमपीडीआई के प्रबंधन तथा कोल इंडिया/कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के बीच समझौता संलेख (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौता के अंतर्गत यह कंपनी वर्ष के प्रारंभ में सेट किये गये टारगेट को हासिल करने के लिए वचनबद्ध है तथा इसमें निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले वर्ष के अंत में सीएमपीडीआई के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना निहित है। यह ''फाइव प्वाइंट स्केल'' तथा ''कैरेटेरिया वेट'' की पद्धति को अपनाकर कार्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप ''कम्पोजिट स्कोर'' की गणना की जाती है। ''कम्पोजिट स्कोर'', कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से डीपीई तथा प्रशासनिक मंत्रालय को अनुसमर्थन के लिए भेजा जाता है।

समझौता संलेख सिस्टम दक्षतापूर्वक काम करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि वित्तीय एवं गैर–वित्तीय दोनों प्रकार के (डायनेमिक, क्षेत्र विशिष्ट तथा उद्यम विशिष्ट पारामीटर) पारामीटरों की विविधता है। इस प्रक्रिया से दीर्घकालीन उद्देश्य तथा संपूर्ण विकास प्राप्त करने में अधिक मदद मिलती है। संपूर्ण प्रक्रिया से स्टेक होल्डरों के प्रति पारदर्शिता तथा उत्तदायित्व भी सुनिश्चित किया जाता है।

1.5.16 निगमित शासन के अनुपालन की त्रैमासिक रिपोटिंग पद्धति :

अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय का सीपीएसई द्वारा रिपोर्ट करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक त्रैमासिक रिपोर्टिंग पद्धति का विकास किया गया है। इसके अनुपालन में सीएमपीडीआई द्वारा

कोयला मंत्रालय को नियमित रूप से तथा समय पर तिमाही रिपोर्ट भेजी जाती रही है।

1.5.17 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (की मैनेजेरियल पर्सनल) :

कम्पनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित प्रबंधकीय कार्मिक हैं।

श्री अमल कुमार देबनाथ : सीईओ

श्री दिलीप कुमार घोष : पूर्णकालिक निदेशक

श्री राजेश कुमार चोपड़ा : पूर्णकालिक निदेशक

श्री शेखर सरन : पूर्णकालिक निदेशक

श्री वी.के. सिन्हा : पूर्णकालिक निदेशक

श्री पी. लाजर : कम्पनी सचिव

श्री ए.के. सोनी : महाप्रबंधक (वित्त)

1.6.0 सीएमपीडीआई में सीएसआर तथा सस्टेनेबुल डेवलपमेंट :

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) तथा सस्टेनेब्लिटी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण के अनुकूल ढंग से कार्य, जो पारदर्शी तथा नैतिक हो, करने के लिए अपने स्टेक होल्डरों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता है। सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी क्षमता निर्माण, सामुदायिक अधिकारिता, समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित एवं कम उर्जा खपत वाली प्रौद्योगिकी का उन्नयन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, तथा समाज के सीमांत तथा अर्द्ध–सुविधायुक्त तबको की उन्नति आदि पर विशेष जोर देता है।

सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी खनन उद्योग के लिए न सिर्फ जोखिम लाता है बल्कि यह अवसर का समूह भी सृजित करता है। सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी कंपनी को परिचालन, सस्टेनेबुल डेवलोपमेंट में सार्थक योगदान सुनिश्चित करता है। सीएमपीडीआइ दैनिक कार्य व्यापार में सामाजिक तथा पर्यावरणिक चिन्ताओं को शामिल कर सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी के प्रति सामाजिक दायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दुहराता है। नीतियों एवं कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सीएमपीडीआई में ''टूटीयर डिसिजन मेकिंग कमिटि'' का गठन किया गया है।

अपनी व्यापार की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखकर, सीएमपीडीआई ने वर्ष 2013–14 के दौरान आधारभूत संरचनात्मक सहायता, शिक्षा, कौशल/सामाजिक विकास/महिला सशक्तिकरण, वेस्ट पेपर रिसाइक्लिंग प्लान्ट की स्थापना, वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण, पारंपरिक लाइट को हटाकर एलईडी लाइट लगाकर उर्जा संरक्षण आदि जैसे क्षेत्रों में सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी क्रिया–कलाप प्रारंभ किया है।

भाग-ख

वार्षिक उपलब्धि का पर्यवलोकन :

1.0 भूवैज्ञानिक गवेषण एवं वेधन :

1.01 सीएमपीडीआई ने वर्ष 20113–14 में भी मुख्यतः कोल इंडिया तथा गैर कोल इंडिया/कैप्टिव ब्लॉकों में अपने कोयला गवेषण क्रिया–कलाप जारी रखा। सीआईएल के ब्लॉकों में गवेषण कार्य इसकी अनुषंगी कंपनियों की परियोजना आयोजन/ उत्पादन सहायता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया, जबकि गैर–सीआईएल/ कैप्टिव ब्लॉकों में गवेषण कार्य कैप्टिव खनन के लिए संभावित उद्यमियों को कोयला ब्लॉकों का आवंटन सुलभ करने के लिए किया गया।

1.02 सीएमपीडीआई ने xi वीं ग्यारहवीं तथा xii (बारहवीं) योजना अवधि के दौरान ड्रिलिंग क्षमता लगातार विकसित की है। सीएमपीडीआई ने विभागीय संसाधनों तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से वर्ष 2007–08 में 2.09 लाख मीटर ड्रिलिंग के मुकाबलें वर्ष 2011–12 में 4.98 लाख मीटर तथा वर्ष 2012–13 में 5.63 लाख तथा 13–14 में 6.97 लाख मीटर ड्रिलिंग (वृद्धि–24 प्रतिशत) का कार्य पूरा कर लिया है। विभागीय ड्रिलों के आधुनिकीकरण के जरिए क्षमता बढ़ाने हेतु 39 नए मैकेनिकल ड्रिल तथा 4 हाई–टेक हाइड्रोस्टेटिक ड्रिल प्राप्त किये गए जिनमें से 10 अतिरिक्त ड्रिल के रूप में और 33 पुराने ड्रिलों के लिए आपूर्ति आदेश जारी कर दिया गया है। सीएमपीडीआई में विगत 6 वर्षों में 38 मड पम्प तथा 74 ट्रकों को बदला है। बढ़े हुए कार्य भार को कम करने के लिए वर्ष 2008–09 में कैम्पस साक्षात्कार/खुली परीक्षा के माध्यम से 201 भूवैज्ञानिक 26 भूभौतिविद् तथा 20 यांत्रिकी अभियंता की नियुक्ति की गई थी। गैर–अधिकारी वर्ग के 343 कर्मचारियों को गवेषण कार्य में लगाया गया है। इनमें से 25 भूवैज्ञानिक, 2 भू–भौतिकी, 5 यांत्रिक अभियंता तथा 11 गैर–अधिकारी वर्ग के कर्मचारियों ने त्यागपत्र दे दिया।

1.03 वर्ष 2008–09 से आउटसोर्सिंग के द्वारा 40 ब्लाकों में 14.78 लाख मी. ड्रिलिंग का कार्य निविदा के माध्यम से दिया गया, जिसमें से 18 ब्लाकों में ड्रिलिंग की गईं। स्थानीय समस्याओं (कानून एवं व्यवस्था) के कारण दो ब्लाकों में काम शुरू नहीं किया जा सका तथा 6 चालू ब्लाकों में काम रोक दिया गया। वन क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण 7 ब्लाकों में काम रोक दिया गया। वन क्लियरेंस नहीं मिलने तथा कानून एवं व्यवस्था की विपरीत स्थिति के कारण वर्ष 2013–14 में आउटसोर्सिंग ब्लाकों में लगभग 2.14 लाख मीटर ड्रिलिंग नहीं किया जा सका। वर्ष 13–14 में आउटसोर्सिंग के जरिए कुल 3.71 लाख मीटर ड्रिलिंग (30 प्रतिशत वृद्धि) किया गया। जिसमें से निविदा के द्वारा 1.95 लाख मीटर ड्रिलिंग तथा एमईसीएल के साथ एमओयू के जरिए 1.71 लाख मीटर ड्रिलिंग किया गया।

1.04 ड्रिलिंग में बढ़ोत्तरी के कारण कोयला कोर विश्लेषण की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए सीएमपीडीआई तथा सीआईएमएफआर प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने का काम शुरू कर दिया गया है। सीएमपीडीआई तथा सीएसआईआर के बीच (कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से) क्षमता में वृद्धि के लिए हस्ताक्षर किया गया है। कार्य प्रगति की ओर है।

1.1 वर्ष 2013-14 में ड्रिलिंग निष्पादन/उपलब्धि :

1.1.1 सीएमपीडीआई ने सीआईएल/गैर–सीआईएल प्रोमोशनल ब्लाक में गवेषण के लिए विभागीय ड्रिलों को लगाया, जबकि मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य सरकारों ने केवल सीआईएल ब्लॉकों में संसाधन लगाए इसके अतिरिक्त आठ (8) अन्य संविदात्मक एजेंसियों ने कोल इंडिया लिमिटेड/ गैर–सीआईएल ब्लाकों में विस्तृत ड्रिलिंग/गवेषण के लिए संसाधन को लगाया। वर्ष 2013–14 में कुल 120 से 140 ड्रिल लगाए गए हैं,जिनमें 57 विभागीय ड्रिल है। इसके अतिरिक्त सीएमपीडीआई कोयला क्षेत्र (सीआईएल एवं एससीसीएल) के 9 ब्लाकों में एमईसीएल द्वारा लिए गए प्रोमोशनल

गवेषण के कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण करना जारी रखा तथा जीएसआई में 11 ब्लाकों के लिए कोयला क्षेत्र में किये गए प्रोमोशनल गवेषण कार्यों को (सीआईएल क्षेत्र) एमओसी की ओर से सीएमपीडीआई ने अनुवीक्षण किया।

1.1.2 वर्ष 2013–14 में सीएमपीडीआई तथा इसके संविदात्मक एजेंसियों ने 5 राज्यों में स्थित 22 कोयला क्षेत्र के 100 ब्लाकों/खानों में गवेषणात्मक ड्रिलिंग शुरू किया। ये कोयला क्षेत्र है :

रानीगंज (6 ब्लाक/खान), बजोरा (1), ब्राह्मनी (1), राजमहल (3), झरिया (3 ब्लाक/खान), वेस्ट बोकारो (2), ईस्टबोकारो (1), रामगढ़ (2), साउथ कर्णपुरा (5), नार्थ कर्णपुरा (7), काम्पटी (8), नन्द बंदेर (2), वरदा वैली (5), सोहागपुर (11), मांद रायगढ़ (11), कोरबा (6), विश्रामपुर (2), सोनहाट (1), टाटापानी–रामकोला (4), सिंगरौली (4), तालचर (10), तथा ईब वैली (6)। इन 100 ब्लाकों/खानें में से 26 गैर–सीआईएल/कैप्टिव ब्लाकों तथा 74 सीआईएल ब्लाक/खदान हैं। सीएमपीडीआई के विभागीय ड्रिलों द्वारा 53 ब्लाक/खदानों में गवेषणात्मक वेधन किया गया। जबकि संविदात्मक एजेंसियों द्वारा 47 ब्लाकों/खानों में वेधन का कार्य किया गया।

1.1.3 प्रोमोशनल (क्षेत्रीय) गवेषण कार्यक्रम के अंतर्गत एमईसीएल ने 11 कोयला क्षेत्र खनिखंडों (मांद रायगढ़ 3, वरदा वैली–1, बांदेर–1, सिंगरौली–1, विश्रामपुर–1 एवं गोदावरी वैली–4), जीएसआई ने 10 ब्लाकों (रानीगंज सीएफ–1, तालचर सीएफ–2 ईब वैली–3, सोहागपुर–3 तथा टाटापानी रामकोला–1) एवं डीजीएम (नागालैंड) ने 1 ब्लाक (नार्दर्न खार–1) में प्रोमोशनल ड्रिलिंग की है।

1.1.4 वर्ष 2013-14 में गवेषणात्मक ड्रिलिंग की विस्तृत उपलब्धि नीचे दी गई है :

एजेंसी	वर्ष 2013-14 का लक्ष्य (मीटर)	वर्ष 2013-14 में गवेषणात्मक ड्रिलिंग की उपलब्धि			गत वर्ष 2012-13 में प्राप्त उपलब्धि (मीटर)	वृद्धि :
		उपलब्धि(मीटर)	उपलब्धि (प्रतिशत)	+/- (मीटर)		
क) सीएमपीडीआई द्वारा किया गया विस्तृत वेधन कार्य (प्रोमोशनल ड्रिलिंग)						
(1)विभागीय	285000	325362	114%	40362	276199	18%
(2) आउटसोर्सिंग						
राज्य सरकार	9000	5943	66%	-3057	7398	-20%
एमईसीएल(एमओयू)	185000	171006	92%	-13994	138761	23%
निविदा (सीआईएल ब्लॉक)	242000	156359	65%	-85641	90779	72%
निविदा (गैर–सीआईएल ब्लाक)	179000	38171	21%	-140829	49772	-23%
कुल आउटसोर्सिंग	**615000**	**371479**	**60%**	**-243521**	**286709**	**30%**
सकल योग (क)	**900000**	**696841***	**77%**	**203159**	**562908**	**24%**
ख) कोयला सेक्टर में एमईसीएल, जीएसआई तथा डीजीएम (नागालैंड) द्वारा किया गया प्रोमोशनल ड्रिलिंग कार्य। 1. कोयला क्षेत्र						
जीएसआई	14500	15589	108%	1089	14702	6%
एमईसीएल	69500	46753	67%	-22747	30594	53%
डीजीएम, नागालैंड	700	783	112%	83	328	139%
डीजीएम, असाम	300	123	41%	-177	0	123%
सीएमपीडीआई	4000	0	0%	-4000	0	-
कुल कोयला	89000	63248	71%	-25752	45624	39%
2 लिग्नाईट क्षेत्र						
जीएसआई	12500	7380	59%	-5120	8378	–12%
एमईसीएल	515000	61394	119%	9894	59349	3%
कुल लिग्नाईट	64000	68774	107%	4774	67728	2%
सकल योग ख	153000	132022	86%	-20978	113352	16%

*वर्ष 2013–14 में सीआईएल ब्लॉकों में 4.59 मीटर तथा गैर–सीआईएल ब्लॉकों में 2.38 लाख मीटर ड्रिलिंग किया गया।

वर्ष 2013–14 में सीएमपीडीआई ने अपने विभागीय तथा संपूर्ण ड्रिलिंग लक्ष्य क्रमशः 114 प्रतिशत तथा 77 प्रतिशत हासिल की है। विभागीय ड्रिलिंग की उपलब्धि गत वर्ष की उपलब्धि से 18 प्रतिशत बेहतर रही तथा परिचालन ड्रिल उत्पादकता 487 मी./ड्रिल/माह दर्ज की गई। जंगल वाले क्षेत्रों में गवेषण की अनुमति नहीं मिलने के कारण आउटसोर्सिंग ड्रिलिंग की उपलब्धि प्रभावित हुई। जंगल संबंधी समस्या के कारण एमईसीएल कोयला क्षेत्र में प्रोमोशनल ड्रिलिंग का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका तथा सीएमपीडीआई ने विस्तृत ड्रिलिंग में प्राथमिकता के कारण प्रोमोशनल ड्रिलिंग को नहीं प्राप्त कर सका।

1.1.5 गैर-सीआईएल / कैप्टिव खनिखंडों में वेधन (ड्रिलिंग) :

बारहवी पंचवर्षीय योजना को लागू करने के लिए संरक्षण हेतु कोयला एवं लिग्नाईट के वर्किंग ग्रूप द्वारा 976.69 करोड़ रूपये की आवश्यक निधि (विभागीय स्रोतों एवं आउटसोर्सिंग दोनों) के जरिए कोयला में 20.13 लाख मीटर (एनईआर सहित) की व्यौरेवार ड्रिलिंग (वेधन) करने की योजना बनाई गई है। वर्ष 2013–14 में गैर सीआईएल ब्लाकों में कुल 3.62 लाख मीटर ड्रिलिंग (विभागीय 0.76 लाख मीटर एवं आउटसोर्सिंग द्वारा 2.86 लाख मीटर) करने का लक्ष्य बनाया गया है। इस लक्ष्य को तुलना में कुल 2.38 लाख मी. में से सीएमपीडीआई की विभागीय ड्रिलों द्वारा 0.94 लाख मी. ब्लॉकों में 1.44 लाख मीटर की गवेषणात्मक ड्रिलिंग किया गया, जबकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से 17 ब्लाकों में 1,50,249 मीटर की ड्रिलिंग उपलब्धि प्राप्त की गई।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त गवेषण कार्य के अलावे सीएमपीडीआई ने आबंटन के उद्देश्य से को विद्यमान कैप्टिव खनन ब्लॉकों की प्रारंभिक भू–वैज्ञानिकी सूचना उपलब्ध करवाई है। सीएमपीडीआई ने कैप्टिव खनिखंड के संभावित उद्यमियों को अपने अंतिम उपयोग के लिए उपयुक्त ब्लॉकों के चयन को सक्षम बनाने हेतु वर्तमान जीआर की प्रति उपलब्ध करवाई है। आवंटन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद गवेषण के कुल मूल्य के भुगतान पर आवंटियों को मू भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाएगी।

1.2 जल भू-विज्ञान :

1.2.1 सीजीडब्ल्यूए अनुमोदन तथा ईएमपी क्यिरेंस के लिए 'भूगर्भ जल समाशोधन आवेदन तैयार करने हेतु कई खनन परियोजनाओं/खानों का जल भू–वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। वर्ष 2013–14 के दौरान ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, एमसीएल, डब्ल्यूसीएल एवं एसईसीएल में 32 खनन परियोजना /खानों/कलस्टर आफ माइन्स के लिए भू–वैज्ञानिक अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

1.2.2 सीएमपीडीआई डब्ल्यूसीएल क्षेत्र में वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं (65 खान) का भू–जल प्रबंधन कर रहा है। ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, एसईसीएल, एनसीएल तथा एमसीएल की अन्य क्षेत्रों में जल स्तर प्रबोधन का कार्य प्रगति पर है।

1.2.3 विवेच्य वर्ष के दौरान पीआर तथा माइन क्लोजर, जीआर भाग के रूप में 13 डब्ल्यूसीएल, 8 एमसीएल एवं 9 एसईसीएल, 1 सीसीएल परियोजनाओं की भूमिगत जल स्थिति पर जल भू–वैज्ञानिक नोट पूरा कर लिया गया।

1.2.4 खदानों कॉलोनियों तथा गॉवों में जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल की 4 परियोजनाओं में जल भू–वैज्ञानिक अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

1.2.5 वाटर टेबुल एक्वीफर तथा कनफाइन्ड एक्वीफर दोनों के लिए एसईसीएल (4 रिपोर्ट) तथा सीसीएल (1 रिपोर्ट) की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजना हेतु पीजोमीटर का प्लानिंग एवं डिजाइन उपलब्ध करा दिया गया है।

1.2.6 जगन्नाथ खुली खान रिक्ति तथा साउथ बलांडा खुली खान रिक्ति में एनटीपीसी के राख के निपटान हेतु हाइड्रोजियोलॉजिकल अन्वेषण।

1.3 भू-वैज्ञानिकी रिपोर्टः

1.3.1 वर्ष 2013–14 में विगत वर्षों में किए गए विस्तृत गवेषण के आधार पर कुल 15 भू–वैज्ञानिकी रिपोर्ट तैयार की गई। इसके अतिरिक्त 8 संशोधित भू–वैज्ञानिक

रिपोर्टें तैयार की गई। तैयार भू–वैज्ञानिक रिपोर्टों में 2.5 बिलियन टन अतिरिक्त कोयला संसाधन प्रमाणित श्रेणी के हैं।

1.3.2 प्रोमोशनल गवेषण कार्यक्रम के अन्तर्गत जीएसआई तथा एम ई सी एल ने खासकर निर्विष्ट श्रेणी में विशेष मुटाई वाले 1.77 बिलियन टन कोयला भण्डार संसाधन आकलित कर कोल ब्लॉक पर 4 भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट सौंपी है।

1.4 भू-भौतिकी सर्वेक्षणः

1.4.1 भू-भौतिकीय लागिंगः

गवेषणात्मक ड्रिलिंग के लिए ड्रिल किये गए बोर होलों में मिले विभिन्न संस्तरों के स्वस्थानों (इनसीटू) जानकारी प्राप्त करने के लिए भू–भौतिक रूप से लौग किया गया। वर्ष 2013–14 के दौरान इस उद्देश्य के लिए सीआईएल तथा गैर–सीआईएल परियोजनाओं में मल्टी पारामेट्रिक भू–भौतिकी लागिंग उपकरण की सहायता से कुल 193004 गहराई मीटर भू–भौतिक लागिंगकी जा चुकी है। इसमें से 51916 गहराई मीटर लागिंग 5 विभागीय भू–भौतिकी लागिंग इकाई द्वारा की गई तथा 141087 मीटर लागिंग संविदात्मक एजेंसियों द्वारा की गई।

1.4.2 भू-तल, भू-भौतिकी सर्वेक्षणः

सीएमपीडीआई द्वारा कोयला सीमों के इनक्रॉप डाईफ की रूप–रेखा नियंत्रण तथा भूमिगत जल का अन्वेषण के लिए सीआईएल तथा गैर–सीआईएल ब्लॉकों में विद्युत प्रतिरोधक तथा चुम्बकीय सर्वेक्षण किया गया। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2013–14 में कुल 251 लाइन किलो मीटर प्रतिरोधक प्रोफाइलिंग, 130 अनुलम्ब विद्युतीय (वर्टिकल इलेक्ट्रीकल) विद्युतीय गुंजामान/ ध्वनि (बीईएस) तथा 3717 नं. स्टेशन चुम्बकीय सर्वेक्षण किया गया है। 48 चैनल सिग्नल इनहांसमेंटसिस्मोग्राफ की सहायता से फुलझड़ी ईस्ट एवं तालचर कोयला क्षेत्र (एमसीएल) के वेस्ट ब्लॉक तथा हरडी के साउदर्न भाग एवं प्रमोशनल क्षेत्र में कोरबा कोयला क्षेत्र (एसईसीएल) के रेंकी ब्लॉक के भाग में कुल 49 लाइन किलोमीटर हाई रिजोल्यूशन शैलो सिस्मिक सर्वेक्षण किया गया।

1.4.3 रिपोर्टः वर्ष 2013–14 के दौरान कुल 13 भू–भौतिकीय रिपोर्ट सुपुर्द की जा चुकी है। इसमें 5 रिपोर्टें भू–भौतिकीय पर, 1 रिपोर्ट प्रतिरोधकता सर्वेक्षण पर, 1 चुम्बकीय सर्वेक्षण पर तथा एच आर एस एस सर्वेक्षण पर 1 रिपोर्ट शामिल है।

1.5 भू-प्रणालीः

1.5.1 वर्ष 2013–14 के तथा बारहवीं योजना के दौरान लिए गए डिजाइन तथा डाटा बेस समाकलित करने के लिए सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त समेकित कोयला संसाधन सूचना प्रणाली (आईसीआर आईएस) जोनों के भूवैज्ञानिकी मॉडेलिंग 50 से अधिक इस प्रकार माडेल्स जोनों को विभिन्न डाटा सेंटरों द्वारा पूरा कर दिया गया। इनमें से 28 जोन मॉडलों को आईसीआर आईएस के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। एकैड, एसक्यूएल सर्वर सॉफ्टवेयर तथा फारटेन साफ्टवेयर के विंडो वर्सन को प्राप्त किया जा चुका है। पूर्व के हार्डवेयर को बदल कर 2013–14 में नए हार्डवेयर प्राप्त करने की कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है।

1.5.2 सिमजिओडो एण्ड सासलिइंटे (सीएमपीडीआईओडीओसी एण्ड एसएसएलआईएनटी):

भू–वैज्ञानिकी डाटा के विश्लेषण, विवेचन तथा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेशन के लिए वर्तमान में अपने द्वारा विकसित सीएमपीडीआईओडीओसी साफटवेयर का विण्डो आधारित संस्करण का विकास कर इसका परीक्षण किया जा रहा है।

1.6 वर्ष 2013-14 के लिए कोल बेड मिथेन/ कोल माइन मिथेनः

1.6.1 कोल इण्डिया एवं ओएनजीसी के कंसोर्टियम द्वारा झरिया एवं रानीगंज कोयला क्षेत्रों में सीबीएम प्रास्पेक्टस का सहयोगात्मक विकास। भारत सरकार के सीबीएम नीति के सन्दर्भ में कोल इण्डिया तथा ओएनजीसी के संघ को कोल बेड मिथेन के व्यावसायिक विकास के लिए झरिया तथा रानीगंज कोयला क्षेत्रों में से प्रत्येक एक–एक ब्लॉक आबंटित किया गया है। इस परियोजना को

कोल इण्डिया की ओर से सीएमपीडीआई द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

1.6.1.1 झरिया सी बी एम ब्लॉक:

झारखण्ड सरकार ने ब्लॉक के लिए अगस्त 2003 में कोल इण्डिया लिमिटेड–ओएनजीसी के कंसोर्टियम को पेट्रोलियम गवेषण का लाइसेंस प्रदान किया उसके बाद कार्य को जैसा कि न्यनतम कार्य प्रोग्राम में वर्णन है, के अनुसार शुरू किया गया।

सीएमपीडीआई ने डीप स्लिम होल वेधन (गहराई 1000 से 1400 मी.) किया है जहॉं सीबीएम संबंधित पारामीट्रिक डाटा का प्रतिपादन किया गया। सीएमपीडीआई द्वारा इस वेधन तथा अन्य उपलब्ध वेधन एवं गैस संबंधी ऑकड़ा पर रिपोर्ट तैयार कर ओएनजीसी को सौंप दी गई जिससे उसे गवेषणात्मक एवं पायलेट वेल ड्रिल करने में सहूलियत होगी। गवेषणात्मक और आयलट चरणों में ध्यान दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् कोल इण्डिया एवं ओएनजीसी के कंसोर्टियम ने सरकार के अनुमोदन के लिए 1137 करोड़ रूपये के बजटीय लागत वाले ब्लॉक के विकास की योजना सौंपा है। झरिया सीबीएम ब्लॉक विकास योजना पर स्टीयरिंग कमिटि की बैठक में विचार–विमर्श किया गया तथा पत्रांक डीजीएच/सीबीएम/एमओपीएनएण्डजी/ओएनजीसी/2013 दिनांक 2 जुलाई, 2013 को सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया। कोल इण्डिया ने कोल इण्डिया बार्ड के निर्णय के आलोक में इस ब्लॉक के लिए आगे के विकास चरण हेतु वर्तमान के 10% से 26% तक अपने पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट में वृद्धि के अपने आशय से अवगत करा दिया है। कोल इण्डिया बोर्ड की बैठक में संचालनात्मक मुद्दे तथा भावी योजना से सम्बन्धित मामले पर विचार–विमर्श किया गया जिसमें यह पाया गया कि सूचना के आदान–प्रदान में ओएनजीसी के तरफ से पारदर्शिता में कमी है तथा बोर्ड ने कोल इण्डिया को संयुक्त आपरेशन से हटने का निर्देश दिया।

1.6.1.2 रानीगंज सीबीएम ब्लॉक:

पश्चिम बंगाल सरकार ने अप्रैल 2004 में रानीगंज सीबीएम ब्लॉक के लिए पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस प्रदान किया है। इसके बाद जैसा कि मिनिमम वर्क प्रोग्राम में वर्णन है, के अनुसार कार्य शुरू किया गया। सीएमपीडीआई ने डीप स्लिमहोल ड्रिलिंग (800 से 1100 की गहराई के) कार्य किया है जिसमें सीबीएम से सम्बन्धित पारामीट्रिक ऑकड़ा जेनरेट (निर्माण) किया गया। इस ड्रिलिंग पर आधारित रिपोर्ट और अन्य उपलब्ध वेधन तथा गैस से सम्बन्धित ऑकड़े पर आधारित रिपोर्ट सीएमपीडीआई द्वारा तैयार कर सौंप दिया गया जिससे गवेषणात्मक वेधन और पायलट वेल के लिए ओएनजीसी का कार्य में सुगमता होगी।

तदनन्तर गवेषणात्मक और पायलट चरणों में विचार किए गए कार्य की समाप्ति पर कोल इण्डिया एवं ओएनजीसी के कंसोर्टियम ने सरकारी अनुमोदन के लिए 957 करोड़ रूपये के बजटीय लागत वाले ब्लॉकों हेतु विकास योजना सौंपी है। विकास योजना पर स्टीयरिंग कमिटि की बैठक में विचार–विमर्श किया गया था। दिनांक 2 जुलाई 2013 के पत्र संख्या डीजीएच/सीबीएम/एमओपीएनएण्डजी/ओएनजीसी/2013 के द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया।

आगे कोल इण्डिया ने कोल इण्डिया बोर्ड के निर्णय के आलोक में डेवलपमेंट फेज से इस ब्लॉक में 26 प्रतिशत की पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट में वृद्धि के अपने आशय से ओएनजीसी को अवगत करा दिया है। कोल इण्डिया बोर्ड की बैठक में आपरेशनलाइजेशन से सम्बन्धित मुद्दों तथा भावी कार्य योजना के मामले पर विचार–विमर्श किया गया। इसमें यह बात उभर कर आई कि ओएनजीसी की ओर से सूचना के आदान–प्रदान में भारी कमी है। इसलिए बोर्ड ने संयुक्त आपरेशन से कोल इण्डिया को हटने का निर्देश दिया।

1.6.2 12वीं योजना के दौरान उन्नयक (प्रोमोशनल) गवेषण के तहत सीबीएम तथा शैल गैस से सम्बन्धित अध्ययन:

1.6.2.1 सीबीएम से सम्बन्धित अध्ययन:

सीएमपीडीआई पीआरई के कोष के तहत उन्नायक गवेषण (12वी योजना अवधि) के तहत ड्रिल किए

जा रहे बोर होलों के जरिए भारतीय कोयला क्षेत्र/लिग्नाइट क्षेत्र में कोल बेड मिथेन गैस इन प्लेस संसाधन का मूल्यांकन कर रहा है। इस अध्ययन से देश के सीबीएम संसाधन के आधार बढ़ेगी तथा सीबीएम के विकास के लिए और अधिक खनिखंडों (ब्लॉकों) की रूप–रेखा तैयार करने में सुविधा प्रदान करेगा। 12वीं योजना अवधि के दौरान 13.46 करोड़ रूपये के कुल योजना व्यय के साथ कुल 60 बोरहोल (सीएमपीडीआई द्वारा 40 तथा जीएसआई द्वारा 20) पर अध्ययन शुरू किया जाना है।

विवेच्य वर्ष के दौरान 2013–14 में विभिन्न कोयला/लिग्नाइट क्षेत्रों में स्थित 8 बोर होलों का अध्ययन/परीक्षण किया जा चुका है। विवेच्य वर्ष के दौरान सीबीएम से सम्बद्ध अध्ययन पर आधारित निम्नलिखित तीन रिपोर्टें पेश की गई हैः–

क) शक्तिगढ़ ब्लॉक में सीबीएम गैस–इन–प्लेस रिसोर्स का मूल्यांकन, पाथरखेरा कोयला क्षेत्र।

ख) नदियाकुडी ब्लॉक में सीबीएम गैस–इन–प्लेस रिसोर्स का मूल्यांकन, मन्नारगुडी लिग्नाइट फील्ड (टीएन)।

ग) बैनानी खनिखंड में सीबीएम गैस–इन–प्लेस रिसोर्स का मूल्यांकन, मांद रायगढ़ कोयला क्षेत्र।

अप्रैल 2007 से अब तक कुल चौदह रिपोर्टें सौंपी जा चुकी है।

1.6.2.2 शैल गैस से सम्बन्धित अध्ययनः

सीएमपीडीआई पीआरई के कोष के तहत उन्नयक गवेषण (12वी योजना अवधि) के तहत ड्रिल किए जा रहे बोर होलों के जरिए भारतीय कोयला क्षेत्र/लिग्नाइट क्षेत्र के शैल गैस इन प्लेस का मूल्यांकन से सम्बन्धित अध्ययन कर रहा है। यह अध्ययन शैल गैस की सम्भावना के मूल्यांकन के लिए आंकड़ा का सृजन करेगा तथा शैल गैस के विकास के लिए अधिक खनिखंडों के डिलीनिएशन को आसान बनाएगा। कुल योजना व्यय 7.75 करोड़ रूपये के साथ (12वीं योजना अवधि के दौरान) कुल 25 बोर होल का अध्ययन किया जाना है। 13.46 करोड़ रूपये के कुल योजना व्यय के साथ कुल 60 बोरहोल (सीएमपीडीआई द्वारा 40 तथा जीएसआई द्वारा 20) पर अध्ययन शुरू किया जाना है।

1.6.3 कोल माइन मिथेन (सीएमएम) का व्यावसायिक विकास :

सीएमएम का व्यावसायिक विकास सरकार और कोयला उद्योग स्तर दोनों के लिए प्राथमिक वाला क्षेत्र है। बीसीसीएल के मूनीडीह खान में प्रदर्शन परियोजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन ने प्रक्रिया की दक्षता को पहले से ही प्रमाणित किया है। कोल इण्डिया के खनन वाले लीज होल्ड एरिया के भीतर पांच उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान कर ली गई। मंत्रालय ने भारत में सीएमएम के विकास के लिए सीएमपीडीआई को नोडल एजेंसी बनाया है।

व्यावसायिक विकास के लिए तथाकथित बैकग्राउण्ड एक्शन के तहत कार्य प्रारम्भ किया गया तथा कोल इण्डिया की ओर से सीएमपीडीआई ने अप्रैल 2011 में 5 चिन्हित ब्लॉकों (बीसीसीएल में 3, सीसीएल में 2) में सीएमएम के व्यावसायिक विकास के लिए उपयुक्त डेवलपर के चयन हेतु वैश्विक निविदा जारी की। हालॉकि कुछ मुद्दों पर एमओपी एवं एनजी के पर्यवेक्षण के आलोक में निविदा स्थगित कर दी गई और तदनन्तर रद्द कर दी गई। मामले को सलाहकार, कोयला मंत्रालय और सचिव, एमओपी एवं एनजी के बीच 17 अगस्त, 2012 के हुई बैठक में सुलझा लिया गया और सीएमएम के विकास के आपरेशनलाइजेशन (संचालन) से सम्बन्धित औपचारिक सरकारी अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

कोल इण्डिया को कोयला खनन क्षेत्रों से सीसीईए ने सीएमएम के गवेषण तथा दोहन के लिए अनुमति देने सम्बंधी दिसम्बर 2013 में अपने अनुमोदन की जानकारी दी है। इस सम्बन्ध में औपचारिक सूचना की प्रतीक्षा है, तत्पश्चात् सीएमएम के विकास तथा दोहन के लिए सीएमपीडीआई/कोल इण्डिया द्वारा आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

1.6.4 भारत में सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंग हाउस की स्थापनाः

17 नवम्बर 2008 को कोयला मंत्रालय तथा यूएसईपीए के तत्वावधान में सीएमपीडीआई, रॉची में सीएमएम/

सीबीएम क्लियरिंग हाउस की स्थापना की गई। यह क्लियरिंग हाउस देश से सम्बद्ध जानकारी को संग्रह करने और आदान–प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है और सार्वजनिक/निजी भागीदारी प्रौद्योगिकीय सहयोग और वित्तीय निवेश का अवसर लाकर भारत में सीएमएम के व्यावसायिक विकास में मदद कर रहा है।

कोयला मंत्रालय तथा यूएसईपीए की ओर से कोल इण्डिया लिमिटेड के वित्तीय सलाहकार से इस क्लियरिंग हाउस की स्थापना की गई है। इण्डिया क्लियरिंग का एक वेबसाइट http.\www.cmm clearinghouse cmpdi.co.in जिसपर सीएमएम, बीएएम आदि के विकास के लिए वर्तमान अवसर से सम्बन्धित सूचना (जानकारी) के अतिरिक्त सभी महत्वपूर्ण सूचना (जानकारी) जैसे ईओआई अधिसूचनाएं, न्यूज लेटर आदि डाला गया है।

भारत के सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंग हाउस के तत्वावधान में भारत में गैर–परम्परागत उर्जा संसाधन पर अधारित कोयले के विकास पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 12 से 13 नवम्बर 2013 को सीएमपीडीआई, रॉची में किया गया। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विशिष्ट व्यक्ति, विशेषज्ञ, कोयला मंत्रालय के उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कोयला उद्योग के कैप्टन, सीबीएम आपरेटर, तकनीकी और अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधियों की अच्छी उपस्थिति रही।

1.6.5 कोल इण्डिया के कमांड वाले क्षेत्र में भूमिगत कोयला गैसीकरण का व्यावसायिक विकासः

सीएमपीडीआई ने सीसीएल के कैथा ब्लॉक तथा डब्ल्यूसीएल के थेसागोरा ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के व्यावसायिक विकास हेतु डेवलपर के चयन के लिए ई–टेण्डरिंग पॉर्टल http://coalindiatenders.gov.in पर 20 जनवरी 2014 को ऑनलाइन बोली आमंत्रित किया हैं। 03 फरवरी 2014 को आयोजित प्री–बिड बैठक में 5 फर्मों ने भाग लिया। सुपुर्दगी की नियत तिथि को 10 मार्च 2014 से 17 अप्रैल 2014 तक बढ़ा दी गई है।

1.6.6 बाह्य परामर्श कार्य (डीजीएच कार्य):

1.6.6.1 सीबीएम 5वीं राउण्ड के लिए डाटा डोजियर्स की तैयारीः

डीजीएच ने मई 2011 में सीबीएम राउण्ड 5वीं के लिए कम्बे बेसिन, सिंगरौली तथा जोहिला कोयला क्षेत्र में सम्भावित सीबीएम ब्लॉक की रूप–रेखा निर्धारण तथा डाटा डोजियर्स तैयार करने के लिए सीएमपीडीआई को परामर्शी कार्य दिया है। चिन्हित 8 ब्लॉकों पर अन्तिम डाटा डोजियर्स का मसौदा तैयार कर सौंप दिया गया।

1.6.6.2 गोन्दवाना बेसिन में सम्भावित छह शेल गैस ब्लॉकों की रूप-रेखा निर्धारण तथा डाटा डोजियर की तैयारीः

डीजीएच ने मई 2011 में गोन्दवाना बेसिन में सम्भावित 6 शेल गैस ब्लॉकों की रूप–रेखा निर्धारण तथा डाटा डोजियर तैयार करने के लिए सीएमपीडीआई को परामर्शी कार्य सौंपा है। रानीगंज, झरिया, बोकारो, साउथ कर्णपुरा, नॉर्थ कर्णपुरा तथा सोहागपुर बेसिन पर अन्तिम डाटा डोजियर का मसौदा सौंप दिया गया।

1.6.7 अनुसंधान एवं विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी परियोजनाएँ

1.6.7.1 कोल इण्डिया लिमिटेड के विशेष सन्दर्भ में गोन्दवाना बेसिन में शेल गैस की सम्भावना का मूल्यांकन पर सीआईएल अनुसंधान एवं विकास परियोजनाः

कोल इण्डिया लिमिटेड के विशेष सन्दर्भ में गोन्दवाना बेसिन में शेल गैस की सम्भावना का मूल्यांकन पर सीआईएल आर एण्ड डी परियोजना का कार्य जारी है। बीसीसीएल तथा सीसीएल के क्षेत्रों में शेल गैस की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए स्थलों की सीमांकन कर लिया गया है और गुणवता की स्थिति के विश्लेषण के लिए शेल नमूने एकत्रित किए जा चुके हैं तथा बीसीसीएल एवं सीसीएल के अधिकारवाले चिन्हित क्षेत्रों में शेल गैस की संभावना के मूल्यांकन के लिए पारामेट्रिक डाटा के सूईट बनाने कार्य पूरा किया जा चुका है। सीएमपीडीआई प्रयोगशाला में टोटल ऑरगेनिक कार्बन (टीओसी)

विश्लेषण करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है तथा राक ईवल एनालाइजर प्राप्त करने के कार्य को अन्तिम रूप दे दिया गया है। इसके लिए मेसर्स विन्की टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रॉस को आपूर्ति आदेश निर्गत कर दिया गया है। सब एजेन्सी एआरआई (यूएसए) ने निर्धारित (सीमोक्ति) क्षेत्रों में शेल गैस की संभावना का पता लगाने के लिए टाइप वेल तथा सीमुलेशन बनाने पर रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

1.6.7.2 गहराई में अवस्थित कोयला संसाधन से सीबीएम की प्राप्तिक्षमता सुनिश्चित करने के लिए कुछ भारतीय कोयले के श्रिंकेज स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक नामक सीआईएल आर एण्ड डी परियोजनाः

उपर्युक्त परियोजना पर कार्य जारी है। आई आई टी, खड़गपुर में उपकरण के डिजाइन एवं निर्माण का कार्य जारी है। एम ओ यू प्रतिबद्धता के अनुकूल सिम्पल सेल तथा एक्सपेरिमेंटल सेल के डिजाइन का कार्य पूर्ण निर्धारित समय 27 जनवरी 2014 को सौंप दिया गया। हाई प्रेसर फीटिंग की प्राप्ति तथा उपकरण के परीक्षण का कार्य आई आई टी, खड़गपुर में चल रहा है।

1.6.7.3 भारत के दामोदर बेसिन में शेल गैस की सम्भावना का मूल्यांकन पर रिपोर्टः

भारत के दामोदर बेसिन में शेल गैस की सम्भावना का मूल्यांकन से संबंधित एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना कोयला मंत्रालय के पत्र सं. 34012/3/2012–सीआरसी–1 दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 तथा 12 दिसम्बर 2012 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना के तहत 16.87 करोड़ रूपये के निवेश के साथ कार्यान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य समेकित भू–भौतिकी, भू–वैज्ञानिक, भू–रासायनिक तथा पेट्रो भौतिकी अन्वेषणों के जरिए दामोदर बेसिन के शेल गैस की सम्भावनाओं का मूल्यांकन करना है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य जारी है। आटोमेटिक प्रोसीमीटर–कम–परमीएमीटर नामक उपकरण प्राप्त किया जा रहा है।

1.6.7.4 भारतीय कोयला क्षेत्रों के लिए सीबीएम भण्डार के आकलन पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना कोयला एवं प्रौद्योगिकी परियोजना के ईओआई के तहत 2069.91 लाख रूपये की लागत से भारतीय कोयला क्षेत्रों के लिए सीबीएम भण्डार के आकलन से सम्बन्धित एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना कोयला मंत्रालय के पत्र सं. 34012/1/2014 –सीआरसी–1 दिनांक 25 फरवरी 2014 के द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। परियोजना 24 मार्च 2014 के प्रभाव से 3 वर्षों की अवधि का है। अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव के अनुसार कार्य शुरू किया जा चुका है।

1.6.7.5 ईयू द्वारा वित्त प्रदत्त अनुसंधान परियोजनाः

सीएमपीडीआई ''कोयला खान तथा गैर–खनन योग्य कोयला संस्तरों से ग्रीन हाउस गैस की प्राप्ति तथा उर्जा संरक्षण'' नामक बहुराष्ट्रीय/बहु सांगठनिक सहयोगात्मक परियोजना में भारत से आईआईटी खड़गपुर सहित एक सहयोगी संगठन है। यह परियोजना यूरोपियन यूनियन रिसर्च कमीशन के आंशिक फंडिंग योजना के तहत अनुमोदित किया जा चुका है। शेष राशि कोल इण्डिया अनुसंधान विकास योजना के तहत उपलब्ध कराई गई हैं। परियोजना का उद्देश्य कोल माइन मीथेन की प्राप्ति की मॉडलिंग तथा स्वच्छ उर्जा के रूप मे इसका उपयोग एवं अध्ययन है।

कार्य शुरू की जा चुकी है तथा एसाइन्ड सीएमपीडीआई वर्क पैकेज निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इम्पीरियल कॉलेज ऑफ माइनिंग को जनवरी 2013 में सौंप दिया गया। स्लोवेनिया में 10 से 14 जून, 2013 से निर्धारित कार्यशाला में परियोजना तथा प्रगति की संवीक्षा की प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन) को परियोजना समन्वयक को भेज दिया गया है। परियोजना समन्वयक ने टीम के साथ 13 नवम्बर, 2013 को सीएमपीडीआई में प्रगति की समीक्षा की तथा ऑकड़ा सृजन स्थलों को अन्तिम रूप देने एवं नमूनों को जेनरेट करने के लिए कार्य योजना बनाने हेतु 14 नवम्बर, 2013 को मूनीडीह खान का दौरा किया। आईआईटी खड़गपुर के साथ

एक समीक्षा बैठक दिनांक 24 जनवरी 2014 को सीएमपीडीआई में हुई। सीएमपीडीआई सहयोगी भागीदार होने के नाते सौंपे गए अपने कार्य में रत है एवं सीएमपीडीआई द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना हुई है।

2.0 परियोजना आयोजन एवं अभिकल्पनः

कोल इण्डिया के अनुषंगी कंपनियों द्वारा प्राथमिकता के अनुरूप 81 मी.ट.प्र.व. की अतिरिक्त कोयला उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए वर्ष 2013–14 के दौरान नए/विस्तारित/पुनर्गठित खानों हेतु परियोजना रिपोर्ट तैयार किए गए। नई परियोजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्टों/लागत प्राक्कलन के पुनरीक्षण का कार्य भी शुरू किया गया। प्रतिस्पर्द्धात्मक डाक बोली के जरिए ऑक्सन हेतु कोयला मंत्रालय द्वारा चिन्हित गवेषित वशवर्ती कोयला खनिखंडों के मूल्यांकन के लिए 12वीं योजना के परियोजना रिपोर्टों के चिन्हित परियोजनाओं के रिपोर्टों की तैयारी पर प्रमुखता से बल देकर तैयार किया गया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्य भी शुरू किए गए:

- कोयला क्षेत्रों का मास्टर प्लान
- कोयला वाशरियों के लिए डाक बोली दस्तावेज का कस्टममाइजेश्न तथा आरएफपी दस्तावेज एवं आरएफक्यू का मूल्यांकन एवं तैयारी
- बड़ी खुली खदान खानों के लिए परिचालन योजनाएं
- पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)
- खुली खदान तथा भूमिगत खदानों की खनन योजनाएं एवं माइन क्लोजर प्लान
- कोल इण्डिया की भूमिगत एवं खुली खदान खानों का खान क्षमता मूल्यांकन
- खुली खदान एवं भूमिगत खदानों के संचालन से सम्बन्धित विभिन्न तकनीकी अध्ययन
- कोल इण्डिया के खुली खदान खानों में एचईएमएम संचालन का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
- कोल इण्डिया की भूमिगत खानों के लिए वैश्विक डाक बोली दस्तावेजों की तैयारी
- वाशरियों के अपशिष्ट का प्रयोग कर ताप विद्युत संयंत्रों पर आधारित एफबीसी की स्थापना के लिए वैचारिक रिपोर्ट की तैयारी
- विस्तृत डिजाइन एवं ड्राईंग, एनआईटी, निविदा जॉच आदि।

वर्ष 2013–14 के दौरान पर्यावरण प्रबंधन तथा मॉनिटरिंग, सुदूर संवेदन, उर्जा अंकेक्षण (डीजल एवं इलेक्ट्रिकल), डीजल एवं इलेक्ट्रिकल खपत का बेंच मार्किंग एवं खुली खदान तथा भूमिगत खानों में डीजल तथा इलेक्ट्रिकल खपत के नार्म्स का निर्धारण, धंसान अध्ययन, संस्तर नियंत्रण, अनाशक परीक्षण, नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन और विस्फोटकों का उपयोग, भूमिगत खानों का संवातन/गैस सर्वेक्षण, खनन इलेक्ट्रॉनिकस, पेट्रोग्राफी तथा कोयला नमूनों का क्लीट अध्ययन, कोल कोर संसाधन एवं विश्लेषण, धोवनक्षमता परीक्षण, ओबीआर सर्वेक्षण, मैनराइडिंग प्रणाली, भू–क्षरण अध्ययन, स्लोप स्थायित्व अध्ययन, बहिश्राव/सीवरेज उपचार संयंत्र, खानों में बालू भराई के लिए बालू भराई की नामेंटिव लागत का मूल्यांकन आदि के लिए विशेषज्ञ परामर्शी सेवाएं भी मुहैया कराई गई।

वर्ष 2013–14 के दौरान कोल इण्डिया तथा इसकी सहायक कंपनियों के लिए कुल 248 रिपोर्टें तैयार की जा चुकी हैं।

तैयार की गई रिपोर्टों का विवरण इस प्रकार हैः–

रिपोर्ट	संख्या
भूवैज्ञानिक रिपोर्ट	15
परियोजना रिपोर्ट	26
अन्य अध्ययन	167*
प.प्र.यो. का मसौदा (26 फॉर्म– 1 सहित)	40
कुल	**248**

* बड़ी खुली खदान खानों का 6 परिचालन योजनाएं इसमें शामिल हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान तैयार किए गए रिपोर्ट की सूची

क्षेत्रीय संस्थान	रिपोर्टों के नाम
भूवैज्ञानिक रिपोर्ट	
क्षे.सं. I	1 बंसरा सियरसोल
क्षे.सं.-II	1 ब्लॉक–VII ओसीपी
क्षे.सं.-III	1 पुंडी
	2 गिद्दी 'सी'
क्षे.सं.-V	1 तुलसी ब्लॉक 'बी'
	2 बरौद बिजारी
	3 पोर्दा
क्षे.सं.-VI	1 बिजुल ब्लॉक
क्षे.सं.-VII	1 ब्रहमनबिल
	2 करादाबहल
मुख्य (कन्ट्रैक्चुएल)	1 लोहापटट्ी ईस्ट
	2 चिरा एनई बी (गैर–सीआईएल)
	3 मरकी बरका वेस्ट (फेज–1)
	4 स्यांग साउथ (गैर–सीआईएल)
	5 चिरा नॉर्थ (गैर–सीआईएल)
परियोजना रिपोर्ट	
क्षे.सं.-I	1 सिदुली भू.ग. (रिकास्ट)
	2 बकुलिया भू.ग.
क्षे.सं.-II	1 लोहापटट्ी भू.ग. माइन हेतु पीआर
क्षे.सं.-III	1 कारो विस्तारण ओसीपी
	2 अशोक वि. ओसीपी
	3 जीवनधारा ओसीपी
	4 आरा ओसीपी
	5 कल्याणी ओसी
	6 आसानगरहा ओसीपी
	7 स्वांग पिपराडीह ओसीपी
क्षे.सं.-IV	1 गौरी डीप ओसी का आरपीआर
	2 साओनेर–1 भू.ग. से ओसी
	3 कुम्भरखानी ओसी
	4 भानेगाँव विस्तारण ओसी
	5 एकोना संयुक्त ओसी
	6 दुर्गापुर डीप एक्टेंशन रिआर्गनाइजेशन ओसी
	7 मगरधोकरा 1 विस्तारण ओसी
क्षे.सं.-V	1 विजय सेन्ट्रल ओसी
	2 हल्दिवारी भू.ग. आरपीआर
	3 अमाडाड़ ओसी आरपीआर
	4 मदन नगर ओसी
क्षे.सं.-VI	1 जयन्त ओसीपी का ईपीआर
क्षे.सं.-VII	1 वसुन्धरा वेस्ट वि. ओसीपी
	2 कुल्दा वि. ओसीपी
मुख्यालय	1 समलेश्वरी वि.ओसीपी, एमसीएल
	2 जगन्नाथ वि. ओसीपी, एमसीएल
संचालन योजना	
क्षे.सं.-IV	1 उकनी ओसी
	2 पिंपलगाँव ओसी
क्षे.सं.-VI	1 जयंत ओसीपी
	2 दुधिचुंआ ओसीपी
	3 निगाही ओसीपी
क्षे.सं.-VII	1 लिंगराज ओसी वि.
अन्य रिपोर्टें	
क्षे.सं.-I	1 नॉर्थ सियरसोल बंसरा तथा दाबोर ओसी माइन में पाउडर फैक्टर के बेंचमार्क का निर्धारण।
	2 बंसरा ओसीपी में नियंत्रित विस्फोटन एवं प्रकम्पन अध्ययन।
	3 तोपसी ओसीपी में नियंत्रित विस्फोटन एवं प्रकम्पन अध्ययन।
	4 कुमारडिह 'बी' भू.ग. खदान में आउटसोर्सिंग विकल्प के साथ लागत का अद्यतन आकलन (यूसीई)।
	5 कोटटाडिह ओसीपी में नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन।
	6 चित्रा ओसीपी में नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन।
	7 बंसरा ओसी पैच की कन्सेप्चुअल रिपोर्ट।
	8 सोनपुर बाजारी ओसीपी में नियंत्रित विस्फोटन एवं प्रकम्पन अध्ययन
	9 सिदुली भू.ग. के पीआर के लिए जीआर।
	10 मदनपुर भू.ग. के पीआर के लिए जीआर।
	11 बकुलिया एवं बकुलिया वि. भू.ग. के पीआर के लिए जीआर।
	12 निरसा ओसी पैच पर वैचारिक रिपोर्ट
	13 झांझरा भू.ग. में निम्न उँचाईवाली कंटीन्यूअस माइनर के लिए परियोजना रिपोर्ट का यूसीई ।
	14 मोहनपुर ओसी पैच पर वैचारिक रिपोर्ट।
	15 इटापारा ओसी के पीआर का रिकास्ट
	16 चित्रा ओसी को पीआर के लिए जीआर।
	17 डाबोर फेज–3 पर वैचारिक रिपोर्ट।
	18 तिलाबोनी, निमचा तथा श्रीपुर ब्लॉक में हाईवॉल माइनिंग की पहचान के लिए योजना।
	19 चित्रा ओसीपी में नियंत्रित विस्फोटन एवं कंपनी अध्ययन

क्षेत्रीय संस्थान	रिपोर्टों के नाम
क्षे.सं.-II	1 सुदामडीह शॉफ्ट खान के वैश्विक निविदा दस्तावेज की तैयारी।
	2 एनटी/एसटी (वि.) ओसीपी के पीआर के लिए यूसीई।
	3 लोहापटट्टी भू.ग. खान (पूर्वी भाग) हेतु संशोधित जी.आर ।
	4 खरखरी धर्माबंद वि. (सेशोधित जीआर)
	5 चन्द्रपुरा ब्लॉक के खनन हेतु वैचारिक रिपोर्ट
	6 ब्लॉक दो ओसीपी में एमईएमएम की डिजल खपत की बेंच मार्किंक एवं डिजल अंकेक्षण
क्षे.सं.-III	1 एमडीओ प्रणाली के लिए चूरी–बेंटी और पिपरवार–मंगरदाहा भू.ग. हेतु यूसीई।
	2 एमडीओ प्रणाली के लिए डीआरडी ओसी हेतु यूसीइ।
	3 डकरा रेलवे साइडिंग में पर्यावरण नियंत्रण हेतु योजना।
	4 केदला भू.ग. के लिए पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट
	5 संघमित्रा ओसीपी के लिए यूसीई
	6 झिरकी एवं झिरकी वेस्ट ओसीपी का एनपीवी कलकुलेशन पर रिपोर्ट।
	7 तोकीसूद–2 ओसीपी का एनपीवी कलकुलेशन पर रिपोर्ट।
	8 तोकीसूद–2 ओसीपी एनवीपी कैलक्यूलेशन
	9 कथारा फेज 1 हेतु संशोधित जीआर
क्षे.सं.-IV	1 सीआरसी भू.ग. एवं डीआरसी भू.ग. का माइनिंग प्लान ।
	2 बल्लारपुर 3 एवं 4 भू.ग. हेतु बेंचमार्किंग सहित उर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट (विद्युतीय)।
	3 तावा–II भू.ग. हेतु बेंचमार्किंग सहित उर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट (विद्युतीय) ।
	4 कॉम्पटी ओसी के लिए बेंचमार्किंग सहित उर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट (डीजल)।
	5 तावा –II भू.ग. का यूसीई
	6 चिनचोली ओसी का यूसीई
	7 पउनी–III ओसी का यूसीई
	8 पउनी ओसी विस्तार की योजना
	9 तेलवासा ओसी विस्तार की योजना
	10 घोरावारी (16,17) विस्तार ओसी की योजना
	11 उकनी डीप ओसी तथा केलोरा नईगाँव डीप ओसी का यूसीई
	12 न्यू माजरी भू.ग. से ओसी एवं गौरी डीप ओसी का यूसीई
	13 यमूनिया भू.ग. का यूसीई
	14 धनकाशा भू.ग. पीआर अद्यतन का यूसीई तथा न्यू माजरी सेक्टर 1(ए) तथा 2(ए)
	15 साओनेर भू.ग. को ओसी में बदलने के लिए संभाव्यता रिपोर्ट।
	16 गौरी डीप ओसीपी में नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन।
	17 कोलार पिम्परी ओसीपी में नियंत्रित विस्फोटन
	18 मुगोली निरगुदा ओसी में ड्रैगलाइन लगाने के लिए योजना।
	19 मकरधोकरा 1 ओसी का संशोधित जीआर
	20 यकोना 1 एवं 2 ओसी का संशोधित जीआर
	21 दुर्गापुर एवं मोटघाट संयुक्त ओसी का संशोधित जीआर
	22 निलजयी विस्तारण (डीप) ओसी एवं भाटडीह वि. ओसी का यूसीई
	23 जुनाद ओसी हेतु बेंच मार्किंग के साथ उर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट (डीजल)
	24 मउरी भू.ग. हेतु बेंच मार्किंग के साथ उर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट (विद्युत)
	25 मोहन ओसी हेतु योजना
	26 भाने गाँव (वीणा) ओसी की संशोधित जीआर
क्षे.सं.-V	1 बिजारी ओसीपी का आरसीई
	2 कुसमुण्डा ओसी (4 मि.ट.प्रतिवर्ष) का यूसीई
	3 बतुरा ओसी (4 मि.ट.प्र.वर्ष) का यूसीई
	4 छाल ओसी (6 मि.ट.प्र.वर्ष) का यूसीई
	5 पिलमा ओसी (15 मि.ट.प्र.वर्ष) का यूसीई
	6 दुग्गा ओसीएम में रेलवे लाइन तथा बैरकों से 100 मी. से अधिक दूरी पर नियंत्रित डीपहोल विस्फोटन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन पर रिपोर्ट ।
	7 महान–2 ओसी (6मी.ट.प्र.वर्ष) का यूसीई
	8 अमृतधारा ओसी (2मी.ट.प्र.वर्ष) का यूसीई
	9 राजेन्द्र खान हेतु मैनराइडिंग योजना।
	10 महान–2 ओसीएम के कोयले में 160 एमएम विभागीय ड्रिल लगाने के लिए विस्फोटन तथा वैज्ञानिक अध्ययन।
	11 एनसीएल माईन में नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन।
	12 हमगाँव ओसी (1.02 मी.ट. प्र.व.) एवं चिरिमिरी ओसी (2.0 मी.ट.प्र.व.)
	13 रेहर भू.ग. माइन का धँसान पूर्वानुमान अध्ययन रिपोर्ट
	14 शिवानी भू.ग. आरपीआर का ओसी संभाव्यता अध्ययन

क्षेत्रीय संस्थान	रिपोर्टों के नाम
क्षे.सं.-VI	1 कृष्णशीला ओसीपी की खनन योजना।
	2 निगाही ओसीपी का डीजल अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग।
	3 खादिया ओसीपी का डीजल अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग।
	4 दुधिचुंआ ओसीपी का डीजल अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग।
क्षे.सं.-VII	1 बसुन्धरा ओसीपी में कुल्दा ओसीपी से कोयला परिवहन हेतु योजना।
	2 भूवनेश्वरी ओसीपी की खनन योजना (25 मि.ट.प्र.वर्ष)
	3 भरतपुर ओसीपी में 170टी डम्पर सहित 20 क्यूबिक मीटर रोप शॉवेल के स्थान पर 100 टी डम्पर सहित 10 क्यूबिक मीटर विद्युतिय शॉवेल के लगाने की आर्थिक लागत पर रिपोर्ट।
	4 बलराम साईडिंग में सिलो लोडिंग व्यवस्था सहित प्रस्तावित हिंगुला वाशरी में हिंगुला ओसीपी से कोयला परिवहन की योजना।
	5 सियारमल ओसीपी (40 मि.ट.प्र.वर्ष) की खनन योजना।
	6 नीलाचल–कनिहा की पीआर के हेतु जीआर
	7 तालचर वेस्ट भू.ग. का यूसीई
	8 सियारमल ओसीपी का यूसीई
	9 वसुंधरा (वेस्ट) एक्टेंशनका माइनिंग प्लान
	10 भरतपुर ओसीपी का पुनर्गठन
	11 कच्चे कोयले को जगन्नाथ वाशरी तक ढुलाई के लिए तथा साइडिंग 3 एवं 4 में निर्माण की योजना
मुख्यालय	1 एसईसीएल के 10 खदानों में मैनराइडिंग सिस्टम लगाने के लिए योजना ।
	2 डब्ल्यूसीएल के गाँधीग्राम भू.ग. माइन का धँसान पूर्वानुमान रिपोर्ट (प्रकम्पन प्रिडिक्शन)।
	3 स्वांग सैण्ड विनींग परियोजना ,सीसीएल के संदर्भ में पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट
	4 टांडसी माइन , डब्ल्यूसीएल के पैनेल एच के निष्कर्षण की विधि पर रिपोर्ट।
	5 बी.एच.संख्या–एमकेपी–23, कपुरिया ब्लॉक तथा एमएलई–16 लोहापटट्री ईस्ट ब्लॉक बीसीसीएल में भौतिक–यांत्रिक गुणों पर रिपोर्ट
	6 तालचर, एमसीएल में जल उपचार संयंत्र की योजना।
	7 ईसीएल के क्लस्टर–XII माइन का भूमि उपयोग/आच्छादन मानचित्रण।
	8 डब्ल्यूसीएल के गांधीग्राम का भूमि उपयोग/आच्छादन मानचित्रण।
	9 एसईसीएल के अमाटांड, सरायपाली एवं कुसमुण्डा ओसीपी का भूमि उपयोग/आच्छादन मानचित्रण।
	10 सीसीएल के अरगा ओसीपी का भूमि उपयोग/आच्छादन मानचित्रण।
	11 थर्मल इन्फ्रा रेड (टीआईआर) आस्टर सेटेलाइट डाटा पर आधारित झरिया कोयला क्षेत्र का अग्नि–मानचित्रण।
	12 तारमी ओसीपी, सीसीएल के पैच बी एण्ड सी का नियंत्रित विस्फोटन एवं प्रकम्पन अध्ययन।
	13 ईसीएल के हरीपुर कोलियरी, संख्या 1 एवं 2 इनक्लाईन (आर–बी सीम) जे के नगर कोलियरी (आर–वी सीम) तथा नारसामुंदा कोलियरी (आरएक्स सीम) के आरएमआर अध्ययनों पर रिपोर्ट।
	14 रोहणी ओसीपी, सीसीएल के लिए भू–क्षरण अध्ययन
	15 झारखण्ड ओसीपी, सीसीएल के लिए भू–क्षरण अध्ययन
	16 सीसीएल के रेलीगढ़ा तथा गिददी 'सी' ओसीपी में नियंत्रित विस्फोटन तथा प्रकम्पन अध्ययन।
	17 लोहापटट्री कोलियरी, बीसीसीएल में नियंत्रित विस्फोटन तथा प्रकम्पन अध्ययन।
	18 सीसीएल के नावापारा भू.ग. का भूमि उपयोग/भूआच्छादन मानचित्रण।
	19 डब्ल्यूसीएल के काम्पटी डीप ओसी का भूमि उपयोग/भूआच्छादन मानचित्रण।
	20 ईसीएल के क्लस्टर–3 तथा क्लस्टर–4 खदानों का भूमि उपयोग/आच्छादन मानचित्रण।
	21 थर्मल इन्फ्रा रेड (टीआईआर) आस्टर सेटेलाइट डाटा पर आधारित रानीगंज कोयला क्षेत्र का अग्नि–मानचित्रण।
	22 वर्ष 2013–14 के लिए कोल इंडिया के भूमिगत खदानों का खान क्षमता मूल्यांकन।
	23 सीसीएल की स्वांग कोलियरी (टॉप/18एफटी/10एफटी/6 एफटी सीमों) एवं कारो स्पेशल परियोजना, फेस–2 (वी सीम) के आरएमआर अध्ययनों पर रिपोर्ट।
	24 तिरॉप ओसीपी, एनईसी के एसिड माइन ड्रेनेज (एएमडी) के लिए योजना।

क्षेत्रीय संस्थान	रिपोर्टों के नाम
	25 कोयला मंत्रालय के गाइडलाइन पर आधारित एनईसी के तिरॉप ओसीपी, टिकॉक ओसीपी तथा टिपांग ओसीपी का माइन क्लोजर प्लान।
	26 लोदना क्षेत्र, बीसीसीएल, के एनटी एसटी ओसीपी तथा जिनागोरा हायर्ड पैच में विस्फोटन का वैज्ञानिक अध्ययन।
	27 झांझरा परियोजना, ईसीएल में मैनराईडिंग वाहन के लिए ग्लोबल बिड दस्तावेज की तैयारी।
	28 कुमारडीही ए कोलियरी, ईसीएल के 7बी सीम का गैस सर्वेक्षण।
	29 ईसीएल के बंसरा कोलियरी (आर.–6 तथा आर.–8 बॉटम सीम), बंकोला कोलियरी (आर –8 टॉप सीम), लोअर केन्दा कोलियरी(आर .–5 सीम) तथा सीसीएल के राय कोलियरी (लोअर बचरा सीम के आरएमआर अध्ययनों पर रिपोर्ट।
	30 अशोका ओसीपी, सीसीएल के लिए भू–क्षरण अध्ययन।
	31 ईसीएल के कलस्टर 8 खान के बफर जोन का भू–उपयोग/आच्छादन मानचित्रण।
	32 राजरप्पा ओसी, सीसीएल के नाला डायवर्सन की योजना।
	33 बीना डिशेलिंग, एनसीएल की अध्ययन रिपोर्ट।
	34 वर्ष 1012–13 के दौरान कोल इंडिया की खुली खदान खानों की क्षमता तथा क्षमता उपयोग का मूल्यांकन।
	35 वर्ष 2012–13 के दौरान कोल इंडिया की खुली खदानों के एचईएमएम का कार्य निष्पादन।
	36 सीसीएल की केदला यूजीपी, इन्क्लाइन सं.1 तथा 3 सीम 5ए के आरएमआर पर रिपोर्ट।
	37 पिपरवार ओसीपी, सीसीएल के बेन्तीनाला डायर्वसन के लिए योजना।
	38 अशोक ओसीपी, सीसीएल में टाप स्वायल प्रबंधन अध्ययन
	39 गणपती ओसी, डब्ल्यूसीएल के बफर जोन का भू–उपयोग आच्छादन मानचित्रण।
	40 झरिया एवं वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र का वनस्पति अच्छादन मानचित्रण।
	41 आर एक्स सीम, नरसामुण्डा कोलियरी, ईसीएल का गैस सर्वक्षण।
	42 तालचर कोलियरी के पीट सं. 2 में स्टीम वाइन्डर में इलेक्ट्रिक ड्राइव से बदलने के लिए संभाव्यता रिपोर्ट।
	43 डिपिलरिंग कार्य, कार्य प्रणाली तथा सपोर्ट डिजाइन की सिक्वेन्स के सुझाव देने के लिए हीराखण्ड–बुन्दिया खान में वैज्ञानिक अध्ययन।
	44 वर्ष 2012–13 के दौरान कोल इंडिया की खुली खानों के विस्फोटन, डीजल तथा विद्युत की विशिष्ट खपत के विश्लेषण पर रिपोर्ट।
	45 भानेगाँव ओसीपी, डब्ल्यूसीएल का स्लोप स्थायित्व अध्ययन।
	46 अशोक ओसीपी, सीसीएल का टॉप स्वयल प्रबंधन अध्ययन।
	47 केडीएच ओसीपी, सीसीएल में नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन।
	48 ईसीएल के पाण्डवेश्वर कोलियरी (आर–4 बी) तथा आर–5 सीम), अमृतनगर कोलियरी (आर–5 सीम), न्यू केन्दा कोलियरी (आर–5सीम) के आरएमआर अध्ययन पर रिपोर्ट
	49 एमसीएल के भरतपुर ओसीपी मे एसिड माइन ड्रेनेज (एएमडी) के लिए योजना
	50 एसईसीएल के अम्लाई ओसीपी के लिए इफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट(ईटीपी) योजना।
	51 ईसीएल के सीएल जामबाद कोलियरी (आर–8 सीम) एवं कालिदासपुर परियोजना (आर–9ए सीम) का आरएमआर अध्ययन पर रिपोर्ट।
	52 काम्पटी कोलियरी क्षेत्र के वनस्पति आच्छादन मानचित्रण (वेजिटेशन कॉभर मैपिंग)।
	53 सीसीएल के कोनार ओसीपी का टॉप स्वाएल प्रबंधन अध्ययन।
	54 एमसीएल के बलराम ओसीपी का स्लोप स्टेविलिटी अध्ययन।
	55 सीसीएल द्वारा चिन्हित् 14 ओसीपी की वार्षिक बेंचमार्किंग।
	56 एनसीएल द्वारा चिन्हित् 8 ओसीपी की वार्षिक बेंचमार्किंग।
	57 एमसीएल द्वारा चिन्हित् 12 ओसीपी की वार्षिक बेंचमार्किंग।
	58 बीसीसीएल द्वारा चिन्हित् 14 ओसीपी की वार्षिक बेंचमार्किंग।
	59 ईसीएल द्वारा चिन्हित् 9 ओसीपी वार्षिक की बेंचमार्किंग।

क्षेत्रीय संस्थान	रिपोर्टों के नाम
	60 एसईसीएल द्वारा चिन्हित् 3 ओसीपी की वार्षिक बेंचमार्किंग।
	61 डब्ल्यूसीएल द्वारा चिन्हित् 17 ओसीपी की वार्षिक बेंचमार्किंग।
	62 थर्मल इन्फ्रारेड (टीआईआर) अस्टर सेटेलाइट आँकड़ा पर आधारित बोकारो तथा कर्णपूरा कोयला क्षेत्र की आग का मानचित्रण
	63 एसईसीएल की दामीनी भू.ग., अमगाँव भू.ग., भदरा भू.ग. तथा रेहर भू.ग. के बफर जोन का भू उपयोग/ आच्छादन मानचित्रण
	64 एससीएल के महान ओसी, बरौद ओसी, महन–2ओसी तथा छाल ओसी के बफर जोन का भू.उपयोग/आच्छादन मानचित्रण
	65 सीसीएल की केदला ओसी, कुज्जु ओसी तथा पुंडी ओसी के बफर जोन का भू. उपयोग/आच्छादन मानचित्रण
	66 ईसीएल के कलस्टर 1 माइन, चित्रा ओसी, रंगामाटी भू.ग. तथा घुसीक भू.ग. के बफर जोन का भू.उपयोग/आच्छादन मानचित्रण
	67 तालचर बिश्रारामपुर का बनस्पति आच्छादन मानचित्रण
	68 कोल इंडिया की ओपेन कास्ट खदानों की क्षमता का मूल्यांकन(1.4.14 के अनुसार प्रोजेक्शन)
	69 बहुला कोलियरी (आर–4/आर–7 सीम) ईसीएल का आरएमआर अध्ययन पर रिपोर्ट
	70 मुनिडिह परियोजना एवं वाशरी में विद्युत उर्जा अंकेक्षण तथा बेंच मार्किंग
	71 लखनपुर माइन एमसीएल में विद्युत उर्जा अंकेक्षण तथा बेंच मार्किंग
	72 परेज (ई) ओसीपी, सीसीएल का मृदा प्रबंधन
	73 परेज (ई) ओसीपी, सीसीएल के मिट्टी कटाव का अध्ययन
पर्यावरण प्रबंधन योजनाएँ	
फॉर्म.-I	
क्षे.सं.-I	1 अजोय नदी में सैण्ड माइनिंग (संशोधित)
	2 दामोदर नदी में सैण्ड माइनिंग (संशोधित)
	3 मदनपुर भू.ग.
क्षे.सं.-II	1 भोजूडीह कोल वाशरी (2 मि.ट.प्र.वर्ष)
	2 महुदा कोल वाशरी

क्षेत्रीय संस्थान	रिपोर्टों के नाम
	3 कलस्टर–XVII खदाने (संशोधित)
	4 क्लस्टर–IV खदानें (संशोधित)
	5 दुग्दा कोल वाशरी
क्षे.सं.-III	1 केदला ग्रूप ऑफ माइन्स
	2 रेलीगढ़ा ओसीपी
	3 गोविंदपुर पीएच–2 ओसीपी के परिशिष्ट ईएमपी तथा फार्म–1
	4 तोपा वि. ओसी
	5 संघमित्रा ओसी
	6 तापिन साउथ वि. ओसीपी
	7 गोविन्दपुर फेज 2 ओसीपी (2.2./2.5 मी. ट.प्र.व.) के परिशिष्ट ईएमपी तथा फार्म–1
क्षे.सं.-IV	1 नन्दन–2 भू.ग. खान
	2 हिन्दुस्तान लाल पेठ वि.ओसी
	3 मुगोली निरगुद्दा ओसी
	4 गौरी डीप वि. ओसी
	5 भाटडी वि. ओसी
क्षे.सं.-VI	1 अमलोरी ओसीपी
	2 कृष्णशीला ओसीपी
क्षे.सं.-VII	1 भुवनेश्वरी ओसीपी (25 मि.ट.प्र.वर्ष)
	2 गरजानबहल ओसीपी (संशोधित) (10 मि.ट.प्र.वर्ष)
	3 ककुदी/किशोरीपाल सैंड माइन
मुख्यालय	1 बसुंधरा वाशरी, एमसीएल
ड्राफ्ट ईएमपी	
क्षे.सं.-I	1 क्लस्टर –3 माइन्स
	2 क्लस्टर –10 माइन्स
	3 क्लस्टर –4 माइन्स
क्षे.सं.-III	1 गोसी ओसीपी
	2 कुजू ओसी
क्षे.सं.-IV	1 गांधीग्राम भू.ग.
क्षे.सं.-V	1 कुसमुंडा ओसी (18.78 मी.ट.प्र.वर्ष)–क्लोज 7.2
	2 आमाटांड़ ओसी
	3 महनटू ओसी
क्षे.सं.-VII	1 लिंगराज ओसीपी
	2 लखनपुर ओसीपी (20 मी.ट.प्र.वर्ष)
	3 काकुदी किशोरीपाल सैण्ड माइन (ब्रह्मणी के रिभर बेड)
मुख्यालय	1 कलस्टर–8 माइन्स , ईसीएल
	2 कलस्टर–11 माइन्स , ईसीएल

2.1 कोयला एवं खनिज परिष्करणः

कोयला एवं खनिज परिष्करण प्रभाग कोयला वाशरियों, खनिज परिष्करण संयंत्र के लिए प्रौद्योगिकीय सेवाओं तथा वर्तमान संयंत्रों के आधुनिकीकरण/रूपांतरण कार्य का प्रस्ताव करता है। इन सेवाओं में विस्तृत प्रयोगशाला अध्ययन, तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट, वैचारिक रिपोर्ट, परियोजना आयोजन, निर्माण प्रबन्धन और अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्रिया–कलापों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह प्रभाग लेबोरेटरी स्केल अध्ययन करने के लिए नवीनतम और परिष्कृत उपकरणों के साथ–साथ आईएसओ प्रमाणित आधुनिक प्रयोगशाला से सुसज्जित है।

कोयला एवं खनिज परिष्करण प्रभाग पहले से ही खुले बाजार के कठिन मुकाबले में कोयला एवं अन्य खनिजों के परिस्करण के क्षेत्र में अनेकों प्रतिष्ठित कार्यों को किया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैः

1. ''सीमेंट उद्योग के लिए कोयला वाशरियों के तकनीकी, आर्थिक अध्ययन पर रिपोर्ट'' नामक विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना।
2. ''भारत में कोयला परिष्करण के जरिए स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन'' नामक एडीबी सहायता प्राप्त परियोजना।

क) रिपोर्ट अधययनः

1. पउनी संयुक्त ओसीपी (डब्ल्यू सी एल), कारो ओसीपी (सी सी एल), कल्याणेश्वरी ओसीपी (बी सी सी एल), कुल्दा वि. ओसीपी (5.0 मि.ट.प्र.व.), तथा लोहापट्टी भूमिगत खदान (बी सी सी एल) के खान परियोजना के लिए वाशरी पर रिपोर्ट की तैयारी।
2. वीणा डेशेलिंग प्लांट, एन सी एल, कृष्णाशीला ओसीपी, एन सी एल के अन्टीग्रेटेड इफ्ल्युमेंट प्लांट के विद्युत एवं यांत्रिकी पार्ट के अद्यतन लागत प्राक्कलन के लिए अध्ययन रिपोर्ट की तैयारी।
3. तिराप ओ सी एम, एन ई सी में इफ्ल्युमेंट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए योजना हेतु विद्युत एवं यांत्रिकी तथा प्राक्कलन की तैयारी।
4. डी आर डी परियोजना, सी सी एल के लिए 4.0 मि.ट.प्र.व वाशरी हेतु अद्यतन लागत प्राक्कलन की तैयारी।
5. ईव वैली वाशरी (लखनपुर वाशरी) के लिए वैचारिक रिपोर्ट की तैयारी।
6. मधुबंद वाशरी, बी सी सी एल के मूल्य तीव्रीकरण की जॉच।
7. भरतपुर ओ सी पी, एम सी एल के लिए ईटीपी पर रिपोर्ट की तैयारी।
8. अमलाई ओ सी एम विस्तारण, एन ई सी एल के लिए ईटीपी पर रिपोर्ट की तैयारी।

ख) निविदा दस्तावेज की तैयारीः

1. जगन्नाथ वाशरी, तथा एम सी एल का बसुन्धरा वाशरी एवं बी सी सी एल के दुग्धा वाशरी के लिए बिड डोकुमेंट के आर एफ क्यू की तैयारी।
2. बीसीसीएल के दुग्दा वाशरी, पाथरडीह–2 वाशरी तथा भोजुडीह वाशरी, एमसीएल (ई–टेंडरिंग मोड पर दस्तावेज) के वसुंधरा वाशरी तथा जगनाथ वाशरी के लिए बीड डाक्यूमेंट के आरएफपी पार्ट की तैयारी।

ग) निविदा संवीक्षा :

1. एमसीएल क जगनाथ वाशरी तथा वसुंधरा वाशरी के लिए बीड डाक्यूमेंट के आरएफक्यू पार्ट का मूल्यांकन
2. एम सी एल के हिंगुला वाशरी तथा बसुन्धरा वाशरी के लिए बिड डकुमेंट के आर एफ पी पार्ट का मूल्यांकन।

घ)

1. हिंगुला वाशरी, एम सी एल के लिए संविदा करार की तैयारी।

ड.) निर्माण ड्राइंग का अनुमोदनः

1. मधुबंद वाशरी
   अनुमोदित ड्राइंग की कुल संख्या – 105

च) अनुसंधान एवं विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएं

I. (भरतपुर, एम सी एल में आल मिनरल अलायर

जिग सहित ड्राई डिसेलिंग)

1. निविदा जारी
2. पार्ट–1 खोला गया तथा मूल्यांकन जारी है।

II. मधुबंद वाशरी, बी सी सी एल में आडोंसॉर्ट टेकनिक (रेडियोमेट्रिक) सहित ड्राई डिशेलिंगः

1. निविदा जारी
2. सफल बिडर चिन्हित
3. कार्यादेश जारी तथा कार्यस्थल पर निर्माण कार्य शुरू किया गया।

III. कोल प्रिपरेशन प्लांट सिमुलेटर का विकास आर एण्ड डी बोर्ड, कोल इण्डिया द्वारा स्थिति पुनरीक्षित।

छ) बाह्य परामर्शः

के पी सी एस के लिए रिपोर्ट के अध्ययन की तैयारी।

2.2 परियोजना मूल्यांकनः

1. वर्ष 2013–14 के दौरान सीएमपीडीआई के मुख्यालय के विभागों तथा क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा तैयार 26 परियोजना रिपोर्टों/संशोधित परियोजना रिपोर्टों/ईपीआर के मसौदा की संवीक्षा तथा मूल्यांकन एवं रिपोर्टों को अन्तिम रूप देने से पूर्व संबंधित क्षेत्रीय संस्थानों और मुख्यालय के विभागों को दिशा–निर्देश देने के लिए सीएमपीडीआई, मुख्यालय में उनकी प्रस्तुति के लिए समन्वय।
2. क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा तैयार की गई 8 वैचारिक टिप्पणियों की संवीक्षा और मूल्यांकन तथा परियोजना रिपोर्ट/आरपीआर/ईपीआर मसौदा की तैयारी के पूर्व प्रमुख तकनीकी पारामीटरों को अन्तिम रूप देने के लिए ओसी/यूएमडी विभाग तथा पीएडी सहित निदेशक (टी./पी. एण्ड डी.), निदेशक (टी/आरडीएण्डटी) द्वारा उनके मूल्यांकन के लिए समन्वयन।
3. सचिव, (कोयला) की तिमाही समीक्षा बैठक के लिए 500 करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाली चालू परियोजनाएं विशेष कर सीएमपीडीआई की जिम्मेवारी के तहत कार्यों के कार्यान्वयन की स्थिति का अद्यतन।
4. सचिव, (कोयला) की तिमाही समीक्षा बैठकों, वीआईपी दौरों और क्षेत्रीय निदेशकों की समन्वयन बैठकों के समय में कोल इण्डिया की 12वीं योजना की कोयला खनन परियोजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्टों के निर्माण की स्थिति का अद्यतन।

3.0 भूमिगत खनन और खुली खदान खननः

वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए तथा जारी हैं।

3.1 भूमिगत खननः

बाह्य कार्य पूरे किए गएः

1. एम ओ आई एल के बालाघाट खदान में 7.5 मीटर डायमीटर वर्टिकल हाई स्पीड शॉफ्ट लगभग 630 मीटर डीप सिंकिंग के लिए निविदा दस्तावेज टी ई एफ आर की डिजाइन, तैयारी सहित विस्तृत परामर्शी सेवाएं।
2. बालाघाट खदान से उत्पादन को बढ़ाने के लिए माइनिंग प्लान तथा विस्तारित परियोजना रिपोर्ट (एक्सटेंशन पी आर) की तैयारी।
3. भुंसार कोयला खदान, एम ओ आई एस में वर्टिकल शॉफ्ट के लिए टी ई एफ आर के वर्टिकल शॉफ्ट, वाईंडिंग – इन्स्टालेशन तथा जॉच (वेटिंग) की विस्तृत डिजाइन।

बाह्य परामर्श (कार्य जारी)

1. उकवा खान, एम ओ आई एल में उदग्र चानक के लिए टी ई एफ आर की जॉच एवं वर्टिकल शॉफ्ट, वाईंडिंग – इन्स्टालेशन की विस्तृत डिजाइन।
2. गुमगॉव खान, एम ओ आई एल के लिए प्रारंभिक डिजाइन, निविदा दस्तावेज तथा टी ई एफ आर।
3. गुमगॉव खान, एम ओ आई एल के लिए माइन प्लान तथा एक्सपेंशन पी आर की

तैयारी हेतु परामर्शी सेवाएं।

ख) कोल इण्डिया के कार्य (पूरे किए गए):

1. स्वांग सैण्ड विनिंग प्रोजेक्ट, कथारा क्षेत्र, सी सी एल के सम्बन्ध में पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट।
2. टंडसी खान, कन्हान क्षेत्र, डब्ल्यू सी एल के पैनपल एच के उत्कर्षण की प्रणाली के लिए सुझाव।
3. एस ई सी एल के 10 खानों की मैप राइडिंग प्रणाली के पहचान के लिए योजना।
4. इन्क्लाइन सं.– 2, तालचर वेस्ट माइन के लिए मैप राइडिंग रेल कार प्रणाली हेतु डिजाइन की तैयारी।
5. कोल इण्डिया के ग्राहकों से अन्य के लिए विभिन्न माइनिंग प्लान तथा माइन क्लोजर प्लान पर तत्काल टिप्पणी।
6. बिडिंग के लिए सी एस आर आई एल आई एल द्वारा गवेषित वशवर्ती कोयला ब्लॉक 6 (2 यू एम डी के लिए आबंटित) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) की तैयारी।
7. पिपरवार भूमिगत, सी सी एल में इन्क्लाइन ड्राइवेज के लिए सपोर्ट की विस्तृत डिजाइन, एन आई टी/टी डी, बीओक्यू की तैयारी।
8. मेसर्स एम आई एन ओ पी द्वारा सुपुर्द किए गए भुराईडीह भूमिगत खान, बी सी सी एल की प्रारूप परियोजना रिपोर्ट की तकनीकी जॉच।
9. मेसर्स ए एम आर – बी बी वी द्वारा सुपुर्द किए गए कपुरिया परियोजना के मसौदा डी पी आर पर टिप्पणी।
10. वर्ष 2013–14 के लिए खान क्षमता का मूल्यांकन।
11. झांझरा परियोजना, ई सी एल में मैन राइडिंग वाहन के लिए वैश्विक डाक बोली की तैयारी।
12. कुमारडीह ए कोलियरी, बंकोला क्षेत्र तथा नरसामुंडा कोलियरी, ई सी एल के 78 सीम का गैस सर्वेक्षण।
13. तालचर कोलियरी, एम सी एल के पिट नं.– 2 पर वाइन्डर स्टीम में विद्युत ड्राइव के साथ स्टीम ड्राइव बदलने के लिए निरीक्षण एवं संभाव्यता अध्ययन।
14. वर्किंग तथा सपोर्ट डिजाइन के डिपिलरिंग ऑपरेशन प्रणाली के सिक्वेन्स का सुझाव देने के लिए हीराखंड बुन्दिया खान में भूकम्पीय अध्ययन।
15. मूनीडीह 15 सीम, बी सी सी एल के लिए डी पी आर की जॉच।
16. ज्वाइंट वेन्चर रूट के माध्यम से चिनाकुरी– 1 भूमिगत खान ई सी एल के संचालन (ऑपरेशन) के लिए मसौदा एवं आई टी की तैयारी।
17. सितानाला कोकिंग कोल ब्लॉक के लिए परियोजना रिपोर्ट की लागत प्राक्कलन का अद्यतीकरण।
18. बी सी सी एल के लोहापट्टी भूमिगत खान के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी।
19. अण्डाल बाबुईसोल ब्लॉक, रानीगंज कोयला क्षेत्र के लिए परियोजना रिपोर्ट (पी आर) की तैयारी।

ग) कोल इण्डिया के कार्य (जारी):

1. पांडेवेश्वर क्षेत्र, ई सी एल के हेड गीयर स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी विश्लेषण।
2. डोंगरिताल भूमिगत खान, एन सी एल के लिए परियोजना रिपोर्ट (पी आर) की तैयारी।
3. ई सी एल के झांझरा खान का संवातन सर्वेक्षा।
4. कोल इण्डिया के खुली खदान खान के लिए एम डी ओ के चयन हेतु ड्राफ्ट तथा अन्तिम आर एफ क्यू एवं आर एफ पी दस्तावेज की तैयारी।
5. वर्ष 2014–15 के लिए खान क्षमता का मूल्यांकन।

3.2 खुली खदान खनन (पूरे किये गये कार्य):

प्रमुख बाह्य परामर्शी कार्यः

1. देवेनगुडी लिग्नाइट माइन प्रोजेक्ट के लिए संभाव्यता रिपोर्ट– ग्राहक, एन एल सी
2. पालना लिग्नाइट खान परियोजना के लिए खनन योजना (माइनिंग प्लान) ग्राहक–एन एल सी

3. डोंगरी बुजुर्ग मैगनीज ओ सी पी के लिए खनन योजना (माइनिंग प्लान) ग्राहक–एम ओ आई
4. महान कोयला कम्पनी के लिए यू सी ई – ग्राहक– इस्सार माइनिंग लिमिटेड

प्रमुख आन्तरिक परामर्शी कार्य:

1. सामलेश्वरी वि. ओ. सी. पी. (सभी सीमों पर विचार करते हुए) की संभाव्यता रिपोर्ट– ग्राहक, एम सी एल, सीआईएल
2. संशोधित चहारदिवारी सहित जगन्नाथ पुनर्गठन (एम सी एल) की संभाव्यता रिपोर्ट– ग्राहक, एम सी एल
3. तिराप खुली खान परियोजना (पुनर्निमित) (0. 60 मि.ट.प्र.व.), एन ई सी के लिए संभाव्यता रिपोर्ट
4. वर्ष 2012–13 के दौरान कोल इण्डिया की खुली खानों के विस्फोटक, डीजल तथा विद्युत शक्ति के विशिष्ट खपत का विश्लेषण
5. वर्ष 2012–13 के दौरान कोल इण्डिया की खुली खानों के एच ई एम एम का कार्य निष्पादन
6. 20 सी यू एम ई आर एस. 190 टी डम्पर संयोजन की आवश्यकता (सन्दर्भ अ.स.प्र.नि. की मीट– 77 टी एच 80 टी एच) पर अध्ययन टिप्पणी।
7. वर्ष 2012–13 के दौरान कोल इण्डिया की खुली खानों की क्षमता एवं क्षमता उपयोग का निर्धारण
8. 01.04.2014 के अनुसार कोल इण्डिया की सभी खुली खानों के लिए परियोजना प्रक्षेपण (प्रोजेक्ट प्रोजेक्शन)
9. वर्ष 2013–14 के दौरान नये उपलब्ध एच ई एम एम कोल इण्डिया प्लांट का आबंटन
10. विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा तैयार की गई खुली खान परियोजना रिपोर्ट की संवीक्षा की गई

कोयला मंत्रालय के लिए खनन संयंत्रों का पुनरीक्षण:

1. मेसर्स शारदा इनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड के गारे IV/7 कोयला खनिखंडों (कोयला ब्लॉक) के लिए खनन योजना (पहला संशोधन) तथा माइन क्लोजर प्लान
2. एस सी सी एल (जनवरी– 2013) के आर जी ओ सी, दि. चरण– II सहित आर जी ओ सी III, दि.(प्रथम संशोधन) की खनन योजना
3. मानुगुरू माइनिंग लीज, संशोधन– 2 (मानुगुरू ओसी– IV दि.) जि. खमाम, ए पी के पोर्ट के लिए माइन क्लोजर प्लान (नवम्बर– 2011) सहित संशोधित खनन योजना
4. छटछीबरियातु (साउथ) की खनन योजना, – मेसर्स एन टी पी सी
5. नार्थ गोदावरी माइनिंग लीज का खनन योजना – 6 संशोधन (कल्याण खानी ओसीपी), मेसर्स एस सी सी एल।
6. गारे पेलमा सेक्टर 2 के लिए खनन योजना, मेसर्स महातमिल कोलियरिज लिमिटेड।
7. गारे सेक्टर IV/7 (प्रथम संशोधन) के लिए खनन योजना, मेसर्स शारदा एनर्जी मिनरल लिमिटेड।
8. गोटि टोरिया ईस्ट तथा वेस्ट कोयला ब्लॉक का माइनिंग प्लांन।
9. मकाला लिग्नाइट डिपोजिट, जिला नागपुर का माइनिंग प्लान, मेसर्स आरएसएमएमएल।
10. मेसर्स बंगोल इएनटीए कोल माइन्स लिमिटेड द्वारा सुपुर्द किये गये। टीएआरए (ईस्ट–वेस्ट) ब्लॉक, रानीगंज कोलफील्ड्स का दूसरा संशोधित माइनिंग प्लान।
11. मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा पकरी बरवाडी कोयला ब्लॉक (इस्ट क्वारी) एन.के. कोयला क्षेत्र का माइनिंग प्लांन

4.0 अभियांत्रिकी सेवाएँ :

4.1 सिविल इंजीनियरिंग (असैनिक सेवाएँ) :

1. जगुन ओसीपी (एनईसी) जगन्नाथ ओसीपी(एमसीएल) तिरॉप ओसीपी (एनईसी तथा सामलेश्वरी विस्तार ओसीपी (एमसीएल) के पीआर/एफआई की तैयारी।
2. 17 पीआरएस की तकनीकी संवीक्षा

विस्तृत डिजाइन कार्य :

1. बीसीसीएल के लिए एबीसी टाइम के क्वार्टरों की डिजाइन/ड्राईंग
2. बीसीसीएल एरिया के लिए संयुक्त कार्यालय भवनों की डिजाइन/ड्राईंग
3. मुख्य महाप्रबंधक, अमलोरी के काय्रलय की डिजाइन/ड्राईंग
4. अमलोरी में कल्याण मंडप की डिजाइन/ड्राईंग
5. सीएमपीडीआई, क्षेत्रीय संस्थान–5 एवं क्षेत्रीय संस्थान–6 के कार्यालय भवनों की डिजाइन/ड्राईंग
6. सामलेश्वरी तथा लाजकुरा परियोजना के लिए संरचनात्मक पर्याप्तता अध्ययन
7. आनन्दवन कैंप के लिए भवनों की डिजाइन/ड्राईंग

टूर्न–की निविदा दस्तावेज की तैयारी :

1. तालचर, एमसीएल में अल उपचार संयंत्र (वाटर ट्रीटमेंट प्लांट)
2. कृष्णाशीला एन.सी.एल में इफ्लयुएंट ट्रीटमेंट प्लांट
3. निगाही इन्क्रीमेंटल, सीएचपी, एनसीएल
4. तेतुलमारी सीएचपी, बीसीसीएल

निविदा मूल्यांकन :

1. ब्लॉक–बीसीएचपी (3.5 मि.ट.प्र.वर्ष) एनसीएल–कार्य प्रदान किया गया।
2. खादिया सीएचपी, एनसीएल।
3. निगाही इन्क्रीमेंटल, सीएचपी, एनसीएल।
4. सीएमपीडीआई, क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर – कार्य प्रदान किया गया।
5. सीएमपीडीआई, क्षेत्रीय संस्थान–6, सिंगरौली–कार्य प्रदान किया गया।

वास्तुशिल्पीय कार्य :

1. बीसीसीएल के लिए विभिन्न प्रकार के क्वार्टरों तथा कार्यालयों के लिए खाका (ले–आउट) तथा डिजाइन
2. क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर एवं क्षेत्रीय संस्थान–6, सिंगरौली ने सीएमपीडीआई के लिए डिजाइन तथा प्राक्कलन
3. एनईसी के लिए मार्गरिटा में कार्यालय परिसर की डिजाइन तथा ले–आउट
4. लखनपुर, क्षेत्र, एनसीएल में बेलपहाड़ प्रशिक्षण संस्थान के लिए योजना तथा टर्न–की निविदा दस्तावेज की तैयारी
5. अमलोरी में कल्याण–मंडल तथा मुख्य महाप्रबंधक के भवन की डिजाइन

डिजाइन/ड्राईग की संवीक्षा :

क. ठेकेदार द्वारा जमा किए गए डिजाइन दस्तावेज/ड्राईंग की संवीक्षा के आधार पर 4000 टन क्षमता के 2 रेपिड लोडिंग सिलो ग्राउण्ड बंकर, ट्रक रिलीविंग हूपर्स, सम्बद्ध, कन्वेयर संरचना तथा संबंद्ध सिविल/संरचनात्मक और इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटी सहित 15 मि.ट.प्र.व. क्षमता के अनंन्ता सीएचपी के लिए डिजाइन और ड्राईंग की समीक्षा सहित कुल 80 डाईंग को अनुम्रेदित किए गए। टिप्पणी की गई।

ख. ठेकेदार द्वारा जमा किए गए डिजाइन दस्तावेज/ड्राईंग की समीक्षा के आधार पर 3000 टन क्षमता के रेपिड लोडिंग सिलो 15000 टन क्षमता के ग्राउण्ड बंकर, जोयोरेटरी क्रशर सहित रिसिविंग पिट, सम्बद्ध, कन्वेयर स्ट्रक्चर एवं सिविल/स्ट्रक्चरल और इन्फ्रास्ट्रक्चलर सुविधा सहित 3.5 मि.ट.प्र.व. क्षमता के कृष्णाशीला सीएचपी के लिए डिजाइन एवं ड्राईंग की संवीक्षा सहित कुल 100 ड्राईंग अनुमोदित किए गए। पर टिप्पणी की गई।

ग– ठेकेदार द्वारा जमा किए गए डिजाइन/दस्तावेज ड्राईंग की संवीक्षा के आधार पर 3000 टन क्षमता के रेपिड लोडिंग सिलो ग्राउंड बंकर जायरेटरी क्रशर सहित रिसिविंग पिट, सम्बद्ध कन्वेयर स्ट्रक्चलर एवं सम्बद्ध सिविल/स्ट्रक्चलर तथा इंफ्रास्ट्रक्चलर सुविधा सहित ब्लॉक बी सीएचपीएनसीएल के लिए डिजाइन एवं ड्राईंग की संवीक्षा सहित कुल 150 ड्राईंग अनुमोदित किए गए/टिप्पणी की गई।

ब्लॉक-बी एमसीएल

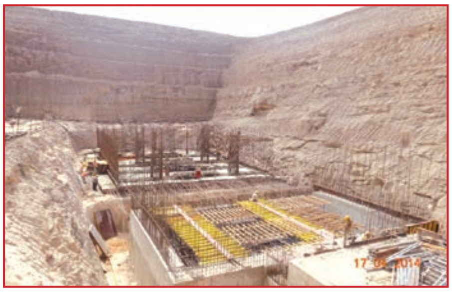
रिसिविंग पिट एवं टीएच-1

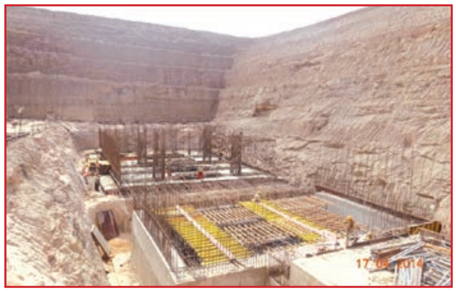
ग्राउण्ड बंकर

सिलो

4.2 विद्युत एवं यांत्रिकी अभियंत्रण

4.2.1 खान आयोजन (माइन प्लानिंग) (आधारभूत संरचना)

ii) कोल इंडिया की परियोजनाएँ :

- मिनाक्षी, ओसीपी
- महामाया ओसीपी, भटगाँव, क्षेत्र
- भरतपुर, ओसीपी

4.2.2 कोल हैंडलिंग प्लांट (कोयला निपटान संयंत्र)

- टर्न की कन्ट्रेक्टर मेसर्स एचईसी द्वारा जमा किए गए डिजाइन एवं ड्राईंग की संवीक्षा/अनुमोदन तथा कृष्णाशीला सीएचपी (4.00एमटीपीए) के निर्माण के लिए परियोजना की मॉनीटरिंग का कार्य जारी है।
- टर्न की कन्ट्रेक्टर मेसर्स एलएंडटी द्वारा जमा किए गए डिजाइन एवं ड्राईंग की संवीक्षा/अनुमोदन तथा ब्लॉक–बी मुख्य सीएचपी के निर्माण के परियोजना की मॉनीटरिंग का कार्य जारी है।
- निगाही, चरण-III, सीएचपी (5 एमपीटीए), की निविदा/निविदा संवीक्षा का कार्य जारी है।
- खादिया चरण 2 सीएचपी (6 मी.ट.प्र.व.), निविदा/निविदा की संवीक्षा का कार्य जारी है।

4.2.3 वर्कशॉप एवं स्टोर :

1. खादिया ओसीपी

4.3.4 एफबीसी आधारित विद्युत संयंत्र :

निम्नलिखित स्थानों पर एफबीसी आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए वैचारिक रिपोर्ट :

1. जगन्नाथ, एमसीएल में टीपीपी पर आच्छादित 2x40 मेगावाट एफबीसी
2. बसुन्धरा, एमसीएल में टीपीपी पर आधारित 2ग123 मेगावाट पुनर्निर्मित (रिकास्ट) एफबीसी

4.2.5 ऊर्जा अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग :

- कोल इंडिया की 70 चिन्हित खुली खदान परियोजनाओं के डीजल खपत की वार्षिक बेंचमार्किंग पर रिपोर्ट।
- वार्षिक डीजल अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग
  1. वीणा ओसीपी, एमसीएल
  2. राजरप्पा ओसीपी, सीसीएल
  3. तरमी ओसीपी, सीसीएल
- निम्नलिखित का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग पर रिपोर्ट :
  1. मुनिडीह वाशरी तथा मूनिडीह क्षेत्र का डब्ल्यू जे क्षेत्र
  2. लखनपुर तथा लिंगराज खान, एमसीएल
  3. आकाश किनारी कोलियरी का आँकड़ा संचयन
  4. दधिचुआ, एनसीएल
  5. निगाही एनसीएल

4.2.3 विद्युत आपूर्ति और वितरण एवं नियंत्रण प्रणाली:

- 2x2.5 एमवीए, 33/11 केवी, एमसीएल, मुख्यालय उपकेंद्र के लिए योजना एवं एनआईटी, संबलपुर में एमसीएल तथा इससे सम्बद्ध टाउनशिप के सम्बद्ध कॉरपोरेट कार्यालय के लिए विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था

- 3x5 एनवीए, 33 / 6.6 केवी ब्लॉक ओपेनकास्ट परियोजना, उपकेंद्र के लिए योजना एवं एनआईटी
- 230 / 30 केवी कानिहा उपकेंद्र एमसीएल की संरचना के लिए योजना एवं एनआईटी

4.2.7 निरीक्षण सेवाएँ :

सीएमपीडीआई, कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों द्वारा खरीदे गए उपकरण और सामग्रियों का प्रेषण पूर्व निरीक्षण के लिए थर्ड पार्टी निरीक्षण सेवाएँ देना जारी रखा। वर्ष 2013–14 के दौरान इन सेवाओं से अर्जित कुल राजस्व लगभग 4 करोड़ रूपये था।

4.2.8 अन्य अध्ययन :

- एनसीएल कोयला क्षेत्र की विद्युत–आपूर्ति का पुनर्गठन
- कुल्दा ओएच लाइन की योजना एवं एनआईटी
- जुराबग्गा उपकेन्द्र में फायर डिटेक्शन एवं फायर फाइटिंग
- एमसीएल के ओरिएण्ट उपकेंद्र के अंतर्गत, क्षेत्रीय उपकेंद्र कलिंग नगर हेतु स्वचालित आग का पता लगाने तथा अलार्म संपुष्टि प्रणाली सहित स्वचालित अग्निशमन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए योजना, ईएनआईटी एवं प्राक्कलन की तैयारी
- दुधिचुआ, एनसीएल का इल्युमाइनेशन सर्वे
- सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में 220 के डब्ल्यू रूफटॉफ सोलर प्रणाली
- आईआईटी, खड़गपुर के सहयोग से डीजल के मूल्य वृद्धि फार्मूला का प्रतिपादन
- करदाबहल (6 एमटी) तथा ब्राह्मण बिल (5 एमटी) का कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला ब्लॉक का आवंटन हेतु पूर्व–संभाव्यता अध्ययन
- कोयला गैसीकरण से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में विद्युत संयंत्रों पर आधारित आईजीसीसी (इन्टरनल गैसीकरण कम्बाइन्ड साइकिल) द्वारा विद्युत सृजन के कोल इंडिया के परिप्रेक्ष्य में कोयला मंत्रालय के लिए वैचारिक टिप्पणी
- जीसीवी (ग्रास केलोरिफिक वैल्यू) तथा विद्युत सृजन की संभावना पर आधारित कोल इंडिया के वाशरी अपशिष्टों की लागत का निर्धारण करने के लिए कोल इंडिया की कोयला वाशरियों से प्राप्त वाशरी अपशिष्टों की इन्डीकेटिव विद्युत सृजन की संभावना पर आईएमसी (अंतर मंत्रालयी समिति) के लिए वैचारिक टिप्पणी

4.3 नगर अभियंत्रण सेवाएँ :

नगर–अभियंत्रण सेवाओं में निम्नलिखित काम शामिल है :

1. भवनों का रख–रखाव, यथाःकार्यालय भवन तथा आवासीय स्टाफ क्वार्टर स्वच्छता का रख–रखाव, आवश्यक बागवानी कार्यों तथा ऐसे रख–रखाव कार्यों जहित स्वच्छ एवं ग्रीन पर्यावरण
2. कार्यालय तथा ऐसे वस्तु–सूची के रख–रखाव से संबंधित सभी इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिकी उपकरणों का रख–रखाव
3. कार्यालय के सभी फर्नीचर का रख–रखाव
4. आवश्यक कदम उठाते हुए जल–आपूर्ति की व्यवस्था करना
5. विद्युत संरक्षण तथा बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए विद्युत प्रबंधन
6. विद्युत बिल, टेलीफोन बिल, जल–आपूर्ति बिल का भुगतान करने तथा अन्य सांविधिक भुगतान के लिए प्रस्तावों की प्राप्ति, जाँच एवं सुपुर्दगी सुनिश्चित करना।
7. नगर निगम जैसे स्थानीय सांविधिक निकायों के साथ सम्पर्क कार्य
8. रद्दी कागज रिसाइकलिंग संयंत्र का संचालनः

   सीएमपीडीआई, मुख्यालय के नगर अभियंत्रण एवं सीएम डिवीजन में वर्ष 2013–14 के दौरान पूँजीगत कार्य, चालू मरम्मती कार्य, विशेष मरम्मती कार्य तथा सामाजिक निगमित उत्तरदायित्व के तहत पूरे किए गए कार्यों तथा चालू कार्यों की सूची निम्नलिखित है :

पूरे किए गए कार्य

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य का मूल्य (लाख रू. में)
1.	सीएमपीडीआई टाउनशिप में, एनटीएल, बरकाकाना में चहारदिवारी का निर्माण, निकास नाली की मरम्मती, डस्टबिन का निर्माण तथा एवं नाला की मरम्मती	67.22
2.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची स्टोर शेड का विस्तारण तथा वर्तमान शेड का नवीकरण	33.41
3.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में एसटीपी तथा पुराने कार्यालय क समीप उद्यान का नवीकरण तथा हिल पार्क का विस्तारण एवं नवीकरण	80.49
4.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, रांची में पुस्तकालय तथा प्रकाशन विभाग का रिफर्वसिंग	60.71
5.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, रांची में अनुरूपण प्रयोगशाला के निर्माण के लिए सीपी प्रयोगशाला का नवीकरण तथा ओपेनकास्ट प्रभाग का नवीकरण सहित सीएमपी प्रभाग का नवीकरण सहित सीएमपी प्रभाग में लॉगिस्टिक सपोर्ट का विकास	58.52
6.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय परिसर, रांची में आवासीय भवनों तथा सेवा भवनों के छत की मरम्मती	91.27
7.	सीएमपीडीआई की सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत लोअर मिसिर गोंदा, गाँव, काँके रोड, राँची में हैंड पम्प की सुविधा के साथ 2 बोरवेल का प्रतिस्थापना	10.04
8.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में सड़क की रिफर्सिंग तथा सम्बद्ध कार्यों सहित मेनगेट का नवीकरण	51.33
9.	सीएमपीडीआई, परिसर, काँके रोड, राँची में आवासीय क्वार्टरों तथा कार्यालय भवनों के लिए मच्छड़ नियंत्रण एवं एन्टी टरवाइन उपचार हेतु वार्षिक अनुरक्षण ठेका	9.22
10.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में मौसमी पेड़–पौधों (बाह्य एवं आंतरिक) के रख–रखाव सहित गार्डेन के लिए वार्षिक रख–रखाव का ठेका	23.83
11.	एक वर्ष की अवधि के लिए सीएमपीडीआईएल मुख्यालय कम्पलेक्स का अनुरक्षण (अपकीय) कार्य	72.36
12.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची एक वर्ष की अवधि के लिए पम्पों का संचालन एवं रख–रखाव सहित वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन एवं रख–रखाव	6.11
13.	एक वर्ष की अवधि के लिए सीएमपीडीआई परिसर (आवासीय तथा गैर–आवासीय दोनों) के विद्युत कार्यों हेतु 2012–13 के लिए रख–रखाव का ठेका	59.25
14.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची (एलईडी) में विशेष मरम्मती रख–रखाव	51.47
15.	सीएमपीडीआईएल की सीएसआर योजना के अंतर्गत प्रस्तावित प्रणाली के लिए 9 वर्ष की अवधि हेतु आईसीटी डिवीजन तथा एएमजी में संपूर्ण वर्तमान एसी प्रणाली का विघटन सहित मैचिंग क्षमता की स्टेबलिटी के साथ–साथ 40 टन क्षमता वाली एयर कंडिशनिंग प्रणाली की आपूर्ति प्रतिष्ठापन एवं कमीशनिंग	34.51
चालू कार्य		
1.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में मौसमी पेड़–पौधों (अंदर एवं बाहर) के रख–रखाव सहित गार्डेन के लिए वार्षिक रख–रखाव का ठेका	30.35
2.	सीएमपीडीआईएल की सीएसआर योजना के अंतर्गत पतरागोंदा ग्राम में पूर्ण सड़क का निर्माण तथा बिरसा विद्यालय, हथियागोंदा में वर्तमान भवनों की डिसटेम्परिंग तथा पेंटिंग एवं खिड़की, दरवाजों के लिए मरम्मती कार्य, लड़के–लड़कियों के लिए तीन कमरे तथा टायलेट का निर्माण कार्य	48.54
3.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय परिसर में अनुरक्षण (अपकीय) कार्य	72.94
4.	एक वर्ष की अवधि के लिए सीएमपी, मुख्यालय तथा एनटीएस, बरकाकाना हेतु सिविल अभियांत्रिकी कार्यों के लिए रख–रखाव का ठेका	116.43
5.	गोंदवाना प्राइमरी स्कूल, सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में सामने बरामदा के लिए प्रोफाइल सीट, रूफिंग, दो कक्षाओं का निर्माण	18.40

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य का मूल्य (लाख रू. में)
6.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में आरएण्डडी भवन के शेष भाग तथा पुराने कार्यालय भवन के ग्राउण्ड फ्लोर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चौथे फ्लोर पर प्रलेखन, सुरक्षा, ईएंडएम, कोल इंडिया सेल एवं गवेषण विभागों की विशेष मरम्मती एवं रख–रखाव	162.00
7.	सीएमपीडीआईएल की सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत हथियागोंदा गाँव में बिरसा उच्च विद्यालय परिसर में दोक्लास रूम का निर्माण	15.54
8.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, परिसर राँची में स्पोर्टस ग्राउण्ड का विकास	14.39
9.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में एक वर्ष की अवधि के लिए पम्पों का संचालन तथा रख–रखाव सहित वेस्ट कटर ट्रीमेंट प्लांट का संचालन एवं रख–रखाव	6.14
10.	एक वर्ष के लिए सीएमपीडीआई परिसर, राँची के विद्युत कार्यों (आवासीय एवं गैर–आवासीय दोनों) हेतु वर्ष 2014–15 के लिए रख–रखाव का ठेका	59.25
11.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में प्रस्तावित प्रणाली हेतु 9 वर्ष के लिए आईजीटी तथा एएमसी में कम्पलीट वर्तमान एसी का डिसमेंटिंग सहित मैंचिंग क्षमता की स्टेबिलिटी के साथ 40 टन क्षमता वाली एयर कंडीशनिंग की आपूर्ति, रख–रखाव एवं कमीशनिंग	एएमसी
12.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग प्लांट का संचालन	विभागीय

5.0 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ :

5.1 कोयला मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान के तहत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ :

कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास क्रिया–कलापों का नियंत्रण स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) नामक एक शीर्षस्थ निकाय द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष सचिव (कोयला) होते हैं। इस शीर्षस्थ निकाय के अन्य सदस्यों में कोल इंडिया के अध्यक्ष, सीएमपीडीआई, एससीसीएल और एनएलसी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सम्बद्ध सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना आयोग और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। स्थाई वैज्ञानिक अनुसंधान समिति के प्रमुख कार्य योजना, कार्यक्रम, बजट बनाना और अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण तथा किए गए अनुसंधान एवं विकास कार्य के निष्कर्षों को लागू करने का कार्य करता है।

एसएसआरसी की सहायता सीएमपीडीआई के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में गठित एक तकनीकी उप–समिति द्वारा की जाती है। यह समिति कोयला गवेषण, खनन, खान–सुरक्षा, कोयला परिष्करण एवं उपयोग से संबंधित अनुसंधान प्रस्ताव तथा खान पर्यावरण एवं पुररूद्धार पर परियोजना प्रस्ताव के उपयोग पर भी कार्य करता है।

कोयला क्षेत्र में अनुसंधान की गतिविधियों के समन्वयन के लिए सीएमपीडीआई नॉडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसमें अनुसंधान क्रियाकलाप के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करना शामिल है। यह पहचान किए गये क्षेत्र में अनुसंधान कार्य, सरकारी अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की प्रक्रिया, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग, बजट प्राक्कलन की तैयारी, कोष का वितरण आदि कार्य करता है।

शुरू की गई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की कुल संख्या (31.03.2014 तक)	–	380
पूरी की गई वि. एवं प्रौ. परियोजनाओं की कुल संख्या (31.03.2014 तक)	–	305

*** वर्ष 2012-14 के दौरान भौतिक तथा वित्तीय कार्य निष्पादन**

अ) भौतिक कार्य निष्पादन :

वर्ष 2012–14 के दौरान कोयला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है :

1.4.2013 के अनुसार चालू परियोजनाएँ–	15
वर्ष 2013–14 के दौरान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाएँ–	02
(परिशिष्ट-ए)	
वर्ष 2013–14 के दौरान पूरी की गई परियोजनाएँ–	05
(परिशिष्ट-ए)	
1.4.2014 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	12

ब) वित्तीय स्थिति :

बजट प्रावधान और वास्तविक खर्च दर्शाया जा रहा है

(करोड़ रूपये में)

2012-13		2013-14	
आरई	वास्तविक	आरई	वास्तविक
11.40	11.53	11.65	11.76

5.2 कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ:

कोल इंडिया लिमिटेड के घरेलू अनुसंधान एवं विकास का कार्य करने के लिए अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड की अध्यक्षता में अनुसंधान एवं विकास बोर्ड कार्य कर रहा है। सीएमपीडीआई कोल इंडिया के अनुमोदन के लिए प्रस्तावों की प्रोसेसिंग, बजट प्राक्कलन की तैयारी, निधि का वितरण, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग आदि के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकार वाले क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास आधार बढ़ाने के उद्देश्य से कोल इंडिया बोर्ड ने दिनांक : 24 मार्च, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में शीर्षस्थ समिति तथा कोल इंडिया, अनुसंधान एवं विकास बोर्ड को पर्याप्त अधिकार दिया है। अब शीर्षस्थ समिति सभी परियोजनाओं को एक साथ मिलाकर विचार करते हुए 5.0 प्रत्येक करोड़ सहित 250 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की सीमा तक लागत वाली विशिष्ट अनुसंधान विकास परियोजना को मंजूरी देने में समर्थ है तथा कोल इंडिया आरएंडडी बोर्ड प्रत्येक आरएंडडी कार्य के लिए 50 करोड़ रूपये तक मंजूरी देने में समर्थ है। अब तक कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास बोर्ड के कोष के अन्तर्गत 71 परियोजनाएँ शुरू की जा चुकी है, जिसमें से 48 परियोजनाएँ मार्च, 2012 तक पूरी की जा चुकी है।

वर्ष 2013–14 के दौरान कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास बोर्ड परियोजनाओं स्थिति इस प्रकार रही :

(i)	1.4.2013 के अनुसार जारी परियोजनाएँ	23
(ii)	2013–14 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएँ	02
(परिशिष्ट-बी)		
(iii)	2013–14 के दौरान पूरी हुई परियोजनाएँ	07
(परिशिष्ट-बी)		
(iv)	1.4.2014 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	18

वर्ष 2013–14 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए राशि 10.97 करोड़ रूपये (अन–आडिटेड) वितरित किए गए।

परिशिष्ट-ए

वर्ष 2013-14 के दौरान स्वीकृत कोयला मंत्रालय द्वारा निधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ

(लाख रू. में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल अनुमोदित लागत
1.	भारतीय कोयला क्षेत्रों केलिए कोल वेड मिथेन (सीबीएम) रिजर्व प्राक्कलन	2069.91
2.	ऑन लाइन कोल वाशेबलिटी एनजाइजर के लिए विकास	549.00

वर्ष 2013-14 के दौरान पूरी की गई कोयला मंत्रालय द्वारा निधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ

(लाख रू. में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल अनुमोदित लागत
1.	ट्रेप्ड अंडर ग्राउंड माइनर्स का पता लगाने तथा कम्युनिकेट करने के लिए समेकित संचार–प्रणाली	428.69
2.	सीडीसी मॉडलिंग तथा सिमुलेशन पर आधारित कोयला के शुष्क परिष्करण के लिए कोयला फटकन प्रणाली की डिजाइन एवं विकास	181.40
3.	टेरिस्ट्रीयल सिक्वीस्ट्रेशन के माध्यम से खदान आग क्षेत्रों तथा उनके न्यूनीकरण में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के प्राक्कलन के लिए प्रणाली का विकास	354.497
4.	उच्च शाख वाले भारतीय कोकिंग कोयला के परिष्करण के लिए टूरबो–इलेक्ट्रोनिक रूप रटेर का विकास	47.57
5.	कोयला क्वालिटी की गुणवत्ता के लिए टूल के रूप में स्पेक्ट्रोनेटरी की प्रयोजनियत्ता अन्वेषित करने के लिए एप्रोच	147.51

परिशिष्ट-बी

वर्ष 2013-14 के दौरान स्वीकृत कोल इंडिया द्वारा निधित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ :

(लाख रू. में

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल अनुमोदित लागत
1.	विद्युत आपूर्ति के मल्टीपल स्रोत के अनुकूलन एवं नियंत्रण के लिए माईक्रोग्रीड प्रणाली की डिजाइन, विकास तथा डिमोस्ट्रेट करना	351.30
2.	शॉवेल डम्पर तथा ड्रैगलाइन डम्प दोनों की सुरक्षा एवं इकॉनोमिकल डिजाइन के विचार के साथ शॉवेल डम्पर डम्प तथा ड्रैगलाइन डम्प के अग्र भाग (टो) के बीच दूरी पूर्वानुमानित करने के लिए दिशा–निर्देशों का विकास	26.58

वर्ष 2013-14 के दौरान स्वीकृत कोल इंडिया द्वारा निधित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ :

(लाख रू. में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल अनुमोदित लागत
1.	झरिया कोयला क्षेत्र में सीबीएम के गवेषण के लिए स्व–स्थाने विश्लेषण	168.597
2.	अच्छे फर्नेस (बीएफ) कोक बनाने के लिए लो रैंक तथा लो वोलाटाइल हाई रैंक भारतीय कोकिंग कोयला का प्रभावी उपयोग	265.00
3.	विस्फोटक ऊर्जा उपयोग पर आधारित विस्फोटकों/अच्छे परिणामों के निष्पादन का मूल्यांकन	236.35
4.	वेस्ट इनडयूस्ड डायने पिक लोडिंग के अंतर्गत विकास एवं डीपलिरिंग पैनल में कोल बिहेविर की जाँच	491.08
5.	कम्प्यूटर मॉडलिंग तथा सिमुलेशन द्वारा ओपेनकास्ट कोल माइन्स में हाई एंगल कनवेईंग सिस्टम (एचएसी) का संभाव्यता अध्ययन	211.50
6.	अनुकूलतम सड़क रख–रखाव प्रबंधन प्रणाली चरण।। के रीटायर ट्रेडिंग कम्पाउण्ड तथा विकास के सुधार के माध्यम से डम्प ट्रक टायर की अवधि में वृद्धि करने पर जाँच	64.37
7.	अंडर ग्राउण्ड कोल माइन्स में स्लोपिंग का निर्माण सुविधाजनक बनाने के नोटचकटिंग मशीन का विकास	11.15

सीएमपीडीआई तथा कोल इंडिया के बीच 2013–14 के समझौता संलेख (एमओयू) के अनुसार सीएमपीडीआई द्वारा चुनी गई 5 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए लक्ष्य के मुकाबले कार्य–निष्पादन नीचे दिया जा रहा है, जो इस प्रकार है :

क्र.सं.	चुनी गई परियोजना	कार्य निष्पादन संकेतक (इन्डीकेटर)	लक्ष्य उत्कृष्ट	वास्तविक
2.1	बेस्ट इन्डयुस्ड डायनेमिक लोडिंग के अंतर्गत डिपलिरिंग पैनल तथा विकास में बोल्ट विहेवियर की जाँच	ज्ञान–सृजन / प्रचार–प्रसार	यदि रिपोर्ट की तैयारी 14 दिसम्बर, 13 तक पूरी कर ली जाती है।	दिनांक : 18 नवम्बर 13 के पत्रांक के अनुसार परियोजना की रिपोर्ट सुपुर्द कर दी गई।
2.2	ओपेन कास्ट माइन्स के लिए समेकित डम्पर कोलिजन एव्याडेस प्रणाली का देशी विकास	ओपेन कास्ट माइन की सुरक्षा को सुधारने के लिए उपकरण / सामग्रियों का विकास	यदि 31 जनवरी, 14 तक सिस्टम फिटमेंट तथा फिल्ड ड्रायल पूरा किया जाता है।	20 नवम्बर, 13 के पत्र के अनुसार सिस्टम फिटमेंट ट्रायल सुपुर्द कर दी गई।
2.3	गहरे अवस्थित कोयला शेल स्रोतों से सीबीएम की प्रतिसम्यता का पता लगाने के लिए कुछ भारतीय कोयलों के श्रिंकेज स्वेलिंग गुण–निर्धारण पर अध्ययन	प्रोसेस डवलपमेंट इम्प्रुवमेंट	यदि 28 फरवरी, 14 तक सेम्पल सेल्स तथा एक्सपेरिमेंटल सेट अप पूरा किया जाता है।	दिनांक 30 जनवरी, 14 के अनुसार सेम्पल सेल तथा एक्सपेरिमेंटल सेटअप के डिजाइन की पूर्णता पर रिपोर्ट सुपुर्द कर दी गई।
2.4	विस्तारित फोन एजेंट का इस्तेमाल करते हुए अंडर ग्राउण्ड माइन्स में आग लगने की स्थिति में त्वरित सेटिंग स्टापिंग का निर्माण	ओपेनकास्ट माइन की सुरक्षा को सुधारने के लिए उपकरण / सामग्रियों का विकास	यदि 30 सितम्बर, 13 तक एमसीएल के दो खानों में फिल्ड ट्रायल पूरा किया जाता है।	दिनांक–20 सितम्बर, 13 तक एमसीएल के तीन खानों में फिल्ड ट्रायल रिपोर्ट सुपुर्द कर दी गई।
2.5	विस्फोटक ऊर्जा उपयोग पर आधारित विस्फोटकों / अच्छे परिणामों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन	उत्पादन, उत्पादकता में सुधार	यदि 30 जनवरी, 13 तक प्राक्कलित भूकम्पीय तथा अपखंडण ऊर्जा पूरी की जाती है।	29 मई, 13 के पत्र के अनुसार भूकम्पीय तथा अपखंडण के लिए आवश्यक विश्लेषण तथा आँकड़ा से संबंधित रिपोर्ट सुपुर्द कर दी गई।

6. प्रयोगशाला सेवाएँ :

6.1 रासायनिक प्रयोगशाला :

वर्ष 2013–14 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा गवेषित झारिया सीएफ, मांडरायगढ़ सीएफ, साउथ कर्णपुर सीएफ, रानीगंज सीएफ, तालचर सीएफ, सिंगरौली सीएफ, सोहागपुर सीएफ, जोहिला सीएफ, वेस्ट बोकारो सीएफ तथा कोरबा सीएफ को समाविष्ट करते हुए 30 ब्लॉकों (खनिखंडों) से सृजित कोयला कोर नमूनों का गुण–निर्धारण अध्ययन किया गया। कुल 12053 मीटर कोयला कोर संसाधित किया गया। सीएमपीडीआई, मुख्यालय में कोयला कोर विश्लेषण की क्षमता के परियोजना संवर्धन के अंतर्गत गुणवत्ता मूल्यांकन एवं इसके डाउन स्ट्रीम युटिलाइजेशन (अनुप्रवाह उपयोग) के लिए कुल 37577 नमूनों को विश्लेषण किया गया। सभी आयातित एवं स्वदेशी उपकरण प्राप्त कर चालू कर दिए गए हैं।

मोजांबिक से 4 बोर होलों का विश्लेषण कर दिया गया है। 402.25 मीटर कोयला कोर संस्थापित किया जा चुका है। बैंड बाय बैंड 841 नमूनों के लिए विश्लेषण किया जा चुका है। 20 नमूनों के लिए जीसी की तथा वाष्पशील सामग्री का निर्धारण किया जा चुका है।

6.2 कोयला शैलिकी (पेट्रोग्राफी) प्रयोगशाला :

वर्ष 2013–14 के दौरान प्रयोगशाला शुरू की जा चुकी है। झरिया सीएफ, मंड रायगढ़ सीएफ, साउथ कर्णपुरा सीएफ/रानीगंज सीएफ, तालचर सीएफ, वर्धा घाटी सीएफ, सिंगरौली सीएफ, सोहागपुर सीएफ, जोहिला सीएफ, ईब रिवर वैली, वेस्ट बोकारो सीएफ, तथा कोरबा सीएफ (14 प्रतिशत वृद्धि) को समाविष्ट करते हुए 32 गवेषण खनि खंडों से प्राप्त 875 कोयला नमूनों का शैलिकी अध्ययन किया गया। विवेच्य वर्ष के दौरान बीसीसीएल, सीसीएल, एमसीएल, एनसीएल, एसईसीएल, ईसीएल से प्राप्त कच्चे एवं स्वच्छ कोयले के नमूने (बोर होल कोल कोर तथा आरओएम नमूने) का भी योजनाबद्ध तरीके से गुण–निर्धारण किया जा चुका है।

मोजोम्बिक से प्राप्त 10 नमूनों का शैलिकी अध्ययन किया जा चुका है। स्केनिंग इल्क्ट्रोन माइक्रो स्केल, एक्सरे डिफ्रेक्टोमीटर तथा पोलराइज्ड माइक्रो स्कोप की प्राप्ति प्रक्रिया के अंतर्गत है।

6.3 कोयला विनिर्माण प्रयोगशाला :

सीएमपी प्रयोगशाला आवश्यकतानुसार विभिन्न कोयला क्षेत्रों के कोकिंग तथा नन–कोकिंग कोयला नमूनों दोनों के लिए (प्रोक्सीमेट विश्लेषण, जीसीवी, एचजीआई कोकिंग विशेषता इत्यादि) सहित वाशेबलिटी अध्ययन में संलग्न है। उपर्युक्त जाँच नई वाशरियों के निर्माण तथा वर्तमान वाशरियों इत्यादि में किचिंत परिवर्तन के लिए बोर कोर कोयला नमूनों तथा आरओएम कोयला नमूनों की जाँच की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान नम्बर एफ कोयला नमूनों जिसकी वाशेबलिटी जाँच की गई, नीचे दी जा रही है :

1.	बोर कोल नमूने	–	40
2.	खान से प्राप्त आरओएम नमूने	–	2
3.	वाशरी फीड कोयला नमूना	–	3
4.	अन्य कोयला के नमूने	–	2

6.4 कोल बेड मिथेन (सीबीएम) प्रयोगशाला :

सीएमपीडीआई में स्थापित सीबीएम प्रयोगशाला ने अपनी क्षमता में वृद्धि की है तथा शेल की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए टीओसी उपकरण की सुविधा को जोड़ा है। शेल गैस कीपरिप्रेक्ष्यता का मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित ''रॉक एवल एनलाइजर'' उपकरण, जिसके लिए कार्यादेश दे दिया गया है तथा ''ऑटोमेटिक प्रोसिमीटर–सह–परमिय मीटर'' उपकरण की प्राप्ति की प्रक्रिया जारी है। सीबीएम प्रयोगशाला ने वर्ष 2013–14 के दौरान 8 बोरहोलों में बोर होल स्थल पर फिल्ड् डिसपार्सन अध्ययन किया है तथा कुल गैस कन्टेंट एवं गैस कम्पोजिशन आँकड़ा प्रतिपादित किया है। इसके अतिरिक्त इसने शेल गैस की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए 6 बोर होलों का अध्ययन भी किया है।

सीबीएम प्रयोगशाला ने वर्ष 2013–14 के दौरान 10 शेल गैस नमूनों पर आर्गेनिक कार्बन टीओसी) का विश्लेषण करने के अतिरिक्त सीएमपीडीआई में सृजित घरेलू सुविधा के माध्यम से 20 (17 कोयला तथा 3 शेल) नमूनों का एडार्पशन आइसोर्थम परीक्षण किया है। सीसीएस की विभिन्न कोलियरियों से प्राप्त 913 खान वायु नमूने का विश्लेषण किया गया इसका परिणाम सुपुर्द कर दिया गया है।

7.0 पर्यावरणिक सेवाएँ :

7.1 ईआईए/ईएमपी :

विवेच्य वर्ष के दौरान सीएमपीडीआई ने कुल 26 फार्म–1 तैयार किया है तथा 14 ईएमपी मसौदा तैयार किया है।

7.2 वायु, जल और धवनि का पर्यावरणिक मॉनीटरिंग:

एमओआईएफ द्वारा खनन परियोजनाओं के लिए जब एक बार पर्यावरणिक स्वीकृति दे दी जाती है तब परिचालन के दौरान परियोजना स्तर पर शुरू किए गए प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए नियमित पर्यावरणिक मानीटरिंग करने की आवश्यकता होती है।

वर्ष 2013–14 के दौरान आसनसोल, नागपुर, बिलासपुर, कुसमुण्डा हसदेव, जयंत, तालचर, ईबवेली एवं राँची में स्थिति पर्यावरणिक प्रयोगशाला के माध्यम से कोल इंडिया के 301 परियोजनाओं/संस्थानों (ईसीएल–42, सीसीएल 60, डब्ल्यूसीएल–79, एसईसीएल 82, एनसीएल 13, तथा एमसीएल 25 की पर्यावरणिक मॉनीटरिंग की गई।

7.3 ईआईए परामर्शी संगठन के रूप में सीएमपीडीआई को मान्यता :

सीएमपीडीआई को खुली खनन/भूमिगत खनन क्षेत्र तथा कोयला वाशरी क्षेत्र सहित खनिजों के खनन के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद् (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मानद एजेंसी) द्वारा ईआईए परामर्शी संगठन के रूप में मान्यता दे दी गई है। ईआईए सेवाओं के हमारे क्षेत्र में शामिल करने के लिए अप्लीकेशन तैयार कर लिया गया है। निगरानी (सर्वेलांस) मूल्यांकन मार्च 14 में संचालित कर दिया गया है।

7.4 सीएमपीडीआई पर्यावरणिक प्रयोगशाला की मान्यता :

1. एमबीएमएल, नई दिल्ली द्वारा मान्यता देने के लिए मुख्यालय, क्षेत्रीय संस्थान–4 एवं क्षे.सं.–5 में स्थित सीएमपीडीआई पर्यावरणिक प्रयोगशाला का निर्धारण किया गया है। मान्यता प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा है।
2. सीएमपीडीआई पर्यावरणिक प्रयोगशाला ने ओएचएसएएस प्रमाणन 18001–2007 प्राप्त कर लिया है।

7.5 कोयला परियोजनाओं के लिए ईटीपी, एसटीपी तथा डब्ल्यूटीपी :

वहिःस्त्राव उपचार संयंत्र (ईटीपी) के लिए चार योजनाएँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लिए एक योजना तथा जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) के लिए एक योजना तैयार की जा चुकी है।

7.6 कोयला मंत्रालय द्वारा सीएमपीडीआई को भेजे गए कोयला खनिखंडों हेतु माइन क्लोजर प्लान पर त्वरित टिप्पणी :

विवेच्य वर्ष के दौरान 42 माइन क्लोजर प्लान पर त्वरित टिप्पणी तैयार कर कोयला मंत्रालय को भेज दी गई है।

7.7 स्लोप स्थायित्व/मृदाक्षरण नियंत्रण अध्ययन :

खुली खदान खान के लिए ढाल स्थायित्व अध्ययन और मृदा क्षरण नियंत्रण अध्ययन की आवश्यकता पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी पर्यावरणिक तथा वन स्वीकृति की शर्तों में से एक है। तदनुसार 2 ढाल स्थायित्व अध्ययन तथा हाई वाल के अलटीमेंट स्लोप एंगल का निर्धारण कार्य पूरा कर लिया गया।

इसके अतिरिक्त सीसीसीएल परियोजनाओं के 4 मृदा क्षरण नियंत्रण अध्ययन तथा सीसीएल परियोजनाओं के 3 टॉप मृदा प्रबंधन पूरा किया गया।

7.8 विश्व पर्यावरण दिवस समारोह :

विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 2013 को मनाया गया। सीएमपीडीआई के कर्मचारियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से अतिथि भाषण वृक्षारोपण, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा बच्चों के लिए ड्राईंग प्रतियोगिता आयोजित की गई।

8.0 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी :

घरेलू सहायता उपलब्ध कराने के अतिरिक्त सीएमपीडीआई का आईसीटी डिवीजन कोल इंडिया और अन्य सहायक अनुषंगी कंपनियों की परामर्शी सेवा दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान किए गए कुछ प्रमुख कार्यों को नीचे दिया जा रहा है।

1. मानव संसाधन सूचना से संबंधित मैनेजिंग एक्जीक्यूटिव के लिए एक सिस्टम की स्थापना करने हेतु वेब समर्थित एक्जीक्यूटिव सूचना प्रणाली का विकास और रख–रखाव आईसीटी विभाग द्वारा किया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान मैन पावर रिपोर्ट (कंपनीवार डिसिप्लिवार, ग्रेडवार–स्वीकृत स्ट्रेन्थ वर्किंग स्ट्रेंथ रिक्ति कार्य शक्ति की स्थिति) जिसे ईआईएस का प्रयोग कर बनाया गया उसे अब कोल इंडिया में सर्वमान्य रिपोर्टिंग मैकेनेजिम के रूप में मान लिया गया है। इसके साथ ही कोल इंडिया में सेवानिवृत प्रोफाइल
2. वेब समर्पित ऑन लाइन सिक्रूटमेंट अप्लीकेशन पोर्टल महानदी कोलफील्ड्स, सकतोरिया, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए परामर्शी सहयोग के तहत विकसित एक सफल परियोजना है। इसी प्रकार के पोर्टल को सीएमपीडीआई तक बढ़ाया गया है। यह एनसीडब्ल्यूए द्वारा शासित गैर–अधिकारी वर्ग के कर्मचारियों के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया को गति देने के लिए भर्ती अनुभाग हेतु एक टूल (उपकरण) है।
3. प्रबंधन प्रशिक्षु के लिए वेब समर्पित ऑनलाइन भर्ती अप्लीकेशन पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से प्रबंधन प्रशिक्षुओं की भर्ती की जा रही है। ऑन लाइन भर्ती, ई–रिक्रूटमेंट या वेब आधारित भर्ती उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए आन लाइन प्रौद्योगिकी अथवा इंटरनेट का प्रयोग, प्रतिभावान उम्मीदवारों की खोज करने तथा भर्ती प्रक्रिया में सहायता इसका उपयोग कर की जा सकती है। जांब बोर्ड या वेबसाइट पर जाब रिक्ति विज्ञापन चौबीसो घंटे और सातों दिन रहते हैं।
4. अधिकारियों के व्यक्तिगत विकास के लिए वेब साइट समर्थित ऑन लाइन कार्य निष्पादन रिपोर्ट (पीआरआईडी) यह प्रणाली अधिकारियों द्वारा तथा वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में रिपोर्टिंग अधिकारी की स्वीकृति द्वारा ऑन लाइन इन्ट्री गोल सेटिंग के लिए विकसित की गई है। यह प्रणाली अधिकारियों द्वारा किए गए उपलब्धि रिपोर्ट पर आधारित अर्द्ध वार्षिक तथा वार्षिक संवीक्षा करने में सुविधा प्रदान करेगी। व्यक्तिगत क्वालिटी तथा विशेष उपलब्धि के लिए रेटिंग के साथ–साथ लक्ष्य के लिए अधिकारियों के कार्य निष्पादन के अंतिम स्कोर का निर्धारण करने हेतु इस रेटिंग का इस्तेमाल किया जायेगा।
5. वर्ष 2013 के लिए कोल इंडिया के सभी अधिकारियों के लिए विकसित एवं कार्यान्वित ऑन लाइन वेब समर्थित प्रोपर्टी रिटर्न प्रणाली
6. वर्ष 2012 के लिए सीएमपीडीआई के सभी अधिकारियों हेतु स्कन्ड वार्षिक प्रोपर्टी रिटर्न प्रणाली के अपलोडिंग के लिए विकसित एवं कार्यान्वित की गई।
7. सीएमपीडीआई के सर्वर पर महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड का वेब साइट मेनटेन कर रहा है।
8. कोल इंडिया लिमिटेड के लिए ऑन लाइन भूमि सूचना प्रणाली (पहला चरण) की डिजाइनिंग तथा विकास प्रगति में है।
9. सीएमपीडीआई, मुख्यालय के सभी विभागों के

उपयोग के लिए बिल ट्रेकिंग प्रणाली विकसित

10. एसईसीएल तथा एनसीएल के लिए वेब समर्पित कन्ज्यूमर ग्रिवान्सेंस सिस्टम, विजिलेंस कम्प्लेन्ट्स सिस्टम विकसित किया गया।
11. ईसीएल तथा सीएमपीडीआई के लिए सीएसआर हेतु पोर्टल विकसित किया गया है
12. कोल इंडिया के लिए प्रोटोटाइप विजिलेंस क्लीयरेंस प्रणाली विकसित की गई है तथा कोल इंडिया सीवीओ के लिए प्रदर्शित किया गया है।

सीएमपीडीआई के आधारभूत संरचना की वृद्धिः

1. वेब सर्वर, इन्टरनेट लीज्ड लाइन बेंड–विड्श की सम्पर्कता (कनेक्टिवीटी) को विकसित करने के लिए इसे 10 एमपीएस से 20 एमपीएस तक बढ़ाया गया है।
2. सीएमपीडीआई के लिए लाइसेसिंग सर्वर कर रिप्लेसमेंट
3. अतिरिक्त एमएस ऑफिस लाइसेंस तथा कास्पर स्काई एन्टीवायरस सीएमपीडीआई के लिए प्राप्त कर लिया गया है।
4. नवीनतम विकास उपकरण के साथ ओराकल साफ्टवेयर की प्राप्ति।
5. क्षेत्रीय संस्थानों के लिए 71 डेस्क टॉप पीसीएस का रिप्लेसमेंट तथा 55 पीसीएस की एडिशनल प्राप्ति।
6. मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थान के लिए 21 वर्कस्टेशन का रिप्लेसमेंट तथा 3 अतिरिक्त वर्क स्टेशन की प्राप्ति
7. मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थानों के लिए वाइड फार्मेट स्केनर्स का प्रति स्थापन (रिप्लेशमेंट)

8.1 सूचना प्रबंधन प्रणाली :

प्रकाशन विभाग से संबंधित निम्नलिखित क्रिया–कलाप कार्य किए गए :

1. देशकाल सम्पदा का प्रकाशन–विवेच्य वर्ष के दौरान हमारे घरेलू मैगजीन के चार अंक (इश्यू) प्रकाशित किए गए। इसमें सम्पादन, डीटीपी कार्य, खाका और मैगजीन का प्रकाशन शामिल है।
2. माइनटेक ''माइनटेक'' का प्रकाशन किया गया। इसमें सम्पादन, डीटीपी कार्य, खाका और मैगजीन का प्रकाशन शामिल है।
3. मैगजीनों का प्रेषण–कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया अनुषंगी कंपनियाँ के मुख्यालयों और इकाइयों आदि जैसे विभिन्न स्थानों के लिए दोनों मैगजीनों के लगभग 14000 प्रतियाँ प्रेषित की गयी ।
4. पुस्तक का प्रकाशन– ''कोयला और इसके गुण (विशेषता) तथा गुणनिर्धारण'' नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया।

8.2 सतर्कता :

वर्ष 2013–14 के दौरान सीएमपीडीआई ने अच्छे गर्वनेंस को प्रोन्नत करने का प्रयत्न किया। विकसित मैकनिज्म तथा संगठन की प्रक्रिया में बेहतर गर्वनेंस परिणाम, पारदर्शिता, स्वच्छता, प्रोत्साहन, प्रतियोगिता, प्रौद्योगिकी की सिवरेंजिंग एवं प्रणाली में लूपहोल्स को दूर कर दिया है।

इस दिशा में वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान पूरे किए गए प्रमुख कार्य इस प्रकार है :

1. कंपनी में एक नये ई–प्रेरक्यूरमेंट सेल निर्मित की गई है। मुख्यालय में निश्चित थ्रेस होल्ड सीमा के ऊपर सभी संविदाएँ ई–प्रोक्यूरमेंट में निविदा जारी की जाती है।
2. आउटसोर्स द्वारा किए गए ड्रिलिंग के लिए बोरहोल्स के क्लोजर के बाद भू–भौतिकी लॉगिंग ऑन–लाइन कर दी गई है।
3. सम्पत्ति सूची प्रबंधन मानक को अंतिम रूप दे दिया गया है।
4. सीएमपीएफ तथा पेंशन के निपटारे के लिए सीएमपीएफ योगदान तथा सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट का डिजिटाइजेशन।
5. अधिकारियों का एपीआर 2012 को स्केन कर

वेब साइट पर डाल दिया गया है।

6. टीई विभाग में टेंडरिंग प्रक्रिया में सिस्टमेंटिक अध्ययन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आउटसोर्स हाउसकिपिंग में टेंडरिंग प्रक्रिया तथा फिडबैक प्रक्रियायें सुधार हुआ है।
7. पर्यावरणिक विभाग में सिस्टमेटिक अध्ययन किया गया तथा पर्यावरणिक डाटा प्रतिपादन पर टेंडरिंग प्रक्रिया तथा नियंत्रण विकसित करने के सुझाव दिए गए।

9. विशेष सेवाएँ :

9.1 जियोमेटिक्स :

सीएमपीडीआई, भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग, ओबी मेजरमेंट, वनस्पति आच्छादन मानचित्रण, डीजीपीएस सर्वे, भूमि उपयोग मानचित्रण, कोल माइन फायर मेपिंग, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भूमिगत खान–सह'संबंध सर्वेक्षण इत्यादि के लिए रिमोटसेंसिंग तथा सर्वेक्षण के क्षेत्र में सेवाएँ उपलब्ध कराता है।

9.1.1 सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) के जरिए खुली खानों का मॉनीटरिंग :

सीएमपीडीआई ने वर्ष 2008–09 से सभी खुली खदानों के भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग के लिए सेटेलाइट सर्वेलिएन्स शुरू किया है। विवेच्य वर्ष 2013–14 के दौरान हाई रिजोल्यूशन सेटेलाइन डाटा पर आधारित 5 मिलियन क्यूविक मीटर क्षमता (कोयला+ओवी) से अधिक वाले 50 ओपेनकास्ट परियोजनाओं का तथा 5 मिलियन क्यूविक मीटर (कोयला+ओवी) से कम उत्पादन करने वाले 32 ओसी परियोजनाओं का भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग कार्य पूरा किया गया है। बड़ी क्षमता वाले खानों (5 एमसीएम) में भूमि पुनरूद्धार की स्थिति का मानीटरिंग वार्षिक आधार पर किया जाता है तथा छोटे खानों (5एमसीएम) का तीन वर्ष के अंतराल (इंटरवल) पर किया जाता है।

9.1.2 वनस्पति अच्छादन मानचित्रण :

कोयला क्षेत्रों में भूमि उपयोग/वनस्पति आच्छादन पर कोयला खनन के क्षेत्रीय प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए छह कोयला क्षेत्रों, यथा–झरिया, तालचर, विश्रामपुर, वर्द्धा घाटी, काम्पटी तथा माकुम कोयला क्षेत्रों का वनस्पति अच्छादन मानचित्रण का कार्य पूरा कर लीया गया है।

9.1.3 भूमि उपयोग मानचित्रण :

पर्यावरणिक प्रबंधन योजना के लिए प्रतिपादित बेस लाइन सूचना हेतु ईसीएल, सीसीएल, एनसीएल, एसईसीएल तथा डब्ल्यूसीएल की 28 परियोजना के कोर जोन तथा बफर जोन का भूमि उपयोग/अच्छादन मानचित्रण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

9.1.4 कोयला खान में लगी आग का मानचित्रण तथा एमएफआईएस :

विवेच्य वर्ष के दौरान एलएएमडीएसएटी थर्मल इन्फ्रारेड डाटा पर आधारित झरिया, ईस्ट बोकारो, वेस्ट बोकारो, कर्णपूरा तथा रानीगंज कोयला क्षेत्रों में कोल माइन फायर का मॉनीटरिंग कार्य पूरा किया जा चुका है। अल्पीकरण (मिटिगेटिव) उपायों का प्लानिंग करने के लिए खान की आत (माइन फायर) के प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु जीआईएस प्लेटफार्म पर माइन फायर सूचना प्रणाली विकसित की गई है।

9.1.5 स्थलाकृतिक मानचित्रण :

सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से सुदूर संवेदन तकनीक पर आधारित 2 मीटर कंटूर अंतराल के साथ 1.5000 पैमाने पर 2727 कोयला क्षेत्रों का स्थालाकृतिक मानचित्रण का कार्य जारी है। सभी कोयला क्षेत्रों का एयर बोर्न डाटा प्राप्त कर लिया गया है ताकि डाटा प्रोसेसिंग का कार्य जारी है।

9.1.6 ओबीआर चेक मेजरमेंट :

वर्ष 2013–14 के दौरान कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियों के 141 खानों/आउटसोर्स किए गए पेचों में ओबीआर चेक मेजरमेंट का कार्य पूरा किया जा चुका है।

9.1.7 वन वाउण्डरी का डीजीपीएस सर्वेक्षण :

एमओईएफ के नवीनतम दिशा–निर्देशों के अनुसार डीजीपीएस का इस्तेमाल करते हुए खनन करने के

लिए प्राप्त की जाने वाली वन भूमि कर डीजपीएस सर्वे किया जाना है तथा सुपुर्द किए गए एफओई चरण–I वन क्लीयरेंस अप्लीकेशन के साथ–साथ शेष फाइल सुपुर्द किया जाना है। वन क्लीयरेंस के लिए विवेच्य वर्ष के दौरान 17 खनन परियोजनाओं में वन भूमि का डीजीपीएस सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है।

9.1.8 पट्टाधारी बाउण्डरी का जियो-रिफ्रेशिंग :

डजिटल कोड स्ट्रल मेप पर गारे–प्ट /1,2 एवं 3 के पट्टाधारी बाउण्डरी का जियोरिफ्रेशिंग तथा मेसर्स जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड के माइनिंग लीज के लिए एक आईएसएस IV + सीएआरटीओएसटी–II सेटेलाइट पर उसी प्रकार का सुप्रीम पोजिशन पूरा किया जा चुका है।

9.1.9 भूमिगत सह-सम्बन्धा सर्वेक्षण :

विवेच्य वर्ष के दौरान नरकाकोण्डा भूग खान का भूमिगत सह संबंध सर्वेक्षण किया गया है।

9.1.10 वाशरी अपशिष्टों की माप :

दुग्दा एवं मोजुडीह कोयला वाशरी में स्लरी एवं वाशरी अपशिष्टों की माप

9.1.11 ओबी डम्प का सर्वेक्षण :

सुरक्षा की दृष्टि से एनसीएल के सभी ओपेनकास्ट माइन में ड्रेगलाइन ओबी डम्प सर्वेक्षण नियमित रूप से किया जाता है।

9.1.12 परिव्यक्त खदान रिक्ति सर्वेक्षण :

माइन्ड आउट एरिया के पुनरूद्धार की ओर सीसीएस उपचारी उपयों को प्रतिपादित करने के लिए रिक्तियों में उपलब्ध खान जल की क्वालिटी तथा परित्यक्त खानों के समीप ओबी सामग्रियों की मात्रा का मूल्यांकन करने के लिए सीसीएल के अधिकार वाले फेज में परिव्यक्त खान रिक्ति सर्वेक्षण किया जाता है।

9.2 विस्फोटन

9.2.1 वर्ष 2013-14 के दौरान कार्यान्वयन के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

सी एम पी डी आई में नियंत्रण विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन, विस्फोटकों एवं सहायक सामग्रियों का परीक्षण, एच ई एम एम के लाभकारी उपयोग के लिए विखंडन मूल्यांकन एवं उन्नयन अध्ययन के क्षेत्र में मूल्य सम्बन्धित सेवा देने में तकनीकी विशेषज्ञता एवं क्षमता के विकास को बढ़ाया है। इसके पास जटिल विस्फोटन समस्याओं जैसे नई प्रौद्योगिकी/अवधारणा के समावेशन, कास्ट ब्लास्टिंग, विस्फोटन द्वारा इन्डयूरूड केबिंग, होट स्ट्राय में विस्फोट, संरचनात्मक विघटन की समस्या को सुलझाने में इसके पास सुरक्षित आधार है। इसके अतिरिक्त विस्फोटन के क्षेत्र में कोल इण्डिया द्वारा निधिकृत गर्म संस्तर, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। कोयला खानों में उत्पादन, उत्पादकता तथा सुरक्षा के सुधार के लिए अनुसंधान एवं विकास बोर्ड भी कार्यान्वयन के अन्तर्गत है।

सीएमपीडीआई हाई स्पीड कैमरा, इन–दिहोल वीओडी मेजरमेंट, फैगमेंटेशन असेसमेंट एंड मेजरमेंट वाई वीप फ्रैग साफ्टवेयर ब्लास्ट सिमुलेशन बाई जेके सीम ब्लास्ट तथा विस्फोटक एवं सहायक सामग्रियों के परीक्षण के लिए हाई फ्रिक्वेंसी ओस्कीलोस्कोप बिद हाई सेम्पलिंग रेट जैसे आधुनिकतम उपकरणों से सुसज्जित है।

9.2.2 वर्ष 2013-14 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों तथा बाहरी एजेंसियों को निम्नलिखित तकनीकी सेवाएँ दी गई :

1. नियंत्रित विस्फोटन एवं कंपन अध्ययन : मेसर्स मध्य भारत पावर कारपोरेशन लिमिटेड की एक सुरंग (टनल) तथा बीसीसीएल एवं सीसीएल की 8 खानें
2. विस्फोट पारामीटर का अनुकूलन तथा पाउडर फेक्टर अध्ययन का इम्प्रुवमेंट– बीसीसीएल तथा एमसीएल की 2 खानें
3. सीसीएल, बीसीसीएल तथा एनईसी तथा लिग्नाइट कारपोरेशन की खानों में विस्फोटकों तथा इसकी सहायक सामग्रियों का रेण्डम सेम्पलिंग तथा जाँच

4. मेसर्स केनन उकरली एवं कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के कन्सट्रक्शन ब्लास्टिंग के लिए ड्रिलिंग तथा विस्फोटन पारामीटर उपलब्ध कराना।
5. शेषण पावर लिमिटेड में विस्फोटक तथा विस्फोट डिजाइनका कार्य निष्पादन मूल्यांकन
6. डिजिटल इमेज के विश्लेषण द्वारा एमटी/एसटीओसीपी तथा जिनगोरा हायर्ड पेंच लोदना एरिया, बीसीसीएल में विस्फोटन का वैज्ञानिक अध्ययन
7. सेंट्रल कजोरा कोलियरी, ईसीएल में लोंग होल ब्लास्टिंग का विस्फोट डिजाइन

9.2.3 वर्ष 2013-14 के दौरान कार्यान्वयन के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास परियोजना

1. एनआईटी के सुरक्षा काल के सहयोग से विस्फोटक ऊर्जा उपयोग पर आधारित विस्फोटक ब्लास्ट परिणामों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन
2. आईआईटी के जीपी तथा सेल (आरडीसीआईएस) के सहयोग से ब्लास्ट इनडयूस्ड डायनेमिक लोडिंग के अंतर्गत विकास एवं डिपलिरिंग पेनस में बोल्ट विहेवियर की जाँच

9.3 खनन इलेक्ट्रॉनिक्स

सी एम पी डी आई का इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भूमिगत तथा खुली खानों के लिए पर्यावर्णिक पारामीटरर्स के टेली मॉनिटरिंग नेटवर्क संचार की स्थापना करने हेतु संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत डिजाइन रिपोर्ट तथा निविदा दस्तावेज तैयार करने में सहायता देता है। यह सुरक्षा के लिहाज से भूमिगत खानों में प्रयुक्त मिथेन गैस संसूचक (डिटेक्टर) की मरम्मती एवं अंशशोधन (सेलिब्रेशन के साथ–साथ आयातित/स्वदेशी एच ई एम एम कार्डों की मरम्मत करने में अनुषंगी कम्पनियों की मूल्यवान सहायता भी प्रदान करता है। इस विभाग ने खुली खानों तथा भूमिगत खानों के लिए आर डी एवं एस एण्ड टी परियोजनाओं को भी अपने हाथ में लिया है। विवेच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किए गएः–

9.3.1 रिपोर्ट/योजना/ एवं एनआईटी की तैयारी

1. हरी खण्ड कुन्दिया एमसीएल के पर्यावरणिक टेली–मानीटरिंग प्रणाली के (ईटीएस) के लिए ईएनआईटी सुपुर्द की जा चुकी है तथा स्वांग, सीसीएल के लिए प्रगति में है।
2. दबे हुए (ट्रेप्ड) भूमिगत माइनर्स से सम्पर्क करने तथा पता लगाने के लिए समेकित संचार प्रणाली पर कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना संस्थापित है।चरण–1 एवं चरण–2 का क्षेत्रीय परीक्षण पूरा किया जा चुका है तथा तीसरे चरण का क्षेत्रीय परीक्षण भुरकुण्डा कोलियरी, सीसीएल में पूरा कर लिया गया है।
3. खुली खानों के लिए ''समेकित डम्पर कोलिजन अवायडेन्स प्रणाली के स्वदेशी विकास'' पर कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास की परियोजना–सीसीएल के डीएच ओसी में प्रोटोटाइप के लिए क्षेत्रीय परीक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है।
4. भूमिगत खान के लिए टेली रोबोटिकल तथा रिपोर्ट आपरेशन प्रौद्योगिकी के विकास पर'' कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अनुसंधान एवं विकास परियोजना रोबोट के 30 मॉडल की डिजाइन पूरी की जा चुकी है तथा यांत्रिकी प्रणाली के कुछ मेनुफेक्चरिंग तथा एसेम्बली सीएमआरआई, दुर्गापुर में प्रगति पर है तथा सीएमआरआई, धनबाद में बेतार सेंसर डाटा पुनः प्राप्त करने के लिए भू–तकनीकी सेंसर तथा वायरलेस मोट समेकित करने हेतु अनुकूल मोडयूल अभिकल्पित एवं विकसित किया जा रहा है।
5. कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों तथा बाहरी एजेसिंयों की परियोजना रिपोर्ट में शामिल करने के लिए 24 भूमिगत खानों तथा खुली खनन परियोजना हेतु इलेक्ट्रानिक्स तथा दूर–संचार पर अध्याय (चैप्टर) तैयार

किया जा चुका है।

9.3.2 मरम्मती/अंश शोधन/इलेक्ट्रनिक कार्डों का परीक्षण/गैस मानीटर्स

1. एचईएम कार्डों की मरम्मती : 205
2. मिथेन मीटर की मरम्मती तथा अंशशोधन : 81

9.4 कोयला प्रौद्योगिकी

कोयला से तरल (सीटीएल) में बदलने के लिए स्वदेशी अन्प्रेरक के विकास पर आरएंडडी परियोजना संयुक्त रूप से खान से सीआइएमएफआर, धनबाद के साथ प्रगति पर है। सितम्बर, 2014 तक इस परियोजना को पूरे किए जाने की संभावना है।

9.5 प्रबंधन प्रणाली परामर्शी सेवाएँ

सीएमपीडीआई ने विभिन्न प्रबंधन प्रणालियों जैसे आईएसओ 9001, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम (क्यूएमएस), आईएसओ, पर्यावरणिक प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस), ओएचएसएएस 18001, ओक्यूपे शनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम (ओएचएसएमएस), आईएसओ 2001, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस, आईएसओ 5001, ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएनएमएस) एसए–5000 सोसल एकाउन्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम (एसएएमएस, आईएसओ 17025 (कम्पीटेन्स ऑफ टेस्टिंग एंड सेलिब्रेमन लेबोटेरीज) के प्रमाणन में कार्यान्वयन एवं सहायता के लिए परामर्शी सेवाओं के क्षेत्र में अपनी समहर्यता का विस्तार किया है।

सीएमपीडीआई इस तरह का सभी परामर्श या तो विशिष्ट प्रबंधन प्रणाली मानक या समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) के माध्यम से देता है जो साथ–साथ विभिन्न संयोजनों (कम्बीनेशन) के तहत अपेक्षा के अनुरूप हो।

सीएमपीडीआई निर्माण एवं प्रबंधन प्रणाली के प्रलेखन की सुविधा देता है तथा उपयुक्त वर्णित सभी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रशिक्षण तााि ऑडिटिंग सपोर्ट, प्रावदिक कार्यान्वयन प्रमाणन सपोर्ट तथा प्रमाणान्तरोत्तर सपोर्ट/सहायता इत्यादि उपलब्ध कराता है।

9.5.1 कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों के लिए प्रबंधान प्रणाली परामर्श

कोल इंडिया लिमिटेड में इस तरह के सभी कार्यों को करने के लिए नोडल संगठन होने के नाते सीएमपीडीआई विभिन्न खुली खानों, एवं भूमिगत खानों, अस्पतालों, वर्कशॉप, वाशरी, प्रशिक्षण इत्यादि में अंतर्राष्ट्रीय मानकों आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, ओएचएसएएस 18001, आईएसओ 17025 के मुकाबले कुल 180 प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कोल इंडिया के सभी अनुषंगी कंपनियों को सुविधा प्रदान की है।

इसके अतिरिक्त इन दो सहायक कंपनियों यथा एमसीएल तथा एनसीएल को कंपनी स्तर पर समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस इन्टीग्रेटिंग आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 तथा ओएचएसएएस 18001) प्राप्त करने की सुविधा दी गई। कोल इंडिया की सहायक कंपनी के लिए इस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करने वाली कंपनी बन गई है।

प्रबंधन प्रणाली डिविजन में टीम ने 2 सहायक कंपनियों यथा एसईसीएल तथा एनसीएल को सोसल एकाउन्टेबिलिटी प्रबंधन प्रणाली, एसए प्राप्त करने में समन्वय एवं सहायता की है।

9.5.2 वर्ष 2013-14 के दौरान पूरे किए गए कार्य

विवेच्य वर्ष 2013–14 के दौरान सीएमपीडीआई मार्ग–दर्शन (गाइडेंस) के अंतर्गत विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानकों के लिए 65 यूनिटों का प्रमाणन/पुनर्प्रमाणन प्राप्त किया गया, जिसमें 36 नये प्रमाणित यूनिट तथा 27 पुनर्प्रमाणित यूनिट शामिल है। विवेच्य वर्ष के दौरान लगभग 77 लाख रूपये का प्रबंधन प्रणाली परामर्शी सेवाएँ पूरी की गई।

9.5.3 चालू कार्य

एमसीएल तथा एनसीएल में कंपनीवाइड इन्टीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम की सफलता की दृष्टि से कोल इंडिया की शेष बाहरी सहायक कंपनियों के लिए कोलकाता में सीएमडी की 82वीं बैठक के दौरान

कंपनीवाइड आईएमएस कार्यान्वयन का प्रस्ताव तैयार किया गया। सभी अध्यक्ष–सह–प्रबंधन निदेशकों द्वारा इस सहमति दी गई। आईएमएस के इस प्रकार के कार्यान्वयन के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

सीएमपीडीआई ने राँची में सीसीएल, गांधीनगर अस्पताल कें लिए (नेशनल एक्रीडियेशन बोर्ड फोर हॉस्पीटल एंड हेल्थकेयर सर्विसेज) एनएबीएच प्रमाणन परामर्शी सेवा भी शुरू की है। हमारी परामर्शी सेवा के अंतर्गत एनएबीएच से मान्यता प्राप्त होने वाला यह कोल इंडिया का पहला अस्पताल होगा।

10. सामग्री प्रबंधन :

10.1 स्क्रैप तथा परित्यक्त (अबसोलिट) मदों का निपटान :

विभिन्न विभागों तथा क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा सुपुर्द अनुमोदित सर्वे ऑफ रिपोर्ट के आधार पर नियमित रूप से स्क्रैप तथा परिव्यक्त मदों का निपटान किया जाता है। कम्पनी ने मेसर्स एम एल टी सी के साथ विक्रय एजेन्सी करार किया है जिससे ई ऑक्सन के माध्यम से इस तरह के मदों को ऑफ लाइन निपटान करना आसान हो गया है। पुनरीक्षण के अन्तर्गत विवेच्य वर्ष के दौरान वार्षिक लक्ष्य 102.00 लाख रूपये के मुकाबले 107.00 लाख रूपये मूल्य के स्क्रैप तथा परित्यक्त मदों का निपटान किया गया है।

10.2 वस्तु-सूची नियंत्रण

विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा विभिन्न स्थलों पर 55 ड्रिल लगाये गए हैं जो लगातार संचालन में है। इन ड्रिलों के परिचालन के दौरान उपभोग्य सामग्री जैसे ड्रिल रॉड, कोर बैरल, ड्रिल बीट, टी सी बीट आदि की नियमित आवश्यकता पड़ती है इसलिए सत्त परिचालन के लिए इन मदों का पर्याप्त भण्डार रखना पड़ता है। वस्तु सूची नियंत्रण के भाग के रूप में वस्तु सूची के नियंत्रण को रोकने के लिए उपयोग्य सामग्री के चरणबद्ध तरीके से आपूर्त्ति हेतु आपूर्त्ति आदेश जारी किए जाते हैं। दिनांक 31.03.2013 के अनुसार वस्तु सूची का मूल्य 550.00 लाख रूपये के मुकाबले 31.03.2014 के अनुसार 524.00 लाख रूपये मूल्यांकित किया गया। इसलिए वस्तु सूची में गिरावट आई है। वस्तु सूची में मुख्य रूप से ड्रिल रॉड, केसिंग, ड्रिल बिट, कोर बैरल, टंगस्टेन कार्बाइड (टी सी) आदि है। वर्ष 2012–13 के दौरान फ्लीट में शामिल किए गए 4 हाइड्रोलिक ड्रिल की सहायक सामग्री तथा उपयोग्य शामिल हैं। सामग्रियों के फ्रेश लॉट को आपूर्त्ति के पहले इस वस्तु सूची का यथासमय उपयोग कर लिया जाएगा।

10.3 विभिन्न प्रयोगशाला मद से सम्बन्धित प्राप्ति

सी एम पी डी आई की योजना के अनुसार सी एम पी डी आई (मुख्यालय) तथा क्षेत्रीय संस्थानों में अतिरिक्त परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला का विस्तार किया गया है। विवेच्य वर्ष 2013–14 के दौरान प्रयोगशाला में 45 नये उपकरण शामिल किए गए जिसमें नये जॉब को कार्यान्वित करने के लिए प्रयोगशाला की क्षमता में वृद्धि की है।

10.4 ड्रिलिंग से सम्बन्धित सामग्रियों की खरीद

सी एम पी डी आई के ड्रिलिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय पर ड्रिलों इसकी सहायक सामग्रियों तथा उपयोग्य सामग्रियों की खरीद जरूरी है। इन आइटमों के लिए प्राप्त सभी इंडेन्ट को यह सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर अन्तिम रूप दे दिया गया है ताकि क्षेत्रीय संस्थानों के पास न तो ड्रिल की कमी हो और न ही उपयोग्य की, जिसके कारण ड्रिलिंग कार्य बाधित न हो। क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा अपेक्षित मदों को समय पर उपलब्ध कराया गया है। इसलिए किसी भी ड्रिलिंग कैम्प से उनकी आवश्यकताओं को पूरा न करने सम्बन्धी किसी तरह की शिकायत का उदाहरण भी नहीं हैं। सतत् परिचालन को ध्यान में रखकर इन मदों का पर्याप्त भण्डार रहा।

10.5 ड्रिल मशीनों की खरीद

वर्ष 2013–14 के दौरान 4 मैकनिकल ड्रिल प्राप्त किए गए विवेच्य वर्ष के दौरान 4 मैकनिकल ड्रिलों

के लिए आदेश दिया गया, जो वर्ष 2013–14 में प्रापत कर लिया गया।

1.00 रूपये अवथा उससे अधिक मूल्य की सभी निविदाएँ इन्ट्रीग्रिटी पैक्ट कार्यान्वित की जा चुकी है। दो स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर (आईईएमएस) इस निविदा के जुड़े हुए हैं।

श्री एस.नरसिंहन, आईपीएल(अवकाश प्राप्त) तथा श्री एन.आर.बनर्जी, आएएस (अवकाश प्राप्त) 12.11. 2013 तक हमारे आईएमएस थे। उनके कार्यकाल के दौरान नियतकालीक बैठक आयोजित की गई तथा अच्छा संबंध रहा। उनका कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण कोल इंडिया द्वारा सीएमपीडीआई के लिए दो आईएमएस श्री पे. (डा.) एल.सी.सिंह, आईएसएस (अवकास प्राप्त) तथा डा. एस..एम. झावल (आईईएस) (अवकाश प्राप्त) जुड़ गए हैं।

10.6 ई-प्रोक्योरमेंट का सूत्रपात :

आईटीआई पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं की प्राप्ति के लिए वर्ष 2010 में सीएमपीडीआई में ई प्रोक्योरमेंट प्रणाली (ईटीपीएस) कार्यान्वित की गई। हलॉकि अन्य संविदाओं जैसे कि कार्य एवं सेवाओं निविदा नवम्बर, 2012 से की जा रही है। सीएमपीडीआई द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सभी निविदा/प्रोक्योरमेंट केवल ईपीएस के माध्यम से तैयार किया जाना चाहिए, यद्यपि कार्य एवं सर्विस कंट्रेक्ट के लिए सर्विस प्रोवाइडर सीएमपीडीआई में उपलब्ध नहीं था, सक्षम महाधिकारी द्वारा एनआईसी मॉडयूल को अपनाने का निर्णय लिया गया जिसका इस्तेमाल एमसीएल में किया जा रहा है। एमसीएल द्वारा इस्तेमाल के लिए एमसीएल–एनआईसी मॉडयूल कंस्टमाइन्ड किया गया सीएमपीडीआई में खासकर टर्न की कंट्रेक्ट के लिए इस प्रणाली को कार्य योग्य बनाने के लिए कई रूपांतरण किए गए।

यह मेनटेन करने के लिए उपयुक्त है कि भारत में सार्वजनिक उपक्रमों के इतिहास में पहली बार सीएमपीडीआइ ई–प्रोक्योरमेंट प्रणाली के माध्यम से टर्न की टेंडर को अंतिम रूप देने में सीएमपीडीआई समर्थ हो गया है। टर्न की टेंडर को अंतिम रूप देने में सीएमपीडीआई समर्थ हो गया है। टर्न की निविदा के लिए सीएमपीडीआई द्वारा विकसित मॉडयूल की एनआईसी द्वारा काफी प्रशंसा की गई है। ईटीपीएस के कार्यान्वयन का तत्काल लाभ निविदा, पेपर कार्य में कमी तथा प्रतियोगितात्मक मूल्य को अंतिम रूप देने के लिए लीड टाइम में पूर्ण पारदर्शिता, यथेष्ट कमी आ गई है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान सीएमपीडीआइ ने लगभग 1109 करोड़ रूपये मूल्य का 4 टेंडर ईपीएस के माध्यम से जारी किया है, जिसमें 29 टेंडर को अंतिम रूप दे दिया गया है।

11.0 मानव संसाधन विकास :

वर्ष 2013–14 के दौरान महत्वपूर्ण निम्नलिखित क्षेत्रों में सीएमपीडीआई के कर्मचारियों को जानकारी दी गई :

महत्वपूर्ण क्षेत्र	एसटीसी	आईआईसीएम	बाहरी	विदेश में	कुल
प्रबंधकीय	289	51	57	0	397
तकनीकी कार्यकारी	421	15	134	5	575
क्रय फंक्शनल	58	17	43	0	118
कुल	**768**	**83**	**234**	**5**	**1090**

निम्नलिखित क्षेत्रों में वर्ष 2013–14 के दौरान सीएमपीडीआई तथा कोल इंडिया के बीच किए गए समझौता संलेख (एमओयू) के अनुसार सीएमपीडीआई के अधिकारियों के दिए गए प्रशिक्षण उपर्युक्त विवरण में शामिल हैं।

1. परियोजना प्रबंधन में प्रमाणित प्रशिक्षण : 25 अधिकारी
2. संविदात्मक (कन्ट्रेक्ट) प्रबंधन में प्रमाणित प्रशिक्षण–15
3. पर्यावरण, वन प्रबंधन तथा भूमि अधिग्रहण में औपचारिक प्रशिक्षण अधिकारी
4. जोखिम प्रबंधन में औपचारिक प्रशिक्षण 2 अधिकारी

निम्नलिखित क्षेत्रों में अपने अधिकारियों को विशेष एक्सपोजर दिया गया :

विदेश में प्रशिक्षण :

वर्ष 2013–14 के दौरान सीएमपीडीआई के कुल 5 अधिकारियों ने सेमिनार/सम्मेलन/प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए विदेश का दौरा किया।

बाहरी प्रशिक्षण :

प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण, सम्मेलन, कार्यशाला, संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए काफी संख्या में अधिकारियों को विभिन्न संस्थानों/जगहों में भेजा जा रहा है। इस वर्ष 234 अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भारत के कई जगहों में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया है। इसका नामांकन प्रायः मुख्यालय के विभागाध्यक्षों तथा क्षेत्रीय संस्थान के क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा किया जाता है तथा अनुसंधान कंपनी की आवश्यकतानुसार अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है। कुछ वैसे विषय जिस पर अधिकारियों ने प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमिनार, सम्मेलन आदि में भाग लिया की सूची नीचे दी गई है :

- भविष्य के लिए अधिकारी सचिवों की विकसित सक्षमता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- गवर्नेन्स में अन्तर्विष्ट भ्रष्टाचार, कदाचार तथा अभाव के लिए सर्तकता जागरूकता एवं निवारक सतर्कता ठोस संरचना पर गैर विध्वंसक तथा मूल्यांकन पर कार्यक्रम
- स्टेट आफ आर्ट विल्डिंग प्रौद्योगिकी पर माइल्ड टर्मसेसन तथा सेमिनार
- कोयला परिष्करण 2013 पर अन्तर्राष्ट्रीय कान्केंस एक्स पो
- आगे की ओर बढ़ने के लिए कायम रखने योग्य तथा उत्तरदायी खनन पर राष्ट्रीय सेमिनार
- कोयला, फाउडर, स्टील तथा सम्बद्ध सेक्टरों में बढ़ते हुए उत्पादन तथा उत्पादकता पर राष्ट्रीय सेमिनार
- कर्बन एमबीटी सस्टेनबलिटी तथा रेन्यूबुल उर्जा पर कार्यक्रम
- पर्यावरणिक मुद्दे तथा सम्बद्ध उद्योगों के प्रबंधन के लिए हाल की तकनीक का कार्यक्रम
- डीजीएमएस, मुख्यालय में 1 दिन तकनीकी वर्कशाप में भाग लेने के लिए मनोयन (नोटिफिकेशन)
- परियोजना प्रबंधन : प्रोजेक्ट एमजीटी (सीआईपीएम) में प्रमाण पत्र लिडिंग करने के लिए प्रोजेक्ट एमजीटी के टोटलिटी पर तीन दिनों की काय्रशाला
- सिवरेज प्रणाली तथा सिवरेज ट्रीटमेंट की प्रौद्योगिकी में हाल के ट्रेंड पर कार्यक्रम
- पीएसईएस बैंकों, सम्बद्ध निकायों तथा सरकारी संस्थानों में एससी,एसटी, ओबीसी पर आरक्षण नीति का कार्यान्वयन
- संविदा तथा उनका प्रबंधन
- कोल इंडिया की कंपनियों के लिए कानून की पूर्णता में प्रशिक्षण
- समेकित ईप्रक्यूरमेंट प्रणाली पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम
- ग्राउण्डवाटर रिसोर्स प्राक्कलन पर पुनःश्चार्य पाठयक्रम (रिफ्रेशर कोर्स)
- आईसीएसआई द्वारा सेवा कर पर एक दिन का सेमिनार
- ग्राउण्डवाटर रेगुलेशन तथा नियंत्रण
- आईसीएआई, रांची द्वारा सेवा कर पर एक दिन का सेमिनार, ग्राउण्डवाटर रेगुलेशन तथा नियंत्रण पर प्रशिक्षण कोर्स
- परियोजना निहित मॉडल पर वाशरियों की स्थापना
- वीमेन इनपावरमेंट एंड डीएवी प्रिग सोसाईटी प्रोग्राम में घर तथा कार्यस्थल पर जेंडर इशू पृथककरण तथा समानता पर प्रशिक्षण।
- पब्लिक सेक्टर–विपस कोल इंडिया मुख्यालय

तथा काडीनेटर मीट में महिलाओं के फार्म का वार्षिक सेमिनार

- भारतीय कोयला शेष सम्मेलन
- पावर फैक्ट्री पर अल्पकालीन पाठ्यक्रम
- 23वाँ विश्व खनन कांग्रेस तथा एक्सपो
- जीयो स्पेटियल प्रोद्यौगिकी तथा इसके अप्लिकेशन
- फर्स्टएड (प्रारंभिक चिकित्सा) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- परियोजना प्रबंधन प्रशिक्षण एवं प्रमाणन मौजूद
- रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए भारत में ओडोर (गंदरहित) मूल्यांकन तथा नियंत्रण पर राष्ट्रीय सेमिनार
- उन्नत कोरिडोर पर सेमिनार
- क्षेत्रीय एचआर कांफ्रेस 2013
- जीडब्लयू अध्ययन के लिए सुदूर संवेदन एवं जीआईएस अप्लिकेशन
- राडार रिमोट सेंसिग पर दो सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण कोर्स
- खनन गवेषन तथा ट्रेड शो (माइनिंग मजमा)
- आइएसओ 27001 तथा 2006 के लिए सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली
- एक्यूफायर माप नियंत्रण के लिए सतही भूभौतिकी तकनीक का अप्लिकेशन
- एक्यूफायर मान चित्रण बोर होल भूभौतिकी तकनीक का अप्लिकेशन
- बोर्ड एवं वरीय स्तर के अधिकारियों के लिए त्रिदिवसीय आवासीय बोर्ड का कार्यक्रम
- खनिज उद्योग में व्यापार निवेश के स्तर पर राष्ट्रीय सेमिनार
- विस्फोटक तथा विस्फोटन तकनीक पर राष्ट्रीय सेमिनार
- प्रर्दशनी कॉन्वेशन तथा ट्रेड शो (माइनिंग मजमा) 2013
- माइक्रोलाजीकल तथा टॉक्सीलाजिकल पारा मीटर में सीएमपीडीआई के कार्मिकों का प्रशिक्षण
- परियोजना प्रबंधन प्रशिक्षण तथा प्रमाणन मौजूद
- खनन उद्योग के लिए सीजीटी का तीन दिवसीय वर्कशॉप कला एवं विज्ञान
- भारतीय ब्यूरो माइन्स द्वारा राष्ट्रीय डब्ल्यू/एस
- स्तही तथा भूमिगत दोनो माइनिंग प्रोद्यौगिकी का माइनिंग मिशनरी पर विस्तृत कार्यक्रम
- स्तही जल के लिए गणितीय माडलिंग
- मइनिंग इन्डस्ट्रीज चाइलेंज तथा अवसर (एमआईसीओ–13) पर रास्ट्रीस सेमिनार
- चुम्बकीय प्रैक्टिस परीक्षण (एमपीटीआईटी)
- कोयला, तेल, पावर तथा सम्बद्ध सेक्टर में आधारभूत संरचनात्मक विकास के उत्पादक चैलेंज पर राष्ट्रीय सेमिनार
- गैर विध्वंसक प्रशिक्षण पर 14 वाँ एशिया पैशेफिक कॉफ्रेस
- भविष्य के विकास के लिए एकाउन्टेंसी प्रोफेशन इमर्जिंग पर अन्तराष्ट्रीय सेमिनार
- पर्यावरण की तुलना में खनिज स्रोतों के दोहन का सस्टेनेबुल डेवलपमेंट पर अल्पकालीन पाठ्यक्रम
- पोस्ट माइन माइनिंग साईट रिस्टोरेशन, रिफारेस्ट्रेशन, सीएसआर तथा नदी प्रणाली प्रौद्योगिकी पर अल्पकालीन पाठ्यक्रम
- जीवन (सेवानिवृति योजना) पर कार्यक्रम
- परियोजना जोखिम प्रबंधन में प्रमाण पत्र लिडिंग करते हुए परियोजना जोखिम प्रबंधन पर कार्यक्रम
- एचआर ऑडिट पर एक दिवसीय कार्यशाला
- पर्यावरण मूल्यांकन (ईआईए) प्रक्रिया तथा प्रासिडोर (एमओइएफ) में वर्तमान आवश्यकता
- अधिकारी प्रबंधन नियंत्रण के लिए आंतरिक

अंकेक्षण पर आधारित जोखिम

- वर्कशाप कार्यनिष्पादन में तेजी लाते हुए सचिवीय प्रभावकारिता
- ड्रैगलाइन माईनिंग प्रोस्पेक्ट्स तथा चुनौती पर सेमिनार
- झारखंड माईनिंग कन्कलेव चैलेंज तथा अवसर
- ओसी प्रौद्योगिकी 2013 विकसित करते हुए कॉन्वेयस पर सेमिनार
- कोयला एवं ऊर्जा टेक्नोलॉजिकल एडवांस तथा विज्ञान की चुनौतियों पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन
- गवर्नेंस में अन्तरविष्ट भ्रष्टाचार, कदाचार तथा डिफिसिट के लिए सतर्कता जागरूकता हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला
- आइएसओ–270011–2005 के लिए सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली
- डीपीई द्वारा जारी संशोधित सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी विकास पर एक दिन का सेमिनार
- भारतीय जीओ स्पेटियल फार्म 2014
- ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली पर मुख्य अंकेक्षण पाठ्यक्रम
- खनन तथा सम्बद्ध उद्योगों में पर्यावरणिक प्रबंधन तथा प्रचलित प्रैक्टिस पर अंतराष्ट्रीय संगोष्टि
- 5वाँ एशियन माईनिंग प्रदर्शनी कोलकाता
- 6ठा भारतीय खनिज कांग्रेस एवं प्रदर्शनी
- 24वें राष्ट्रीय मीट में भाग लेने के लिए विप्स के सदस्य
- आयरन स्टील बनाने में स्वचालन तथा सूचना प्रोद्यौगिकी पर चतुर्थ अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन
- सेमिनार तथा व्यापार नेटवर्किंग काकटेल एवं डिनर इवेंट
- कोयला उद्योग में महिला कामगारों के लिए सशक्तिकरण
- कोल इंडिया मेडिकल सेमिनार
- स्टेज प्रबंधन
- कंपनी अधिनियम 2013 तथा सेवा कर पर सेमिनार
- नेचुरल रिर्सोस पर माडलिंग बीएसडब्ल्यूजी 2014 के लिए जीओ स्टेटिक्स ब्रेन स्ट्रॉमिंग वर्कशॉप
- माइनिंग प्लानिंग पोस्ट माइन साइट रिस्टोरेशन सीएसआर–ईएमपी समेकित पर अल्पकालीन कार्यक्रम

ख आई आई सी एम में प्रशिक्षण

आई आई सी एम के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक वर्ष मानव संसाधन विकास प्रभाग आई आई सी एम में बड़ी संख्या में वरीय अधिकारियों तथा मध्यम स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए नामित करता है। कम्पनी तथा ग्राहकों की आवश्यकता पर आधारित विभिन्न विभागाध्यक्षों एवं क्षेत्रीय निदेशकों की अनुशंसा के अनुसार नामांकन किया जा रहा है।

वर्ष 2013–14 के दौरान आई आई सी एम में 83 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

कुछ विषय नीचे सूचीबद्ध हैः–

- सेवानिवृत अधिकारियों के लिए कार्यक्रम
- सूचना अधिकर अधिनियम 2005
- वरीय अधिकारियों के लिए कम्पयूटर बेसिक
- समान एवं सेवा कर तथा प्रत्यक्ष कर कोड
- कंट्रेक्ट लेबर एक्ट पर समकालीन मुद्दे
- सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम
- कोल प्रिपरेशन पाथ अहेड पर छोटा कार्यक्रम
- संविदा प्रबंधन पर कार्यक्रम
- अतिरिक्त दवाब के स्वप्रबंधन पर अल्पकालीन कार्यक्रम

- एचआरए स्ट्रटिजिक मैनेजमेंट पार्टनर
- उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम
- एचआर मैनुअल कार्यक्रम
- एसपी 11 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व
- विद्युत एवं यांत्रिकी अभियांत्रिकी के लिए एफएम–2 फंक्शनल स्कील कार्यक्रम
- एसपी 12 अल्पकालनी कार्यक्रम
- एलडीपी 1 लीडरशीप डेवलपमेंट कार्यक्रम
- इन्टरप्राइज रिड्युश रिर्सोस प्लानिंग तथा सतर्कता जागरूकता पर अल्पकालीन कार्यक्रम
- कुल लागत प्रबंधन पर कार्यशाला
- खनन अभियांत्रिकी के लिए एमआईएन–2 फंक्शनल स्कील प्रोग्राम
- भूमि अधिग्रहण तथा आरएंडआर पर एसपी–17 अल्पकालीन कार्यक्रम
- एसपी–16 अल्पकालीन कार्यक्रम –सेवा विधि शास्त्र
- (उत्कृष्ट संस्थान के सहयोग से) कोयला कंपनियों के लिए एसपीएल–3
- कार्यो का ई–टेंडरिंग
- अस्पताल प्रबंधन एवं प्रशासन पर एचएमए कार्यक्रम
- राजभाषा के उपयोग के लिए विशेष 19 अल्पकालीन योजना

स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षण

गैर अधिकारियों का प्रशिक्षण तथा सी एम पी डी आई से सम्बन्धित अधिकारियों का प्रशिक्षण स्टॉफ ट्रेनिंग कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 के दौरान स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में कुल 768 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रशिक्षण, कार्यशाला इत्यादि में भाग लिया है।

नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त कम्पनी की आवश्यकता के अनुसार एस टी सी, सी एम पी डी आई में अधिकारियों के लिए जैसे कि (भू–विज्ञान, भू–भौतिकी) एम टी के लिए टेक्नीकल स्किल नॉलेज का फंक्शनल एवं अपग्रेडेशन माइनेक्स साफ्टवेयर पर विशेष तकनीकी कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण/कार्यशाला के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित थे

- ऑटोकैड 3डी मॉडलिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम
- आईसीआरआईएस के अंतर्गत डॉटनेट टेक्नोलॉजी तथा साफ्टवेयर के अप्लीकेशन पर प्रशिक्षण
- ऑटोकेड मैप 3डी पर प्रशिक्षण
- संविदा प्रबंधन प्रमाणन कार्यक्रम
- माइन प्लानिंग सॉफ्टवेयर पर वर्कशॉप प्रजेंटेशन
- आईएसओ 9001, आईएसओ–14001 तथा अन्य प्रबंधन योजनाओं का मूल मूल्यांकन
- वुलकेन माइन प्लानिंग साफ्टवेयर की प्रस्तुति एवं वर्कशाप
- ड्रिलिंग प्रैक्टिस पर एक दिन का वर्कशॉप
- क्यूएमएस तथा आईएसएनएस में मानक आईएसओ 9001 तथा आईएसओ 27001 एवं आंतरिक अंकेक्षण का अंडरस्टैंडिंग
- तकनीकी ज्ञान का फंक्शनल अपग्रेडेशन के लिए एमटी(ईएंडएम) पर्यावरण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम
- आर्थिक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम कुल स्टेशन तथा इसके कार्यक्रम
- ई–प्राप्ति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- प्रयोगशाला के कार्मिकों के लिए अग्निशमन हेतु प्राथमिक चिकित्सा तथा मॉक ड्रिल पर प्रशिक्षण
- प्रबंधन प्रशिक्षु(भू) के लिए तकनीकी ज्ञान का अपग्रेडेशन
- एचटी(ईएंडएम) के लिए तकनीकी ज्ञान का अपग्रेडेशन
- महिला अधिकारियों के लिए लीडरशिप

कम्युनिकेशन तथा प्रेजेन्टेंशन स्किल पर वर्कशाप

- एमटी (सीपी) के लिए फंकशनल–सह–प्रबंधकीय जागरूकता कार्यक्रम
- एमटी (भूविज्ञान) के लिए फंक्शनल–सह–प्रबंधकीय जागरूकता
- एमटी (पर्यावरण) के लिए फंक्शनल –सह–प्रबंधकीय जागरूकता
- तकनीकी कुशलता (स्किल) का प्रशिक्षण कार्यक्रम
- तकनीकी कुशलता (स्किल) का फंक्शनल तथा अपग्रेडेशन करने के लिए एमटी (भू) का प्रशिक्षण कार्यक्रम
- एमटी (भू एवं भू भौतिकी) के लिए फंक्शनल–सह–प्रबंधकीय जागरूकता कार्यक्रम
- सेवा–निवृत्ति योजना
- हिन्दी कार्यशाला
- ऑन लाइन कार्यनिष्पादन प्रणाली (पीएमएस) पर प्रशिक्षण
- वार्षिक प्रोपर्टी रिटर्न का आन लाइन फिलिंग
- योगा तथा स्ट्रेस प्रबंधन
- महिला कामगारों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता हेतु प्रशिक्षण

विभिन्न संस्थानों के छात्रें के लिए सीएमपीडीआई में प्रशिक्षण

निगमित सामाजिक दायित्व के रूप में विभिन्न संस्थानों के छात्रों को सी एम पी डी आई के विभिन्न विभागों में एच आर डी विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2013–14 के दौरान कुल 155 छात्रों ने सी एम पी डी आई में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इन प्रशिक्षण परियोजना कार्यों के तहत कार्य करने वाले छात्रों को 7 दिनों से लेकर 2 माह की अवधि तक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण/ परियोजना की समाप्ति के बाद प्रशिक्षण/ परियोजना के सफलतापूर्वक समापन का प्रमाण–पत्र दिया जाता है।

वैसे संस्थान जो प्रशिक्षण के लिए अप्रोच किए हैं, वे निम्नलिखित हैं :

1. इण्डियन इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रूड़की
2. आई आई टी, बीएचयू, वाराणसी
3. इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद
4. बी आई टी, मेसरा
5. एनआईटी, जमशेदपुर
6. पेट्रोलियम ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय, देहरादून
7. वीआईटी, वैल्लोर
8. एमआईटी, मणिपाल
9. सत्यभामा यूनिवर्सिटी, चैन्नई
10. ऋषिराज इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
11. एसआरएम युनिवर्सिटी, चेन्नई
12. पीडीजीई, नागपुर
13. एक्सआइएसएस, राँची
14. केआईआईटी, बीएसएसआर
15. सेंट जेवियर्स कॉलेज, राँची
16. एलाइन्स यूनिवर्सिटी, बंगलोर

12.0 कोल इंडिया से बाहर परामर्शी कार्य :

विवेच्य अवधि अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 तक 20 संगठनों को 29 कार्यों के लिए परामर्शी सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं। कुछ मुख्य ग्राहक/संगठन, जिसके लिए सेवाएँ उपलब्ध कराई गई वे नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, एमओआईएल, एनटीपीसी, सेल–आईएसपी, नाल्को, जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड, सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, दामोदर वैली कॉरपोरेशन आदि है।

वर्तमान में, एमओआईएल, एमटीपीसी, ओएमसी, ओपीजीसी, मेसर्स बैतरनी वेस्ट कोल कंपनी लिमिटेड, दामोदर वेली कॉरपोरेशन लिमिटेड, कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इत्यादि जैसे 18 संगठनों के 28 बाह्य परामर्शी कार्य हाथ में है।

वर्ष 2014–15 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा 20 संगठनों से 23.35 करोड़ रूपये मूल्य के 36 बाह्य–परामर्शी कार्य प्राप्त किए गए।

सीएमपीडीआई तथा कोल इंडिया के बीच 2013–14 में हुए समझौता संलेख (एमओयू) की आवश्यकता के अनुसार स्टेक होल्डर के साथ यथोचित परामर्श के बाद ''रिस्क मैनेजमेंट प्लान'' 2014 तैयार कर लिया गया है।

13 श्रमशक्ति और कल्याण संबंधी क्रिया-कलाप

13.1 श्रमशक्ति की स्थिति

विवरण	1.4.2013 के अनुसार	1.4.2014 के अनुसार
अधिकारी	957	970
कर्मचारी		
मासिक वेतनभोगी	12228	1253
दैनिक वेतनभोगी	957	912
कुल	**2185**	**2165**
सकल योग	**3142**	**3135**

13.2 कल्याण से संबंधित क्रिया-कलाप

1. सीएमपीडीआई के पास इसके मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थानों में शत प्रतिशत संतुष्टि हित 2518 क्वार्टर हैं।
2. सीएमपीडीआई के कर्मचारियों को पीने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया गया है।
3. सीएमपीडीआई के सभी कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को अपने डिस्पेंसरी तथा कोल इंडिया की सहायक कंपनियों के अस्पताल द्वारा चिकित्सा उपलब्ध करायी जाती है। आवश्यकतानुसार रोगी को ख्याती प्राप्त संस्थानों में भी रेफर किया जाता है।
4. सीएमपीडीआई के कर्मचारियों के 174 बच्चों के लिए सामान्य तथा मेरिट स्कॉलरशिप के रूप में 2,29,040.00 रूपये दिए गए।
5. सीएमपीडीआई के कर्मचारियों के 22 बच्चों की फीस तथा हॉस्टल चार्ज 8,29,375.00 रूपये की प्रतिपूर्ति की गई।
6. सीएमपीडीआई, डीएवी स्कूल, गॉधी नगर रॉची को 1.00 लाख रूपये की वित्तीय सहायता/अनुदान उपलब्ध कराता है।
7. कर्मचारियों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भाड़े के छोटे वाहनों सहित 31 स्कूल बस हैं।
8. कर्मचारियों के आश्रितों जिन्होंने स्पोटर्स के क्षेत्र में जिला/राज्य तथा राष्ट्र के स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है, उन्हें नकद पुरस्कार दिया गया।
9. सीएमपीडीआई के कर्मचारियों के वैसे बच्चों को जिन्होंने 2013 में आयोजित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 90 और उससे अधिक अंक प्राप्त किया है, को 1,23,750 रू. (एक लाख तेइस हजार सात सौ पचास) की नकद राशि पुरस्कार दी गई।
10. कर्मचारियों को सेवा–निवृत्ति के अवसर पर उन्हें ग्रेच्यूटी चेक दिया जा रहा है।
11. सीएमपीडीआई के सभी कर्मचारी बैंक के माध्यम से वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
12. सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में क्षेत्रीय मीट आयोजित करने के लिए विप्स को 1,50,00.00 रूपये का अनुदान दिया गया।
13. समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए विप्स को 25000/–रू. (पचीस हजार रू.) का अनुदान दिया गया।

    14. गेट–टूगेदर आयोजित करने के लिए कस्तुरी महिला सभा को 20000/–रू. (बीस हजार रूपये) का अनुदान दिया गया।
15. 1 दिसम्बर, 2013 को विश्व एड्स दिवस मनाया गया।
16. कर्मचारियों के बच्चों के लिए 30.05.2013 से 12.6.2013 तक सीएमपीडीआई समर कैंप संचालित किया गया।
17. अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए 10,000/–रू.

(दस हजार रू.) का अनुदान दिया गया।

18. नया वर्ष मनाने के लिए मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थानों में संचालित क्लबों को अनुदान दिया गया।

19. सीएमपीडीआई को सभी कर्मचारियों को प्रत्येक माह में एक एलपीजी सिलेंडर के लागत की प्रतिपूर्ति की जा रही है।

13.3 खेल-कूद से संबंधित क्रिया-कलाप

1. 24.2.2014 से 28.2.2014 तक कोयम्बटूर में आयोजित मास्टर्स अथलेटिक चैम्पियनशिप में श्री कामेश्वर रविदास, स्पोटर्स स्पाउन्सर, तथा श्री विनोद कुमार सिंह, कनीय डाटा इंट्री ऑपरेटर ने सीएमपीडीआई का प्रतिनिधित्व किया।
2. 19 से 20 दिसम्बर, 2013 तक एमसीएल, सम्बलपुर में आयोजित आल इंडिया पब्लिक सेक्टर गोल्फ टूर्नामेंट में श्री एच जी सिन्हा, मुख्य प्रबंधक (प्रणाली) श्री डी.के. गुप्ता, वरीय प्रबंधक (ईएंडएम) श्री एस.पी.साहू, सहायक पर्यवेक्षक (ट्रांसपोर्ट) से मिलकर बनी सीएमपीडीआई गोल्फ टीम ने भाग लियां
3. क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर में पहली बार आयोजित अन्तर क्षेत्रीय संस्थान फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया।
4. सीएमपीडीआई ने बैडमिंटन, टीटी, कैरम, चेस अथलेटिक मीट, वॉलीबाल तथा ब्रिज के लिए इंटर रिजनल इन्स्टीच्यूट टूर्नामेंट का संचालन किया
5. सीएमपीडीआई ने 1 फरवरी से 21 फरवरी, 2014 तक इंटर कोल कंपनी ब्रिज टूर्नामेंट की सफलतापूर्वक मेजवानी की, जिसमें अतिथेय (होस्ट) टीम सीएमपीडीआई चैम्पियन रहा।

13.4 राजभाषा :

आपकी कंपनी समीक्षाधीन अवधि में कोयला मंत्रालय, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) तथा कोल इंडिया लिमिटेड तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निदेशों और राजभाषा अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों को लागू करने में सतत् प्रयत्नशील रही और कार्यालयीन कार्य में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए इसके द्वारा बहुआयामी प्रयास किया गया ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित पत्राचार के लक्ष्य को 'ग' क्षेत्र में प्राप्त कर लिया तथा 'क' और 'ख' क्षेत्र में भी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त करने के बहुत नजदीक रही।

इसके अलावे राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत जारी दस्तावेज, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक/निदेशक स्तर पर आयोजित विभिन्न बैठकों के कार्यवृत, आपकी कंपनी की मासिक और वार्षिक रिपोर्ट द्विभाषी रूप में तैयार करना जारी रहा। हिन्दी में रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए आपकी कंपनी की प्रतिष्ठित एवं राष्ट्रीय स्तर की घरेलू पत्रिका ''देशकाल संपदा'' का प्रकाशन भी लगातार जारी है, जिसे सारे देश से प्रशंसा मिल रही है।

प्रकाशन विभाग (आईएमएस डिवीजन) सीएमपी द्वारा प्रकाशित हिन्दी में लिखी गई पुस्तक ''कोल बेड मिथेन : एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत'' को भारत के राष्ट्रपति आदरणीय श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा 14 सितम्बर, 2013 को ''द्वितीय इन्दिरागांधी राजभाषा पुरस्कार'' से नवाजा गया है।

14 सीएमपीडीआई (2013-14) का सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी क्रिया-कलाप

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) तथा सस्टेनबिलिटी, सस्टेनेबल माइन में मितव्ययिता प्रतिव्यक्ति, समाजिकता तथा पर्यावरणिक रूप से व्यापार संचालित करने के लिए अपने स्टेक होल्डर्स हेतु कंपनी की वचनबद्धता है, जो पारदर्शी तथा नीति परक हो स्टेक होल्डर्स में विस्तृत पैमाने पर कर्मचारी, निवेशक, शेयर होल्डर्स, ग्राहक, बिजनेस पार्टनर, ग्राहक, सिविल सोसाइटी ग्रूपसरकारी तथा

गैर–सरकारी संगठन, स्थानीय समिति या पर्यावरण तथा सोसाइटी शामिल है।

क्षमता निर्माण, समुदाय कर इम्पावरमेंट, अंतर्वेधित सामाजिक–आर्थिक विकास, पर्यावरण कीसुरक्षा, ग्रीन एवं ऊर्जा की सुरक्षा, पर्याप्त प्रौद्योगिकी पिछड़े क्षेत्रों का विकास तथा समाज के अंडरप्रिभिलेज्ड वर्गों के अंतर्गत तथा सीमान्त के उत्थान पर सीएसआर तथा सस्टेनबिलिटी का दबाव है।

सीएसआर तथा सबस्टेन्टली को कार्यावित करने के लिए कोई उपयुक्त पद्धति नहीं है। प्रत्येक कंपनी की अपनी परिस्थितियाँ है, जो अपने विचार, सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यावरणिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता, एकाउन्टेबिलिटी तथा उत्तरदायित्व को एड्रेस करने के लिए प्रभाव डालती है। सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी खनन उद्योग के लिए जोखिम नहीं लाती बल्कि अवसर का एक सेट पैदा करती है। सीएसआर सबस्टेनेबिलिटी कंपनी सिक्चोर में उनके सामाजिक लाइसेंस को सही तरीके से सहयोग करने तथा संचालित करने में मदद कर सकती है।

रोजमर्रा व्यापार के संचालन में समाजिक एवं पर्यावरणिक कन्सर्न के समेकन द्वारा सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी की समाजिक उत्तरदायित्व के लिए अपनी बचनबद्धता को सीएमपीडीआई दुहराता है। अपनी नीतियों एवं कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सीएमपीडीआई में द्विस्तरीय डिसिजन मेकिंग कमिटी निर्मित की गई है।

अपने व्यापार की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखते हुए 2013–14 के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में सीएमपीडीआई ने अपने सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी से संबंधित क्रिया–कलापों को प्रारंभ किया है।

क) आधारभूत संरचनात्मक सपोर्ट :

विभिन्न स्थानों में सीएमपीडीआई द्वारा स्कूल भवन, सामुदायिक भवन, सामुदायिक मंडप तथा पब्लिक टॉयलेट इत्यादि के रूप में कई आधारभूत संरचनात्मक परियोजनाएँ प्रायोजित (स्पान्सर) की गई है।

1. सीएमपीडीआईएल की सीएसआर योजना के अंतर्गत बिरसा विद्यालय, हथियागोंदा में तीन क्लास रूम छात्र लड़के एवं लड़कियों के लिए टॉयलेट का निर्माण, खिड़की, दरवाजों की मरम्मती का कार्य, वर्तमान भवन की डिस्टेम्परिंग तथा पेंटिंग एवं पतरागोंदा गाँव में कंक्रीट सड़क का निर्माण किया गया। (टिप्पणी एनओयू के अंतर्गत बिरसा उच्च विद्यालय उच्च विद्यालय हथियागोंदा के प्रथम फ्लोर में दो क्लास रूम का निर्माण कार्य शामिल है, जो 15.2.2014 को पूरा कर लिया गया है)

2. क्षेत्रीय संस्थान–3, सीएमपीडीआई, राँची द्वारा छापर ग्राम में पुराने जीर्ण–शीर्ण कुँए की मरम्मती तथा रख–रखाव तथा स्थानागार (वर्किंग प्लेट फार्म) का निर्माण

3. क्षेत्रीय संस्थान–6, सीएमपीडीआई, सिंगरौली द्वारा उनकी ग्राम में पैसेंजर शेड (यात्री प्रतीक्षालय) का निर्माण।

4. क्षेत्रीय संस्थान–3, सीएमपीडीआई, राँची द्वारा हेसालोंग ग्राम में सीजीआई शेड के साथ शेड का, स्नानागार (बाथिंग प्लेस) तथा टॉयलेट परिसर का निर्माण

ख) शिक्षा :

सीएमपीडीआई द्वारा विभिन्न विद्यालयों को छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) के रूप अध्ययन सामग्री, बैंच, यूनिफार्म, वित्तीय सहायता की आपूर्ति जैसे शैक्षणिक सपोर्ट उपलब्ध कराया जा रहा है।

1) सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची द्वारा ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका मध्य विद्यालय, बरियातु, राँची के नेत्रहीन छात्रों के लिए 10 आयरन बेड, बैंच तथा स्वेटर की आपूर्ति की गई।

2. सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची द्वारा बिरसा उच्च विद्यालय, हथियागोंदा, राँची के छात्रों के लिए 50 सेट डेस्क–बेंच की आपूर्ति की गई।

3. सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची द्वारा गोंदवाना प्राइमरी स्कूल, गोंदवाना प्लेस, कांके रोड, राँची के छात्रों के लिए 100 सेट डेस्क–बेंच की आपूर्ति की गई

4. आसनसोल ब्रेल एकेडेमी, ए यूनिट ऑफ आसनसोल प्रीभेन्सन ऑफ ब्लाइन्डनेस सोसाइटी, एडीडीए इन्डस्ट्रियल, प्लॉट आसनसोल, जिला–वर्द्धवान (प. बंगाल) के 35 छात्रों के लिए यूनिफार्म का सेट उपलब्ध कराया गया। इस कार्य के लिए कुल व्यय 39,790 रू.(उनतालिस हजार सात सौ नब्बे रूपये) क्षेत्रीय संस्थान–1, सीएमपीडीआई, आसनसोल द्वारा किया गया।

5. श्री विप्रदास चटर्जी को उनके द्वारा रचित पुस्तक ''पथ निर्देशिका'' का प्रकाशन तथा स्थानीय छात्रों के बीच इसके मुफ्त में वितरित करने के लिए 40,000/–रू. की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई। छोटे बच्चों में ट्रैफिक नियमों को विकसित करने यह पुस्तक विशेष रूप से तैयार की गई है। वर्ष 2013–14 के लिए सीएसआर तथा एसडी क्रिया–कलापों के अंतर्गत तथाकथित पुस्तक क्षेत्रीय संस्थान–1, सीएमपीडीआई द्वारा प्रायोजित किया गया तथा क्षेत्रीय संस्थान–1, सीएमपीडीआई, आसनसोल द्वारा स्थानीय विद्यालय के छात्रों के लिए वितरित किया गया।

6. क्षेत्रीय संस्थान–2, सीएमपीडीआई, धनबाद द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मल्लिकडीह, धनबाद के छात्रों के लिए 40 सेट डेस्क, बेंच वितरित किया गया है।

7. क्षेत्रीय संस्थान–2, सीएमपीडीआई, धनबाद द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोपीनाथडीह, धनबाद के छात्रों के लिए 40 सेट डेस्क बेंच वितरित किया गया है।

8. सीएमपीडीआई, मुख्यालय, रांची द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए 17 मेधावी तथा गरीब छात्रों के फीस हेतु गोंदवाना प्राइमरी स्कूल, कांके रोड, राँची को 34,680.00 रूपये का चेक सुपुर्द किया गया।

9. तीन सीटर उडेन का डेस्क एवं बेंच निम्नलिखित विद्यालयों को दिया गया।

- शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, विकास खंड, देवसार जिला–सिंगरौली, मध्यप्रदेश
- शासकीय उच्च विद्यालय, उझेनी, जिला–सिंगरौली, मध्य प्रदेश

10. निम्नलिखित विद्यालयों को उडेन डेस्क बेंच तथा स्टील का अल्मीरा दिया गया

- o शासकीय सेटेलाइट शाला, गोलाई बस्ती, अर्जुन नगर, जयंत
- o शासकीय प्राथमिक पाठशाला, सीडब्ल्यूएस विकाश खंड, वैधन
- o शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, ग्राम इटमा, जिला–सिंगरौली, मध्य प्रदेश
- o शासकीय प्राथमिक पाठशाला, ग्राम नावांनगर
- o शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, ग्राम–नावानगर, जिला–सिंगरौली, मध्यप्रदेश के अंतर्गत विभिन्न विद्यालय

ग). कुशलता/सामाजिक विकास/महिला सशक्तिकरण

समाज में डाउन ट्रोडन तथा रिगलेक्टेड महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को स्किल डवलपमेंट कार्यक्रम उपलब्ध कराते हुए सीएमपीडीआई ने महिला सशक्तिकरण की शुरूआत की ।

क्षेत्रीय संस्थान–5, सीएमपीडीआई, बिलासपुर द्वारा बिलासपुर टाउन में तथा आसपास के क्षेत्रों में सामाजिक संगठन को उपयोगी सामग्रियाँ सुपुर्द की गईं।

घ) वर्कशाप/सेमिनार

एक वर्कशॉप तथा एक सेमिनार सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में आयोजित किया गया।

1. दिनांक : 22.10.2013 को ''कारपोरेट सोशल रिस्पान्सिविलिटी तथा सस्टेनेबुल डवलपमेंट, स्ट्रेटजी फॉर इन्क्लुसिव ग्रोथ''नामक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में 81 प्रतिभागी उपस्थित थे।
2. ''केरिंग टूडे फॉर ए बेटर टूमारो'' शीर्षक के अंतर्गत सीएसआर तथा सबस्टेनेबिलिटी पर एक राष्ट्रीय सेमिनार 22.1.2014 को आयोजित किया गया। इस सेमिनार में 142 प्रतिभागी उपस्थित थे।

1

2

3. 19.2.2014 को श्री ए.के.देबनाथ, अध्यक्ष–सह–प्रबंधन निदेशक, सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची द्वारा फीड बैक सिस्टम पर आधारित वेब का उद्घाटन।

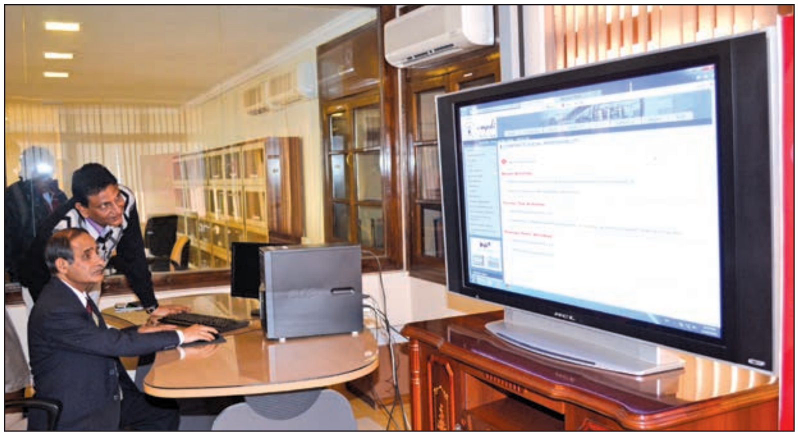

ङ) सस्टेनेबिलिटी

सस्टेन्ड डेवलपमेंट तथा कंपनी के क्रिया–कलापों के विस्तार में समेकित प्रयत्न एवं कार्यक्रम अपेक्षित परिणाम दे रहा है।

1. सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी क्रिया–कलापों के अंतर्गत सीएमपीडीआई, मुख्यालय, कांके रोड, रांची में वेस्ट पेपर रिसाइसाक्लिंग प्लांट का संस्थापन।

2 क्षेत्रीय संस्थान–7, सीएमपीडीआई, भुवनेश्वर द्वारा सीएमपीडीआई, कॉलोनी, भुवनेश्वर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण।

3 क्षेत्रीय संस्थान–4, सीएमपीडीआई, नागपुर द्वारा सीएमपीडीआई, कॉलोनी नागपुर में एसईडी लाइट (120सं.) द्वारा पारंपरिक लाइट को बदलते हुए ऊर्जा संरक्षण

च. सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी एकाउन्ट (2013-14) पर किया गया खर्च

विवेच्य वर्ष 2013–14 अवधि के दौरान सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी एकाउन्ट पर किया गया खर्च कुल बजट (2012–13 के स्पिल ओवर रकम सहित) 1.82 रूपये के मुकाबले 2.01 करोड़ रूपये रहा जो गत वर्ष (अर्थात् 2012–13) से 90 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2012–13 के दौरान किया गया खर्च 1.06 करोड़ रूपये था।

15.0 वर्ष 2013-14 के लिए सीएमपीडीआईएल के समझौता संलेख (एमओयू) का कार्य निष्पादन

प्रत्यक वित्तीय वर्ष के लिए सीएमपीडीआईएल भौतिक तथा वित्तीय कार्य निष्पादन के लिए विभिन्न पारामीटर सुनिश्चित करने हेतु कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू में प्रवेश करता है। 1.5 के पैमाने पर उपलब्धियों की कोटि निर्धारित की जाती है। 1 से 5 तक ग्रेड रहने पर उत्कृष्ट तथा 4–51 से 5 तक रहने पर निकृष्ट माना जाता है। 2012–13 के लिए सीएमपीडीआईएल का निर्धारण उत्कृष्ट (1.11) के रूप में किया गया है।

16.0 वर्ष 2013-14 के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सीएमपीडीआई में महिला संघ (फोरम ऑफ विमेन) के क्रिया-कलाप

विप्स, सीएमपीडीआई (एससीओपीई के अंतर्गत) ने सीएमपीडीआई प्रबंधन के सहयोग एवं शुभकामना के साथ सीएमपीडीआई के संगठनात्मक लक्ष्य के लिए सहयोग करने में नई ऊँचाइयों को प्राप्त किया है।

वर्ष **2013 - 14** में विप्स, सीएमपीडीआई की प्रमुख उपलब्धियाँ :

1. 22.1.13 को फॉरम ने सीएमपीडीआई ऑफिसयल डोमेन में इसके नये फाउण्ड स्पेस मनाने के लिए सीएमपीडीआई की सभी महिला कर्मचारियों हेतु तथा विप्स फॉरम, सीएमपीडीआई कॉमन अम्ब्रेला के अंतर्गत सीएमपीडीआई, मुख्यालय तथा इसके सातो क्षेत्रीय संस्थानों में काम कर रही महिलाओं सहित सभी महिला कर्मचारियों को लाने के लिए फर्स्ट ईयर वन डे सेमिनार की मेजबानी की।

22.01.13 को सीएमपीडीआई के सभी महिला कर्मचारियों के लिए एक–दिवसीय सेमिनार

2. तकनीकी आलेख, साहित्यिक अभिरूचि, सम सामयिकी स्वास्थ्य जागरूकता तथा पर्यावरण से संबंधित मुद्दे के रूप में महिलाऐं कर्मचारियों के अभिव्यक्ति का प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु अपना प्रथम समाचार–पत्र 'आरोहण' का प्रकाशन किया।

3. फॉरम ने स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, सीएमपीडीआई में मानव संसाधन विकास विभाग के माध्यम से दिनांक : 9 जुलाई, 2013 को कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए ''स्वास्थ जागरूकता तथा वेल मेस'' सत्र का संचालन किया, का विकास महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रूप का रोजगार सृजन करने के लिए ''प्रोजेक्ट स्वाबलम्बी'' नामक सीएसआर द्वारा अनुमोदित परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य शुरू किया है, जो इस प्रकार है :

4. विप्स, सीएमपीडीआई के सीएमपीडीआई परिसर में 24 सितम्बर, 2013 (मंगलवार) के पूर्वी क्षेत्र 2013 के लिए विप्स के रिजनल मीट की मेजवानी की जिसमें पूर्वी क्षेत्र के सभी पीएसयू से 230 प्रतिनिधि उपस्थित हुए। मीट के लिए विषय इनडेवर इन्टर प्राइज एक्सीलेंस'' था। सीएमपीडीआई ने विप्स वेस्ट डेबुटेंट अर्वाड'' जीता। मीट के अंत में गृह सांस्कृतिक कार्यक्रम में झारखंड ट्राइवल डांस, असम का बिहु डांस, तथा समूह गान सीएमपीडीआई के विप्स सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए।

9 जुलाई, 2013 को सीएमपीडीआई में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए ''स्वास्थ जागरूकता एवं स्वच्छता'' सत्र

24 सितम्बर, 2013 (मंगलवार) को सीएमपीडीआई परिसर में विप्स ईस्टर्न रीजन 2013 का रीजनल मीट

5. फरवरी, 11 एवं 12 2014 को कोलकाता में आयोजित विप्स नेशनल मीट में विप्स ईआर में ''सर्वोच्च मेम्बरशिप अवार्ड'' जीता, जहाँ सीएमपीडीआई सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था।

6. विप्स, सीएमपीडीआई, राँची में अन्य पीएसयू तथा पीएसयू बैंकों के साथ नेटवर्क से जुड़ा हुआ है।

7. फारम ने स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, सीएमपीडीआई, मुख्यालय, रांची में मानव संस्थाधन विकास विभाग के माध्यम से (मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थानों से) सीएमपीडीआई के महिला अधिकारियों के लिए अधिकारी विकास कार्यक्रम'' आयोजित किया, जिसमें दो ग्रूपों में दिनांक 9 एवं 10 दिसम्बर, 2013 एवं 11 तथा 12 दिसम्बर 2013 को लगभग 36 महिला अधिकारियों ने भाग लिया

स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, राँची के मानव संस्थाधन विकास विभाग के माध्यम से (मुख्यालय से क्षेत्रीय संस्थानों तक) सीएमपीडीआई की महिला अधिकरियों के लिए अधिकारी विकास कार्यक्रम (एक्ज्यूकेटिवप डवलपमेंट प्रोग्राम) का आयोजन किया गया, जिसमें दो ग्रूपों में दिनांक 9 एवं 10 दिसम्बर, 2013 को तथा 11 एवं 12 दिसम्बर, 2013 को लगभग 36 महिला अधिकारियों ने भाग लिया।

8. फॉरम ने (विप्स सेल, सीएमपीडीआई द्वारा सुविधा प्रदान एवं संचालित किए जाने केलिए) हतमा बस्ती कॉके रोड, रॉची में व्यस्क साक्षता एवं बच्चों का विकास, महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रूप का रोजगार सृजन करने के लिए प्रोजेक्ट स्वाबलम्बी'' नामक सीएसआर द्वारा अनुमोदित परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य शुरू किया है, जो इस प्रकार है :

हातमा बस्ती, कॉंके रोड, राँची में महिलाओं, व्यस्क साक्षरता तथा बच्चों के विकास के लिए सेल्फ हेल्पग्रूप के रोजगार सृजन करने के लिए सीएसआर द्वारा अनुमोदित परियोजना ''प्रोजेक्ट स्वाबलम्बी'' के (दी जाने वाली सुविधा एवं संचालन) विप्स, सीएमपीडीआई द्वारा किया गयां

- सीएमपीडीआई के कर्मचारियों द्वारा हातमा बस्ती से (5 से 15 उम्र तक) 31 असुविधा प्राप्त बच्चों (जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं किन्तु प्राइवेट टयुशन लेने में समर्थ नहीं हैं) के लिए रिमेडियल क्लास संचालित कराना। श्री ए. के. देबनाथ, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची एवं श्रीमती निलंजना नाथ द्वारा इन बच्चों के लिए स्कूल बेंच एवं मूल अध्ययन सामग्री वितरित किए गए।

कंपनी के तहत एवं बाहर विप्स की बैठक आयोजित की गई।

- सीएमपीडीआई के कर्मचारियों द्वारा ''महिला संघर्ष संस्थान'' के निरक्षर महिलाओं के लिए व्यस्क साक्षरता क्लास का संचालन ठीक उसी दिन, स्थान पर किया गया जाहँ मूल अध्ययन सामग्री वितरित की गई थी।
- '' महिला संघर्ष संस्थान'' की 40 महिलाओं के ग्रूप के लिए 3 सिलाई मशीन उपलब्ध करायी गइ तथा सिलाई एवं स्टीयिंग सुविधा की व्यवस्था की गई।

9. महिला फॉरन के सदस्यों ने (सीएमपीडीआई प्रबंधन द्वारा संरक्षित) गोंदवाना स्कूल में पढ़ रही बालिकाओं को स्वैच्छक रूप से समय–समय पर उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखने तथा वार्षिक फीस का भुगतान के लिए अपनाया है।

10. ''परियोजना स्वाबलम्बी'' लाभकारी योयजनाके अंतर्गत असुविधा प्राप्त बच्चों तथा महिलाओं के साथ फॉरम ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया।

17.0 निदेशकों का उत्तरदायित्व उक्ति

17.1 वार्षिक लेखा को तैयार करने के लिए सामग्रियों के विचलन से संबंधित अपयुक्त व्याख्या सहित उपयोग्य लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।

17.2 निदेशकों ने ऐसी लेखा नीति का चयन किया और उसे लगातार व्यवहार में लाया जिससे निर्णय और आकलन किया जा सके, जो यथोचित एवं बुद्धि परक है ताकि वह वित्तीय वर्ष के अंत में और इस अवधि के लिए कंपनी की लाभ–हानि के विषय में कंपनी मामलों की स्थिति को सत्य एवं स्पष्ट विचार दे सके।

17.3 निदेशकों ने लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कंपनियों की परिसम्पतियों की सुरक्षा, जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाने एवं इसका पता लगाने के लिए यथेष्ट एवं उपयुक्त ध्यान दिया है।

17.4 निदेशकों ने प्रचलित आधार (गोईंग कर्न्सन) पर वार्षिक लेखा तैयार किया।

अंकेक्षण :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से मेसर्स तोदी तुलस्यान एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंड, पटना को वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त किया गया। उन्हें इस वर्ष के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा (44 एबी) के तहत आयकर अंकेक्षक भी नियुक्त किया गया। निगमित शासन के अनुपालन के अंकेक्षण तथा उस पर रिपोर्ट देने के लिए भी उन्हें नियुक्त किया गया।

आभारोक्ति :

आपके निदेशकगण, भारत सरकार कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियाँ, राज्य सरकार और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों, जिसके सम्पर्क में आपकी कंपनी ने काम किया है तथा कम्पनी के कार्यों को पूरा करने में सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया है, उसके प्रति हम आभारी हैं। हम अपने संबंधित ग्राहकों के प्रति कृतज्ञ हैं, जिन्होंने हम पर विश्वास प्रकट किया और हमें संरक्षण दिया।

परिशिष्ट :

कंपनी अधिनियम, 1956 (शून्य रिपोर्ट) की धारा 217 (ए) के तहत अपेक्षित कर्मचारियों का विवरण, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (ई) के तहत अपेक्षित सूचनाएँ, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, कार्पोरेट गवर्नेंस के अनुपालन पर अंकेक्षक की रिपोर्ट, सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणन तथा 2013–14 के एमओयू पर रिपोर्ट भी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

निदेशक मंडल की ओर से एवं वास्ते

ह0

ए.के. देबनाथ

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

राँची

तिथि : 10.6.2014

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का परिशिष्ट

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, तथा विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं खर्च के बारे में कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट के विवरण का स्पष्टीकरण) नियम 1988 के साथ गठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1) (ई) के तहत निदेशकों की रिपोर्ट में दिए जाने के लिए अपेक्षित की सूचना।

ए. ऊर्जा संरक्षण

क) **ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय**

शून्य

ख) **ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए किए जा रहे कार्यान्वयन यदि कोई हो अतिरिक्त निवेश तथा प्रस्ताव**

क्षेत्रीय संस्थान–5 एवं क्षेत्रीय संस्थान–4 में निमित किए जा रहे स्ट्रीट लाइटिंग तथा नए भवनों के लिए एसईडी प्रकाश–पुंज के संस्थापन के लिए प्रस्ताव

ग) **ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए किए गए उपायों का प्रभाव**

यूनिट के सवसोम्यूट टर्न में बिजली की खपत अधिक अधिवा कुछ कम है लेकिन विभिन्न राज्यों में टेरिफ चार्ज बढ जाने के कारण करम में वृद्धि हुई है।

संपूर्ण प्रभाव की मॉनिटरिंग की जा रही है।

फार्म ''ए''

क. बिजली एवं ईंधन की खपत

I. बिजली

(लाख रू. में)

क्र.सं.	विवरण	2013-14
1	औद्योगिक खपत	27842345.60
2	घरेलू खपत	25500911.60

II. डीजल

क्र.सं.	विवरण	2013-14
1	डीजल	84835308.204

ख) प्रति इकाई (यूनिट) खपत

I. बिजली

क्र.सं.	विवरण	2013-14
1	ड्रिल किए गए मिटरेज	325362
2	उपभोग किया गया कुल यूनिट, के.डब्ल्यू.एच औद्योगिक	3866992.44
3	उपयोग किया गया कुल यूनिट–के.डब्ल्यू.एच–घरेलू	4180477.31
4	औसत दर प्रतियूनिट (रू.) औद्योगिक	7.2
5	औसत दर प्रति यूनिट (रू.) घरेलू	6.1

II. डीजल (लाख रू में)

क्र.सं.	विवरण	2013-14
1	मिटरेज ड्रिल	325362.00
2	उपभोग किया गया कुल यूनिट लीटर	1530222.00
3	प्रति यूनिट औसत दर (रू.)	55.44

फार्म- बी

समावेशन से संबंधित विवरणों के स्पष्टीकरण के लिए कार्य

अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी)

1. **विशिष्ट क्षेत्र, जहाँ कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास कार्य किए गए।**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) की स्थापना, कोल इंडिया लिमिटेड(सीआईएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों को कोयला गवेषण, माइन प्लानिंग एवं डिजाइन, कोयला परिष्करण तथा उपयोग, सम्बद्ध अभियांत्रिकी सेवाएँ तथा मानव संसाधन विकाकस के क्षेत्र में परामर्शी सेवा प्रदान करने के लिए 1 नवम्बर, 1975 को की गई। इसके बाद सीएमपीडीआई में पर्यावरणिक अभियांत्रिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, प्रयोगशाला एवं फिल्ड्स सर्विसेज के क्षेत्र में अपनी सेवा का विस्तार किया।

कोयला एवं लिग्नाइट क्षेत्र के लिए कोयला खानों में उत्पादन उत्पादकता तथा सुरक्षा में उन्नयन कोयला परिष्करण एवं उपयोग और पर्यावरण तथा परिसिातिकी के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने अपने कोयला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) योजना के जरिए तथा कोल इंडिया लिमिटेउ ने अपने आरएंडडी बोर्ड के जरिए आरएंडडी क्रिया–कलाप की शुरूआत की है, जिसमें प्रत्येक वर्ष पर्याप्त कोष मुहैया कराया जा रहा है।

अनुसंधान क्रिया–कलापों से संबंधित कोयला का संचालन करने के लिए सचिव (कोयला) की अध्यक्षता के अंतर्गत स्टैंडिंग साइन्टिफिक रिसर्च समिति (एससीआरसी) एपेक्स बॉडी है तथा कोयला के रिसर्च ग्रांट की देखभाल अध्यक्ष, कोल इंडिया की अध्यक्षता में कोल इंडिया आरएंडडी बोर्ड के माध्यम से की जाती है।

कोल एसएंडटी तथा सीआईएल आरएंडडी, परियोजनाओं के समन्वयन तथा मानिटरिंग के लिए सीएमपीडीआई नोडल एजेंसी है। ये परियोजनाएँ कोयला एवं लिग्नाइट खनन कंपनियाँ के सक्रिय सहयोग से कोयले से संबंधित उद्योग से संबंधित कई अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

नोडल एजेंसी होने के अलावा सीएमपीडीआई द्वारा कई परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा चुकी है तथा कार्यान्वित की जा रही है।

स्टेट ऑफ–द–आर्ट सुविधा तथा पूर्णरूपेण सुसज्जित प्रयोगशाला की सुविधा रहने के कारण डवलपमेंट ऑफ साइन्स एंड इन्डस्ट्रियल रिसर्च, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एसएंडटी) नई दिल्ली से गृह अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) यूनिट के रूप में सीएमपीडीआई की पहचान की गई है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परियोजना से संबंधित 20.13.14 का एमओयू लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है।

2. **उपर्युक्त अनुसंधान एवं विकास के फलस्वरूप प्राप्त लाभ :**

इन कई परियोजनाओं से प्रर्याप्त लाभ हुआ है, जिसके परिणम स्वरूप परिचालन में सुधार, सुरक्षित काम करने की स्थिति बेहतर, संसाधन प्राप्ति एवं पर्यावरण सुरक्षित हुआ है। यद्यपि कुछ अनुसंधान परियोजनाओं से उद्योगों पर काफी प्रभाव पड़ा है तथा कुछ ऐसे भी है, जिनसे चालू खान तथा भावी खनन योजनाओं दोनों के लिए जरूरी माइन प्लानिंग डिजाइन तथा तकनीकी सेवाएँ उपलब्ध हुई है।

भूमिगत पिलर डिजाइन चाल दक्षता विश्लेषण तथा मल्टीपुलन सीम वर्किंग के बीच की पार्टिंग्स सतह धँसान पूर्वानुमान विभिन्न शेल स्थिति के लिए अनुकूलतम विस्फोटन डिजाइन, खुली खनन ढाल स्थायित्व जैसी अनेक समस्याओं के लिए अब खासकर भारतीय जैसी अनेक समस्याओं के लिए अब खासकर भारतीय भू–खान स्थितियों के लिए विकसित डिजाइन टूल उपलब्ध है।

कुछ परियोजनओं से प्राप्त निष्कर्ष, जैसे रूफ रॉक के इंजीनियरिंग वर्गीकरण में अध्ययन, खान सुरक्षा महानिदेशालय(डीजीएमएस) द्वारा जारी अनुबंध के कारण हुआ है, अर्थात् कार्य हेतु सांविधिक अनुमति लेते समय सभी भूमिगत खानों के लिए विकसित डिजाइन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाना भूमिगत कार्यस्थ्लों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुराने अगम्य जल प्लावित कार्यस्थल का पता लगाने के लिए ग्राउंड पेनेट्राटिंग रडार जैसे आधुनिक तकनीक शामिल करने हेतु आरएंडडी कार्य के जरिए काफी प्रगति हुई है। भूमिगत रिक्ति के ब्लाइन्ड बैंक भराई (फीलिंग) का परीक्षण भी किया गया है।

भूमिगत खान के मानचित्रण के लिए व्यवहारिक तकनीक के रूप में सुदूर संवेदन जैसी उन्नत प्रणाली स्थापित की गई है।

खासकर, आर्थिक राखयुक्त भारतीय कोयले के लिए कोयला परिष्करण तकनीक में सुधार लाने के उद्देश्य से सार्थक अध्ययन किए गए हैं। अधिक राख वाले कोयले के कारगर उपयोग हेतु दहन (कम्बस्टन) तकनीक से संबंधित अनुसंधान से महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए गए हैं। अन्य संगठनों के सहयोग से सीएमपीडीआई द्वारा कोयले के शुष्क परिष्करण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण (बड़ी) परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं।

कोयले के शुष्क परिष्करण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण (बड़ी) परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही है।

खनित क्षेत्रों के पुनः वनस्पति आच्छादन तथा उर्वरक के रूप में प्रयोग के लिए हयूमिक एसिड का उत्पादन तथा फ्लाई ऐश का उपयोग के उद्देश्य से महत्वपूर्ण परीक्षण किए गए है।

खान संचार से संबंधित अनुसंधान परियोजना सीसीएल के एक भूमिगत खदान पर कार्यन्वित की जा चुकी है। द अर्थ (टीटीई) वन के मैसेजिंग सिस्टम तथा टू वे व्यास संचार तथा ट्रेकिंग सिस्टम से यह जुड़ा हुआ है। सीसीएल के भुरकुण्डा खान में डिजीटल वायरलेस टेलीफोन के माध्यम से इस समेकित प्रणाली का वर्तमान में उपयोग दिया जा रहा है।

3. भावी कार्य योजना :

कोयला उद्योग के परिचालन की जटिलता तथा पर्याप्त आधारभूत संरचना तथा विशेषज्ञता वाले निजी संगठन सहित अनुसंधान संगठन की व्यापक संलिप्ता को पता लगाने के लिए आवश्यक अनुसंधान काय्र की मात्रा बढ़ाने हेतु कोयला मंत्रालय की ओर से सीएमपीडीआई ने कोयला मंत्रालय की ओर से सीएमपीडीआई ने कोयला मंत्रालय के एसटी अनुदान के तहत कोष हेतु खनन पद्धति संस्तर नियंत्रण खान सुरक्षा, कोल बेड मिथेन (सीबीएम) आदि से संबंधित क्षेत्र के लिए रूचि का प्रदर्शन (एक्सप्शन आफ इंटरेस्ट) (ईओआई) आमंत्रित किया है।

भूमिगत खानों में बने पिलरों का समापन (द्रवीकरण), खुली खानों में पीट एवं डम्प स्लोप स्थायित्व, हाइड्रॉलिक खनन, हाईवाल माइनिंग रूफ पूर्वानुमान तथा उम्प एवं हाई वाल फेल्यूअर के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम भारतीय कोयला क्षेत्र में शेल गैस संभावना का मूल्यांकन सीबीएम भंडार का आकलन, ओपेनकास्ट खानों से फ्यूनिटिव उत्सर्जन से सीबीएम स्वस्थाने कोयला गैसीकरण कोयला द्रवीकरण तथा वायु की गुणवत्ता एवं प्रदूषण के लिए प्रीडिक्टिव माडल का विकास आदि जैसे क्षेत्रों को पता आगामी अनुसंधान एवं विकास कार्य में लगाया जाएगा।

अन्य अनुसंधान परियोजना में 2x240 टन का सेल्फ एडवासिंग गोफ एज (मोबाइल) चॉक टाइम सपोर्ट विकसित किया गया है तथा बीसीसीएल के बास्ताकोला खान में इसका फिल्ड् परीक्षण किया जा रहा है।

अन्य महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजना भारत के दामोदर बेसिन के शेल गैस की संभावना का मूल्यांकन किया जा रहा है।

कोयला सेल में परिवर्तन प्रौद्योगिकी पर बल दिया जा रहा है। वर्तमान में कुछ एवं पेट्रोलियम उत्पादों की ऊँची कीमत ने कोयला तरलीकरण (द्रवीकरण) के प्रति पुनः ध्यान आकर्षित किया है। बढ़ती कीमत तथा विदेशों से तेल की पर्याप्त एवं सुनिश्चित आपूर्ति से राष्ट्रीय अर्थ–व्यवस्था तथा ऊर्जा सुरक्षा दोनों पर बोझ पड़ा है। भारत में भावी सीटीएल संयंत्र की संभावित स्थापना के लिए उत्प्रेरक की आपूर्ति के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाताओं पर निर्भरता दूर करने के उद्देश्य से कोयला से तरल (सीटीएल) हेतु स्वदेशी उत्प्रेरक के विकास के लिए एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। भारत में सीटीएल प्लांट स्थापित किए जाने की संभावना है।

4. **वर्ष 2013-14 के दौरान अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) पर व्यय :**

क. पूँजी तथा ख. राजस्व 22.73 करोड़ रूपये

ग. कुल 22.73 करोड़ रू. (अ अंकेक्षित)

तकनीकी समावेशन, अनुकूलन, तथा अभिनव परिवर्तन

1. संक्षेप में तकनीकी समोवेशन, अनुकूलन एवं अभिवन परिवर्त्तन के लिए प्रयास किया गया।

खान पर्यावरण के नियंत्रण पर भी तथा कोयला परिष्करण/उपयोग जैसे संबंधित गतिविधियाँ तथा खान सुरक्षा से संबंधित खनन ऑपरेशन में दक्ष पारामीटर्स के विकास के लिए कोयला संक्टर में मुख्य आरएंडडी है।

2. उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्पन्न लाभ जैसे उत्पादन में सुधार लागत में कमी, उत्पाद में विकास आयात विकल्प इत्यादि।

क) अब अधिकतर पैनलों में दोहरा (रिप्लीरकेट) किए जा रहे 1000 टी प्रतिदिन से अधिक आउटपुट के साथ एसईसीएल में थिक सीम तथा शार्ट वाल माइनिंग में कोयले की प्राप्ति के लिए '' ब्लाटिंग गैलरी तथा कंबुल वोल्टिंग'' जैसे माइनिंग पद्धतियों के इन्ट्रोडक्शन कोयला गवेषण तकनीक में आरएंडडी के प्रयासों के माध्यम से नोटेबल एडवांस तेयार किया गया है। सतही संरचना से 50 मीटर सटे ओपेन कास्ट माइन में राख एवं कोयला का औरव बर्डन हटाने के लिए आरएंडडी के माध्यम से ''नियमित विस्फोटन'' इन्ड्रोडयूस किया गया है तथा सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा रहा है। कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग के इन्ट्रोडक्शन द्वारा 115 से अधिक खानों में 150 एमटी से अधिक कोयला निकाला गया है, जो अभी तक अनुर्वर रहता।

ख) रुफ स्ट्राट का परिमाणात्मक मूल्यांकन जिसे आरएंडडी के तहत विकसित रॉक मास रेटिंग कहा जाता है का इस्तेमाल भूमिगत खानों में डिजाइनिंग सपोर्अ के लिए किया जरा रहा है यहाँ तक कि 530 डिस्ट्रिक्ट से अधिक लगभग 273 भूमिगत कोयला खानों में इसे कवर कर लिया गया है।

ग) खनन एव फ्लाई ऐश को उपयोग के बाद भूमि पुनरूद्वार के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना न महत्वपूर्ण लाभ दिया है। शिमला मीर्च, टमाटर फसल तथा अन्य फसलों में वास्तविक वृद्धि के मामले में कृषि में उर्वरक के रूप में लिग्नाइट से हयूमिक एसिड ने 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी है। यह उत्पाद व्यवसायिक हो गया है तािा आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक केरल के किसानों द्वारा इसका उपयोग किया जरा रहा है।

घ. ''कोल बेड मिथेन रिकवरी एंड कमर्शियल यूनिलाइजेशन'' पर बहु सांस्थनिक निधित (यूएनडीपी/जीईएफ कोल इंडिया तथा एमओसी) डिमान्स्ट्रेशन रिसर्च परियोजना ने परिणामों के प्रोत्साहन के लिए मूनीडीह भूमिगत परियोजना, बीसीसीएल में इसे सफलतापूर्वक संचालित किया है। इस परियोजना से प्राप्त गैस प्रायः 98 प्रतिशत शुद्ध मिथेन है जो मूनीडीह माइन आवासीय कॉलोनी के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु जेनरेटर आधारित एन गैस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

ड. ''कोकिंग तथा गैर–कोकिंग कोयला वाशिंग'' तथा फाइन कोयला की रिकवरी'' दोनों में महत्वपूर्ण सुधार हासिल किया गया है। उच्च राख वाले कोयले के प्रभावपूर्ण उपयोग के लिए ''ज्वलनशील तकनीक'' से संबंधित अनुसंधान से आशाप्रद परिणाम प्राप्त हुआ हें कोल इंडिया आरएंडडी फंडिंग के माध्यम से फाइन कोयला परिष्करण पर मुख्य आरएंडडी परियोजना कार्यान्वयन के अंतर्गत है।

च. खनन के कारण जोखिम तथा परिस्थितिकी संरक्षण के साथ कोयला खनन की गतिविधियों को समेकित करने के लिए पर्यावरण तथा परिस्थितिकी क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाएँ शुरू की गई हैं। उपर्युक्त पर्यावरण नियंत्रण करने के परिणामस्वरूप उद्योग में इस अनुसंधान परियोजनाओं की उपलब्धियों ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। रेलवे लाइन के स्थिरीकरण के लिए न्यूमेरिकल मॉडलिंग तथा संभव बचाव उपायों द्वारा स्थिरता विश्लेषण हाबड़ा–धनबाद रेलवे लाइन (ईर्स्टन रेलवे मेन लाइन) अस्थिर वर्किंग के नीचे रूपरेखा के प्रयासों ने कोल इंडिया आरएंडडी फंड के साथ सफलतापूर्वक काम किया है। कोल इंडिया आरएंडडी बोर्डों द्वारा निधित अन्य अनुसंधान परियोजना के माध्यम से डीजीएमएस द्वारा विधिवत् अनुमोदित कोल इंडिया की भूमिगत खदान में मॉनिटरिंग तथा कंट्रोल सिस्टम पर आधारित कार्यक्रम योग्य लॉजिक नियंत्रण (पीएलसी) सफलतापूर्वक डिजाइन विकसित तथा इन्ट्रोडयूस किया गया है।

छ. अंडर ग्राउंड माइन, कोल बेड मिथेन (सीबीएम), कोल माइन मिथेन (सीएमएम), परिव्यक्त माइन मिथेन (एएमएम), रिकवरी एवं उपयोग, लो रैंक लो वेलेटाइल हाई रैंक भारतीय कोकिंग कोयला का उपयोग, उपयुक्त समाधान के लिए स्ट्राटा कंट्रोल, समस्या का पता लगाने हेतु न्यूमेरिकल मॉडल, बदलते जियोमाइनिंग कंडीशन के लिए स्ट्राटा ड्रग लाइन डम्प प्रोफाइल आग लगी हुई खदान क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन, भारतीय कोयला खदान में उत्पन्न एसिड खान जल का ट्रीटमेंट भूमिगत कोयला खानों में रूफ फॉल की भविष्यवाणी, शुष्क कोयला परिष्करण ओपेन कास्ट माइन्स के लिए समेकित डम्पर कॉलिजन एव्याडेंस सिस्टम कोल इंडिया एरिया के विशेष संदर्भ के साथ शेल गैस गोंदवाना बेसिन का मूल्यांकन में फँसें बचाव माइनर्स के लिए नये एरिया जैसे रोबोटिक का अप्लीकेशन तथा नवीनतम दो कम्यूनिकेशन सिस्टम, कोल इंडिया आरएंडडी फंड के साथ जारी अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से संबोधित किया जा रहा है।

ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ) कोक मेकिंग के लिए ''लो रैंक तथा लो वोलाटाइल हाई रैंक भारतीय कोयला के प्रभावी उपयोग'' पर आरएंडडी परियोजना की पूर्णता के बाद आरडीसीआईएल (सेल), राँची के सहयोग से सीएमपीडीआई ने इसे संच0लित किया है जो ब्लेंड में उपयुक्त परिष्करण के बाद लो वोल्टाइल हाई रैंक (बीएचआर) तथा लो रैंक हाई बोल्टाइल (एसआरएचबी) कोयला का उपयोग प्रतिवर्ष 4 मिलियन टन कोयला के टयून के लिए अच्छी क्वालिटी का कोक पैदा कर सके तथा इसके आयात को घटा सके। सिमिट माप प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न भू अभियांत्रिकी पारामीटर्स तथा साइट स्पेसिफिक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली पर आधारित कोल इंडिया, आरएंडडी निधित सीएमपीडीआई के सहयोग से बीआईटी मेसरा द्वारा विभिन्न प्रकार ड्रेग लाइन डम्प प्रोफाइल का डिजाइन किया गया। ओपेनकास्ट कोल माइन द्वारा संचालित ड्रैग लाइन के अध्ययन पर आधारित एक सामान्य गाइड लाइन तैयार किया गया है जो भविष्य में ड्रेग लाइन डम्प के डिजाइन में सहायता करेगा तथा कोल इंडिया के ओपेन कास्ट माइन में संचालित ड्रेंग लाइन की सुरक्षा मितव्ययिता कायम रखने में सहायता करेगा।

कोयला मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुदान के तहत भूमिगत खानों में जल प्लावित खनन के लिए कैरियर थिकनेस के डिलीनिएशन से संबंधित एक अनुसंधान परियोजना पूरी की गई है। इस परियोजना में एक ग्राउण्ड मेन ट्रेरिंग रडार का विकास किया गया है। क्षेत्र परीक्षण के बाद यह पाया गया कि विकसित किया गया जीपीआर 60 कि.मी. की दूरी तक केरियर थिकनेस की विसंगति का पता लगाने में समर्थ है।

आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के आरीा से गत 5 वर्षों के दौरान आयातित) निम्नलिखित सूचना कोल इंडिया, आरएंडडी परियोजना से संबंधित नहीं है।

1. आयातित प्रौद्योगिकी
2. आयात का वर्ष
3. क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह अपनायी गई है ?
4. यदि पूर्णतः अपनाया गया तो वह क्षेत्र, जहाँ शुरू नहीं किया गया, जिसके कारण और कार्य की भावी योजना

ग विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय

क्र.सं.	विवरण	2012-13
1.	निर्यात की बढ़ावा देने की पहल, उत्पाद और सेवाओं के नए निर्यात बाजार का विकास तथा निर्यात योजनाएँ, आयात से संबंधित क्रिया–कलाप	कंपनी निर्यात नहीं करती है।
2.	उपयोग और अर्जित किए गए कुल विदेशी मुद्रा 1. अर्जित किए गए कुल विदेशी मुद्रा (लाख रू. में) 2. उपयोग किए गए कुल विदेशी मुद्रा (लाख रू. में) (राजस्व 159 + पूँजी सामान 69	शून्य 22.00

अनुबन्ध जो कि 31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निदेशकों के रिपोर्ट का एक भाग है।

कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) नियमावली,, 1975 के साथ पठित
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2 ए) के अनुसार सूचना

क्रमांक	नाम	पदनाम / कार्य की प्रकृति	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (रूपये)	नियुक्ति की प्रकृति स्थायी / अस्थायी	योग्यता	अनुभव (वर्ष)	प्रारंभ की तिथि	31.3.2014 को (वर्ष)	अन्तिम नियोजन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(क)	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान नियुक्त और वित्त वर्ष में प्राप्त सकल पारिश्रमिक जो 60,00,000/– रूपये से कम नहीं था। .... शून्य								
(ख)	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए नियुक्त एवं वित्तीय वर्ष के लिए सम्पूर्ण योग के दर पर प्राप्त पारिश्रमिक जो 5,00,000/– रूपये से कम नहीं था। .... शून्य								

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम 1956 के तहत वित्तीय प्रतिवेदन फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी का दायित्व कंपनी प्रबंधन का है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त संविधिक अंकेक्षक अपने व्यावसायिक निकाय भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान द्वारा विहित आडिटिंग एंड एस्योरेंस स्टैंडर्ड के अनुसार अपने स्वतंत्र अंकेक्षण के आधार पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के तहत वित्तीय विवरण पर अपना विचार देने के लिए उत्तरदायी है। कहा गया है कि यह दिनांक 10 मई, 2013 के उनके अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि0 की वित्तीय विवरण का कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) (बी) के तहत पूरक अंकेक्षण किया है। यह पूरक अंकेक्षण सांविधिक अंकेक्षकों के कार्यकारी अभिलेख (वर्किंग पेपर) तक पहुँच (एक्सेस) के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा यह प्रथमतः सांविधिक अंकेक्षकों तथा कंपनी के कर्मियों की जांच और कुछ चयनित लेखा अभिलेखों के परीक्षण तक सीमित है। हमारे अंकेक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जिस पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के तहत सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक टिप्पणी देना अपेक्षित है।

भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षा
बोर्ड की ओर से एवं वास्ते
ह0/–
(यशोधरा राय चौधारी)
व्यावसायिक अंकेक्षण के प्रधान
निदेशक एवं लेखा परीक्षा बोर्ड–।।
के पदेन सदस्य, कोलकाता–20

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 17.05.2013

समझौता संलेख पर लेखा परीक्षकों की टिप्पणि

तोदी तुलस्यान एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

602, लवकुश टावर
इक्जीबिशन रोड
पटना – 800 001
फोन : 2320211 / 2320056 (O)
फैक्स : 0612-2320056
इ–मेल : टीटीसीओ@एसआईएफवाई.कॉम

सेवा में,

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड,
गोंदवाना प्लेस : काँके रोड,
राँची

हमने वर्ष 2013–14 के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड से संबंधित समझौता संलेख के लक्ष्य की तुलना में संलग्न वित्तीय एवं डयनेमिक पारामीटरों का वास्तविक कार्य निष्पादन का अंकेक्षण किया है। कंपनी हमें उपलब्ध कराए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. वित्तीय एवं डायनेमिक पारामीटर से संबंधित संलग्न कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रपत्र (शीट) में वर्णित उपलब्धि भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (एमओयू डिवीजन) भारत सरकार द्वारा जारी वर्ष 2013–14 के लिए एमओयू के दिशा–निर्देश के संदर्भ में परिकलित की गई है।

2. डीपीई के साथ हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार परफार्मेंश इवाल्यूएशन शीट (परीशिष्ट–III) में कम्पोजिट स्कोर 1.520 (बहुत अच्छा) रहा तथा बोर्ड आफ कंपनी द्वारा नोटेड संशोधित लक्ष्य के अनुसार परफार्मेंश इवाल्यूशन शीट (परिशिष्ट–III–ए) में कम्पोजिट स्कोर 1.259 (उत्कृष्ट) रहा।

3. हमारी जाँच के लिए हमारे सर्मक्ष प्रस्तुत तथा दस्तावेजी साक्ष्य, रखे गए रिकार्ड से वित्तीय एवं डायनेमिक पारामीटर में वर्णित उपलब्धि का डायनेमिक पारामीटर में वर्णित उपलब्धि का मिलान किया ता है, जो हमारी जानकारी में संबंधित पारामीटर सही है।

वास्ते– तोदी तुलस्यान एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
एफआरएन : 002180सी

ह0 / –
(सुशील कुमार तुलस्यान)
सदस्य

स्थान : राँची
दिनांक : 09.06.2014

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन का जवाब	
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	**प्रबंधन का जवाब**
सेवा में, सदस्यगण, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड, 1. हमने सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के 31 मार्च, 2014 के संलग्न तुलन पत्र और उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की लाभ और हानि लेखा तथा कैशफ्लो नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा अन्य विवरणात्मक सूचनाओं के सारांश और वित्तीय विवरण का अंकेक्षण किया है। 2. इन वित्तीय विवरण की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है कंपनी अधिनियम, 1956 (''द एक्ट'') के सेक्शन 22 के उप–सेक्शन (3सी) में संदर्भित लेखा मानक के अनुसरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकद प्रवाह के आलोक में ये वित्तीय विवरण सत्य और न्यायसंगत दिया गया है। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों जो सत्य और न्याय संगत तथा गलतबयानी से मुक्त हो वह चाहे फ्रॉड या त्रुटि के कारण हो के प्रस्तुतीकरण और तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के रख–रखाव तथा कार्यान्वयन, डिजाइन शामिल है। 3. हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपना विचार व्यक्त करना है। हमने इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा ही है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम यह पता लगाने के लिए अंकेक्षण की योजना बनाएं एवं इसे पूरा करें कि वित्तीय विवरण भौतिक गलत बयानी से मुक्त है। 4. इस अंकेक्षण में परीक्षण के तौर पर रकम के पक्ष में साक्ष्यों तथा वित्तीय विवरण में इसका उल्लेख शामिल हैं। अपनायी गई प्रक्रिया वित्तीय विवरणों जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के भौतिक गलतबयानी के जोखिम के मूल्यांकन सहित लेखा–परीक्षणों के जजमेंट (निर्णय) पर आधारित है। उन जोखिम वाले मूल्यांकन कार्य करने में लेखा परीक्षकों ने कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा की प्रक्रिया को डिजाइन करने के क्रम में (जो परिस्थिति के अनुसार समुचित है) वित्तीय विवरण की स्वच्छ तैयारी पर विचार किया है। इस परीक्षण में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों के मूल्यांकन तथा तैयार किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ–साथ संपूर्ण वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। 5. हमें विश्वास है कि हमारे विचार के लिए हमार अंकेक्षण पर्याप्त आधार उपलब्ध करायेगा। 6. हमारे विचार में तथा सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई विवरण के अनुसार भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों सहित तथा अपेक्षित एवं दी गई सत्य और न्यायसंगत के आलोक में अधिनियम द्वारा आवश्यक सूचना वित्तीय विवरण में दिया गया है। क. 31 माच, 2014 को कंपनी मामले की स्थिति, तुलन–पत्र के मामले में। ख. समाप्त हुए वर्ष के लिए उसी तारीख का लाभ का, लाभ–हानि लेखा के सामने में, ग. समाप्त हुए वर्ष के लिए उसी तारीख को कैश फ्लो का कैश फ्लो स्टेटमेंट के मामले में,	

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन का जवाब

<table>
<tr><th>लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट</th><th>प्रबंधन का जवाब</th></tr>
<tr><td>7. कंपनी (अंकेक्षकों के प्रतिवेदन) आदेश, 2003 ('द आर्डर') जो अधिनियम की धारा 227 की उपधारा (4ए) के संदर्भ में भारत के केंद्रीय सरकार द्वारा जारी है, और आवश्यक है, हम आदेश के अनुच्छेद 4 और 5 में उल्लेख्ति मामले पर एक विवरण संलग्न करते हैं।</td><td></td></tr>
<tr><td>8. उपर्युक्त अनुच्छेद 8 में उद्धृत परिशिष्ट में हमारी टिप्पणियों के लिए आगे रिपोर्ट करते हैं कि :
फुटकर देनदारों का शेष संपुष्ट किया जाना है तथा ऋण एवं अग्रिम का शेष और फुटकर लेनदार भी संपुष्ट नहीं किए गए हैं।
9. अधिनियम की धारा 227(3) की अपेक्षा के अनुसार उपर्युक्त अनुच्छेद (8) में दी गई हमारी टिप्पणी के लिए हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क. हमने वैसी सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में हमारी लेखा–परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्क थे।
ख हमारे विचार में कंपनी के पास कानून के अनुसार लेखा की समुचित पुस्तिकाएँ उपलब्ध हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जाँच से पता चला है।
ग इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र और लाभ–हानि लेखा तथा नकद प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण लेखा–पुस्तिका के अनुसार है।
ध कंपनी अधिनियम–2013 की धारा–133 के संबंध में निगमित मामलों के मंत्रालय के समान्य परिपत्र 15/2013 दिनांक :13 दिसम्बर, 2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 2014 लेखा मानकों के अनुसार लाभ–हानि के तुलन पत्र का विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण लागू है।
ड. केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन सं. जीएसआर 829(ई), दिनांक : 21.10.2003 के आलोक में कंपनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 274(1) (जी) के प्रावधान, कंपनी के लिए लागू नहीं है।
च. चूँकि केंद्र सरकार ने सेक्शन 441ए के तहत दिए जाने वाले सेस की दर के लिए न ही कोई अधिसूचना जारी की है और न ही इस सेक्शन के तहत कोई रूल (नियम) जारी किया है, जिसके तहत इस प्रकार के सेस को दिया जाना है। इसलिए कंपनी द्वारा कोई सेस बकाया और देय नहीं है

वास्ते तोदी तुलस्यान एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंड्स
एफआरएन–002180 सी

ह./–
(सीए. सुशील कुमार तुलस्यान)
सदस्य
(सदस्यता संख्या– 075899)

स्थान : राँची
दिनांक : 10.05.2014</td><td>कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों के साथ फुटकर देनदार रिकान्सिलेशन कार्य वही है। (कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों के अलावे) फुटकर देनदारी के साथ शेष की संपुष्टि के लिए पत्र जारी किए जा चुके हैं। कोल इंडिया के अलावा</td></tr>
</table>

सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा प्रबंधन का जवाब	
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	**प्रबंधन का जवाब**
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की अनुसूची (31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के लेखे पर आज की तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 7 में उल्लेखित)	कोई टिप्पणी नहीं
(i) अचल परिसंपत्ति के मामले में :	
(क) कंपनी ने सामान्य तौर पर अचल परिसम्पत्तियों की स्थिति तथा परिणामत्मक विवरण समेत पूर्ण विवरण, दर्शाते हुए समुचित रिकार्ड अपने पास रखा है। तथापि एसएडटी कोष के मामले में अचल परिसम्पत्तियों का रजिस्टर परिसम्मपत्तिवार के बदले वर्षवार रखा जाता है।	कोई टिप्पणी नहीं
(ख) कंपनी द्वारा अपनाई गई जाँच के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन द्वारा अधिक मूल्यवाली परिसम्पत्तियों के एक बड़े भाग की प्रत्यक्ष जाँच की गई है। जैसा कि हमें जानकारी दी गई है, ऐसी जाँच की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की भौतिक असंगति नहीं पाई गई।	कोई टिप्पणी नहीं
(ग) हमारी राय में विवेच्य वर्ष के दौरान कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों के किसी बड़े भाग का निपटान नहीं किया है और कंपनी की चालू संस्था की स्थिति प्रभावित नहीं हुई है।	कोई टिप्पणी नहीं
(ii) इसकी वस्तु सूची के मामले में :	
(क) विवेच्य वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा ऊँचे मूल्य के भंडारों एवं अतिरिक्त पाट–पुर्जों के स्टॉक की प्रत्यक्ष रूप से जाँच की गई है। परीक्षण के आधार पर कुछ कम मूल्य के आइटमों की भी जाँच की गई है। हमारे विचार में जाँच की आवृत्ति यथोचित है।	कोई टिप्पणी नहीं
(ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा स्टाक की भौतिक जांच के लिए अपनायी गई प्रक्रिया कंपनी के आकार एवं इसकी कार्य व्यापार की प्रकृति के अनुसार पर्याप्त एवं यथोचित है।	कोई टिप्पणी नहीं
(ग) कंपनी ने अपनी वस्तुसूची का उचित रिकार्ड रखा है। जैसा कि हमें बताया गया है कि पुस्तक अभिलेखों की तुलना में स्टॉक की प्रत्यक्ष जाँच पर पाई गई असंगति महत्वपूर्ण नहीं थी तथा इस पर लेखे की पुस्तक में उचित रूप से विचार किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(iii) जैसा कि बताया गया, दि कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में उल्लेखित किसी कंपनी फर्म या अन्य पार्टियों को/से कंपनी द्वारा प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं दिए/लिए गए हैं तदनुरूप कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 (संशोधनानुसार) के अनुच्छेद (iii) (ख), (ग), (घ), (ड.), (च) तथा (छः) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
(iv) हमारी राय में वस्तुओं तथा अचल परिसम्पत्तियों के क्रय तथा सामग्रियों एवं सेवाओं की बिक्री के मामले में इसके आंतरिक नियंत्रण की पद्धति कंपनी के आकार तथा इसके कार्य व्यापार की प्रकृति के अनुरूप है। अपनी लेखा–परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में हमने कोई बड़ी कमी नहीं पाई है।	कोई टिप्पणी नहीं
(v) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत आने वाले लेन–देन के संबंध में :	
क) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार संविदा या करार के अनुसरण में ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया गया था, जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में दर्ज करना आवश्यक है।	कोई टिप्पणी नहीं
ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार धारा 301 के तहत रखे गये रजिस्टर में दर्ज संविदाओं या व्यवस्थाओं के अनुसार 5 लाख रूपये मूल्य से अधिक का लेन–देन नहीं किया गया है जो संगत समय में प्रचलित बाजार मूल्य होने से युक्ति–संगत नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
(vi) धारा 58ए तथा 58एए तथा इस कानून के या किसी अन्य बाहय प्रावधान के अर्थ में कंपनी ने जनता से किसी प्रकार का जमा स्वीकार नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(vii) कंपनी ने क्षेत्रीय संस्थानों तथा मुख्यालय के आंतरिक अंकेक्षण हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स/कॉस्ट एकाउन्टेंडस के बाहरी फर्मों को नियुक्त किया है। हमारी राय में अपने आकार तथा कार्य व्यापार की प्रकृति के अनुरूप कंपनी के पास आंतरिक अंकेक्षण पद्धति मौजूद है।	कोई टिप्पणी नहीं

सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा प्रबंधन का जवाब

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
(viii) हमें सूचित किया गया है कि केंद्र सरकार ने इस कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा–209(1) (डी) के तहत लागत रिकार्ड के रख–रखाव का निर्धारण नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(ix) **सांविधिक बकाया के मामले में :**	
(क) कंपनी के अभिलेख के अनुसार कंपनी अविवादित सांविधिक बकाया जैसे : भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष, आयकर, बिक्री कर, सम्पत्ति कर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस तथा अन्य बकाया सक्षम प्राधिकारी के पास प्रायः नियमित रूप से जमा करा रही है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार इस कंपनी में कर्मचारी राज्य जीवन बीमा योजना लागू नहीं है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कथित बकाए के मामले में कोई अविवादित बकाया 31 मार्च, 2014 को उसके भुगतान योग्य होने की तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
ख) निम्नलिखित सांविधिक बकाया और उनमें से कुछ जिसे कंपनी द्वारा प्रतिवाद में परंतु देयता के रूप में न मानकार भुगतान किया गया है, को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष लंबित रहने के कारण नहीं जमा किया है, वे इस प्रकार हैं :	कोई टिप्पणी नहीं

क्र. सं.	सांविधिक का नाम	बकाया की प्रकृति	रकम (लाख रूपये में)	वित्तीय वर्ष जिससे रकम संबंधित है	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
1.	सेवा कर	सेवा कर	40.24	1996-97	सेवा कर न्यायाधिकरण कोलकाता
2.	सेवा कर	सेवा कर	505.53	1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03	सीईएसटीएटी, कोलकाता
3.	बिक्री कर अधिनियम	प्रवेश कर	20.97	2001-02	बिक्री कर प्राधिकरण
4.	आयकर अधिनियम	आयकर	244.43	1992-93, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 2005-06, 2006-07	आईटीएटी, राँची
5.	आयकर अधिनियम	आयकर	1968.83	2007-08 2008-09	सीआईटी(ए), राँची
6.	आयकर अधिनियम	आयकर	16.30	2009-10 सीआईटी (ए), राँची	

प्रबंधन का जवाब: कोई टिप्पणी नहीं

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
(x) कंपनी ने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष तथा गत वर्ष (ठीक पहले वाला वर्ष) के दौरान परिचालन क्रिया–कलाप से संचित हानि और कोई नकद हानि नहीं उठायी है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xi) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय यह है कि वित्तीय संस्थानों, बैंकों या डिबेचर होल्डर के पास कंपनी का बकाया नहीं है।	
(x) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयर, डिबेचर तथा अन्य प्रतिभूतियों के बंधक के रूप में प्रतिभूतियों के आधार पर किसी प्रकार का कर्ज या अग्रिम मंजूर नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xi) कंपनी कोई चिट फंड, निधि या म्यूचुअल बेनिफिट फंड/सोसाइटी नहीं है। इसलिए, सीएआरओ के खंड (xii) इस कंपनी पर लागू नहीं होता है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xiv) हमारी राय में कंपनी शेयर, प्रतिभूति, डिवेन्यर तथा अन्य निवेश का कारोबार या व्यापार नहीं करती है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xv) हमें दी गई सूचना तथा जानकारी के अनुसार कंपनी ने बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से दूसरों द्वारा लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।	कोई टिप्पणी नहीं

सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा प्रबंधन का जवाब	
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	**प्रबंधन का जवाब**
(xvi) विवेच्य वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई सावधिक ऋण की उगाही नहीं की है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xvii) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने कोई अल्प अवधि की ऋण की उगाही (रेज) नहीं की है और न ही दीर्घकालीन उद्देश्य या विपरीत के लिए इसका उपयोग किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xviii) विवेच्य वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा (301) के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल	कोई टिप्पणी नहीं
पार्टी या कंपनी को शेयर का अधिमान्य(प्रिफेरेंसियल) आवंटन नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xix) कंपनी ने विवेच्य वर्ष के दौरान कोई डिबेन्चर जारी नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xx) विवेच्य वर्ष के दौरान कंपनी ने आम इश्यू द्वारा कोई धन नहीं उगाहा है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xxi) प्रबंधन से प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे अंकेक्षण के दौरान कंपनी पर या कंपनी पर/द्वारा किसी तरह की धोखाघड़ी की रिपोर्ट नहीं की गई है/पाई गई है।	कोई टिप्पणी नहीं
वास्ते, तोदी तुलस्यान एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स एफआरएन–002180 सी ह0/– **(सीए सुशील कुमार तुलस्यान)** सदस्य सदस्यता सं0– 075899 स्थान : राँची तिथि : 10.05.2014	

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम 1956 के तहत वित्तीय प्रतिवेदन फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी का दायित्व कंपनी प्रबंधन का है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त संविधिक अंकेक्षक अपने व्यावसायिक निकाय भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान द्वारा विहित आडिटिंग एंड एस्योरेंस स्टैंडर्ड के अनुसार अपने स्वतंत्र अंकेक्षण के आधार पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के तहत वित्तीय विवरण पर अपना विचार देने के लिए उत्तरदायी है। कहा गया है कि यह दिनांक 10 मई, 2014 के उनके अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि0 की वित्तीय विवरण का कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) (बी) के तहत पूरक अंकेक्षण किया है। यह पूरक अंकेक्षण सांविधिक अंकेक्षकों के कार्यकारी अभिलेख (वर्किंग पेपर) तक पहुँच (एक्सेस) के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा यह प्रथमतः सांविधिक अंकेक्षकों तथा कंपनी के कर्मियों की जांच और कुछ चयनित लेखा अभिलेखों के परीक्षण तक सीमित है। हमारे अंकेक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जिस पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के तहत सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक टिप्पणी देना अपेक्षित है।

भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षा
बोर्ड की ओर से एवं वास्ते

ह0/–

(यशोधरा राय चौधरी)
व्यावसायिक अंकेक्षण के प्रधान
निदेशक एवं लेखा परीक्षा बोर्ड-II
के पदेन सदस्य
कोलकाता–20

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 03.06.2014

समझौता संलेख पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट

तोदी तुलस्यान एंड कंपनी
चार्टड एकाउन्टेंट

602, लव कुश टावर,
एक्जीबिशन रोड,
पटना – 800 001
फोन – 2320211 / 2320056 (O)
फैक्स – 0612-2320056
ई–मेल – ttco@sify.com

सेवा में,
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड,
गोंदवाना प्लेस : काँके रोड,
राँची

हमने वर्ष 2013–14 के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड से संबंधित समझौता संलेख के लक्ष्य की तुलना में संलग्न वित्तीय एवं डयनेमिक पारामीटरों का वास्तविक कार्य निष्पादन का अंकेक्षण किया है। कंपनी हमें उपलब्ध कराए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. वित्तीय एवं डायनेमिक पारामीटर से संबंधित संलग्न कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रपत्र (शीट) में वर्णित उपलब्धि भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (एमओयू डिवीजन) भारत सरकार द्वारा जारी वर्ष 2013–14 के लिए एमओयू के दिशा–निर्देश के संदर्भ में परिकलित की गई है।
2. डीपीई के साथ हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार परफार्मेंश इवाल्यूएशन शीट (परीशिष्ट–III) में कम्पोजिट स्कोर 1.520 (बहुत अच्छा) रहा तथा बोर्ड आफ कंपनी द्वारा नोटेड संशोधित लक्ष्य के अनुसार परफार्मेश इवाल्यूशन शीट (परिशिष्ट–III–ए) में कम्पोजिट स्कोर 1.259 (उत्कृष्ट) रहा।
3. हमारी जाँच के लिए हमारे सर्मक्ष प्रस्तुत तथा दस्तावेजी साक्ष्य, रखे गए रिकार्ड से वित्तीय एवं डायनेमिक पारामीटर में वर्णित उपलब्धि का डायनेमिक पारामीटर में वर्णित उपलब्धि का मिलान किया ता है, जो हमारी जानकारी में संबंधित पारामीटर सही है।

वास्ते/तोदी तुलस्यान एंड कंपनी
चार्टड एकाउन्टेंट
एफआरएन – 002180सी

ह0/–
(सुमीत कुमार तुलस्यान)
सदस्य

स्थान : राँची
तिथि : 09.06.2014

समझौता संलेख 2013-14

डीपीई के साथ हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार लक्ष्य

अनुषंगी कंपनी : सीएमपीडीआई

परिशिष्ट - III क

मूल्यांकन मानदण्ड			ईकाई	भार (प्रतिशत में)	समझौता संलेख का लक्ष्य उत्कृष्ट 1	बहुत अच्छा 2	अच्छा 3	साधारण 4	खराब 5	सत्यापन के साधन	कार्यनिष्पादन वास्तविक	स्कोर
1		**स्थाई/वित्तीय पारामीटर**								वार्षिक रिपोर्ट		
	(क)	वित्तीय सूचकांक–लाभ से संबंधित अनुपात										
	(i)	सकल मार्जिन/सकल बिक्री	:	10	5.50	5.40	5.08	4.77	4.49		6.81	0.100
	(ii)	सेंचालन टर्न ओवर/कर्मचारी	करोड़ रू.	12	0.231	0.226	0.212	0.200	0.188		0.206	0.416
	(ख)	वित्तीय सूचकांक आयकर से संबंधित										
	(i)	सकल मार्जिन	करोड़ रू.	8	40.04	39.57	37.59	35.71	33.92		44.08	0.080
	(ii)	सकल बिक्री (सेवाकर रहित)	करोड़ रू.	4	750.51	733.38	696.71	661.88	628.78		647.43	0.177
	(ग)	वित्तीय रिटर्न– उत्पादकता से संबंधित										
	(i)	पिबीडीआईटी/कर्मचारी	करोड़ रू.	7	0.012	0.012	0.011	0.011	0.010		0.014	0.070
	(ii)	संवर्धित मूल्य/सकल बिकक्री	:	9	2.54	2.53	2.38	2.24	2.10		3.56	0.090
		उप-योग		**50**								**0.933**
2		**डायनेमिक पारामीटर**										
	(क)	मानव संसाधन प्रबंधन		5						स्वतन्त्र एचआर अंकेक्षक/वार्षिक रिपोर्ट		0.057
	(i)	डीपीई के दिशा–निर्देश के अनुसार एचआरएम का कार्य निष्पादन		1	परिशिष्ट XIV के रूप में संलक्ष्न							0.017
	(ii)	परियोजना प्रबंधन में प्रमाणित प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	1	25	20	15	10	5		25	0.010
	(iii)	संविदा प्रबंधन में प्रमाणित प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्य	1	15	12	9	6	3		15	0.010
	(iv)	पर्यावरण, वन प्रबंधन तथा भूअर्जन में औपचारिक प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्य	1	10	8	6	4	2		11	0.010
	(v)	जोखिम प्रबंधन में औपचारिक प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्य	1	2	1					2	0.010
	(ख)	अनुसंधान एवं विकास/नयी पहल		5	परिशिष्ट XII के रूप में संलक्ष्न					स्वतन्त्र अनुसंधान एवं विकास सलाहकार समिति रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट		0.050
	(ग)	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्य तथा सस्टेनेबु डेबलपमेंट		8	परिशिष्ट XI के रूप में संलक्ष्न					स्वतंत्र विशेषज्ञ रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट		0.080
		उपयोग		**18**								**0.187**

समझौता संलेख 2013–14

डीपीई के साथ हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार लक्ष्य

अनुषंगी कंपनी सीएमपीडीआई

परिशिष्ट -III क

मूल्यांकन मानदण्ड	ईकाई	भार (प्रतिशत में)	समझौता संलेख का लक्ष्य					सत्यापन के साधन	कार्यनिष्पादन	स्कोर
			उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	खराब		वास्तविक	
			1	2	3	4	5			
3 **क्षेत्र विशिष्ट पारामीटर**										
(i) वेधन	000 मीटर		900.00	850.00	799.00	751.06	706.00	वार्षिक रिपोर्ट	696.84	
(अ) विभागीय	000 मीटर	2	285.00	280.00	263.20	247.41	232.56		325.36	0.020
(ब) आउटसोर्स	000 मीटर	2	615.00	570.00	535.80	503.65	473.40		371.48	0.100
(ii) औसत वेधन उत्पादकता	मीटर/ड्रिल/माह	2	440.00	435.00	428.00	422.00	416.00		487	0.020
(iii) भूवैज्ञानिक रिपोर्ट	संख्या	6	14	13	12	11	10		15	0.060
(iv) परियोजना रिपोर्ट	संख्या	6	26	25	24	23	22		26	0.060
(v) अन्य निपोर्ट	संख्या	4	126	123	117	111	106		167	0.040
(vi) ईआईए/ईएमपी (फार्म–1 सहित)	संख्या	4	32	31	29	27	25		40	0.040
(vii) कोल इंडिया के अनुषंगी कंपनियों कें खुली खदान खान में (आउटसोर्सिंग पैचों को शामिल कर खानों की संख्या) ओवर बर्डेन हटाने के लिए चेक मेजरमेंट	संख्या	2	64	63	60	57	54		141	0.020
(viii) परामर्शी कार्य (कोल इंडिया के अलावे	करोड़ रू.	2	22.00	20.90	19.86	18.86	17.92		23.35	0.020
(ix) जोखिम प्रबंधन की योजना की तैयारी	हाँ/नहीं	1	हाँ				नहीं		हाँ	0.010
(x) एएस 15 (लेखा मानक 15 के अनुसार) अनुपालन	माह	1	सितम्बर, 13	अक्टूबर, 13	नवम्बर, 13	दिसम्बर, 13	जनवरी 14		अप्रैल, 13	0.010
उप योग		**32**								**0.400**
समग्र योग		**100**								**1.520**

नोट: 1. वर्ष 2013–14 के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति प्रतिकूल होने तथा वन स्वीकृति नहीं मिलने के कारण (सीएमपीडीआई के नियंत्रण से पूर्णतः बाहर की बाधाएँ) आउटसोर्सिंग के जरिए आउटसोर्स्ड् ब्लॉकों में वेधन में 1,98,772 मीटर की कमी आई।

समझौता संलेख - 2013 - 14

एमओयू दस्तावेज के परिशिष्ट-3 टिपपणी 3 के अनुसार परिकलित तथा कंपनी बोर्ड द्वारा नोटेड संसोधित लक्ष्य

अनुषंगी कंपनी सीएमपीडीआई

परिशिष्ट -III क

			मूल्यांकन मानदण्ड	ईकाई	भार (प्रतिशत में)	समझौता संलेख का लक्ष्य: उत्कृष्ट 1	बहुत अच्छा 2	अच्छा 3	साधारण 4	खराब 5	सत्यापन के साधन	कार्यनिष्पादन वास्तविक	स्कोर
1	**स्थाई/वित्तीय पारामीटर**										वार्षिक रिपोर्ट		
	(क)		वित्तीय सूचकांक–लाभ से संबंधित अनुपात										
		(i)	सकल मार्जिन/सकल बिक्री	:	10	5.93	5.90	5.55	5.21	4.90		6.81	0.100
		(ii)	संचालन टर्न ओवर/कर्मचारी	करोड़ रू.	12	0.214	0.209	0.197	0.185	0.174		0.206	0.416
	(ख)		वित्तीय सूचकांक आयकर से संबंधित										
		(i)	सकल मार्जिन	करोड़ रू.	8	41.28	40.13	38.12	36.22	34.41		44.08	0.080
		(ii)	सकल बिक्री (सेवाकर रहित)	करोड़ रू.	4	695.85	680.06	646.06	613.75	583.07		647.43	0.177
	(ग)		वित्तीय रिटर्न– उत्पादकता से संबंधित										
		(i)	पिबीडीआईटी/कर्मचारी	करोड़ रू.	7	0.013	0.012	0.012	0.011	0.010		0.014	0.070
		(ii)	संवर्धित मूल्य/सकल बिक्री	:	9	2.91	2.81	2.64	2.48	2.33		3.56	0.090
			उप-योग		**50**								**0.933**
2	**डायनेमिक पारामीटर**												
3	(क)		मानव संसाधन प्रबंधन		5						स्वतन्त्र एचआर अंकेक्षक/वार्षिक रिपोर्ट		0.057
		(i)	डीपीई के दिशा–निर्देश के अनुसार एचआरएम का कार्य निष्पादन		1	परिशिष्ट XIV के रूप में संलक्ष्न							0.017
		(ii)	परियोजना प्रबंधन में प्रमाणित प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	1	25	20	15	10	5		25	0.010
		(iii)	संविदा प्रबंधन में प्रमाणित प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	1	15	12	9	6	3		15	0.010
		(iv)	पर्यावरण, वन प्रबंधन तथा भूअर्जन में औपचारिक प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	1	10	8	6	4	2		11	0.010
		(v)	जोखिम प्रबंधन में औपचारिक प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	1	2	1					2	0.010
	(ख)		अनुसंधान एवं विकास/नयी पहल		5	परिशिष्ट XII के रूप में संलक्ष्न					स्वतन्त्र अनुसंधान एवं विकास सलाहकार समिति रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट		0.050
	(ग)		निगमित सामाजिक उत्तरदायित्य तथा सस्टेनेबु डेबलपमेंट		8	परिशिष्ट XI के रूप में संलक्ष्न					स्वतंत्र विशेषज्ञ रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट		0.080
			उपयोग		**18**								**0.187**

एमओयू दस्तावेज के परिशिष्ट–3 टिप्पणी 3 के अनुसार परिकलित तथा कंपनी बोर्ड द्वारा नोटेड संसोधित लक्ष्य

अनुषंगी कंपनी सीएमपीडीआई

परिशिष्ट -III क

		मूल्यांकन मानदण्ड	ईकाई	भार (प्रतिशत में)	समझौता संलेख का लक्ष्य					सत्यापन के साधन	कार्यनिष्पादन	स्कोर
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	खराब		वास्तविक	
					1	2	3	4	5			
3	क्षेत्र विशिष्ट पारामीटर											
	(i)	वेधन										
		(अ) विभागीय	000 मीटर	2	701.23	656.23	616.86	579.84	545.05	वार्षिक रिपोर्ट	696.84	
		(ब) आउटसोर्स	000 मीटर	2	285.00	280.00	263.20	247.41	232.56		325.36	0.020
	(ii)	औसत वेधन उत्पादकता	मीटर/ड्रिल/माह	2	440.00	435.00	428.00	422.00	416.00		487	0.020
	(iii)	भूवैज्ञानिक रिपोर्ट		6	14	13	12	11	10		15	0.060
	(iv)	परियोजना रिपोर्ट	संख्या	6	26	25	24	23	22		26	0.060
	(v)	अन्य रिपोर्ट	संख्या	4	126	123	117	111	106		167	0.040
	(vi)	ईआईए/ईएमपी (फार्म–1 सहित)	संख्या	4	32	31	29	27	25		40	0.040
	(vii)	कोल इंडिया के अनुषंगी कंपनियों कें खुली खदान खान में (आउटसोर्सिंग पैचों को शामिल कर खानों की संख्या) ओवर बर्डेन हटाने के लिए चेक मेजरमेंट	संख्या	2	64	63	60	57	54		141	0.020
	(viii)	परामर्शी कार्य (कोल इंडिया के अलावे	करोड़ रू.	2	22.00	20.90	19.86	18.86	17.92		23.35	0.020
	(ix)	जोखिम प्रबंधन की योजना की तैयारी	हाँ/नहीं	1	हाँ				नहीं		हाँ	0.010
	(x)	एएस 15 (लेखा मानक 15 के अनुसार) अनुपालन	माह	1	सितम्बर, 13	अक्टूबर, 13	नवम्बर, 13	दिसम्बर, 13	tuojh 14		अप्रैल, 13	0.010
		उप योग		**32**								**0.344**
		समग्र योग		**100**								**1.259**

नोट: 1. वर्ष 2013–14 के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति प्रतिकूल होने तथा वन स्वीकृति नहीं मिलने (सीएमपीडीआई के नियंत्रण से पूर्णत: बाहर की बाधाएँ) के कारण आउटसोर्सिंग के जरिए आउटसोर्स्ड ब्लॉकों में वेधन में 1,98,772 मीटर की कमी आई। वर्ष 13–14 के दौरान सीएमपीडीआई एवं कोल इंडिया के बीच एमओयू मूल्यांकन के समय सीएमपीडीआई के नियंत्रण से बाहर की बाधाओं को दूर नहीं करने के कारण वेधन लक्ष्य प्रभावित हुआ। (देखें फूट नोट क्रमांक–3)। इसके बावजूद परिशिष्ट 3–क के अनुसार संलग्न पीईआरटी चार्ट से यह चिन्हित किया जाएगा और इसके लिए सर्वोत्तम प्रयास किया जाएगा। तदनुसार मूल्यांकित किया गया। तदनुसार आउटर्सोस के जरिए वेधन से संबंधित लक्ष्य (उत्कृष्ट) को सेशोधित कर 416228 मी. किया गया है। कोयला क्षेत्र में वन स्वीकृति नहीं मिलने तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति प्रतिकूल होने के कारण वेधन में आई कमी, जहाँ पीईआरटी चार्ट के अनुसार विभागीय ड्रिलिंग प्रोजेक्ट किया गया था, को दर्शाया नहीं गया है और न ही लक्ष्य में कमी पर विचार किया गया है, जैसा कि अन्य ब्लॉकों में ड्रिलिंग में किया गया है।

2. उत्कृष्टता के लिए आउटर्सोस के वेधन लक्ष्य अर्थात् 416228 मी. में संशोधन के आधार पर वित्तीय पारामीटर के लिए लक्ष्य को संशोधित किया गया है।

सीएसआर एवं एसडी क्रिया-कलापों के लिए टेम्पलेट

परिशिष्ट-XI

				कार्यनिष्पादन रेटिंग					वास्तविक	रेटिंग
	मूल्यांकन मानक	ईकाई	भार	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	खराब		
				1	2	3	4	5		
1(i)	**संगठन में सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी एजेंडा के इंटरनलाइजिंग में कर्मचारी तथा टॉप प्रबंधन की सहभागिता की डिग्री**									
(क)	आयोजित किए जाने वाले सेमिनार/कार्यशाला/प्रशिक्षण सत्र की संध्या	संख्या	0.40	2	1				2	0.40
(ख)	ऐसी बैठकों/सेमिनार/कोर्सेज में टॉप प्रबंधन/अधिकारियों की उपस्थिति	संख्या	0.30	10	8	6	4	2	47	0.30
(ग)	शामिल कुल कर्मचारियों की संख्या	संख्या	0.30	40	35	30	25	20	223	0.30
	उपयोग		1.00							1.00
1(ii)	**कार्बन फुटप्रिंट में कमी तथा उत्पाद/सेवा/प्रक्रिया पर ऐसे इनवोलमेंट का प्रभाव**									
(क)	वर्ष के दौरान उत्पाद/सेवा/उत्पादित प्रक्रिया या लागू प्रक्रिया की सूची									
	1. सीएमपीडीआई (मुख्यालय) में वेस्ट पेपर रिसाइकिलिंग सिस्टम की स्थापना	हाँ/नहीं	1.00	हाँ					हाँ 24.3..14 को पूर्ण	1.00
	2. क्षेत्रीय संस्थान–7, भुवनेश्वर कॉलोनी (500 घ.मी.) में वर्षा जल–संरक्षण	समापन की तिथि	1.00	1 मार्च, 14	9 मार्च, 14	17, मार्च, 14	24 मार्च, 14	31 मार्च, 14	हाँ 4..2.14 को पूर्ण	1.00
	उपयोग		**2.00**							**2.00**
2	**श्रेष्ठ निगमित संचार नीति को अपनाकर की-स्टेक होल्डरों के जुड़ाव से किए गए प्रयास और प्राप्त सफलता।**									
(क)	की–स्टेक होल्डर के साथ सम्पन्न बैठक/परामर्श की अलग–अलग संख्या(ग्रामीण,कर्मचारियों के प्रतिनिधियों आदि के साथ)	संख्या	0.5	3	2	1		1	3	0.50
(ख)	सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावर्णिक सस्टेनेबिलिटी में कंपनी के कार्य–निष्पादन से संबंधित की–स्टेक होल्डर(ग्रामीण, कर्मचारी, आदि) से वेब–आधारित फिड बैक प्रणाली की स्थापना	हाँ/नहीं	0.5	हाँ				संख्या	हाँ 19.2.14 को पूर्ण	0.50
	उपयोग		1.00							1.00
3	**सस्टेनिबिलिटी रिर्पोटिंग का ग्रहण तथा प्रोसिडियूर एवं प्रैक्टिस का प्रकट्टीकरण**									
(क)	सीएसआर तथा 12–13 का सस्टेनेबिलिटी पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन	प्रकाशन की तिथि	0.50	फरवरी, 14	मार्च, 14			संख्या	26.2.14 को पूर्ण	0.50
(ख)	कंपनी के वेब साइट पर इस संबंध में सूचनाओं का यथाशीघ्र यद्यतित प्रदर्शन	अवधि	0.50	तिमाही	छमाही	वार्षिक			तिमाही	0.50
	उपयोग		**1.00**							**1.00**

सीएसआर एवं एसडी क्रिया-कलापों के लिए टेम्पलेट

परिशिष्ट-XI

				कार्यनिष्पादन रेटिंग					वास्तविक	रेटिंग
	मूल्यांकन मानक	ईकाई	भार	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	खराब		
				1	2	3	4	5		
4	**विवेच्य वर्ष के दौरान किए गए सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन में सफलता की डिग्री**									
(क)	राँची में जनजातिय क्षेत्रों में सुविधाओं के साथ दो क्लासरूम का निर्माण (परिशिष्ट– गप ए में संलग्न परियोजना विवरण के अनुसार)	समापन की तिथि	1.00	1 मार्च, 14	9 मार्च, 14	17, मार्च, 14	24 मार्च, 14	31 मार्च, 14	25. 2.14 को पूर्ण	1.00
(ख)	सीएमपीडीआई, क्षेत्रीय संस्थान–4 में परम्परागत विद्युत उपकरणों को बदलकर ऊर्जा संरक्षण (परिशिष्ट– गप ए के अनुसार संलग्न परियोजना विवरण)	बदले गए परम्परागत लाइटों की संख्या	1.00	80	70	60	50	<50	बदले गए परम्परागत लाइटों की संख्या 160	1.00
			2.00							2.00
5	**सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी क्रिया-कलाप पर हुए खर्च (वार्षिक बजटीय आवंटर की तुलना में) (पीएटी का 3 प्रतिशत)**	12–13 के पीएटी का 3 प्रतिशत का प्रतिशत	0.50	75 से ऊपर	65 से 75	55 से 65	45 से 55	<45	268 प्रतिशत (पीएटी 12–13 : रू. 25.05 करोड़, व्यय : रू. 2.014 करोड़)	0.50
6	**सीएसआर क्रिया-कलाप का आयोजन, कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग की प्रक्रिया में टू-टीयर ऑगेनाईजेशनल कल्चर की प्रभावकारिता**									
(क)	बोर्ड लेवल कमेटि के स्वतन्त्र निदेशक की बाध्यकारी सदस्यता सहित टू–टीयर ऑगेनाईजेशनल स्ट्रचर का अस्तित्व	हाँ / नहीं	0.20	हाँ				संख्या	हाँ	0.20
ख(i)	बोर्ड लेवल कमेटि की बैठक	बैटकों की संख्या	0.15	4	3	2	1		4	0.15
ख(ii)	बोर्ड लेवल मिटिंग से नीचे का	बैटकों की संख्या	0.15	4	3	2	1		5	0.15
	उपयोग		**0.50**							**0.50**
	कुल		**8.00**							**8.00**

परिशिष्ट - XII

वर्ष 2013-14 के लिए आरएंडडी कार्य निष्पाद लक्ष्य निर्धारण-सह-मूल्यांकन

सीएमपीडीआई द्वारा चुनी गई परियोजना

				लक्ष्य मूल्य					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				प्रतिशत से कार्यनिष्पादन लक्ष्य					
क्र. सं.	चुनी गई परियोजना	कार्यनिष्पादन संकेतक	वेटेज	उत्कृष्ट (100%)	बहुत अच्छा 80%)	अच्छा (60%)	साधारण (40%)	खराब (20%)	उपलब्धि (अप्रै.13. मार्च14)
2.1	विकास में बेल्ट बिहेवियर की जाँच तथा ब्लास्ट इन्डयूज्ड डॉयनिक लोडिंग के अंतर्गत डिपलिरिंग पैनल्स	ज्ञान सृजन/ विकिरिणन	1.00	यदि इस तिथि तक रिपोर्ट पूरी की जाती है :					
				14 दिस. 13	31 दिस. 13	15 जन. 14	31 जन. 14	15 फर. 14	**18 नव. 13**
				वेटेज आवंटित					
				1.0	0.8	0.6	0.4	0.2	**1.0**
2.2	खुली खान के लिए सम्रेकित डम्पर कोलिजन एव्याडेंस सिस्टम का स्वेदेशी विकास	ओपेन कास्ट माइन सुरक्षा के सुरक्षा विकसित करने के लिए उपक्रम सामग्री का विकास	1.00	यदि इस तिथि तक सिस्टम फिटमेंट तथा क्षेत्र परीक्षण पूरा किया जाता है।					
				31 जन 14	15 फर 14	28 फर. 14	15 मार्च 14	31 मार्च 14	**20 नव.13**
				वेटेज आवंटित					
				1.0	0.8	0.6	0.4	0.2	**1.0**
2.3	गहराई में स्थित कोयला तथा सेल संसाधनों से प्राप्त सीबीएम की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए कुश्र भारतीय कोयला के सिंकेज स्वेलिंग गुण निर्धारण पर अध्ययन	प्रोसेस डब्लपमेंट इमप्रूभमेंट	1.00	यदि इस तिथि में नमूना सेल की डिजाइन तथा प्रायोगिक सेटअप पूरी की जाती है :					
				28 फर. 14	7 मार्च. 14	15 मार्च. 14	21 मार्च. 14	31 मार्च. 14	**30 जन.14**
				वेटेज आवंटित					
				1.0	0.8	0.6	0.4	0.2	**1.0**
2.4	एक्सटेंशन फोम एजेंट का इस्तेमाल करते हुए भूमिगत खानों में आग की बढ़त पर काबू पाने के लिए क्यूक सेटिंग स्टॉपिंग का निर्माण	खुली खान सुरक्षा में सुधार लाने के लिए उपकरण/ सामग्री का विकास	1.00	यदि स्थिति में एमसीएल की दो खानों का क्षेत्र परीक्षण पूरा किया जाता है :					
				30 सित. 13	15 अक्टू. 13	31 अक्टू. 13	15 नव. 13	30 नव.13	**20 सित. 13**
				वेटेज आवंटित					
				1.0	0.8	0.6	0.4	0.2	**1.0**
2.5	एक्सप्लोसिव इनर्जी यूटिलाइजेशन पर आधारित एक्सप्लोसिव/ ब्लास्ट परिणामों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन	उत्पादन, उत्पादकता में इम्प्रुवमेंट	1.00	यदि इस तिथि में इस्टीमेंटिंग भूकम्पीय तथा फ्रेगमेंटेशन इनर्जी पूरी की जाती है :					
				30 जन. 13	15 जुलाई,13	31 जुलाई,13	15 अग. 13	31 अग. 13	**29 मई 13**
				वेटेज आवंटित					
				1.0	0.8	0.6	0.4	0.2	**1.0**

एमओयू के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन की सुपुर्दगी के समय भरे जाने के लिए.

क्रम सं. 2.1

1	प्रोजेक्ट कोड	सीआईएल/आरएंडडी/1/42/10
2	शीषक	**ब्लास्ट इन्डयूस्ड डायनेमिक लोडिंग के अंतर्गत डेवलपमेन्ट एवं ड्रिलिंग पैनल में बोल्ट बिहेवियर की जाँच**
3	प्रारंभ करने की तिथि	दिसमबर, 2010
4	पूर्णता की निर्धारित तिथि	दिसम्बर, 2013
5	उद्देश्य	➢ (i) डवलपमेंट पैनल में बेल्ट–बिहेवियर के कार्य–निष्पादन की जाँच ➢ (ii) डिपलिरिंग पैनल तथा डवलपमेंट पैनल के परिणामों के साथ तुलना में बोल्ट के कार्य निष्पादन की जाँच ➢ (iii) ब्लास्ट इन्डयुस्ड डायनेमिक लोडिंग के अन्तर्गत बोल्ट के कार्य–निष्पादन का अध्ययन ➢ (iv) दिए गये भू–खनन स्थिति के लिए सबसे अच्छे स्थित बोल्ट का निर्धारण करने हेतु अथवा चार्ट अथवा कम्प्यूटर प्रोग्राम का विकास
6	विवरण की पृष्ठभूमि	भारतीय कोयला खानों में अधिकांश घटनाएँ ग्राउण्ड कन्ट्रोल प्रोवलेम के कारण विशेषकर रूफ अथवा रॉक फॉल क कारण घटती है। ऐसे रूफ तथा रॉक फॉल को रोकने के लिए मुख्य सपोर्ट सिस्टम के रूप में बोल्टिंग की जाती है खान में काम करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा खान प्रबंधन का मुख्य दायित्व है। प्रबंधन भूमिगत खानों में कार्यकारी वातावरण सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा अच्छे तरह से बोल्टिंग करने पर विश्वास करता है। बोल्ट ग्राउड–लॉक इन्टरेक्शन के मैकनिक्स को समझने के लिए यह भी अपेक्षित है ताकि दिए गए भू खनन स्थिति अंतर्गत व्यवहार में लाने के लिए उचित डिजाइन रखी जा सके।
7	बेस लाइन सर्वे	प्रैक्टिस के लिए कोई भी प्रभावी डिजाइन रखी जा सकती है, के पहले बोल्ट कार्य निष्पादन का अण्डरस्टैंडिंग अपेक्षित है। जानकारी की कमी के कारण बोल्ट डिजाइन में अब तक की तिथि में कई कमियाँ हैं।
8	माइल स्टोन (कार्यकारी योजना)	(i) पूर्णरूपेण ग्राउटेउ रॉक बोल्स् का न्यूमिरिकल मॉडलिंग (ii) नोमोग्राम का विकास (iii) रिपोर्ट की तैयारी
9	कार्य योजना	(see below)
10	सहयोग, यदि कोई हो	आईआईटी खड़गपुर तथा आरडीसीआईएस सेल, राँची
11	विस्मृत प्रलेखन	संबंधित विस्तृत विवरण तथा सिीति रिपोर्ट के साथ परियोजना की फाइल (प्रोजेक्ट फाइल)
12	नियोजित संसाधन	आईआईटी, खड़गपुर से शिक्षाविदों तथा आरडीसीआईएस (सेल), राँची से अधिकारियों के सहयोग से ब्लास्टिंग सेल, सीएमपीडीआई, मुख्यालय, रांची के अधिकारी
13	परियोजना की लागत	491.08 लाख रूपये
14	लाभग्राही	अध्ययन की उपलब्धि रेगुलेरी निकाय को निर्णय लेने में सहायता कर सकती है तथा विशिष्ट मामले के लिए खान प्रबंधन को बोल्टिंग (सपोर्ट डिजाइन) सुझाव मुहैया करा सकती है।
15	प्रभाव	उपलब्धि पर आधारित बोल्ट का स्पेलिंग दिए गये बोल्ट तथा डायमीटर के लिए पता लगा सकता है, जिससे कि बोल्ट का अधिकतम उपयोग प्राप्त किया जा सके। किसी में लगाए जा रहे बोल्टिंग प्रैक्टिस दिए गए कंडीशन में कार्य करने के लिए वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित होगा तथा थम्ब रूल पर आधारित डिजाइन नहीं होगा।
16	30.09.2012 के अनुसार स्थिति	सेल द्वारा आपूर्ति किए गए 20 एमएम 22 एमएम,एफई 600 बोल्ट के संबंध मुें प्रायोजिक जाँच आईआईटी, खड़गपुर के परीक्षण के अंतर्गत है। ईस्टर्न कोल फिल्ड्स (ईसीएल) के झॉझरा परियोजना में पुल आउट टेस्ट जारी है। रेसिन ग्राउटेड सामग्री का मानकीकरण आईआईटी, खड़गपुर दूसरा जल्द ही किया जायेगा।
17	स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट	कोल इंडिया प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाना है

कार्य योजना (9):

गतिविधियाँ	2013-14	
	शुरू करने की तिथि	पूर्णता की संभावित तिथि
पूर्णरूपेण ग्राउटेड रॉक बेल्ट का न्यूमेरिकल मॉडलिंग	जारी	सितम्बर, 2013
नोमोग्राम का विकास	जारी	अक्तू, 2013
रिपोर्ट की तैयारी	अक्तू, 2013	दिस, 2013

क्रम सं. 2.2

<table>
<tr><td>1</td><td>परियोजना कोड</td><td colspan="3">सीआईएल/आरएंडडी/1/51/12</td></tr>
<tr><td>2</td><td>शीर्षक</td><td colspan="3">खुली खानों के लिए समेकित डम्पर कोलिजन एव्याडेंस का स्वदेशी विकास</td></tr>
<tr><td>3</td><td>शुरू करने की तिथि</td><td colspan="3">फरवरी, 2012</td></tr>
<tr><td>4</td><td>पूणता की निर्धारित तिथि</td><td colspan="3">जनवरी, 2014</td></tr>
<tr><td>5</td><td>उद्देश्य</td><td colspan="3">पर्याप्त खनन एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा मानवीय जीवन एवं उपकरण की हानि की रक्षा के लिए ओपेन कास्ट माइन हेतु समेकित डम्पर कोलिजन एव्याडेंस प्रणाली का विकास</td></tr>
<tr><td>6</td><td>विवरण की पृष्ट भूमि</td><td colspan="3">खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) ने डम्पर्स तथा ब्लाइन्ड ऑवजेक्ट के बीच कोलिजन से बचाने के लिए पूर्ण सुसज्जित एन्टी कोलिजन एवं समीपस्थ कार्मिंग सिस्टम द्वारा उम्परों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक दिनांक : 2.12.2008 को एक परिपत्र, परिपत्र संख्या डीजी–एमएस (तकनीकी)/परि. सं. 009 जारी किया।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>बेस लाइन सर्वे</td><td colspan="3">डम्पर की शियर साइज के कारण डम्पर चलाने वाले व्यक्ति, जिसके पास 180 डिग्री है। इससे निरंतर दुर्घटना होती है तथा किमती उपकरण की हानि होती है। वर्तमान में उम्पर में कोई वार्निंग सिस्टम नहीं है जिससे कि घटना घटने के पहले डम्पर ड्राइवर को पहले पूर्ण रूप से सचेत किया जा सके।
आजकल कोयला खनन ऑपरेशन में टूटे–फुटे उपकरण तथा बड़े पत्थर जैसे स्टेशनरी ऑबजेक्ट एवं घूता हुए वाहन भी गंभीर खतरा पैदा कर देता है। समेकित उम्पर कोलिजन एव्याडेंस प्रणाली विकसित कर इन सारी समस्याओं का प्रभावपूर्ण ढंग से समाधान किया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>माइल स्टोन (वर्क प्लान)</td><td colspan="3">i. समेकित प्रणाली एवं जाँच
ii. योग्यता की जाँच
iii. सिस्टम फिटमेंट तथा क्षेत्र परीक्षण</td></tr>
<tr><td rowspan="5">9</td><td rowspan="5">कार्य योजना</td><td rowspan="2">गतिविधियाँ</td><td colspan="2">2013-14</td></tr>
<tr><td>शुरूआत करने की तिथि</td><td>पूर्णता की संभावित तिथि</td></tr>
<tr><td>समेकित प्रणाली एवं जाँच</td><td>अप्रैल, 2013</td><td>जून, 2013</td></tr>
<tr><td>योग्यता की जाँच</td><td>जुलाई, 2013</td><td>सितम्बर, 2013</td></tr>
<tr><td>सिस्टम फिटमेंट तथा क्षेत्र परीक्षण</td><td>अक्टूबर, 2013</td><td>जनवरी, 2014</td></tr>
<tr><td>10</td><td>सहयोग, यदि कोई हो</td><td colspan="3">भारत इलेक्ट्रनिक लिमिटेड, पंच कुला</td></tr>
<tr><td>11</td><td>विस्तृत प्रलेखन</td><td colspan="3">संबंधित विस्तृत विवरण तथा स्थिति रिपोर्ट के साथ प्रोजेक्ट फाईल</td></tr>
<tr><td>12</td><td>नियोजित संसाधन</td><td colspan="3">भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड, पंचकुला के अधिकारियों के सहयोग से माइन इलेक्ट्रोनिक विभाग, सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची के अधिकारी</td></tr>
<tr><td>13</td><td>परियोजना की लागत</td><td colspan="3">354.51 लाख रू.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>लाभग्राही</td><td colspan="3">स्वदेशी उत्पादों की लागत विदेशी उत्पादों से तुलना करने पर काफी कम होगी, उत्पादों की डिजाइन अंतिम उप प्रयोक्ता की आवश्यकता तथा विर्निदेशन के अनुसार प्रथागत हो सकती है तथा प्रणाली का अंतर नियमित अंतराल पर इन्ड भूजट के लिए उपलब्ध होगा। पूर्ण समाधान मुख्य यूनिट पर आधारित जीपीएस का संयोजन होगा तथा निकटवर्ती सेंसर पर आधारित रडार को जोडेगा।</td></tr>
<tr><td>15</td><td>प्रभाव</td><td colspan="3">इस परियोजना के पूरा होने पर, खुली खानों के लिए समेकित उम्पर कोलिजन एव्याडेंस सिस्टम उपकरणों की हानि तथा मानवीय जीवन को सुरक्षित करेगा तथा पर्याप्त खनन एवं सुरक्षा के सुनिश्चित करेगा।</td></tr>
<tr><td>16</td><td>30.9.2012 के अनुसार स्थिति</td><td colspan="3">डम्पर कोलिजन एव्याडेंस सिस्टम का विकास तथा इसका समेकन तथा जाँच जारी है। सीएमपीडीआई, राँची तथा ईसीएल, पंचकुला के अधिकारियों से मिलकर बनी टीम ने डम्पर के लिए सिस्टम के फिटनेस सेंट्रल कोल फील्ड्स, सीसीएल के केडीएच खुली खान का दौरा किया।</td></tr>
<tr><td>17</td><td>स्वतन्त्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट</td><td colspan="3">कोल इंडिया के प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाना है।</td></tr>
</table>

क्रम स. 2.3

1	प्रोजेक्ट कोड	सीआईएल/आरएंडडी / 1/53/13		
2	शीषक	**गहराई में स्थित कोयला/शेल संसाधनों से सीबीएम की प्राप्ति का पता लगाने के लिए कुछ भारतीय कोयला खानों के सिरिंकेज स्वेलिंग गुण-निर्धारण पर रिपोर्ट**		
3	प्रारंभ करने की तिथि	मार्च, 2013		
4	पूर्णता की निर्धारित तिथि	फरवरी, 2015		
5	उद्देश्य	(i) कोयला एवं शेल नमूने के सिरिंकेज स्वेलिंग की माप के लिए उपयुक्त प्रायोजिक सेट–अप का विकास (ii) विभिन्न दबावों के अंतर्गत मिथेन अथवा कार्बनडाई–आक्साइड के एडजार्पसन / डिजार्पसन के साथ भारतीय कोयला के सिरिंकेज स्वेलिंग गुण–निर्धारण का अध्ययन (iii) कोयला शेल नमूनों में स्ट्रेन एनिसोथ्रोपी का अध्ययन (iv) कोयला / शेल नमूनों की व्याप्ति पर मेट्रिक्स सिरिंकेज स्वेलिंग के प्रभाव की गणना (v) इसकी रसायनिंक कम्पोजियन के साथ भारतीय कोयला / शेलों के सिरिंकेज स्वेलिंग गुण–निर्धारण की संम्बद्धता		
6	विवरण की पृष्ठभूमि	मिथेन के डिज्यर्पसन के कारण कोयला मैट्रिक्स का सिरिंकेज क्लीट / ट्रेक्चर वॉल्यूम में परिवर्तित होता है। मिथेन के डिजार्पसन के कारण कोयला का सिरिंकेज कोयले में योर्स तथा एप्रोचर के ओपनिंग में परिणाम देगा तथा इस प्रकार कोयले की पोरोसिटी बढ़ेगी। बढ़ी हुई फोटोसिटी कोयले की व्याप्ति पर प्रभाव डालेगी और अंततः सीबीएम प्ले से प्राप्त मिथेन की प्राप्ति पर भी प्रभाव डोलेगी। मिथेन के डिजार्पसन की व्याप्ति मेगनीच्यूड के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है।		
7	बेस लाइन सर्वेक्षण	सिरिंकेज का प्रयोग संचालित करते हुए प्रायोगिक रूप से मैट्रिक्स सिरिंकेज गुणांक का निर्धारण किया गया है तथा यह गुणांक बढ़े हुए सीबीएम उत्पादन को प्राक्कलित करने के लिए उसी रूप में सीबीएम उत्पादन से जोड़ा जाता है, जो मिथेन डिजार्पसन के कारण मैट्रक्स सिरिंकेज के सहयोग से बढ़ी हुई व्यापतता के कारण प्राप्त करेगा। सिरिंकेज / स्वेलिंग गुण–निर्धाण तथा मैट्रिक्ल सिरिंकेज गुणांक का निर्धारण जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है।		
8	माइल स्टोन (वर्क प्लान)	(i) विभिन्न ऊँचे दबाव वाले उपकरण का चयन एवं प्राप्ति (ii) सेम्वल सेल तथा प्रायोगिक सेट–अप की डिजाइन		
9	कार्य योजना	क्रिया–कलाप	2013-14	
			प्रारंभ करने की तिथि	पूरा करने की संभावित तिथि
		विभिन्न दबाव वाले उपकरण का चयन तथा प्राप्ति	जारी	जनवरी, 2014
		सेम्पल सेल तथा प्रायोगिक सेटअप की डिजाइन	जारी	फरवरी, 2014
10	सहयोग, यदि कोई हो	आईआईटी, खड़गपुर		
11	विस्तृत प्रलेखन	संबंधित विस्तृत विवरण तथा सिीति रिपोर्ट के साथ परियोजना		
12	नियोजित संसाधन	आईआईटी, खड़गपुर के सहयोग से सीबीएम, सेल, सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची के अधिकारी		
13	परियोजना की लागत	182.80 लाख रूपये सीएमपीडीआई के लिए – 55.70 लाख रूपये आईआईटी खड़गपुर के लिए – 126.90 लाख रूपये		
14	लाभग्राही लाभूक	कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य		
15	प्रभाव	यह अध्ययन भारतीय कोयला सेल मेट्रिक्स के सिरिंकेज स्वेलिंग में लाभ मुहया करायेगा, जो कोयला व्याप्तता बढ़ाएगा तथा अंतिम रूप से सीबीएम की प्राप्ति में वृद्धि करेगा।		
16	स्थिति	उपकरणों की प्राप्ति प्रक्रियाधीन है		
17	स्वतन्त्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट	कोल इंडिया के प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाना है।		

क्रम स. 2.4

1	परियोजना कोड	सीआईएल/आरएंडडी/1/48/11
2	शीर्षक	**एक्सपेंशन फोम एजेंट का इस्तेमाल करते हुए भूमिगत खानों में लगी आग की स्थिति में क्विक सेटिंग स्टॉपिंग की संरचना (निर्माण)**
3	प्रारंभ करने की तिथि	अक्टूबर, 2011
4	पूर्णता की निर्धारित तिथि	सितम्बर, 2013
5	उद्देश्य	i) सामग्रियों और प्रक्रिया का स्वदेशी विकास जो रोकने के लिए अवरोध के निर्माण की गति को बढ़ाता है तथा आग के समीप वायु संचरज को प्रतिबंधित कर देता है। ii) कार्यस्थल तक मैन्युली परिवहन करने के लिए ऐसी निर्माण सामग्री लाइट वेट, आग प्रतिरोधी, नन–टोक्सिस तथा सटल होनी चाहिए।
6	विवरण की पृष्ठभूमि	कोयला तथा अन्य संचलनात्मक कारण से स्वेच्छिक उष्मा (हिटिंग) के कारण भूमिगत खानों की आग अंतर्निहित खान संकट है। एक बार जब आग लगती है तो वायु आपूर्ति को रोकना तथा कम से कम समय में इसके अलग करना आवश्यक हो जाता है।
7	बेस लाइन सर्वेक्षण	बंद पड़े क्षेत्रों में मूल्यांकन भंडारों के निष्कर्षण के लिए पुनः खोलने के दौरान खान की आग से बचने, हवा को रोक देना बहुत ही आवश्यक है। आग की शुरूआत होने की स्थिति में वायु की आपूर्ति को बंद करने के लिए त्वरित निर्माण, बाधा तथा बंद पड़े क्षेत्रों पुनः खोलने के समय वायु की आपूर्ति को रोक देने की आवश्यकता है।
8	माइल स्टोन (वर्क प्लान)	i) रासायनिक तथा नमूने तेयारी की प्राप्ति ii) क्षेत्र परीक्षण संचालित करने के लिए डीजीएमएस से अनुमति प्राप्त करना iii) एमसीएल के दो खानों में क्षेत्र परीक्षण करना

9	कार्य योजना	क्रिया–कलाप	2013-14	
			प्रारंभ करने की तिथि	पूरा करने की संभावित तिथि
		रसायनिक तथा नमूना तैयारी की प्राप्ति	जारी	मई, 2013
		क्षेत्र परीक्षण संचालित करने के लिए डीजीएमएस से अनुमति प्राप्त करना	अप्रैल, 2013	जून, 2013
		एमसीएल की दो खानों में क्षेत्र परीक्षण करना	जून, 2013	सितम्ब, 2013

10	सहयोग, यदि कोई हो	एनआईटी, राउरकेला तथा मेसर्स ट्रांस मार्केटिंग, कोलकाता
11	विस्तृत प्रलेखन	संबंधित विस्तृत विवरण तथा स्थिति रिपोर्ट के साथ प्रोजेक्ट फाइल
12	नियोजित संसाधन	एनआईटी, राउरकेला तथा मेसर्स ट्रांस मार्केटिंग, कोलकाता के प्रोफेशनल से प्रापत एकेडेमियन्स के सहयोग से एसएंडआर विभाग, कोल इंडिया, कोलकाता के अधिकारी
13	परियोजना की लागत	51.34 लाख रूपये
14	लाभग्राही लाभूक	कोल इंडिया लिमिटेड तथा अन्य
15	प्रभाव	एक्सपेन्सन फोम, जिसे परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जायेगा, सिलिंग की दीर्घकालिक अवधि के बाद भूमिगत डिस्ट्रिक्ट के टी–ओपनिंग के दौरान खनन उद्योग में लम्बे समय से पड़ी बाध्य के लिए प्रभाव समाधान को प्रोन्नत किया जायेगा।
16	(30.09.2012 के अनुसार स्थिति)	फोम नमूने तथा परीक्षण के लिए प्रक्रिया की तैयारी जारी है। एक्सपेन्सन फोम नमूने की जाँच के बाद फिल्ड ट्रायल संचालित करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लए इसका परिणाम डीजीएमएस को सुपुर्द किया जायेगा।
17	स्वतन्त्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट	कोल इंडिया प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाना है।

क्रम स. 2.5

1	परियोजना कोड	सीआईएल/आरएंडडी/1/41/10		
2	शीर्षक	विस्फोटक ऊर्जा स्रोत पर आधारित विस्फोटक/विस्फोटन के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन		
3	प्रारंभ करने की तिथि	जून, 2010		
4	पूर्णता की निर्धारित तिथि	जून, 2013		
5	उद्देश्य	फ्रेममेंटेशन, थ्रो तथा सतही कम्पन में उपभोग किए गए ऊर्जा के टर्म में विस्फोटकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए यूजर फ्रेण्डली सिस्मिक मेथेडोलॉजी स्थापित करना, जो विवेकपूर्ण विस्फोटन कार्य–निष्पादन के लिए कार्य निष्पादन के पहले दिए गए प्रोजेक्ट में विभिन्न विस्फोटकों के कार्य निष्पादन की माप के लिए उपयोग में लाया जा सके।		
6	विवरण की पृष्ठभूमि	लगायी गई विस्फोटक ऊर्जा रॉक मतथा सृजित नमे को तोड़ने से संबंधित है। सृजित नया सतह क्षेत्र सृजित विस्फोटक ऊर्जा से जुड़ा हुआ रहेगा। मक पाइल प्रोफाइल के रूप में खण्डित सामग्रियों के अनुकूलतम थ्रो को प्रस्तुत करते हुए उत्पादक उत्पादन का नया विचार (कंसेप्ट) प्रसतावित जो एक्सकेवेटर की उत्पादकता से संबंधित होगा।		
7	बेस लाइन सर्वेक्षण	डाउन स्ट्रीम ऑपरेशन के प्रभावी कार्य निष्पादन के लिए ब्लास्टिंग ऑपरेशन में विस्फोटक ऊर्जा का प्रभावी उपयोग मुख्य पारा मीटर है। कोई विशिष्ट वैज्ञानिक मेथडोलॉजी अभी तक विकसित नहीं हुई है तथा देश में इस्तेमाल के लिए नहीं रखी गई है जो कार्यान्वित करने के लिए आसान हो तथा चुने हुए विस्फोटकों के लिए खनन उद्योग हेतु गाइड लाइन हो सके।		
8	माइल स्टोन (वर्क प्लान)	i) एससीसीएल की दो खानों से आँकड़ा एकत्रित करने के लिए क्षेत्र परीक्षण ii) भूकम्पीय तथा विखंडित (फ्रगेमेंटेशन) ऊर्जा प्राक्कलित करना।		
9	कार्य योजना	क्रिया–कलाप	2013-14	
			प्रारंभ करने की तिथि	पूरा करने की संभावित तिथि
		एससीसीएल की दो खानों से आँकड़ा एकत्रित करने के लिए क्षेत्र परीक्षण	जारी	मई, 2013
		भूकम्पीय तथा विखंडित (फ्रेगमेंटेशन) ऊर्जा प्राक्कलित करना	जारी	जून, 2013
10	सहयोग, यदि कोई हो	एनआईटी के सुरथकाल		
11	विस्तृत प्रलेखन	संबंधित विस्तृत विवरण तथा स्थिति रिपोर्ट के साथ प्रोजेक्ट फाइल		
12	नियोजित संसाधन	एनआईटी के सुरथकाल के एकेडेमियन सहयोग से ब्लास्टिंग सेल, सीएमपीडीआई, राँची के अधिकारी		
13	परियोजना की लागत	231.18 लाख रूपये		
14	लाभग्राही लाभूक	कोल इंडिया लिमिटेड तथा अन्य		
15	प्रभाव	परियोजना उपलब्धि पर आधारित सतही कम्पन के माध्यम विस्फोटक ऊर्जा के अपशिष्ट को घटाने तथा नया सतह क्षेत्र सृजित करने में विस्फोटक ऊर्जा द्वारा किए गए कार्य को प्रस्तुत करते हुए फ्रेगमेंटेशन थ्रो मक पाइल प्रोफाइल तथा सतही कम्पन टर्म में दिए गए विस्फोटक/विस्फोटन के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक मेथडोलॉजी प्रतिपादित करने की संभावना है।		
16	स्थिति	एससीसीएल की खानों से आँकड़ा एकत्रित करने के लिए क्षेत्र परीक्षा का कार्य जारी है।भूकम्पीय सर्वे रिलीज तथा विखण्डन (फ्रेगमेंटेशन) ऊर्जा का प्राक्कलन करने के लिए खानों के विभिन्न लोकेशनों पर विस्फोटन का मॉनिटरिंग जारी है।		
17	स्वतन्त्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट	कोल इंडिया प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाना है।		

परिशिष्ट - XIV

समझौते के स्मार पत्र के तहत एचआरएम कर्यनिष्पादन मूल्यांकन

क्र. सं.	एचआरएम-कार्यनिष्पादन सूचक	माप इकाई	वेटेज	पांच प्वाईट बेसिक स्केल के तहत लक्ष्य का वैल्यू (बहुत अच्छा)	उत्कृष्ट	अच्छा	साधारण	खराब	वास्तविक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के सीपीएफ द्वारा कार्य निष्पादन मूल्यांकन सुपुर्दगी के समय भरे जाने के लिए)	स्वयं मूल्यांकन रिपोर्ट (सीपीएसई द्वारा कार्यनिष्पादन की सुपुर्दगी के समय भरे जाने के लिए)
				वेटेज की प्रतिशतता के अनुसार आवंटित किया जानेवाला स्कोर						
				95	**100**	**90**	**85**	**80**		
ए.	**दक्षता एवं नेतृत्व विकास**									
	ए 1 अनिवार्य									
1	प्रशिक्षण योजना की मूल्यांकन %	फूलफीलमेंट (प्रशिक्षण योजना में से 29)	2.5	90% (26 प्रशिक्षण)	100%	70%	60%	50%	100% (26 प्रशिक्षण)	2.5
	प्रशिक्षण दिवस प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष	दिन प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष	2.5	1.2 प्रशिक्षण दिन प्रति कर्मचारी	1.26	1.16	1.10	1.05	1.099	10.05
2	कैरियर आयोजन एवं विकास प्रणाली के जरिए लीडरों के क्रिटिकल मास का विकास	नियोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम की पूर्णता %	5	75% (आईआईसीएम में नेतृत्व विकास पर 2 नियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित होने वाले अधिकत म 4 में से 3 व्यक्ति)	100% (4 व्यक्ति)	50% (2 व्यक्ति)	25% (1 व्यक्ति)	-	75% (3 व्यक्ति)	10
3	कर्मचारी लागत के प्रतिशत के रूप में प्रशिक्षण बजट	कर्मचारियों की लागत का प्रतिशत	5	कर्मचारी लागत का 0.10 प्रतिशत (2012–13)	0.11	0.09	0.08	0.07	0.18	5
4	गैर अधिकारियों के बहु–दक्षता/अद्यतन के लिए प्रशिक्षण योजना की पूर्ति का %	%	5	75% (आयोजित होने वाले 4 प्लानों में से 3 कार्यक्रम)	100% (4 कार्यक्रम)	50% (2 कार्यक्रम)	25% (1 कार्यक्रम)	-	100% (4 कार्यक्रम)	5
	ए 2 वैकल्पिक									
5	नए/एडवांस टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण इंटरवेंशन–नयी प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण योजना की पूर्ति का प्रतिशत	%	5	75% (आयोजित होने वाले 4 प्लानों में से 3 कार्यक्रम)	100% (4 कार्यक्रम)	50% (2 कार्यक्रम)	25% (1 कार्यक्रम)	-	100% (4 कार्यक्रम)	5
	कुल		**25**							**37.55**

क्र. सं.	एचआरएम-कार्यनिष्पादन सूचक	माप इकाई	वेटेज	पांच प्वाईट बेसिक स्केल के तहत लक्ष्य का वैल्यू (बहुत अच्छा)	उत्कृष्ट	अच्छा	साधारण	खराब	वास्तविक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के सीपीएफ द्वारा कार्य निष्पादन मूल्यांकन सुपुर्दगी के समय भरे जाने के लिए)	स्वयं मूल्यांकन रिपोर्ट (सीपीएसई द्वारा कार्यनिष्पादन की सुपुर्दगी के समय भरे जाने के लिए)
				वेटेज की प्रतिशतता के अनुसार आवंटित किया जानेवाला स्कोर						
				95	100	90	85	80		
बी	**भर्ती, रिटेंशन, टैलेंट प्रबंधन**									
6	निम्नलिखित के जरिए श्रमशक्ति को युक्तिसंगत बनाना स्वैछिक सेवा–निवृत्ति पुर्ननियुक्ति अन्य	प्रतिशत	10	0.8 (स्थानांतरण/पदस्था–पन के जरिए) कुल श्रमशक्ति 3131 में से 125 (1.3.2013 के अनुसार	0-85%	0.75%	0.70%	0-65%	6-365 %	5
7	एट्रिशन के रूप में कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	प्रतिशत	10	3% (सेवा निवृत्ति द्वारा) (1.3.13 के अनुसार) कुल 3131 श्रमशक्ति में से 125	3-2%	2.8%	2.6%	2-4%	6-206 %	10
8	मेंटरशिप विकास कार्यक्रम की प्रस्तुति–मेंटर्स तथा मेंटीज की संख्या	हाँ/नहीं संख्या	5	हाँ	हाँ			नहीं	प्रतिपादित किया जा रहा है	25
				मेंटरों की संख्या–1 मेंटीज की संख्या–5	मेंटरों की संख्या–1 मेंटीज की संख्या–5			शून्य		
9	उन्नत प्रबंधन, विकास के अवसर, इत्यादि के लिए वरीय अधिकारी को जॉब रोटेशन प्रणाली रिवार्ड सिस्टम, स्पाउन्सरिंग जैसे प्रतिभा प्रबंधन के लिए प्रणाली का निर्माण एवं कार्यान्वयन	योजना/पहल एवं उसके विवरण	5	आईआईसीएम द्वारा आयोजित उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम के लिए एक अधिकारी को नामित किया जाना है।	2	-	-	-	2	5
	कुल		**30**							**50**
सी	**इनेबिलिंग क्रियेटिवीटी तथा इनोवेशन**									
10.	राष्ट्रीय पुरस्कार(प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार) के लिए सौंपे गए नामांकन/प्रविष्टि की संख्या	राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सौंपे गए नामांकन एवं प्रविष्टियों की संख्या	15	1	2	–	–	–	3	15
				मेंटर–1 मेंटीज–5	मेंटर–2 मेंटीज–10			शून्य	शून्य	
	कुल		**15**							**15**

क्र. सं.	एचआरएम-कार्यनिष्पादन सूचक	माप इकाई	वेटेज	पांच प्वाईट बेसिक स्केल के तहत लक्ष्य का वैल्यू (बहुत अच्छा)	उत्कृष्ट	अच्छा	साधारण	खराब	वास्तविक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के सीपीएफ द्वारा कार्य निष्पादन मूल्यांकन सुपुर्दगी के समय भरे जाने के लिए)	स्वयं मूल्यांकन रिपोर्ट (सीपीएसई द्वारा कार्यनिष्पादन की सुपुर्दगी के समय भरे जाने के लिए)
				वेटेज की प्रतिशतता के अनुसार आवंटित किया जानेवाला स्कोर						
				95	**100**	**90**	**85**	**80**		
डी	**कर्मचारी संबंध एवं कल्याण :**									
11.	ग्रिवांस रिड्रेसल सिस्टम की प्रभावकारीता, वर्ष में प्राप्त ग्रिवांस सहित किए गए निपटारे का प्रतिशत	प्रतिशत निपटान	5	(प्राप्त कुल ग्रिवांस आवंटन में से 10 प्रतिशत)	10.2%	9.5%	9%	8.6%	100% अब तक कोई ग्रिवांस नहीं	5
12	जहाँ खनन वाले कार्य हो वहाँ तनाव कम करने के लिए योगा क्लास, पेशन, मेडिटेशन, जिम आदि जैसे वेलनेश सेंटर की स्थापना	कार्यक्रम की संख्या/योजना की कार्यान्वयन की तिथि	5	2(योगा क्लास, पेंशन एवं चिकित्सा सुविधा पहले सही है	3	1 नंबर	–	–	3	5
13	कर्मचारी के प्रतिनिधियों के साथ स्ट्रचर्ड बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या	10	2	3	1	-	-	5	10
	कुल		**20**							**20**
ई	**एचआर ब्रान्डिंग तथा उत्कृष्टता - निम्नलिखित पहल के लिए इस क्षेत्र में उपलब्धियों को दर्शाएं, जैसे :**									
14-	आर्गनाइजेशन, कलचर बिल्डिंग, इनिटियेटिव्स	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	10	आर्गनाइजेशन कलचर पर एक काउन्सिलिंग कार्यक्रम जिसके अंतर्गत 10 अधिकारियों को लिया जाना है।	कुल 20 अधिकारियों के लिए दो कार्यक्रम	—	—	—	0	50
	कुल		**10**							**50**
	कुल योग		**100**							**172.55**

नोट : सीपीएसई को एचआरएम पर दिए गए 100 में से कुल स्कोर को अनुपातानुसार एमओयू के 1 स्कोर में बदला जाएगा

वार्षिक लेखा
2013-14

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड
31 मार्च 2014 के अनुसार तुलन - पत्र

₹ करोड़ में

	विवरण	टिप्पणी		31.03.2014 के अनुसार अंकेक्षित		31.03.2013 के अनुसार अंकेक्षित
I	**इक्विटी एवं देयताएँ**					
(1)	**अंशधारकों की निधि**					
	क) शेयर पूँजी	1	**19.04**		19.04	
	ख) आरक्षित एवं अधिशेष	2	**136.84**		115.85	
				155.88		**134.89**
(2)	**गैर चालू देयताएँ**					
	क) दीर्घकालीन उधारी	3	**-**		-	
	ख) आस्थगित कर देयताएँ (निबल)		**-**		-	
	ग) अन्य दीर्घकालीन देयताएँ	4	**-**		-	
	घ) दीर्घकालीन प्रावधान	5	**183.51**		182.11	
				183.51		**182.11**
(3)	**अल्पसंख्यक अंश**					
(4)	**चालू देयताएँ**					
	क) अल्पकालीन ऋण	6	**-**		**-**	
	ख) पेशागत देय	7	**45.80**		32.43	
	ग) अन्य चालू देयताएँ	8	**222.99**		215.18	
	घ) अल्पकालीन प्रावधान	9	**222.34**	**491.13**	198.45	**446.06**
	कुल			**830.52**		**763.06**
II	**परिसम्पत्तियाँ**					
(1)	**गैर चालू परिसम्पत्तियाँ**					
	कक्ष अचल परिसम्पत्तियाँ	10 अ				
	i) वास्तविक परिसम्पत्तियाँ– सकल ब्लॉक		**180.94**		181.85	
	घटाकर : मूल्यहा्स, क्षति एवं प्रावधान		**109.49**		106.67	
	निबल वहनीय मूल्य			**71.45**		**75.18**
	ii) अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ–सकल ब्लॉक	10अ	**2.21**		5.61	
	घटाकर : मूल्य हास, क्षति एवं प्रावधान		**2.21**	-	5.61	-
	निबल वहनीय मूल्य					
	iii) पूंजीगत कार्य–प्रगति में	10ब		25.59		11.37
	iv) परिवृद्धि के अंतर्गत अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ	10स		-		-
	ख) गैर चालू निवेश	11		-		-
	ग) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (निबल)			101.59		95.54
	घ) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	12		2.02		0.74
	ङ) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ	13		0.02		0.02

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड
जारी ....

	विवरण	टिप्पणी		31.03.2014 के अनुसार अंकेक्षित		31.03.2013 के अनुसार अंकेक्षित
(2)	**चालू परिसम्पत्तियाँ**					
	क) चालू निवेश	14	-		-	
	ख) वस्तु सूची	15	**5.77**		6.04	
	ग) व्यवसायिक प्राप्य	16	**198.34**		323.80	
	घ) नकद एवं तुल्यमान नकद	17	**109.18**		117.89	
	ड.) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	18	**316.51**		132.43	
	च) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	19	**0.05**		0.05	
				629.85		**580.21**
	कुल			**830.52**		**763.06**
	महत्त्वपूर्ण लेखा नीति	33				
	लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणी	34				

उपर्युक्त फार्म में उल्लेखित टिप्पणियाँ तुलन–पत्र का अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड की ओर से एवं वास्ते

ह./–
(पी. लाजर)
कंपनी सचिव

ह./–
(ए.के.सोनी)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह./–
(डी.के..घोष)
निदेशक

ह./–
(ए.के.देबनाथ)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते तोदी तुलस्यान एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 002180 सी

ह./–
(सी.ए.सुशील कुमार तुलस्यान)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 075899

दिनांक : 10 मई, 2014
स्थान : रांची

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड
31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण

₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी	31.3.14 समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)		31.3.13 समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)
आय				
कोयले की बिक्री		-		-
घटाकर : उत्पाद शुल्क		-		-
अन्य उगाहियाँ		-		-
प्रचालनों से राजस्व	20	**647.43**		601.05
अन्य आय	21	**5.01**		4.16
सकल राजस्व		**652.44**		**605.21**
व्यय				
सामग्री खपत की लागत	22	**19.99**		15.28
ट्रेड में स्टाक तथा फिनिश्ड गुडस की वस्तु सूची में परिवर्त्तन जारी	23	**-**		-
कर्मचारियों की सुविधाओं पर व्यय	24	364.53		367.72
विद्युत एवं ईंधन		3.11		2.10
कल्याण व्यय	25	17.64		19.37
मरम्मती	26	14.25		13.58
संविदात्मक व्यय	27	152.27		114.13
वित्तीय लागतें	28	0.17		0.09
मूल्य ह्रास / ऋण / क्षति		9.83		7.56
प्रावधान	29	(0.19)		0.39
बट्टे खाते में डालना	30	-		-
अधिभार निराकरण समायोजन		-		-
अन्य–व्यय	31	36.75		30.03
कुल व्यय		**618.35**		**570.25**
अपदात्मक एवं असाधारण आइटम के पहले लाभ/हानि एवं कर		**34.09**		**34.96**
समय पूर्व समायोजन (शुल्क / (आय)	32	(0.51)		5.19
आपवादिक मद		-		-
विशेष मदों तथा कर से पूर्व लाभ/हानि		**34.60**		**29.77**
असाधारण मद (शुल्क / (आय)		-		-

विवरण	टिप्पणी	31.3.14 समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)		31.3.13 समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)
कर से पूर्व लाभ/(हानि)		**34.60**		**29.77**
घटाकर : कर व्यय				
– चालू वर्ष		**19.15**		28.58
– आस्थगित कर		**(6.05)**		(23.86)
– पूर्व वर्ष		**1.93**		-
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		**19.57**		**25.05**
प्रति इक्विटी शेयर में अर्जन (रू. में)				
(प्रति शेयर 1000 रू. के अंकित मूल्य पर)				
1. बेसिक (रूपये में)		**1028.00**		1316.00
2. मंदी (रूपये में)		**1028.00**		1316.00
महत्वपूर्ण लेखा नीति	33			
लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी	34			
उपर्युक्त फार्म उल्लेखित टिप्पणी लाभ एवं हानि लेखे का अभिन्न भाग है				

ह./–	ह./–	ह./–	ह./–
(पी. लाजर)	**(ए.के.सोनी)**	**(डी.के..घोष)**	**(ए.के.देबनाथ)**
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते तोदी तुलस्यान एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 002180 सी

ह./–
(सी.ए.सुशील कुमार तुलस्यान)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 075899

दिनांक : 10 मई, 2014
स्थान : रांची

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन पत्र जारी..........

टिप्पणी-1

शेयरपूँजी ₹ करोड़ में

	विवरण	31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
	अधिकृत			
(i)	1000/–रू. प्रति इक्विटी शेयर वाले 500000 इक्विटी शेयर	50.00		50.00
		-		-
		50.00		50.00
	<u>निर्गमित अभिमत एवं चूकता पूँजी</u>			
	(कोल इंडिया नियंत्रक कंपनी तथा इनके मनोनीति के हैं)	-		-
	पूर्ण नकद अदायकृत प्रत्येक 1000/–रू. के 8 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1000/–रू. के 8 इक्विटी शेयर)			
	नकदी से भिन्न प्राप्त प्रति मूल्य के लिए पूर्णतः चुकता के रूप में आवंटित प्रत्येक 1000/–रू. के 85392 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1000/–रू. के 85392 इक्विटी शेयर)	8.54		8.54
	ऋण को इक्विटी शेयर में बदल कर होल्डिंग कंपनी को पूर्णतः चूकता के रूप में आवंटित प्रत्येक 1000/–रू. के 105000 इक्विटी शेयर	10.50		10.50
		19.04		19.04

शेयर होल्डरों के नाम	शेयर धारक के नाम (प्रति) 1000/-रू. के अंकित मूल्य		सकल शेयरों का प्रतिशत
कोल इंडिया लिमिटेड	190400		100%

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड तुलन पत्र जारी.........

टिप्पणी-2

आरक्षित एवं अधिशेष ₹ करोड़ में

आरक्षित	31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
पूंजीगत रिजर्व		
गत तुलन पत्र के अनुसार	11.17	12.25
जोड़कर : वर्ष कें दौरान वृद्धि	2.72	0.71
घटाकर : वर्ष के दौरान समायोजन	1.30	1.79
(अतिरिक्त टिप्पणी– 34 पैरा 5.0 पूंजीगत रिजर्व	**12.59**	**11.17**
पूंजीगत क्षतिपूर्ति रिजर्व		
विगत तुलन–पत्र के अनुसार		
जोड़कर : वर्ष के दौरान वृद्धि		
घटाकर : वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
	-	-
विदेशी विनिमय ट्रान्जेक्शन के लिए रिजर्व		
विगत तुलन–पत्र के अनुसार	-	-
जोड़कर : वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाकर : वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
	-	-
सीएसआर रिजर्व		
विगत तुलन–पत्र के अनुसार	0.57	0.65
जोड़कर : वर्ष के दौरान वृद्धि	1.25	0.98
घटाकर : सामान्य रिजर्व में स्थानान्तरण	1.82	1.06
	-	0.57
सतत् विकास रिजर्व		
विगत तुलन–पत्र के अनुसार	0.10	-
जोड़कर : वर्ष के दौरान वृद्धि	0.12	0.10
घटाकर : सामान्य रिजर्व में स्थानान्तरण	0.19	
	0.03	0.10
सामान्य रिजर्व		
विगत तुलन–पत्र के अनुसार	3.73	2.67
जोड़कर : सीएसआर/एसडी रिजर्व से स्थानान्तरण	2.01	1.06
जोड़कर/घटाकर : वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
	5.74	3.73
लाभ एवं हानि लेखे में सरप्लस	-	-
विगत तुलन–पत्र के अनुसार	100.28	76.31
वर्ष के दौरान कर के उपरांत लाभ/(हानि)	19.57	25.05
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ/(हानि)	119.85	101.36
घटाकर : विनियोग		
विदेशी विनिमय ट्रान्जेक्शन के लिए रिजर्व	-	-
सामान्य रिजर्व में स्थानान्तरण	-	-
सीएसआर रिजर्व में स्थानान्तरण	1.25	0.98
सतत् विकास रिजर्व में स्थानान्तरण	0.12	0.10
अंतरिम लाभांश	-	-
इक्विटि शेयर पर प्रस्तावित लाभांश	-	-
कारपोरेट लाभांश कर	-	-
	118.48	100.28
विविध खर्च		
(बट्टे खाते में नहीं डाला गया)		
प्रारंभिक व्यय	-	-
पूर्व परिचालन व्यय	-	-
कुल	**136.84**	**115.85**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड तुलन पत्र जारी.........

टिप्पणी-3

दीर्घकालीन कर्ज ₹ करोड़ में

	दीर्घकालीन कर्ज	31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
	आईबीआरडी	-		-
	जेबीआईसी	-		-
	निर्यात विकास कॉरपोरेशन कनाडा	-		-
	लाईभेर फ्रांस, एस.ए.फ्रांस	-		-
	कोल इंडिया से ऋण	-		-
	कुल (अ+ब)	**-**		**-**
	वर्गीकरण 1			
	प्रतिभूत	-		-
	अप्रतिभूत	-		-
	वर्गीकरण 2			
	निदेशकों तथा अन्य द्वारा ऋण गारंटी			
	ऋण के विवरण	**₹ करोड़ में**		**गारंटी की प्रकृति**
		शून्य		शून्य

टिप्पणी-4

अन्य दीर्घकालीन देयताएँ ₹ करोड़ में

	अन्य दीर्घकालीन देयताएँ	31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
	स्थानान्तरण एवं पुनर्वास निधि			
	अथ शेष	-		-
	जोड़कर : निधि के निवेश से लाभ	-		-
	जोड़कर : प्राप्त अंशदान	-		-
	घटाकर : उपयोग की गई राशि	-		-
		-		-
	पेशागत देय			
	प्रतिभूति जमा	-		-
	अन्य (व्यौरेवार प्रकृति)	-		-
	कुल	**-**		**-**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड तुलन पत्र जारी.........

टिप्पणी-5

दीर्घकालीन प्रावधान ₹ करोड़ में

	दीर्घकालीन प्रावधान	31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
	कर्मचारियों के लिए लाभ			
	– ग्रेच्यूटी	103.21		106.52
	– छुट्टी नकदीकरण	67.2		63.86
	– अन्य कर्मचारी लाभ	13.10		11.73
	विदेशी विनिमय ट्रान्जेक्शन के लिए(मार्क्ड टू मार्केट)	-		-
	ओबीआर समायोजन लेखा	-		-
	खान बन्दी	-		-
	अन्य के लिए	-		-
	कुल	**183.51**		**182.11**

टिप्पणी-6

अल्पकालीन ऋण ₹ करोड़ में

	अल्पकालीन ऋण	31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
	बैंक से ऋण	-		-
	मांग के अनुसार प्रतिदेय ऋण			
	कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी अन्य अनुषंगियों के साथ शेष	-		-
	नियत जमा की गिरवी के विरूद्ध ओवर ड्राफ्ट			
	अन्य ऋण एवं अग्रिम	-		-
	आस्थगित क्रेडिट	-		-
	कुल	-		-
	वर्गीकरण 1			
	प्रतिभूत	-		
	अप्रतिभूत	-		
	वर्गीकरण 2			
	निदेशक तथा अन्य के द्वारा गारंटिड ऋण			
	ऋण के विवरण	**₹ करोड़ में**		**गारंटी की प्रकृति**
		शून्य		शून्य

टिप्पणी-7

पेशागत देय ₹ करोड़ में

	पेशागत देय	31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
	राजस्व भंडारों/अन्य के लिए विविध लेनदार	45.80		32.43
	कुल	**45.80**		**32.43**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड तुलन पत्र जारी.........

टिप्पणी-8

अन्य चालू देयताएँ ₹ करोड़ में

आय	31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
दीर्घकालीन उधारियों की चालू परिपक्वता		
आईबीआरडी से टर्म लोन	-	-
जेबीआईसी से टर्म लोन	-	-
निर्यात विकास कॉरपोरेशन कनाडा से टर्म लोन	-	-
लाईभेर फ्रांस एस.ए.फ्रांस से टर्म लोन	-	-
कोल इंडिया लिमिटेड से लोन	-	-
कोल इंडिया से अधिशेष निधि	-	-
पूंजी के लिए (स्टोरों सहित)	**5.98**	6.80
व्यय के लिए		
	29.62	27.44
वेतन, मजदूरी एवं भत्ता	**0.65**	0.41
विद्युत एवं ईंधन	**80.20**	61.19
अन्य	**116.45**	95.84
सांविधिक देय		
विक्रय कर/वैट	-	-
भविष्य निधि तथा पेंशन निधि	**16.09**	14.07
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	-	-
कोयला पर उपकर तथा राजस्व	-	-
स्टोविंग उत्पाद शुल्क	-	-
स्वच्छ ऊर्जा उपकर	**1.78**	4.04
अन्य सांविधिक उगाहियाँ	**17.87**	18.11
स्रोत पर आयकर कटौती	**0.42**	1.53
प्रतिभूति जमा	**2.15**	1.90
पेशगी राशि	**2.37**	1.72
ग्राहक एवं अन्य से अग्रिम तथा जमा	**4.74**	4.65
व्याज प्राप्ति तथा ऋणों पर देय	-	-
व्याज प्राप्ति लेकिन ऋणों पर देय नहीं	-	-
उपकर समकरण लेखा	-	-
आईआईसीएम के पास चालू लेखा	-	-
अनपेड लाभांश	-	-
राष्ट्रीयकरण से पूर्व अन्य अग्रिम जमा	-	-
अन्य देयताएँ	**78.99**	91.43
कुल	**222.99**	**215.18**

टिप्पणी-9

अल्पकालीन प्रावधान ₹ करोड़ में

अल्पकालीन प्रावधान	31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
कर्मचारियों के लिए लाभ		
–ग्रेच्यूटी	**19.68**	24.55
–छुट्टी नकदीकरण	**12.43**	12.06
–पीपीएलबी	**7.22**	5.88
–पीआरपी (अतिरिक्त टिप्पणी (34 पैरा 7.3)	**165.48**	137.15
–अन्य कर्मचारी लाभ	**17.51**	18.80
प्रस्तावित लाभांश के लिए		
कॉरपोरेट लाभांश कर के लिए	-	-
कोयले की इतिशेष भंडार पर उत्पाद शुल्क के लिए	-	-
अन्य के लिए	**0.02**	0.01
कुल	**222.34**	**198.45**

टिप्पणी . 10 अ
अचल परिसम्पत्तियाँ

अतिरिक्त टिप्पणी- 34 पारा 4.0

₹ करोड़ में

विवरण	कुल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				इम्पेयरमेंट लॉस				कुल मूल्य ह्रास/ क्षतिपूर्ति घाटा	निबल ब्लॉक	
	1.4.2013 के अनुसार	वर्ष 2013.14 के दौरा वृद्धि	2013–14 में समायोजन/ विक्रय/ स्थानान्तरण	31.3.14 के अनुसार	1.4.2013 के अनुसार	वर्ष 2013–14 के दौरान वृद्धि	2013–14 में समायोजन/ विक्रय/ स्थानान्तरण	31.3.14 के अनुसार	1.4.2013 के अनुसार	वर्ष 2013–14 के दौरान वृद्धि	2013–14 में समायोजन/ विक्रय/ स्थानान्तरण	31.3.2014 के अनुसार		31.3.2014 के अनुसार	31.03.13 के अनुसार
वास्तविक परिसम्पतियाँ															
जमीन															
(क) पूर्ण स्वामित्व	1.15	-	-	1.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15	1.15
(ख) पट्टेदार	2.19	-	-	2.19	0.79	0.04	-	0.83	-	-	-	-	0.83	1.36	1.40
भवन/जल आपूर्ति/ रोड एवं पुलिया	41.63	0.32	(0.09)	41.86	14.60	0.75	(0.09)	15.26	-	-	-	-	15.26	26.60	27.03
संयंत्र एवं मशीनरी	108.38	4.23	(2.88)	109.73	72.77	7.86	(3.73)	76.90	-	-	-	-	76.90	32.83	35.61
दूर संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
फर्निचर तथा फिटिंग/कार्यालय साधन एवं उपकरण/विद्युतीय फिटिंग/अग्निशामक यंत्र	15.94	1.49	(3.43)	14.00	11.55	0.83	(3.26)	9.12	-	-	-	-	9.12	4.88	4.39
वाहन	12.56	0.02	(0.57)	12.01	6.96	0.91	(0.49)	7.38	-	-	-	-	7.38	4.63	5.60
एयरक्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
राष्ट्रीयकरण के बाद ली गई परिसम्पत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	181.85	6.06	(6.97)	180.94	106.67	10.39	(7.57)	109.49	-	-	-	-	109.49	71.45	75.18
वास्तविक परिसम्पत्तियाँ (31.3.13के अनुसार)	177.77	7.51	(3.43)	181.85	99.71	8.93	(1.97)	106.67	-	-	-	-	106.67	75.18	78.06
इंटेन्जुबुल परिसम्पत्तियाँ															
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	5.61	0.75	(4.15)	2.21	5.61	0.75	(4.15)	2.21	-	-	-	-	2.21	-	-
विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पूर्वेक्षण एवं बोरिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	5.61	0.75	(4.15)	2.21	5.61	0.75	(4.15)	2.21	-	-	-	-	2.21	-	-
इंटेन्जेबुल परिसम्पत्तियाँ (31.3.13के अनुसार)	5.20	0.41	-	5.61	5.20	0.41	-	5.61	-	-	-	-	5.61	-	-

टिप्पणी . 10 ब
चालू पूँजीगत कार्य

₹ करोड़ में

विवरण	कुल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				इम्पेयरमेंट लॉस				कुल मूल्य ह्रास/क्षतिपूर्ति घाटा	निबल ब्लॉक	
	1.4.2013 के अनुसार	वर्ष 2013.14 के दौरा वृद्धि	2013–14 में समायोजन / विक्रय / स्थानान्तरण	31.3.14 के अनुसार	1.4.2013 के अनुसार	वर्ष 2013–14 के दौरान वृद्धि	2013–14 में समायोजन / विक्रय / स्थानान्तरण	31.3.14 के अनुसार	1.4.2013 के अनुसार	वर्ष 2013–14 के दौरान वृद्धि	2013–14 में समायोजन / विक्रय / स्थानान्तरण	31.3.2014 के अनुसार		31.3.2014 के अनुसार	31.03.13 के अनुसार
वास्तविक परिसम्पत्तियाँ															
भवन / जलापूर्ति / रोड एवं पुलिया	3.70	4.16	(0.52)	7.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.34	3.70
संयंत्र एवं मशीनरी	7.13	13.76	(3.30)	17.59	-		-	-	-	-	-	-	-	17.59	7.13
रेलवे साईडिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**10.83**	**17.92**	**(3.82)**	**24.93**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.93**	**10.83**
31.03.13 के अनुसार वास्तविक परिसम्पत्तियाँ	11.05	4.23	(4.45)	10.83	0.03	-	(0.03)	-	-	-	-	-	-	10.83	11.02
सर्वे आफ परिसम्पत्तियाँ	**0.54**	**0.12**	**-**	**0.66**	**-**		**-**	**-**					**-**	**0.66**	**0.54**
सर्वे आफ परिसम्पत्तियाँ (31.3.13 के अनुसार)	10.08	0.06	(9.60)	0.54	9.58		(9.58)	-					-	0.54	0.50
सकल योग	**11.37**	**18.04**	**(3.82)**	**25.59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.59**	**11.37**
कुल योग (31.3.13 के अनुसार)	21.13	4.29	(14.05)	11.37	9.61	-	(9.61)	-	-	-	-	-	-	11.37	11.52

टिप्पणी- 10 ब्सत्र
विकासाधीन इंटेन्जबल परिसम्पत्तियाँ

₹ करोड़ में

विवरण	लागत				मूल्य ह्रास				इम्पेयरमेंट लॉस				कुल मूल्य ह्रास/क्षतिपूर्ति घाटा	निबल ब्लॉक	
	1.4.2013 के अनुसार	वर्ष 2013.14 के दौरान वृद्धि	2013–14 में समायोजन / विक्रय / स्थानान्तरण	31.3.14 के अनुसार	1.4.2013 के अनुसार	वर्ष 2013–14 के दौरान वृद्धि	2013–14 में समायोजन / विक्रय / स्थानान्तरण	31.3.14 के अनुसार	1.4.2013 के अनुसार	वर्ष 2013–14 के दौरान वृद्धि	2013–14 में समायोजन / विक्रय / स्थानान्तरण	31.3.2014 के अनुसार		31.3.2014 के अनुसार	31.03.13 के अनुसार
अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ															
विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पूर्ववेक्षण एवं वेधन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.3.13 को समाप्त वर्ष के अनुसार															
अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड तुलन पत्र जारी.........

टिप्पणी-11

गैर चालू निवेश-लागत पर अनुद्धित ₹ करोड़ में

गैर चालू निवेश-लागत पर अनुद्धित	शेयरों/अनुबंध पत्र/ प्रतिभूति/चालू वर्ष/ (विगत वर्ष) की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य/ अनुबंध पत्र/ प्रतिभूति चालू वर्ष (विगत वर्ष) (रू)	31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
व्यवसाय				
8.5 प्रतिशत कर मुक्त विशेष अनुबन्ध पत्र (पूर्ण रूप से भुगतान किया हुआ) (विविध देनदारों के प्रत्याभूति पर) अधिकांशः राज्य–वार विघटित				
उत्तर प्रदेश	-	-	-	-
हरियाणा	-	-	-	-
महाराष्ट्र	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	-	-	-	-
गुजरात	-	-	-	-
प.बंगाल	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-
संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों में इक्विटी शेयर (संयुक्त कंपनियों के नाम सहित)	-	-	-	-
अनुषंगी कंपनियों में इक्विटी शेयर (अनुषंगियों के नाम सहित)	-	-	-	-
अन्य (को–ऑपरेटिव) में शेयर	-	-	-	-
अव्यवसायिक				
7.55 प्रतिशत अपरिवर्त्तनीय आईआरएफसी कर मुक्त अनुबंध पत्र 2021 अनुक्रम	-	-	-	-
कुल			**-**	**-**
उद्धृत निवेश का संकलन			-	-
अनुद्धत निवेश का संकलन			-	-
उद्दृत निवेश का बाजार मूल्य			-	-
निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान			-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड तुलन पत्र जारी.........

टिप्पणी–12

दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम ₹ करोड़ में

दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
ऋण		
अग्रिम		
पूंजी के लिए		
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान	1.29	0.03
–संदिग्ध	-	-
	1.29	0.03
घटाकर : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	1.29	0.03
राजस्व के लिए		
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
–संदिग्ध	-	-
	-	-
घटाकर : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
प्रतिभूति जमा	-	-
–प्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य	0.13	0.12
–संदिग्ध	-	-
	0.13	0.12
घटाकर : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	0.13	0.12
पीएंडटी बिजली इत्यादि के लिए जमा		
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान	0.51	0.44
–संदिग्ध	-	-
	0.51	0.44
घटाकर : खराब एवं संदिग्ध ऋण प्राप्ति योग्य व्यवसाय हेतु प्रावधान	-	-
	0.51	0.44
कर्मचारियों एवं अन्य को ऋण		
भवन के लिए		
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान	0.09	0.15
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
–संदिग्ध	-	-
	0.09	0.15
मोटर कार तथा अन्य वाहन के लिए		
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
–संदिग्ध	-	-
	-	-
अन्य के लिए		
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
–संदिग्ध	-	-
	-	-
घटाकर : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
सहायक कंपनियों को ऋण		
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
–संदिग्ध	-	-
	-	-
कुल	**2.02**	**0.74**

टिप्पणी

	इति शेष		किसी समय पर देय अधिकम राशि	
	31.3.14 के अनुसार	31.3.13 के अनुसार	2013–14 के दौरान	2012–13 के दौरान
एक ही प्रबंधन के अधीन कंपनियों द्वारा देय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशक(कों) सम्बद्ध हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड तुलन पत्र जारी.........

टिप्पणी-13

अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ ₹ करोड़ में

अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ		31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
प्राप्ति योग्य दीर्घकालीन व्यवसाय				
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		-		-
अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		-		-
–संदिग्ध		-		-
		-		-
घटाकर : खराब एवं संदिग्ध प्राप्ति योग्य व्यवसाय के लिए प्रावधान		-		-
		-		-
गवेषणात्मक ड्रिलिंग कार्य				
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		-		-
अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		-		-
–संदिग्ध		-		-
		-		-
घटाकर : खराब एवं संदिग्ध प्राप्ति योग्य व्यवसाय के लिए प्रावधान		-		-
		-		-
अन्य प्राप्ति योग्य				
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		-		-
अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		0.02		0.02
–संदिग्ध		-		-
		0.02		0.02
घटाकर : खराब एवं संदिग्ध प्राप्ति योग्य व्यवसाय के लिए प्रावधान		-		-
		0.02		0.02
कुल		**0.02**		**0.02**
टिप्पणी				
	इति शेष		किसी समय पर देय अधिकम राशि	
	31.3.14 के अनुसार	31.3.13 के अनुसार	2013-14 के दौरान	2012-13 के दौरान
एक ही प्रबंधन के अधीन कंपनियाँ द्वारा देय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशक(कों) सम्बद्ध है/हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड तुलन पत्र जारी.........

टिप्पणी-14

चालू निवेश - उद्धृत/ अनुद्धृत लागत पर ₹ करोड़ में

चालू निवेश - उद्धृत/ अनुद्धृत लागत पर	शेयरों/अनुबंध पत्र/ प्रतिभूति/चालू वर्ष/ (विगत वर्ष) की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य/ अनुबंध पत्र/प्रतिभूति चालू वर्ष/(विगत वर्ष) (रू)	31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
अव्यावसायिक				
म्यूचूअल फंड निवेश				
(म्यूचूअल फंड के नाम सहित)	-	-	-	-
7.55 प्रतिशत अविनिमय आईआरएफसी करमुक्त अनुबंध पत्र 2021 अनुक्रम				
व्यवसाय				
8.5 प्रतिशत कर मुक्त विशेष अनुबंध पत्र(पूर्णतः भुगतान किया हुआ)				
(संडरी टेब्टर्स का प्रतिभूतिकरण)				
बड़े राज्यवार विघटित	-	-	-	-
कुल :			-	-
उद्धृत निवेश का पूर्ण योग			-	-
अनुद्धृत निवेश का पूर्ण योग			-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य			-	-
अनुद्धृत निवेश का बाजार मूल्य			-	-
निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए निर्मित प्रावधान			-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड तुलन पत्र जारी.........

टिप्पणी–15

वस्तु सूची ₹ करोड़ में

	वस्तु सूची (लेखा नीति संख्या 5.1 टिप्पणी–33 के अनुसार मूल्य निर्धारण)	**31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)**		**31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)**
	कोयले का भंडार	-		-
	विकास के अधीन कोयला	-		-
		-		-
	घटाकर : प्रावधान	-		-
क.	**कोयले का भंडार (निबल)**	-		-
	स्टोरों का भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जों (लागत पर)	**6.13**		6.24
	स्टोर : मार्गस्थ	**0.06**		0.13
	घटाकर : प्रावधान (अतिरिक्त टिप्पणी 34 पैरा 2.1.2)	**0.42**		0.33
ख.	**भण्डारों तथा अतिरिक्त पुर्जो का निबल भंडार (लागत पर)**	**5.77**		**6.04**
ग	वर्कशाप जॉब	-		-
	कार्य प्रगति में तथा तैयार माल	-		-
	घटाकर : प्रावधान			
	वर्कशाप जॉब का निबल भंडार	-		-
घ.	प्रेस	-		-
	कार्य प्रगति में तथा तैयार माल			
ड.	सेंट्रल अस्पताल में दवाइयों का भंडार	-		-
च.	पूर्ववेक्षण तथा वेधन/विकासात्मक व्यय/कोल ब्लॉकों के सामान विक्रय हेतु	-		-
	कुल (क से च)	**5.77**		**6.04**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड तुलन पत्र जारी.........

टिप्पणी-16

व्यावसायिक प्राप्य ₹ करोड़ में

व्यावसायिक प्राप्य		31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
भुगतान तिथि से छह माह से अधिक समय का बकाया ऋण				
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		-		-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		88.90		69.78
–संदिग्ध		2.84		3.11
		91.74		72.89
घटाकर : खराब एवं संदिग्धपूर्ण व्यवसायिक प्राप्ति के लिए प्रावधान		2.84		3.11
		88.90		69.78
अन्य बकाया ऋण				
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		-		-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		109.44		254.02
–संदिग्ध		-		-
		109.44		254.02
घटाकर : खराब एवं संदिग्धपूर्ण व्यवसायिक प्राप्ति के लिए प्रावधान		-		-
		109.44		254.02
कुल		198.34		323.80
टिप्पणी				
	इतिशेष		**किसी भी समय देय अधिकतम रकम**	
	31.3.14 के अनुसार	**31.3.13 के अनुसार**	**2013-2014 के दौरान**	**2012-2013 के दौरान**
एक ही प्रावधान के अंतर्गत कंपनियों से बकाया				
ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड	20.52	20.76	32.22	21.43
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	31.02	39.18	45.43	43.93
सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड	40.52	38.83	58.60	66.77
वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड	3.42	15.67	18.45	15.88
साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड	3.13	61.09	70.87	69.47
नादर्न कोलफील्डस लिमिटेड	15.67	15.50	17.99	18.56
महानदी कोलफील्डस लिमिटेड	23.75	22.48	30.64	27.97
नार्थ ईस्ट कोलफील्डस	0.74	0.52	0.89	1.36
ककरी सीएचपी (एनसीएल)	0.14	0.14	0.14	0.14
दानकुनी कोल कम्पलेक्स (सीआईएल)	0.02	0.02	0.02	0.02
भरतपुर सीएचपी,(एमसीएल)	0.01	0.01	0.01	0.01
सीआईएल, कोलकाता	24.94	41.33	43.15	41.33
एमजेएसजे कोल कंपनी लि0	0.24	0.24	0.24	0.24
एमएनएच शक्ति लिमिटेड	0.30	0.29	0.29	0.29
कुल	**164.42**	**256.06**	**318.94**	**307.40**
पार्टियों से बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक (की) से सम्बद्ध है(हैं)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड तुलन पत्र जारी.........

टिप्पणी-17

नकद एवं तुल्यमान नकद ₹ करोड़ में

	नकद एवं तुल्यमान नकद	31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
	नकद एवं तुल्यमान नकद			
	अधिसूचित बैंक के पास शेष			
	–एसबीआई लाभांश लेखा(अदेय/दावारहित लाभांश लेखा)	-		-
	–तीन महीने से परिपक्वता तिथि तक के साथ जमा खाते में	-		-
	–चालू खाते में	**108.05**		117.71
	–नकद जमा खाते में	-		-
	गैर अधिसूचित बैंक के पास शेष	-		-
	भारत से बाहर के बैंक के पास खाते में	-		-
	मार्गस्थ भेजी गई रकम	-		-
	चेक डाफ्ट एवं हाथे टिकट	**0.05**		0.01
	नकद (हाथ में)	**0.08**		0.07
	पुनःस्थापन तथा स्थानान्तरण के अंतर्गत अधिसूचित बैंक के पास जमा तीन महीने से परिपक्वता तिथि तक निधि योजना	-		-
	अन्य बैंक शेष			
	अधिसूचित बैंक के पास शेष			
	– तीन महीने से अधिक के परिपक्वता तिथि के साथ जमा खाते में	**1.00**		0.10
	पुनः स्थापन तथा स्थानान्तरण के अंतर्गत अधिसूचित बैंक के पास जमा तीन महीने से अधिक के परिपक्वता तिथि तक के साथ निधि योजना	-		-
	माइन क्जोजर प्लान स्कीम के अंतर्गत अधिसूचित बैंक के पास जमा	-		-
	कुल	**109.18**		117.89
	वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिसूचित बैंक के आलावा अन्य बैंकों के साथ बकाया अधितकम लेखा	-		-
	टिप्पणी			
1	सीमान्त राशि अथवा उधारी के एवज में सुरक्षा, गारंटियाँ अन्य जिम्मेदारियों के रूप में रखे गए बैंक में जमा, अन्य चिन्हित जमा अलग से दिखाये जाएंगें	**शून्य**		0.19
2	नकद तथा बैंक बैलेंस के संदर्भ में प्रत्यावर्तन प्रतिबंध, यदि कोई हो, तो अलग से बताए जाएंगे	**शून्य**		**शून्य**
3	बारह (12) महीने से अधिक के भुगतान तिथि (मैच्यूरिटी) सहित बैंक जमा	**शून्य**		**शून्य**
4	इस्क्रो में होना	**शून्य**		**शून्य**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड तुलन पत्र जारी.........

टिप्पणी-18

नकद एवं समतुल्य नकद ₹ करोड़ में

अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम		31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
ऋण				
अग्रिम				
(नकद वसूली योग्य या उसी रूप में या प्राप्ति योग्य मूल्य)				
आपूर्तिकर्त्तो को पेशगी				
राजस्व के लिए				
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		-		-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		0.58		0.24
–संदिग्ध		-		-
		0.58		0.24
घटाकर : अयोग्य एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान		-		-
		0.58		0.24
		0.58		0.24
सांविधिक बकाया का अग्रिम भुगतान				
विक्रय कर				
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		-		-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		1.67		0.87
–संदिग्ध		-		-
		1.67		0.87
घटाकर : अयोग्य एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान		-		-
		1.67		0.87
अग्रिम आयकर/स्रोत पर काटा गया कर (संदर्भ अतिरिक्त टिप्पणी 34 पारा 6.0)		144.14		134.23
घटाकर : आयकर के लिए प्रावधान		84.47		86.58
		59.67		47.65
अन्य				
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		-		-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		0.09		0.09
–संदिग्ध		-		-
		0.09		0.09
घटाकर – डुबंत एवं संदिग्ध ट्रेड प्राप्य		-		-
		0.09		0.09
		61.43		48.61
कर्मचारियों का अग्रिम				
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		-		-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान (अतिरिक्त टिप्पणी 34 पारा 7.3)		41.06		43.94
–संदिग्ध		-		-
		41.06		43.94
घटाकर : अयोग्य एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान		-		-
		41.06		43.94
कोल इंडिया लिमिटेड तथा कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू लेखा		190.27		-
अनुषंगियों के साथ ऋण लेखा				
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		-		-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		-		-
–संदिग्ध		-		-
		-		-
घटाकर : अयोग्य एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान		-		-
		-		-
प्राप्ति योग्य दावे				
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		-		-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		22.78		39.25
–संदिग्ध		0.09		0.16
		22.87		39.41
घटाकर : अयोग्य एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान		0.09		0.16
		22.78		39.25
पूर्व प्रदत्त व्यय		0.39		0.39
		254.50		83.58
कुल		316.51		132.43

टिप्पणी

	इतिशेष		किसी भी अधिकतम देय रकम	
	31.3.14 के अनुसार	31.3.13 के अनुसार	2012.14 के दौरान	2012.13 के दौरान
एक ही प्रबंधन के अधीन कंपनियों द्वारा देय	190.27	शून्य	190.27	शून्य
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशक (कों) सम्बद्ध हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड तुलन पत्र जारी.........

टिप्पणी–19

अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ ₹ करोड़ में

अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
ब्याज उपार्जित		
–निवेश	-	-
–बैंकों में जमा	-	-
–अन्य	-	-
पूर्व स्वामी का खाता	-	-
अन्य अग्रिम	-	-
घटाकर : प्रावधान		
जमा		
सीमा शुल्क पत्तन देय इत्यादि के लिए जमा	-	-
कोल इंडिया लिमिटेड के पास जमा	-	-
रॉयल्टी उपकर तथा विक्रयकर के लिए जमा	-	-
घटाकर : प्रावधान	-	-
अन्य	**0.05**	**0.05**
घटाकर : प्रावधान	-	-
भूतपूर्व कोल बोर्ड की ओर से लेन–देन हेतु भारत सरकार से प्राप्य रकम	-	-
घटाकर : प्रावधान	-	-
अन्य प्राप्ति	-	-
घटाकर : प्रावधान	-	-
कुल	**0.05**	**0.05**

टिप्पणी–20

प्रचालन से राजस्व ₹ करोड़ में

प्रचालन से राजस्व	31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
कुल विक्रय	727.45	675.11
घटाकर : उगाहियाँ		
उत्पाद शुल्क		
रायल्टी		
कोयला पर उपकर		
बालू भराई उत्पाद शुल्क कर		
केंद्रीय विक्रय कर		
शुद्ध ऊर्जा उपकर		
राज्य विक्रय कर/वैट		
अन्य उगाहियाँ(सेवाकर)	80.02	74.06
कुल उगाहियाँ	80.02	74.06
प्रचालनों से राजस्व(वास्तविक विक्रय)	647.43	601.05

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड तुलन पत्र जारी..........

टिप्पणी-21

अन्य आय ₹ करोड़ में

अन्य आय	31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
दीर्घकालीन निवेश से आय			
संयुक्त जोखिम से लाभांश	-		-
अनुषंगियों से लाभांश	-		-
सरकारी प्रतिभूति से ब्याज			
(8.5 प्रतिशत कर मुक्त विशेष अनुबंध–पत्र)(व्यवसाय)	-		-
चालू निवेश से आय			
म्यूचुअल फंड निवेश से लाभांश	-		-
सरकारी प्रतिभूति से ब्याज			
(8.5 प्रतिशत कर मुक्त विशेष अनुबंध–पत्र)(व्यवसाय)	-		-
7.55 प्रतिशत अविनिमेय आईआरएफसी कर मुक्त अनुबंध–पत्र 2021 अनुक्रम(अव्यवसायिक)	-		-
अन्य से आय			
ब्याज (सकल)			
बैंक के पास जमा से	**0.61**		0.21
कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम से	**0.12**		0.02
आयकर प्रत्यपर्ण से	-		1.17
कोल इंडिया से	-		-
अन्य	-		-
शीर्ष शुल्क			
बालू भराई तथा बचाव कार्य के लिए आर्थिक सहायता	-		-
परिसम्पत्तियों के विक्रय पर लाभ	**0.18**		0.19
परिवहन एवं लदान लागत की वसूली	-		-
विदेशी विनियम मामलों से प्राप्ति	-		-
विनिमय दर विविधता	-		-
पट्टा (लीज) किराया	-		-
देयताओं से सही समय पर वापसी	-		-
अनुषंगियों से गारंटी शुल्क	-		-
अन्य अप्रचालनीय आय	**4.10**		2.57
कुल	**5.01**		4.16

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड तुलन पत्र जारी.........

टिप्पणी-22

उपभोग की गई सामग्री की लागत ₹ करोड़ में

उपभोग की गई सामग्री की लागत	31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)				31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
विस्फोटक	-				-
इमारती लकड़ी	-				-
पीओएल	7.55				6.06
एचईएमएम पार्ट पुर्जे	-				-
अन्य उपभोग्य भंडार एवं पार्ट पूर्जे	12.44				9.22
कुल	19.99				15.28

टिप्पणी-23

तैयार मालों की सूची में परिवर्त्तन, चालू कार्य तथा व्यवसायिक स्टाक ₹ करोड़ में

	तैयार मालों की सूची में परिवर्त्तन, चालू कार्य तथा व्यवसायिक स्टाक	31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)				31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
	कोयला का ओपनिंग स्टॉक	-				-
	जोड़कर : ओपनिंग स्टॉक का समायोजन	-				-
	घटाकर : कोयले का अपकर्ष	-				-
	घटाकर :	-				-
	कोक / कोयले का क्लोजिंग स्टॉक	-				-
	घटाकर : कोयले का अपकर्ष	-				-
क.	कोयले की सूची में परिवर्त्तन					
	वर्कशॉप में तैयार मालों तथा डब्ल्यूआईटी का ओपनिंग स्टॉक	-				-
	घटाकर : प्रावधान	-				-
	घटाकर :	-				-
	वर्कशॉप में तैयार मालों तथा डब्ल्यूआईटी का क्लोजिंग स्टॉक	-				-
	घटाकर : प्रावधान	-				-
ख.	वर्कशॉप के वस्तुसूची में परिवर्त्तन					
	प्रेस ओपनिंग जॉब					
	i) तैयार माल	-				-
	ii) चालू कार्य	-				-
	घटाकर :					
	प्रेस क्लोजिंग जॉब					
	i) तैयार माल	-				-
	ii) चालू कार्य	-				-
ग.	प्रेस के कार्यो द्वारा तैयार मालों तथा डब्ल्यूआईटी के क्लोजिंग स्टॉक की सूची में परिवर्त्तन	-				-
	स्टॉक आफ ट्रेड की सूची में परिवर्त्तन	-				-
	(क+ख+ग)	-				-

[(अवमूल्यन / (अभिवृद्धि)]

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड तुलन पत्र जारी..........

टिप्पणी-24

कर्मचारियों की सुविधाओं पर व्यय ₹ करोड़ में

कर्मचारियों की सुविधाओं पर व्यय	31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)				31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
वेतन, मजदूरी, यात्रा, बोनस एवं सुविधाएँ	**222.88**				197.43
कृपानुदान	**8.17**				6.87
पीआरपी	**28.33**				27.70
भविष्य निधि में अंशदान एवं अन्य निधि	**30.00**				26.92
ग्रेच्यूटी	**8.60**				19.40
छूट्टी नकदीकरण	**15.68**				20.50
स्वैच्छिक सेवा–निवृत्ति	-				-
कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	**0.02**				-
चिकित्सा व्यय	**6.22**				6.03
विद्यालय एवं संस्थानों के अनुदान	**0.12**				0.09
खेलकूद एवं मनोरंजन	**0.36**				0.33
कैंटीन एवं क्रेच	**0.19**				0.15
विद्युत–टाऊनशिप	**2.51**				2.49
बस अम्बुलेंस आदि का भाड़ा शुल्क	**0.27**				0.23
अन्य कर्मचारी सुविधाएँ	**41.18**				59.58
कुल	**364.53**				367.72

टिप्पणी-25

कल्याणकारी खर्चे ₹ करोड़ में

कल्याणकारी खर्चे	31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)				31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा खर्च	**13.51**				16.55
सीएसआर खर्चे	**2.01**				1.06
पर्यावरणीय खर्चे	**0.13**				0.10
वृक्षारोपण	**-**				-
अन्य खर्चे	**1.99**				1.66
कुल	**17.64**				19.37

टिप्पणी-26

मरम्मती ₹ करोड़ में

मरम्मती	31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)				31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
भवन	**4.05**				5.40
संयंत्र एवं मशीनरी	**1.98**				1.58
अन्य	**8.22**				6.60
कुल	**14.25**				13.58

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड तुलन पत्र जारी.........

टिप्पणी-27

संविदात्मक व्यय ₹ करोड़ में

संविदात्मक व्यय	31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)				31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
परिवहन परिव्यय					
–बालू	-				-
–कोयला तथा कोक	-				-
–स्टोर एवं अन्य इत्यादि	-				-
–वैगन लदाई	-				-
–पी एवं एम को किराये पर लेना	-				-
–अन्य संविदात्मक कार्य	152.27				114.13
कुल	**152.27**				114.13

टिप्पणी-28

वित्तीय लागत ₹ करोड़ में

वित्तीय लागत	31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)				31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
ब्याज					
आस्थगित भुगतान	-				-
बैंक ओवर ड्राफ्ट/नकद जमा	-				-
आईबीआरडी एवं जेबीआईसी ऋण पर ब्याज	-				-
सीआईएल निधि ब्याज ऋण	-				-
अनुषंगियों से ब्याज	-				-
अन्य	0.17				0.09
कुल (अ)	**0.17**				0.09
अन्य उधारी लागत					
ऋण(आईबीआरडी एवं जेबीआईसी) पर गारंटी फीस	-				-
अन्य व्यय/बैंक शुल्क	-				-
कुल (ब)	-				-
कुल (अ+ब)	**0.17**				0.09

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड तुलन पत्र जारी.........

टिप्पणी-29

प्रावधान ₹ करोड़ में

प्रावधान	31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)				31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
(क) निम्नलिखित के लिए किए गए प्रावधान					
संदिग्ध ऋण	-				-
संदिग्ध एवं अग्रिम एवं दावे	-				-
विदेशी विनिमय मामले	-				-
भंडार एवं अतिरिक्त	-				-
भूमि पुनरूद्धार/खदान बंदी व्यय	-				-
स्थिर परिसम्पत्तियों/डब्ल्यूआईपी पूँजी का सर्वे आफ	-				-
अन्य	-				0.39
कुल (क)	**-**				0.39
(ख) प्रावधान वापस लाया गया					
संदिग्ध ऋण	**-**				-
संदिग्ध एवं अग्रिम एवं दावे	-				-
भंडार एवं अतिरिक्त	**0.09**				-
भूमि का उद्धार	-				-
स्थिर परिसम्पत्तियों/डब्ल्यूआईपी पूँजी का सर्वे आफ	**-**				-
अन्य	**0.10**				-
कुल (ख)	**0.19**				**-**
कुल (क-ख)	**(0.19)**				0.39

टिप्पणी-30

बट्टे खाते डालना ₹ करोड़ में

बट्टे खाते डालना	31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)				31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
संदिग्ध ऋण	**-**				-
संदिग्ध अग्रिम	-				-
अन्य	-				-
कुल	**-**				-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड तुलन पत्र जारी.........

टिप्पणी-31

अन्य व्यय ₹ करोड़ में

अन्य व्यय	31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)				31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
यात्रा व्यय					
–घरेलू (देश के अंदर)	**13.58**				12.25
–विदेशी	**0.96**				0.68
प्रशिक्षण व्यय	**0.65**				0.40
दूरभाष एवं डाक–खर्च	**0.72**				0.61
विज्ञापन एवं प्रचार	**1.62**				0.66
ढुलाई भाड़ा	-				-
विलम्बर शुल्क	-				-
चन्दा/अंशदान	-				-
सुरक्षा व्यय	**5.85**				4.77
सीआईएल का सर्विस शुल्क	-				-
किराया शुल्क	**3.17**				2.29
सीएमपीडीआई व्यय	-				-
वैधानिक खर्च	**0.13**				0.23
बैंक शुल्क	**0.05**				0.04
अतिथि गृह व्यय	**0.13**				0.05
परामर्श शुल्क	**0.57**				1.29
अंडरलोडिंग शुल्क	-				-
विक्रय में घाटा/अलग कर देना/सर्वे ऑफ परिसंपत्तियों में हानि	-				-
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक एवं व्यय					
– अंकेक्षण पारिश्रमिक के लिए	**0.04**				0.03
– काराधान मामलों के लिए	**0.01**				0.01
– कंपनी के विधि विषयों के लिए	-				-
– प्रबंधन सेवाओं के लिए	-				-
– अन्य सेवाओं के लिए	**0.10**				0.12
– व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	-				-
आंतरिक अंकेक्षण व्यय	**0.37**				0.36
पुनः स्थापना शुल्क	-				-
रॉयलटी तथा उपकर	-				-
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	-				-
किराया	**0.81**				0.63
दर एवं कर	**0.48**				0.58
बीमा	**0.01**				0.01
विनिमय दर विसंगति पर घाटा	-				-
लीज किराया	-				-
बचाव/सुरक्षा खर्चे	-				-
निष्क्रिय किराया/सतही किराया	-				-
साइडिंग रख–रखाव शुल्क	-				-
भूमि/फसल क्षतिपूर्ति	-				0.01
विविध व्यय	**7.50**				5.01
कुल	**36.75**				30.03

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड तुलन पत्र जारी.........

टिप्पणी-32

₹ करोड़ में

अपवादात्मक मद पूर्व अवधि समायोजन	31.3.14 के अनुसार (अंकेक्षित)				31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)
(क) व्यय					
यात्रा व्यय	-				-
कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं सुविधाएँ	-				-
संविदात्मक व्यय	-				-
अन्य खर्चे	-				-
कुल (क)	-				-
(ख) आय					
सेवाओं की बिक्री	**0.51**				(5.19)
कुल (ख)	**0.51**				(5.19)
कुल (क-ख)	**(0.51)**				5.19

कैश फ्लो स्टेटमेंट

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट

₹ करोड़ में

	विवरण		चालू वर्ष 2013-14 के लिए आंकड़ें	गत वर्ष 2012-13 के लिए आंकड़े
	1		2	3
I	**कैश फ्लो (अर्न्तवाह)**			
(1)	**परिचालित क्रिया-कलापों से**			
	(क) परिचालित क्रिया–कलापों से लाभ		34.60	29.77
	समायोजन			
	मूल्यह्रास तथा परिशोधन (ऋण चुकाना)		-	7.37
	(ख) कार्यशील पूंजी में परिवर्त्तन			
	वस्तुपूर्ति में कमी		0.27	0.73
	प्राप्य व्यवसाय में कमी		25.46	
	अल्पकालीन ऋण तथा अग्रिम में कमी		-	-
	अन्य चालू परिसम्पत्तियों में कमी		-	-
	भुगतान योग्य व्यवसास में वृद्धि		13.37	
	चालू देयताओं में वृद्धि		7.81	65.47
	प्रावधान में वृद्धि–अल्पकालीन		23.89	100.97
	प्रावधान में वृद्धि–दीर्घकालीन		1.40	2.62
	(ग) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ/देयताएँ			
	(1) का कुल		**206.80**	**206.93**
(2)	**निवेश क्रिया-कलापों से**			
	(क) अचल परिसम्पत्तियों से विक्रय से प्राप्ति/चालू पूंजीगत कार्य			
	(ख) विकास के तहत ईटेन्जिबुल परिसम्पति/परिसम्पति की बिक्री		3.40	-
	(ग) अचल परिसम्पति की बिक्री से प्रोसिड			
	(घ) निवेश किए गए विक्रय से प्राप्ति			
	(ङ.) अनुषंगियों/सहयोगियों/व्यावसायिक से दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम की वसूली			
	(च) अन्य दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम में कमी		-	0.10
	(छ) प्राप्त महीने से अधिक के परिपक्वता सहित जमा लेखे में कमी		-	0.92
	(ज) प्राप्त लाभांश			
	(झ) प्राप्त ब्याज			
	(ञ) अन्य आय			
	(2) का कुल		**3.40**	**1.02**
(3)	**वित्तीय क्रिया-कलापों से**			
	क. शेयर पूँजी से निर्गमन से प्राप्ति			
	ख. आवंटित लंबित शेयर विनियोग			
	ग. दीर्घकालीन उधारी/प्रावधानों स्रे प्राप्ति			
	घ. अल्पकालीन उधारी/सरकारी अनुदान से प्राप्ति		1.42	-
	(3) का कुल		**1.42**	
	कुल कैश फ्लो इन फ्लो (1+2+3)		**211.62**	**207.95**

₹ करोड़ में

	विवरण		चालू वर्ष 2013-14 के लिए आंकड़ें	गत वर्ष 2012-13 के लिए आंकड़े
	1		2	3
II	**कैश आउट फ्लो (बर्हिगमन)**			
(1)	**परिचालित क्रिया-कलापों से**			
	(क) परिचालित क्रिया–कलापों से हानि			
	समायोजन			
	मूल्य ह्रास तथा परिशोधन		0.58	-
	(ख) कार्यशील पूंजी में परिवर्त्तन			
	वस्तु–सूची में वृद्धि			
	प्राप्य व्यवसाय में वृद्धि			76.88
	अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि		184.08	38.45
	अन्य चालू परिसम्पत्तियों में वृद्धि			
	व्यापाल देय में कमी			1.02
	चालू देयताओं में कमी			
	प्रावधान में कमी–दीर्घकालीन			
	प्रावधान में कमी–अल्पकालीन			
	(ग) आस्थगित परिसम्पत्तियाँ / देयताएँ		6.05	23.86
	(घ) प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निबज वापसी)		15.03	4.72
	(1) का कुल		**205.74**	**144.93**
(2)	**निवेश क्रिया-कलापों से**			
	क. वास्तविक परिसम्पत्तियों की खरीद / चालू पूंजीगत कार्य		13.31	3.93
	ख. अवास्तविक परिसम्पत्तियों की खरीद / विकासाधीन परिसम्पत्तियाँ			0.41
	ग. निवेशों की खरीद			
	घ. अनुषंगियों / सहयोगियों / जोखिमो ं(व्यावसायिक) में निवेश			
	ड. अनुषंगियों / सहयोगियों / जोखिमो ं(व्यावसायिक) से दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम को भुगतान			
	च. अन्य दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम में वृद्धि		1.28	
	छ. अन्य अचालित परिसम्पत्तियों में वृद्धि			
	(2) का कुल		**14.59**	**4.34**
(3)	**वित्तीय क्रिया-कलापों से**			
	क. दीर्षकालीन उधारी का पुनर्भुगतान			
	ख. अल्पकालीन उधारी का पुनर्भुगतान			
	ग. चुकाया हुआ लाभांश (वितरण कर सहित)			
	घ. अल्पकालीन उधारी / सरकारी अनुदान से प्राप्त		-	1.08
	(3) का कुल			**1.08**
	कुल कैश आउट फ्लो (1+2+3)		**220.33**	**150.35**
III	नकद (कैश) तथा समतुल्य नकद (कैश) में निबल कमी / वृद्धि		-8.71	57.60
	जोड़कर अवधि के प्रारंभ में नकद तथा समतुल्य नकद		117.89	60.19
IV	नकद तथा नकद समतुल्य		**109.18** **108.18**	**117.79**
	अधिक के परिपक्वता के साथ जमा लेखा		1.00	0.10
	टिप्पणी 17 के अनुसार शेष		**109.18**	**117.89**

ह./–	ह./–	ह./–	ह./–
(पी. लाजर)	**(ए.के.सोनी)**	**(डी.के..घोष)**	**(ए.के.देबनाथ)**
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

वास्ते तोदी तुलस्यान एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउन्टेंट, फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 002180 सी

ह./–

(सी.ए.सुशील कुमार तुलस्यान)

पार्टनर, सदस्यता संख्या : 075899

दिनांक : 10 मई, 2014

स्थान : रांची

महत्वपूर्ण लेखा नीति

(31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखे का भाग है)

टिप्पणी 33

1.0 लेखागत परिपाटी :

यदि कोई अन्यथा उल्लेख न हो, तो वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों तथा कंपनी अधिनियम 1956 के प्रासांगिक (सम्बद्ध) प्रावधान के साथ–साथ उनके तहत अधिसूचित लेखा मानक के अनुरूप ऐतिहासिक लागत परंपरा और लेखा के वास्तविक (एक्यूरल) आधार ताा चालू संस्थागत अवधारना गोईंग कंसर्न के आधार पर तैयार किया जाता है।

2.0 सरकार से आर्थिक सहायता/अनुदान

2.1 पूँजीगत लेखे पर आर्थिक सहायता/अनुदान को उस सम्बद्ध परिसंपति की लागत से काट लिया जाता है जिससे वे संबंधित है। वर्ष के अंत में अप्रयुक्त रकम, यदि कोई हो, को चालू देयता के रूप में दिखाया गया है।

2.2 राजस्व लेखे पर आर्थिक सहायता/अनुदान को अन्य प्राप्तियाँ शीर्ष के तहत लाभ एवं हानि लेखा में क्रेडिट किया गया है तथा व्यय को संबंधित शीर्ष के तहत डेबिट किया जाता हैं

2.3 कार्यान्वियन एजेंसी के रूप में सरकार से प्राप्त सहायता/अनुदान

2.3.1 कार्यान्वयक एजेंसी के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पीआरई, ईएमएससी, सीसीडीए आदि के तहत प्राप्त आर्थिक सहायकता/अनुदान एवं परिसम्मपत्तियों के सृजन के लिए प्रयुक्त आर्थिक सहायता/अनुदान को पूंजीगत भंडार के रूप में माना जाता है तथा इस पर मूल्यह्रास को पूंजीगत भंडार लेखे में डेबिट किया जाता है। अनुदान के जरिए सृजित परिसंपत्ति का स्वामित्व उस प्राधिकारी के पास रहता है जिससे अनुदान प्राप्त किया जाता है।

2.3.2 नोडल/कार्यान्वयक एजंसी के रूप में प्राप्त अनुदान/फंड प्राप्ति एवं अदायगी के आधार पर लेखे में लिया जाता है।

3.0 अचल परिसम्पत्तियाँ

3.1 भूमि :

भूमि के मूल्य में में अधिग्रहण की लागत और संबंधित विस्थापितों के लिए हुए पुर्नस्थापन लागत तथा आर्थिक पुर्नवास उस पर किए गए खर्च शामिल है। भू–अधिग्रहण पर किए गए अन्य खर्च जैसे नियोजन के बदले क्षतिपूर्ति को राजस्व व्यय के रूप में माना गया है।

3.2 संयंत्र एवं मशीनरी

3.3.1 संयंत्र एवं मशीनरी में इसके निर्माण/संस्थापन तथा उनके अभिष्ट इस्तेमाल के लिए ठीक ढंग से काम करने हेतु किये गये अन्य खर्च शामिल है।

4.0 निवेश

चालू निवेश को तुलन पत्र की तिथि के अनुसार न्यूनतम लागत पर एवं वास्तविक मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है। म्यूच्युअल फंड में निवेश को चालू निवेश के रूप में माना गया है।

गैर चालू निवेश को लागत पर मूल्यांकित किया गया है। तथापि यदि कमि आती है, अस्थायी के अतिरिक्त, दीर्घकालीन निवेश के मूल्य में कैरिंग एमाउन्ट रिकोग्नाइज्ड डिक्लाइन तक घट जाएगा।

5.0 वस्तु सूची

5.1 भंडार एवं पार्टपुर्जे

5.1.1 सेंट्रल स्टोर के मूल्यांकित स्टोर लेजर में दर्ज शेष के अनुसार तथा कोलियरी/इकाई में पड़े भंडारों के प्रत्यक्ष जाँच के आधार पर लेखे में स्टोर तथा पार्ट–पूर्जों के इतिशेष भंडार पर विचार किया गया है।

5.1.2 सेंट्रल तथा एरिया स्टोर के स्टोरों तथा पुर्जों के भंडार को भारित औसत प्रणाली के आधार पर गणना की गई लागत पर मूल्यांकित किया गया है। कोलियरी/सब स्टोर/ड्रिलिंग कैम्प/उपभोग करने वाले केंद्र पर पड़े

स्टोरों तथा पार्ट–पुर्जों जिन्हें शुरूआत में प्रभार रहित (चाटर्ड ऑफ) कर दिया गया था, को एरिया स्टोर के निर्गम मूल्य, लागत/ प्राकलित लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

5.1.3 समानों एवं अतिरिक्त पुर्जों में खुले औजार भी शामिल हैं ।

5.1.4 जो स्टोर मरम्मत योग्य नहीं है, क्षतिग्रस्त तथा अनुपयोगी हों, के लिए 100 प्रतिशत की दर से तथा जिन स्टोरों तथा अतिरिक्त पुर्जों को 5 और इससे अधिक वर्षों से संचालित नहीं किया गया है, के लिए 50 प्रतिशत की दर से प्रावधान किया गया है।

5.2 लेखन सामग्री (प्रिन्टिंग प्रेस में पड़े हुए को छोड़कर) ईट, बालू दवा (सेंट्रल अस्पताल में स्थित), को छोड़कर वायुयान के पुर्जें तथा स्क्रेप को वस्तु सूची के लिए विचार नहीं किया गया है।

6.0 मूल्य ह्रास

6.1 दूर संचार उपकरण तथा फोटोकापी मशीन जिन्हें उनके तकनीकी आकलित जीवन के आधार पर उच्चतर दर पर प्रभारित किया गया है, को छोड़कर अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 1956 (यथा संसोधित) की अनुसूची xiv में उल्लिखित दर पर एवं ढंग से सरल रेखा प्रणाली पर किया जाता है जो इस प्रकार है :

दूर संचार उपकरण	:	15.83 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा 10.53 प्रति वर्ष
फोटो कापी मशीन	:	23.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष
फैक्स मशीन	:	31.67 प्रतिशत प्रतिवर्ष
मेबाइल फोन	:	31.67 प्रतिशत प्रतिवर्ष
डिजीटली इनहास कोर्डलेस टेलीफोन	:	31.67 प्रतिशत प्रतिवर्ष
कम्प्यूटर (प्रिंटर एवं स्कैनर सहित)	:	31.67 प्रतिशत प्रतिवर्ष

कुछ उपकरणों/एचईएमएम पर मूल्यह्ास को तकनीकी रूप से आकलित उनके जीवन काल से अधिक दर जैसे यथा प्रयोज्य 11.88 प्रतिशत, 13.57 प्रतिशत तथा 15.83 प्रतिशत पर प्रभारित किया गया है।

तकनीकी आकलन के आधार पर एसडीएम तथा मूलएचडी (उपकरण) पर मूल्यह्ास क्रमशः 19 प्रतिशत तथा 15.83 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर प्रभारित किया गया है।

प्रतिवर्ष 100 प्रतिशत मूल्यहास वाली (एसएलएम के आधार पर) परिसम्मपतियाँ जिसे उनके शामिल किए वर्ष ने पूर्णतः मूल्यह्ास कर दिया जाता है, को छोड़कर विवेच्य वर्ष के दौरान जोड़ी गई/निपटाई गई परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्ास को जोड़े गए/ निपटाए गए माह के संदर्भ में यथा अनुपातिक (प्रो राटा) आधार पर किया जाता है। 100 प्रतिशत मूल्यह्ास वाली परिसम्पत्तियाँ को जिस वर्ष में उनका पूर्णत् मूल्यह्ास कर दिया जाता है, उसकी समाप्ति के दो वर्ष के बाद उन्हें परिसम्पत्तियों से वापस कर लिया जाता है। उसकी समाप्ति के दो वर्ष के बाद उन्हें परिसम्पत्तियों से वापस कर लिया जाता है।

7.0 परिसम्पत्तियों की क्षति

इमपेयरमेंट हानि की वहाँ पहचान की जाती है, जहाँ परिसम्पत्तियों की कैरिंग रकम वसूली योग्य रकम से अधिक हो तथा इसकी पहचान लाभ एवं हानि के विवरण में व्यय के रूप में की जाती है तथा परिसम्पत्तियों के कैरिंग रकम को वसूली योग्य रकम में से घटा दिया जाता है।

पूर्व के वर्षों में पहचान की गई इम्पेयरमेंट हानि की उत्क्रमण/निराकरण को तब दर्ज किया जाता है, जब वहाँ एक संकेत हो कि परिसम्पत्तियेां के लिए पहचान की गई इमपेयरमेंट क्षति लम्बे समय तक विद्यमान नहीं रहे या समाप्त हो चुका हो।

8.0 विदेशी मुद्रा में विनिमय

8.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन के शेष को तुलन पत्र की तिथि पर प्रचलित दर पर परिवर्तित किया जाता है तथा संगत प्रभाव को संबंधित लेखे में दिया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूरे किए गए लेन–देन (ट्रांजेक्शन) को वास्तविक आधार पर समायोजित किया जाता है।

8.2 आगामी तिथि में निपटाए जाने (सेटल) वाले क्रास कन्ट्रीस्वैप आप्शन कान्ट्रेक्ट्स के तहत आने वाले अन्डर लेईंग फारेन करेंसी के लेन–देन की पहचान तुलन पत्र की तिथि के प्रचलित दर पर की गई है। इस प्रकार के संविदा के कारण पड़ने वाले प्रभाव की गणना निपटाए जाने की तिथि पर की गई है।

9.0 सेवा-निवृत्ति लाभ/कर्मचारियों के अन्य लाभ

क) निर्धारित (परिभाषित) अंशदान योजना

कंपनी ने अपने कर्मचारियों को भविष्य–निधि तथा पेंशन फंड लाभ के लिए अंशदान योजना निर्धारित की है। इस तरह के भविष्य–निधि कोष तथा पेंशन कोष का रख–रखाव तथा संचालन कोयला खान भविष्य–निधि (सीएमपीएफ) प्राधिकारियों द्वारा की जाती है।

इस योजना के नियम के अनुसार इस लाभ के फंड के लिए कंपनी को सीएमपीडीआई प्राधिकारियों को पे–रोल कास्ट का एक विहित (निर्धारित) प्रतिशत योगदान करना अपेक्षित है।

ख) कर्मचारियों के अन्य लाभ

कर्मचारियों के अन्य लाभ जैसे एलटीसी/एलएलटीसी के कारण होने वाले लाभ, जीवन सुरक्षा योजना, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इन्श्योरेंस स्कीम, सेटलमेंट एलाउएन्स, सेवा–निवृत अधिकारियों का चिकित्सा लाभ तथा खान दुर्घअना में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति आदि को तुलन पत्र की तिथि पर देयताओं को प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड प्रयोग कर वास्तविक आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

10.0 आय एवं व्यय की पहचान

आय एवं व्यय को प्रायः वास्तविक (एक्यूअरियल) आधार पर पहचाना जाता है तथा सभी ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान किया जाता है।

10.1 बिक्री

(क) बिक्री से संबंधित राजस्व की पहचान वहाँ की जाती है, जहाँ माल (गुड्स) के रूप में सम्पत्ति के साथ–साथ मालिक की जोखिम तथा प्रतिफल क्रेताओं को हस्तांतरित किया जाता है।

(ख) राजस्व की पहचान वहाँ की जाती है जहाँ वसूली (कॉलेकशन) की पर्याप्त सुनिश्चितता हो। दूसरी ओर, राजस्व की पहचान स्थगित कर दी जाती है यदि प्रबंधन द्वारा अनिश्चितता का अनुमान लगाया गया हो।

11.0 कराधान

चालू आयकर का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार बनाया गया है। एक अवधि में उत्पन्न कर योग्य आय तथा लेखा आय में अंतर होने से समय अवधि के आधार पर प्रुडेंस पर किए गए विचार के अनुसार आस्थगित कर देयता तथा परिसम्पत्तियों की पहचान यथोचित ढंग से इन्टेक्टेड टैक्स रेट पर की गई है।

12.0 प्रावधान

वित्तीय प्रावधान के पहचान (रिकोगनाइज) तब की जाती है जब कोई उद्यम के पास विगत की घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में दायित्व (ओब्लिगेशन) हो। यह हो सकता है कि आर्थिक लाभ सम्मिलित करने वाले संसाधन का आउटफ्लो को सेटल किए जाने की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। प्रावधान को वर्तमान मूलय से काटा नहीं जाता है तथा इसे तुलन पत्र तिथि पर दायित्व (ओवेलेगेशन) को सेटल करने केलिए अपेक्षित सर्वोत्तम आकलन के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है।

13.0 आकस्मिक देयता

आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है जो किसी उद्यम के पूर्णतः नियंत्रण में न रह सकने वाले एक या उससे अधिक अनिश्चित भावी घटना के होने या न होने से संपुष्ट किया जाएगा या वर्तमान दायित्व जो विगत की घटना से उत्पन्न होता है लेकिन उसकी पहचान नहीं की गई है, क्योंकि यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभ स्वीकार करने वाले संसाधन के आउटफ्लो की आवश्यकता दायित्व के निराकरण करने की होगी या दायित्व के रकम को विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता।

14.0 पूर्व अवधि समायोजन तथा पूर्वदत्त खर्च

पूर्व अवधि या पूर्वदत खर्च से संबंधित आय व्यय जो प्रत्येक मामले में 0.10 करोड़ से अधिक नहीं है, को वर्तमान वर्ष का आय/व्यय माना जाएगा।

लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी (31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लेखे का भाग)

टिप्पणी- 34

1.0 अचल परिसम्पत्तियाँ एवं मूल्यह्रास

1.1 अचल परिसम्पत्तियाँ

1.1.2 01.01.1975 को नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया लिमिटैड (सीआईएल) के पुनर्गठन होने पर इससे प्राप्त परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का कानूनी हस्तांतरण होना अभी बाकी है।

1.1.2 कंपनी ने बीसीसीएल टाउनशिप, धनबाद में 3.8 करोड़ रूपए (गत वर्ष 3.80 करोड़) तथा एनसीएल टाउनशीप, सिंगरौली में 4.20 करोड़ रूपये (गत वर्ष 4.20 करोड़ रूपए) के वैसी जमीन पर मकान एवं कार्यालय बनवाए हैं, जो नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों के हैं।

1.2 मूल्यह्रास

1.2.1 कम्प्यूटर साफ्टवेयर का मूल्यह्रास क्रय किए गए वर्ष में 100 प्रतिशत की दर पर किया जाता है।

1.2.2 पट्टे वाली जमीन के मूल्य को पट्टे की अवधि में एमोर्टाइज किया जाता है।

1.2.3 वैसी परिसम्पत्तियाँ, जिनका वास्तविक मूल्य 5000/–रू. से अधिक नहीं हो, को इस तरह की प्रत्येक परिसम्पत्तियों के लिए 1 रू. टोकन मनी छोड़कर 100 प्रतिशत पर मूल्यह्रास किया जाता है।

1.2.4 विवेच्च वर्ष के दौरान निम्नलिखित परिसम्पतियों का तकनीकी रूप से आंकलित उपयोगी जीवन डिप्रिसी एशन पर आधारित संशोधन किया गया।

परिसंपत्तियाँ	वर्तमान मूल्य-ह्रास दर	संशोधित मूल्य ह्रास नियम
फोटो कॉपीईंग मशीन	10.55 प्रतिशत	23.75 प्रतिशत
फैक्स मशीन	15.83 प्रतिशत	31.67 प्रतिशत
मोबाइल फोन	15.83 प्रतिशत	31.67 प्रतिशत
डिजीटली इनहॉस		
काडलेस फोन	15.83 प्रतिशत	31.67 प्रतिशत
कम्प्यूटर (प्रिंटर एवं स्कैनर सहित)	16.21 प्रतिशत	31.67 प्रतिशत

उपर्युक्त बदलाव के कारण मूल्य ह्रास में 1.48 करोड़ रूपए तक की वृद्धि हुई है।

2.0 स्टोर एवं अतिरिक्त पुर्जो का भंडार

2.1.1 मशीन–विशिष्ट पुर्जों को मशीन के साथ पूंजीकृत किया जाता है। कोई भी पुर्जा मशीन विशिष्ट तथा लगातार इस्तेमाल होने वाला नहीं है, जिसे ए.एस 10 के साथ पठित लेखा मानक (एएस) 2 के संदर्भ में पूंजीकृत किया जाए।

2.1.2 अचल (नन मूविंग) तथा अप्रयुक्त/पुराने स्टोरों का प्रावधान 0.42 करोड़ रूपए (गत वर्ष 0.33 करोड़ रू.) रहा। (संदर्भ टिप्पणी सं 15)

3.0 ऋण एवं अग्रिम/देनदार

3.1 कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के पास चालू लेखा एवं देनदार

3.1.1 31.3.2014 तक कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू लेखा (एकाउंट) में अंतर–कंपनी लेन–देन का सामांजस्य कर लिया गया है। 31.3.2014 के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों के पास सम्मत चालू लेखा को कोल इंडिया लिमिटेड चालू खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके बाद अंकेक्षण के दौरान या अन्य प्रकार से 31.3.2014 तक की अवधि से संबंधित अन्य सहायक कंपनियों से/को प्राप्त/भेजी गई किसी भी प्रकार का डेबिट/क्रेडिट सलाह पर अनुषंगी कंपनी उचन्त लेखा के तहत विचार किया गया है।

3.1.2 201.18 करोड़ रूपए के फुटकर देनदार गत वर्ष (326.91 करोड़ रूपए) में एक ही प्रबंधन के अधीन कंपनियों से 164.59 करोड़ रूपए (गत वर्ष 256.06 करोड़ रूपए) का बकाया शामिल है (संदर्भ टिप्पणी संख्या–16)/1.4.93 से सीआईएल के लेखे से समायोजन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा बिल की स्वीकृति की पद्धति लागू की गई है। बिल की स्वीकृति की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।

4.0 टिप्पणी सं. 10 ए के अनुसार परिसम्पत्तियों का व्यौरा

(अ) अचल परिसम्पत्ति एवं साफ्टवेयर (परिसम्पत्ति–एसएंडटी, ईएमएससी, यूएनडीपी, पीआई सीआईएल आरएंडडी आदि सहित)

सेन्ट्रल माइन प्लांनिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

टिप्पणी से 10 अ के अनुसार परिसम्पत्तियों का ब्यौरा

राशि (करोड़ ₹ में)

अचल परिसम्पति एवं सॉफ्टवेयर (परिसम्पति – एस एण्ड टी, सीसीडीए, ईएमसी, यूएनडीपी, पीआरई, सीआईएल, आरएण्डडी आदि को छोड़कर)

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्य ह्रास				नेट ब्लाक	
	1.4.2013 के अनुसार	2013-14 के दौरान वृद्धि	समायोजन/ बिक्री/हस्तांतरण 2013-14	31.3.14 के अनुसार	1.4.13 के अनुसार	वर्ष 2013-14 के दौरान वृद्धि	2013-14 में समायोजन/ बिक्री/हस्तांतरण	31.3.14 के अनुसार	31.3.14 के अनुसार	31.3.13 के अनुसार
भूमि										
(क) पूर्ण स्वामित्व वाली	1.15	-	-	1.15	-	-	-		1.15	1.15
(ख) पट्टे वाली	2.19	-	-	2.19	0.79	0.04	-	0.83	1.36	1.40
भवन	41.32	0.32	(0.09)	41.55	14.55	0.75	(0.09)	15.21	26.34	26.77
संयंत्र एवं मशीनरी	73.26	3.81	(2.81)	74.26	44.33	6.64	(2.64)	48.33	25.93	28.93
फर्निचर एवं फिटिंग्स/कार्यालय उपकरण आदि	15.53	1.19	(3.40)	13.32	11.30	0.74	(3.40)	8.64	4.68	4.23
वाहन	12.52	0.02	(0.57)	11.97	6.92	0.91	(0.49)	7.34	4.63	5.60
कुलद्धअऋ-अचल संपत्ति	**145.97**	**5.34**	**(6.87)**	**144.44**	**77.89**	**9.08**	**(6.62)**	**80.35**	**64.09**	**68.08**
साफ्टवेयर	2.80	0.75	(2.29)	1.26	2.80	0.75	(2.29)	1.26		
ब) अचल परिसम्पत्ति एवं साफ्टवेयर (एसएंडटी, सीसीडीए, ईएमएससी, यूएंडडीपी, पीआरई, सीआईएल, आरएंडडी आदि)										
भूमि										
(क) पूर्ण स्वामित्व वाली	-	-	-	-	-	-	-		-	-
(ख) पट्टे वाली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन	0.31	-	-	0.31	0.05	-	-	0.05	0.26	0.26
संयंत्र एवं मशीनरी	35.12	0.42	(0.07)	35.47	28.44	1.22	(1.09)	28.57	6.90	6.68
फर्निचर एवं फिटिंग्स/ कार्यालय उपकरण आदि	0.41	0.30	(0.03)	0.68	0.25	0.09	0.14	0.48	0.20	0.16
वाहन	0.04	-	-	0.04	0.04	-		0.04	-	-
कुलद्धबऋ-अचल संपत्ति	**35.88**	**0.72**	**(0.10)**	**36.50**	**28.78**	**1.31**	**(0.95)**	**29.14**	**7.36**	**7.10**
साफ्टवेयर	2.81		(1.86)	0.95	2.81		(1.86)	0.95		
कुलद्धअ+बऋ अचल परिसम्पत्ति	**181.85**	**6.06**	**(6.97)**	**180.94**	**106.67**	**10.39**	**(7.57)**	**109.49**	**71.45**	**75.18**
कुल द्धअ+बऋ सा"टवेयर	**5.61**	**0.75**	**(4.15)**	**2.21**	**5.61**	**0.75**	**(4.15)**	**2.21**	**-**	**-**

पूँजीगत भंडार : (टिप्पणी संख्या–2) : कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एसएंडटी, पीआरई, ईएमएससी, सीसीडीए आदि के तहत प्राप्त अनुदान एवं कोष तथा परिसम्पत्ति के सृजन के लिए किए गए उपयोग को पूंजीगत भंडार के रूप में माना जाता है तथा उस पर मूल्यहास को पूंजीगत भंडार लेखे में डेबिट किया जाता है। अनुदान के जरिए सृजित परिसम्पत्तियों का स्वामित्व उस प्राधिकारण का होता है, जिससे अनुदान प्राप्त किया गया है। पूंजीगत भंडार का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

विवरण		वि.एवं प्रौ. अनुदान	यूएनडीपी अनुदान	सीसीडीए अनुदान	ईएमएससी अनुदान*	कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास अनुदान	पीआरई अनुदान	सीएमएम/ सीबीएम क्लियरिंग हाउस अनुदान	कुल	
गत लेखे के अनुसार		4.13	0.05	0.09	0.00	6.47	0.34	0.09	11.17	
वृद्धि		1.26	0.00		0.00	0.50	0.96		2.72	
		5.39	0.05	0.09	0.00	6.97	1.30	0.09	13.89	
घटाकर मूल्यहास एवं समायोजन		0.70	0.00	0.01	0.00	0.49	0.09	0.01	1.30	
कुल		**4.69**	**0.05**	**0.08**	**0.00**	**6.48**	**1.21**	**0.08**	**12.59**	
31.3.2013 के आँकड़े		4.13	0.05	0.09	0.00	6.47	0.34	0.09	11.17	

6.0 आयकर

6.1 144.14 करोड़ रूपए आयकर अग्रिम (गत वर्ष 134.23 करोड़ रू.) (संदर्भ टिप्पणी सं.18) में मूल्यांकन वर्ष 2010–11 तक के लिए मूल्यांकन के विरूद्ध प्रतिवाद के तहत 22.34 करोड़ रू. शामिल है। 84.52 करोड़ रूपए के आयकर प्रावधान (संदर्भ टिप्पणी सं.18) में मूल्यांकन वर्ष 2014–15 तक के लिए समायोजन से संबंधित प्रावधान शामिल है।

6.2 सेवाकर :

प्राप्ति योग्य दावे में गत वर्षों के विवादित कर, ब्याज तथा दंड के बदले सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा वसूले गए 5.05 करोड़ रूपये शामिल है। कंपनी ने कमीशनर, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स के आदेश को रद्द करने के लिए माननीय झारखंड मुख्य न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की है।

7.0 चालू देयता एवं प्रावधान

7.1 कोयला खान पेंशन योजन के तहत देयताएँ

7.1.1 चालू देयता में 0.27 करोड़ रूपए (गत वर्ष 0.39 करोड़ रूपए) जिसमें 0.21 करोड़ की कटौती शामिल है क्योंकि कुछ गैर सीएमपीएफ सदस्य के कर्मचारी तथा कुछ वैसे मृत कर्मचारी जिन्होंने पेंशन का विकल्प नहीं चयन किया था, के कारण जमा नहीं किया जा सका।

7.1.2 कंपनी द्वारा 1.7.1995 से स्वीकृत अतिरिक्त वेतन वृद्धि के कारण सदस्यों को देय 0.01 करोड़ रू. (गत वर्ष 0.04 करोड़ रूपए) की भी देयता है।

7.1.3 उपर्युक्त दायित्व की रकम में सीएमपीएफ के अनुसार प्रयोज्य दर पर ब्याज शामिल है।

7.1.4 इन देयताओं के लिए बैंक में फिक्स्ड डिपोजिट में 0.04 करोड़ रूपए (गत वर्ष 0.10 करोड़ रूपए) जमा है।

7.2 अन्य

7.2.1 संविदात्मक ड्रिलिंग की देयता का प्रावधान उस अवधि के लिए ड्रिल किए गए मिटरेज का 100 प्रतिशत मूल्य मे से इस तरह की ड्रिलिंग के लिए किए गए भुगतान को घटाकर किया गया है।

7.2.2 वास्तविक (अक्चुअरियल) मूल्यांकन के अनुसार 1.1.2007 से पेंशन तथा सेवा–निवृति लाभ (केवल अधिकारियों के लिए) क्रमशः 15.58 करोड़ रूपए (गत वर्ष 12.71 करोड़ रूपए) तथा 35.26 करोड़ रूपए (गत वर्ष 28.72 करोड़ रूपए) का प्रावधान किया गया है।

7.2.3 सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 जो 2 अक्टूबर, 2006 से लागू हुआ है, के तहत सुक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम से संबंधित कुछ स्पष्टीकरण किए जाने हैं। कंपनी इस अधिनियम के तहत उनके कवरेज के बारे में अपने आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित जानकारी संकलन करने की प्रक्रिया कर रही है। चूँकि संबंधित जानकारी अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए लेखे में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

7.3 कार्यनिष्पादन से संबंधित वेतन

कार्य निष्पादन, (उपलब्धि) से संबंधित वेतन कंपनी ने अधिकारियों के लिए कार्य निष्पादन से संबंधित वेतन (पीआरपी) के विरूद्ध 165.48 करोड़ रूपए (वित्तीय वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10, 20010–11, 2011–12 तथा 2013–14 के लिए संबंधित वर्ष में क्रमशः 16.05 करोड़ रूपए, 10.90 करोड़ रूपए, 28.20 करोड़ रूपए, 29.77 करोड़ रू., 24.53 करोड़ रूपए तथा 27.70 करोड़ रूपए तथा 28.33 करोड़ रू. एकमुस्त वसूली योग्य अग्रिम का प्रावधान किया है (संदर्भ टिप्पणी सं. 9) टिप्पणी 18 के ''कर्मचारियों को अग्रिम'' में शामिल 39.90 करोड़ रूपए पीआरपी की रकम पीआरपी अग्रिम का निबल (नेट) है जो सेवा–निवृत होने वाले कर्मचारियों से वसूली गई है।

8.0 चोरी एवं छिनतई के मामले

विवेच्य अवधि के दौरान चोरी के मामलों में 24, 612 रूपए की रिपोर्टिंग की गई।

9.0 निदेशकों के पारिश्रमिक

रकम (करोड़ ₹ में)

		चालू वर्ष 2013-14	गत वर्ष 2012-13
(i)	एल.टी.सी / छुट्टी नकदीकरण– सहित वेतन एवं भत्ते	0.74	0.72
(ii)	भविष्य निधि	0.09	0.08
(iii)	चिकित्सा व्यय	0.04	0.01
(iv)	पूर्वापेक्षा (प्रीक्यूजिट) का मूल्य	0.16	0.18
(v)	प्रदत्त उपदान	0.10	0.10

10 विदेशी मुद्रा में उपार्जन, खर्च आदि :

10.1 विदेशी मुद्रा में खर्च

रकम (करोड़ ₹ में)

		चालू वर्ष 2013-14	गत वर्ष 2012-13
(i)	विदेशी प्रशिक्षण/ दौरा, पुस्तके एवं अन्य	1.59	0.26
(ii)	परामर्श शुल्क	0.00	0.00
	कुल	**1.59**	**0.26**

10.2 सीआईएफ के आधार पर परिकलित आयात मूल्य

रकम (करोड़ ₹ में)

		चालू वर्ष 2013-14	गत वर्ष 2012-13
(i)	पूँजीगत सामान	0.62	0.95
(ii)	अतिरिक्त पुर्जे एवं संघटक	0.03	0.00
	कुल	**0.65**	**0.95**

10.3 विदेशी मुद्रा में आय शून्य

10.4 उपयोग में लाए गए आयातित एवं स्वदेशी सामानों तथा अतिरिक्त पूर्जों का मूल्य और खपत में उनका प्रतिशत

रकम (करोड़ ₹ में)

		चालू वर्ष 2013-14		गत वर्ष 2012-13	
		मूल्य	प्रतिशत	मूल्य	प्रतिशत
(i)	आयातित	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	स्वदेशी	19.99	100.00	15.28	100.00
	कुल	19.99	100.00	15.28	100.00

11.0 आकस्मिक देयता

11.1 कम्पनी के विरूद्ध दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।

11.1.1 आयकर : अपील में लंबित पूरे किए गए मूल्यांकन के संबंध में 22.34 करोड़ रूपये (गत वर्ष 21.71 करोड़ रू.)

11.1.1 पूरे किए गए मूल्यांकन के संबंध में 5.46 करोड़ रू. (गत वर्ष 5.46 करोड़ रू.) जिसमें 5.05 करोड़ रू. षामिल है जिसे विवादित सेवा कर ब्याज तथा दंड के रूप में प्राप्त दावे के रूप में दर्षाया गया है । कंपनी के कमिषनर सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स के आदेष निरस्त करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय झारखं डमें रीट पीटिषन दाखिल की है।

11.1.2 प्रवेश कर के मामले : व्यावसायिक कर आयुक्त के समक्ष लंबित वित्तीय वर्ष 2002–03 के संबंध में जो व्यावसायिक कर आयुक्त के पास लंबित है 0.17 करोड़ रूपए (गत वर्ष 0.17 करोड़ रूपए)

11.1.3 सेवा कर के मामले :

(1) पूरे किए गए मूल्यांकन के संबंध में 5.46 करोड़ रू. (गत वर्ष 5.46 करोड़ रूपए) जिसमें 5.05 करोड़ रूपये शामिल है जिसे विवादित सेवाकर, ब्याज तथा दंड के रू. में प्राप्त दावे के रूप में दर्शाया गया है। कंपनी ने कमिशनर सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड सर्विस टैक्स को आदेश का निरस्त करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में रिट पिटिशन दाखिल किया है।

(2) केंद्रीय उत्पाद, सीमा एवं सेवा कर विभाग भुवनेश्वर द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रेक्षण के संबंध में 0.58 करोड़ रूपए

(3) ओएसएच बी भुवनेश्वर द्वारा उठाई गई माँग के संबंध में 0.16 करोड़ रूपए

(4) सीआईटी के ऑरिजनल ऑर्डर के विरूद्ध अपील करने वाले विभाग के संबंध में 0.49 रू. (2003–04 के लिए) जो सीएमपीडीआई के पक्ष में है।

11.1.4 न्यायालय में लंबित अन्य विवादास्पद मामले, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है– 7.11 करोड़ रूपए (गत वर्ष 8.20 करोड़ रूपए)

11.2 विवेच्य वर्ष के दौरान परिपक्वता तक लंबित खोले गए एलसी शून्य रूपए (गत वर्ष 31.3.13 तक शून्य रू.)

11.3 पूँजीगत लेखे पर कार्यान्वित किए जाने वाले शेष संविदा का प्राक्कलित मूल्य तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया है 18.57 करोड़ रूपए (गत वर्ष 5.90 करोड़ रू.)

11.4 अन्य मामले

11.4.1 औद्योगिक एवं अन्य विवाद के कारण न्यायालय में कुछ मामले लंबित हैं। इस मामले में आकस्मिक (फुटकर) देयता की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकी।

11.4.2 कंपनी की ओर से बैंक गारंटी जारी करने के लिए बैंक के पक्ष में कंपनी द्वारा 0.14 करोड़ रूपए (गत वर्ष 0.11 करोड़ रूपए) की प्रति गारंटी (काउन्टर गांरटी) जारी की गई है।

12.0 राजस्व की पहचान

पीएंडए तथा गवेषण के लिए कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों को दी गई सेवा के लिए निरीक्षण शुल्क को छोड़कर एक्यूरल के आधार पर लागत योग पर बिल तैयार किया जाता है जिसे प्राप्ति के आधार पर गणना की जाती है।

13.0 वापस लाया गया (राइट बैक)

13.1 वैसे पुराने चेक जो विवेच्य अवधि तक तीन साल से अधिक पुराने हैं, को वापस लाया गया है।

13.2 न्यायालय/न्यायाधिकरण के पास लंबित विवादित मामले को छोड़कर विवेच्य अवधि तक वैसे अग्रधन तथा प्रतिभूमि जमा को वापस लाया गया है, जो पाँच वर्ष से अधिक पुराने हैं।

13.3 न्यायालय/न्यायाधिकरण में लंबित विवादित मामले को छोड़कर पाँच वर्ष से अधिक से पड़े कर्मचारियों से इतर की दावारहित देयता को वापस लाया गया है।

14. 31.3.2014 के अनुसार उपदान (ग्रेच्यूटी) देयता का वास्तविक मूल्यांकन

तालिका–1 : प्रकटीकरण मद 120 (सी) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका

दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दिखलाने वाली तालिका

₹ करोड़ में

दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका	31.3.2014 के अनुसार	31.3.2013 के अनुसार
वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	130.33	124.30
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
ब्याज लागत	10.72	9.17
गत सेवा मूल्य	0.00	0.00
वतर्मान सेवा मूल्य	7.25	6.97
काट–छाँट (कर्टेलमेंट) लागत	0.00	0.00
परिशोधन (सेटलमेंट) लागत	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	8.44	19.40
दायित्व पर वास्तविक प्राप्ति/हानि	-17.14	9.29
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**122.72**	**130.33**

तालिका–2 : प्रकटीकरण मद 120 (ई)
योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित (फेयर) मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली
तालिका : लागू नहीं, क्योंकि योजना वितरहित है।

तालिका–3 : प्रकटीकरण मद 120 (एफ)
कोष प्रदान करने की स्थिति दर्शाने वाली तालिका
लागू नहीं, क्योंकि योजना वितरहित है।

तालिका 4 : प्रकटीकरण मद 120 (जी)
लाभ/हानि के विवरण में पहचान की गई व्यय दर्शाने वाली तालिका

₹ करोड़ में

दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शानेवाली तालिका	31.3.2014 के अनुसार	31.3.2013 के अनुसार
चालू सेवा लागत	7.25	6.97
गत सेवा लागत	0.00	0.00
व्याज लागत	10.72	9.17
योजनागत लागत का संभावित रिटर्न	0.00	0.00
कॉंट–छाँट (कर्टेलमेंट) लागत	0.00	0.00
परिशोधन (सेटलमेंट) लागत	0.00	0.00
वर्ष में पहचान की गई वास्तविक प्राप्ति/हानि	-17.14	9.29
लाभ एवं हानि के परिशोधन में चिन्हित व्यय	**0.83**	**25.43**

तालिका- 7 : प्रकटीकरण मद 120 (एल)

वास्तविक अजम्पशन दर्शाने वाली तालिका

	31.3.2014 के अनुसार	31.3.2013 के अनुसार
मोर्टालिटी तालिका	आईएएलएम(2006–08)यूएलटी	आईएएलएम(2006–08)यूएलटी
सेवा–निवृति उम्र	60	60
समय पूर्व सेवा–निवृति एवं अक्षमता	10 प्रति हजार पीए	10 प्रति हजार प्रति वर्ष पीए
	45 से उपर 6	45 से उपर के 6
	29 तथा 45 के बीच 3	29 से 45 के बीच 3
	29 से नीचे एक	29 से नीचे के 1
छूट दर	8.50 प्रतिशत	8.50 प्रतिशत
मुद्रा स्फीति दर	6.25 प्रतिशत	6.25 प्रतिशत
परिसम्पत्तियों पर रिटर्न	एनए	0.00
शेष कार्यकारी जीवन	11 वर्ष	11 वर्ष
प्रर्युक्त फार्मूला	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड

तालिका- 8 प्रकटीकरण मद 120 (एम)
योजना के रूप में लागू नहीं इसलिए यह चिकित्सीय लागत से संबंधित नहीं

तालिका-9 प्रकटीकरण मद 120 (एन)
उत्पादन हेतु कंपनी का गत 4 मूल्यांकन रीकार्ड का सारांश

तालिका-10 : प्रकटीकरण तालिका 120 (ओ)
तुलन-पत्र में चिन्हित देयता में गतिशीलता

₹ करोड़ में

	31.3.2013 के अनुसार	31.3.2014 के अनुसार
प्रारंभिक निबल देयता	0.00	0.00
उपर्युक्त के अनुसार खर्च	0.83	25.43
अंशदान	0.00	0.00
अंतिम निबल देयता	0.83	25.43
वर्ष के अंत में अंतिम कोष/प्रावधान	122.72	130.33

एएस-15 के परिशिष्ट 'बी' पर टिप्पणी (संशोधित 2005)

चूंकि यह योजना वित्त रहित है, इसलिए लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभार निम्नलिखित मान्यता पर आधारित है :

(1) गत के दायित्व को अंतिम लेखा तिथि में उपलब्ध कराया गया है।

(2) एक्जीस्ट के लाभ का भुगतान उपर्युक्त प्रावधान के डेबिट को किया गया है।

(3) चालू (वर्तमान) दायित्व को चालू लेखा तिथि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

15.0 31.3.2014 के अनुसार छुट्टी नकदीकरण लाभ (ईएल/एचपीएल) का वास्तविक मूल्यांकन

तालिका : 1 प्रकटीकरण मद 120 (सी)

दायित्वों का वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाती तालिका

₹ करोड़ में

दायित्वों का वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाती तालिका	31.3.2014 के अनुसार
वर्षारंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	74.03
अर्जन समायोजन	0.00
ब्याज की लागत	5.76
पूर्व की सेवा लागत	0.00
वर्तमान सेवा लागत	5.96
करटेलमेंट लागत	0.00
निपटारा लागत	0.00
प्रदत्त लाभ	12.55
दायित्व पर वास्तविक लाभ/हानि	3.30
वर्षांत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	76.50

तालिका : 2 प्रकटीकरण मद 120 (ई)

प्लान परिसंपत्तियों का उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाती तालिका, लागू नहीं यहाँ से नीचे होगा क्योंकि योजना निधित नहीं है

तालिका : 3 प्रकटीकरण मद 120 (एफ)

निधि की स्थिति दर्शाती तालिका, लागू नहीं क्योंकि योजना निधित नहीं है

तालिका : 4 प्रकटीकरण मद 120 (जी)

लाभ/हानि के विवरण में स्वीकृत खर्च दर्शाती तालिका

₹ करोड़ में

दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाती तालिका	31.3.2014 के अनुसार
वर्तमान सेवा लागत	5.96
गत सेवा लागत	0.00
ब्याज की लागत	5.76
प्लान परिसंपत्ति पर असंभावित रिटर्न	0.00
करटेलमेंट लागत	0.00
निपटारा लागत	0.00
वर्ष के मान्य वास्तविक लाभ/हानि	3.30
लाभ एवं हानि विवरण में मान्य खर्च	15.02

तालिका : 7 प्रकटीकरण मद 120 (एल)

वास्तविक खपत दर्शाती तालिका

	31.3.2014 के अनुसार
मृत्यु दर तालिका	आईएलएम(2006–08) यूएलटी
सेवानिवृत्त उम्र	60
शीघ्र सेवानिवृत्ति तथा अक्षमता	प्रति हजार में 10 प्रतिवर्ष
	45 से उपर 6
	29 से 45 के बीच 3
	29 से नीचे 1
छूट दर	8.50 प्रतिशत
मुद्रास्फीति दर	6.25 प्रतिशत
परिसम्पत्ति से रिटर्न	एन ए
कार्य की शेष अवधि	11 वर्ष
उपयोग किए गए सूत्र	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथेड

तालिका : 10 प्रकटीकरण मद 120 (ओ)

तुलन-पत्र में मान्य देयताओं की मूवमेंट

₹ करोड़ में

	31.3.2014 के अनुसार
अधिशेष निबल देयता	0.00
उपर्युक्त पर खर्च	15.02
सहयोग राशि	0.00
इतिशेष निबल देयता	15.02
वर्षांत में क्लोजिंग निधि/प्रावधान	76.50

एएस का परिशिष्ट बी–15 (संशोधित 2005) के लिए टिप्पणी।

चूँकि योजना लाभ/हानि लेखा के लिए शुल्क अनिधित है, इसलिए निम्नलिखित खपत आधारित है :

(4) अंतिम लेखा तिथि के लिए गत वर्ष के दायित्व को बताया गया है।

(5) उपर्युक्त प्रावधान के डेबिट को एक्जिट् के लाभ में दिखाया गया है।

(6) वर्तमान दायित्व को वर्तमान लेखा तिथि में दर्शाया जाएगा।

16.0 आस्थगित कर :

चार्टर्ड एकाउटेंड आफ इंडिया के इन्स्टीच्यूट द्वारा जारी आय पर कर के लिए लेखे पर लेखा मानक (एएस 22) के अनुसार 31.3.2014 को आस्थगित आयोजित कर परिसम्पत्तियों तथा देयताओं को क्रमशः 107.89 करोड़ रूपए तथा 6.30 करोड़ रूपए परिकलित किया गया है। 31.3.2014 के अनुसार निबल आस्थगित कर में निम्नलिखित शामिल है :

₹ करोड़ में

		31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
(ए)	आस्थगित कर परिसंपति		
	वीआरएस	0.00	0.00
	साफ्टवेयर	0.17	0.09
	अप्रयुक्त/गैर–गतिशील के लिए प्रावधान	0.14	0.11
	संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	0.99	1.06
	छुट्टी नकदीकरण, ग्रेच्यूटी तथा अन्य टर्मिनल लाभ के लिए प्रावधान	106.59	101.50
	कुल– (ए)	107.89	102.76
बी)	आस्थगित कर देयता परिसम्पत्तियों के		
	डब्ल्यूडीवी में अंतर	6.30	7.22
	कुल– (ए)	6.30	7.22
(सी)	आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (निबल ए–बी)	101.59	95.54

17.0 क्षेत्रवार (सेगमेंट वाइज) लाभ एवं हानि विवरण :

₹ करोड़ में

विवरण	पीएंडडी	गवेषण	पर्यावरण	कुल
राजस्व				
सेवाओं की बिक्री	215.79	406.24	25.40	**647.43**
विविध–आय	4.60	0.34	0.07	**5.01**
कुल राजस्व	**220.39**	**406.58**	**25.47**	**652.44**
परिणाम	**53.29**	**71.37**	**6.10**	**130.76**
अनअलॉटेड निगमित व्यय				**96.16**
कर के पूर्व लाभ/हानि				**34.60**
आयकर के लिए प्रावधान				**21.08**
आस्थगित कर के लिए प्रावधान				**- 6.05**
कर के पश्चात् लाभ				**19.57**

18.0 निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निगमित सामाजिक दायित्व 9 (सीएसआर) के लिए 1.25 करोड़ रूपए (गत वर्ष के प्रतिधारित रिटेंड लाभ का 5 प्रतिशत होने के कारण) का प्रावधान किया गया है। विवेच्य अवधि के दौरान इस पर 1.82 करोड़ खर्च किए गए हैं।

19.0 सतत् (सस्टेंड) विकास भंडार

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सतत्विकास भंडार हेतु 0.12 करोड़ रूपए (गत वर्ष के प्रतिधारित लाभ का 0.5% होने के कारण) का प्रावधान किया गया है। इस मद में विवेच्य अवधि में 0.19 करोड़ व्यय किया गया है।

20.0 गत वर्ष के आँकड़े

जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ है चालू वर्षों के साथ उसकी तुलना करने के लिए गत वर्ष के आँकड़े को पुनर्व्यस्थित/पुनर्गठित/पुनः समुहित किए गए हैं।

तुलन–पत्र के लिए 1 से 19, लाभ तथा हानि लेखा के लिए 20 से 32 तथा लेखा नीति एवं लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी के लिए 33 से 34 और लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी के लिए हस्ताक्षरित।

ह०/–	ह०/–	ह०/–	ह०/–
(पी. लाजर)	**(ए.के.सोनी)**	**(डी.के.घोष)**	**(ए.के.देबनाथ)**
कम्पनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

उस तिथि को संलग्न हमारे रिपोर्ट के संबंध में
वास्ते तोदी तुलस्यान एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंड
फर्म निबंधन संख्या– 002180–सी

ह०/–
(सीए सुशील कु. तुलस्यान)
पार्टनर
सदस्य संख्या–075899

स्थान : राँची
तिथि : 10 मई, 2014

कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के भाग IV द्वारा यथा वांछित सूचनाएं

तुलन-पत्र का सार और कम्पनी का सामान्य व्यापार प्रोफाइल

03 झारखण्ड (राज्य कोड)

I. पंजीयन विवरण

पंजीयन संख्या	0	0	1	2	2	3

राज्य कोड	0	3

तुलन – पत्र तिथि

दिनांक		महीना		वर्ष			
3	1	0	3	2	0	1	4

II. विवेच्य वर्ष में उगाही गई पूँजी (राशि हजार रूपये में)

पब्लिक इश्यू						
				शू	न्	य

राइट इश्यू						
				शू	न्	य

बोनस इश्यू						
				शू	न्	य

निजी स्थापन						
				शू	न्	य

III. निधियों का संग्रहण एवं विस्तार की स्थिति (राशि '00000 रूपये में)

कुल देयताएं						
		8	3	0	5	2

कुल परिसंपत्तियां						
		8	3	0	5	2

निधि के स्रोत

प्रदत्त पूँजी							
			1	9	0	4

आरक्षित एवं अधिशेष						
		1	3	6	8	4

प्रतिभूत ऋण						
				शू	न्	य

अप्रतिभूत ऋण						
				शू	न्	य

निधि के उपयोग

निबल अचल परिसंपत्तियॉ			
9	7	0	4

निवेश						
				शू	न्	य

निबल चालू परिसंपत्तियॉ / गैर चालू परिसंपत्तिया¡				
(-)	4	2	7	5

विविध व्यय						
				शू	न्	य

संचित हानि						
				शू	न्	य

आस्थगित कर						
		1	0	1	5	9

इंटेन्जिबुल एसेट्स						
				शू	न्	य

IV. कम्पनी का कार्य निष्पादन (00000 रूपये में)

टर्न ओवर	कुल व्यय
64743	61283

+/ -	कर के पूर्व लाभ/हानि	+/ -	कर के बाद लाभ/हानि
+	3460	+	1957

(लाभ के लिए +, हानि के लिए –)

प्रति शेयर उपार्जन (रूपये में)	लाभांश
1033	शून्य

V. कम्पनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम (मौद्रिक टर्म के अनुसार)

मद कोड संख्या (आईटीसी कोड)	उपलब्ध नहीं
उत्पाद विवरण	माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन
मद कोड संख्या (आईटीसी कोड)	उपलब्ध नहीं
उत्पाद विवरण	भू–विज्ञान एवं वेधन
मद कोड संख्या (आईटीसी कोड)	उपलब्ध नहीं
उत्पाद विवरण	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा क्षेत्र सेवाएं

अनुसूची 'क से ण' तक और 1 से 15 तक के लिए हस्ताक्षरित
निदेशक–मंडल, सीएमपीडीआई की ओर से एवं वास्ते

ह०/–	ह०/–	ह०/–	ह०/–
(पी. लाजर)	**(ए.के.सोनी)**	**(डी.के.घोष)**	**(ए.के.देबनाथ)**
कम्पनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

कोल इंडिया लिमिटेड के शेयरधारकों के लिए आम सूचना (जनरल नोट)

सीएमपीडीआई की वार्षिक लेखा जांच के लिए रखा जाएगा तथा यह कोल इंडिया लिमिटेड के किसी भी शेयरधारक द्वारा मांगे जाने पर जानकारी देने के लिए मुख्यालय में उपलब्ध रहेगा।